खण्ड-411, अंक-1
बृहस्पतिवार, 17 चैत्र, शक संवत् 1916
(7 अप्रैल, 1994 ई0)

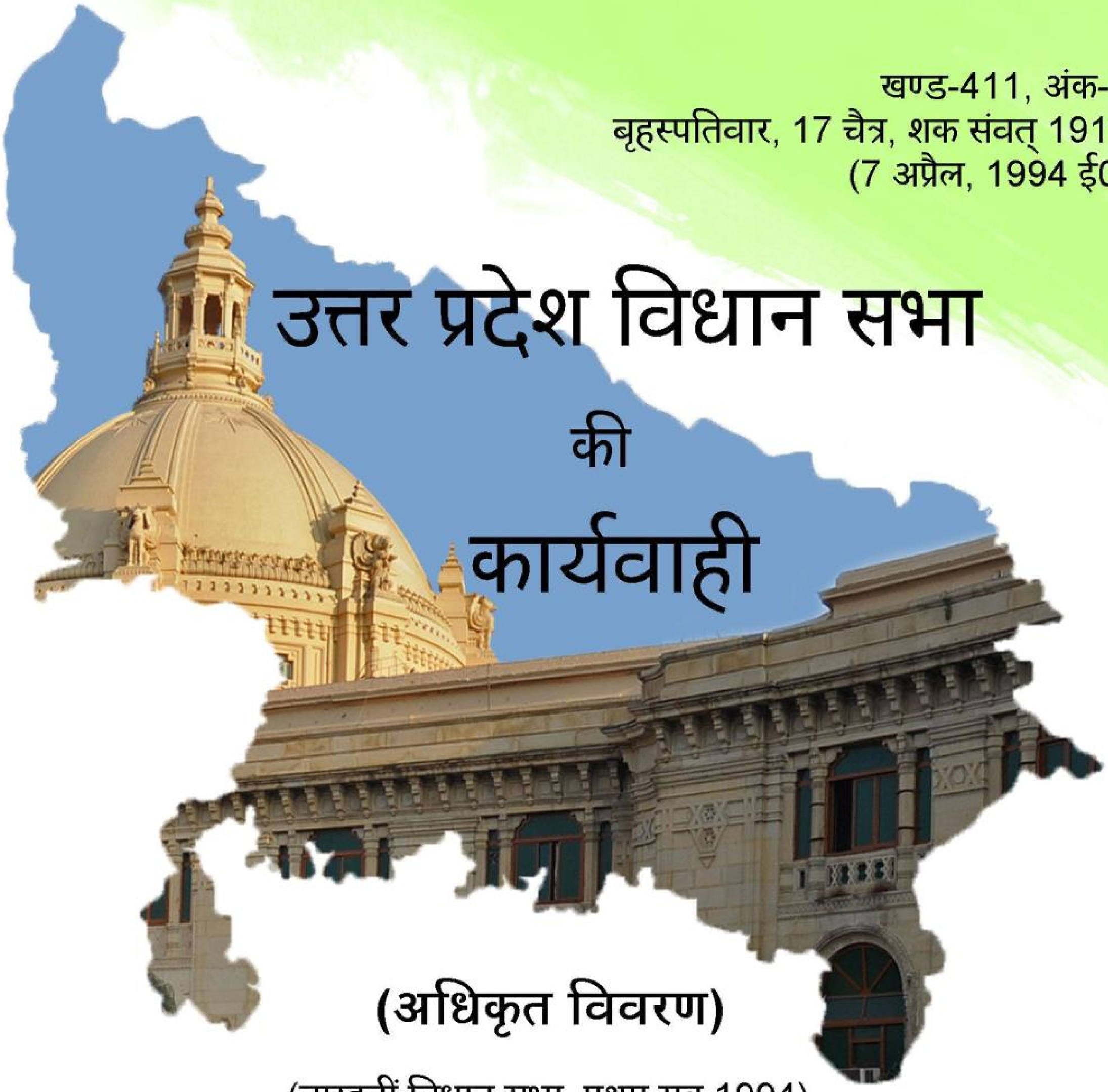

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 411 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची	क–छ
श्री राज्यपाल, मंत्रि परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल	झ–ट
उपस्थित सदस्य	ड–ढ
मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव पर हुए प्राण घातक हमला विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को लिये जाने की मांग (जारी) ...	1–9
प्रश्नोत्तर	9–69
मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव पर हुए प्राण घातक हमला विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना	70–103
*नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	103
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	103–104
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय में कुलपति द्वारा धांधली किये जाने तथा उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	104–105
वाराणसी में सफाई कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था न होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105
उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि० में आरक्षण के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में नियम 301 के अंन्तर्गत सूचना	105–106
वाराणसी नगर के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा काशी के घाटों के सुन्दरीकरण कराने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
उन्नाव से ग्राम पड़री कला जाने वाली परिवहन निगम की बन्द बसों को पुनः चलवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	107
आगरा पुलिस के संचार माध्यम बाधित होने से कानून व्यवस्था कायम रखने में हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	107–108
जनपद आगरा के कस्बा अछनेरा की कृषि उत्पादन मण्डी समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
सदन में दी गयी विभिन्न सूचनाओं को सुने जाने की मांग	108–109
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	109

विधान पुस्तकालय कार्यवाही खण्ड,
उत्तर प्रदेश

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	109
उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1994 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ...	110
गाजियाबाद की आठ लाख से अधिक आबादी को जल निगम के मानक के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश पाल आदि की याचिका (प्रस्तुत की गयी)	110
जनपद कानपुर (देहात) ब्लाक–भीतर गांव के अन्तर्गत मुगल रोड से चन्दनपुर–उमरी साढ़े छः कि० मी० मार्ग को पक्का डामरयुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सचान आदि की याचिका (प्रस्तुत की गयी) ...	110
जनपद कानपुर (देहात) ब्लाक भीतरगांव के अन्तर्गत भीतरगांव के अन्तर्गत भीतरगांव से पसेवा-पासीखेड़ा-उमरी-मड़ेपुरा असेनिया मार्ग आठ कि० मी० को पक्का डामरयुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज विशम्भर आदि की याचिका (प्रस्तुत की गयी)	110--111
उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994(पुरःस्थापित किया गया)	111
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (पुरःस्थापित किया गया)	111
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	112–119
सूचना विभाग से प्राप्त डायरियों के वितरण में घपले के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	120
दिल्ली स्थित यू० पी० निवास में कमरे के आवंटन में अनियमितता विषयक सूचना को उठाने का प्रयास	120–121
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	121–124
ताजमहल को प्रदूषण से बचाने विषयक दी गई कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को सुने जाने की मांग	124–125
दिल्ली स्थित यू० पी० भवन में आरक्षित कमरे का आरक्षण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	125
वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औधानिक विकास) तथा अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत)	126–153
वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग तथा अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग (जारी)	153--157
दीर्घा में बैठे अधिकारियों का संज्ञान लिये जाने पर आपत्ति (जारी) ...	157–158
वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग तथा अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग (जारी)	158

विषय	पृष्ठ संख्या
दीर्घा में बैठे अधिकारियों को संज्ञान में लिये जाने पर आपत्ति ...	158
वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग तथा अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत)	158–165
बजट साहित्य समय से उपलब्ध कराये जाने की मांग	165
वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) तथा अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	165–182
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	182–184
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	184
जनपद मुरादाबाद के गजरौला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कतिपय फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैसों तथा गन्दे पानी से प्रदूषण उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य...	185–189
युग निर्माण योजना कन्या उ० मा० विद्यालय, मोहम्मदी, जिला खीरी की अध्यापिकाओं/कर्मचारियों को पांच माह का वेतन न दिये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य...	190
जनपद बांदा की बबेरू तहसील में मुन्सिफ कोर्ट खोले जाने की मांग विषयक नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	191–192
1993–94 सत्र की बी० टी० सी० प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों का परीक्षा फल घोषित न किये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	192–193
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि का धन उनके खातों में नियमित रूप से जमा न किये जाने विषयक नियम 49 के चर्चा का स्थगन	193
नत्थियां	194–200

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची

1–अंगद यादव, श्री आजमगढ़
2–अकबर अली, श्री जालौन
3–अक्षयवर लाल, श्री बहराइच
4–अखलाख, श्री मेरठ
5–अखिलेश, श्री महराजगंज
6–अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
7–अछैयवर भारती, श्री मऊ
8–अजय कुमार पोइया, श्री मथुरा
9–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री गोण्डा
10–अतीक अहमद, श्री इलाहाबाद
11–अनिल कुमार, श्री सीतापुर
12–अफजाल अन्सारी, श्री गाजीपुर
13–अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री फतेहपुर
14–अमरनाथ यादव, श्री वाराणसी
15–अमर सिंह, श्री अलीगढ़
16–अमर सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
17–अमित अग्रवाल, श्री मेरठ
18–अम्बिका, श्री बलिया
19–अम्बिका सिंह, श्री गोरखपुर
20–अम्बिका सिंह, श्री देवरिया
21–अ० रईस, श्री सुल्तानपुर
22–अरविन्द कुमार, श्री ललितपुर
23–अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर फर्रुखाबाद
24–अरिमर्दन सिंह, श्री हमीरपुर
25–अवध पाल सिंह यादव, श्री एटा
26–अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
27–अवनीश कुमार सिंह, श्री बदायूं
28–अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री हमीरपुर
29–अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री उन्नाव
30–अशोक बाजपेई, श्री हरदोई
31–आनन्द यादव, श्री देवरिया
32–इन्द्रदेव सिंह, श्री बिजनौर
33–इन्द्रपाल सिंह, श्री इटावा
34–इन्द्र भद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
35–इरशाद, श्री आजमगढ़
36–इश्तियाक अंसारी, श्री गाजीपुर
37–इश्तियाक अहमद, श्री बाराबंकी
38–उदय प्रकाश, श्री हमीरपुर
39–उदय भान सिंह, श्री आगरा
40–उपदेश सिंह चौहान, श्री मैनपुरी
41–उमाकान्त यादव, श्री जौनपुर
42–उमाशंकर, श्री जौनपुर
43–उर्मिला देवी यादव, श्रीमती मैनपुरी
44–उर्मिला राजपूत, श्रीमती फर्रुखाबाद
45–ऊदल, श्री वाराणसी
46–ओंकार सिंह, श्री एटा
47–ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
48–ओम प्रकाश, श्री गोरखपुर
49–ओम प्रकाश गुप्ता, श्री सीतापुर
50–ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
51–करन सिंह, श्री मुरादाबाद
52–कल्याण सिंह, श्री अलीगढ़
53–कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
54–काशी सिंह ऐरी, श्री पिथौरागढ़
55–किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
56–किशन लाल, श्री पीलीभीत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

57–किशन लाल दिलेर, श्री — अलीगढ़
58–कृष्ण कुमार नवमान, श्री — अलीगढ़
59–कृष्णवीर सिंह सिरोही, श्री — गाजियाबाद
60–केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली
61–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
62–कोकब हमीद खां, श्री — मेरठ
63–गजराज सिंह, श्री — गाजियाबाद
64–गजाधर सिंह, श्री — रायबरेली
65–गनपति सिंह, श्री — महराजगंज
66–गया चरण दिनकर, श्री — बांदा
67–गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री — रायबरेली
68–गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री — अल्मोड़ा
69–गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
70–घनश्याम शुक्ल, श्री — गोण्डा
71–घूरा राम, श्री — बलिया
72–चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
73–चन्द्र भान मौर्य, श्री — आगरा
74–चन्द्र भूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू, श्री — फर्रुखाबाद
75–चन्द्र मणि कान्त सिंह, श्री — बहराइच
76–चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री — मुरादाबाद
77–चन्द्र शेखर, श्री — गाजीपुर
78–चन्द्र शेखर, श्री — बस्ती
79–चरन सिंह, श्री — मेरठ
80–चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
81–चैनसुख भारती, श्री — जालौन
82–छब्बू, श्री — वाराणसी
83–छोटे लाल, श्री — हरदोई
84–छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
85–छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
86–जगत सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
87–जगदम्बा, श्री — बस्ती
88–जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
89–जगदीश मुनि, श्री — हरिद्वार
90–जगन्नाथ प्रसाद, श्री — खीरी
91–जगरनाथ चौधरी, श्री — जौनपुर
92–जगराम सिंह, श्री — कानपुर नगर
93–जगवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
94–जदुरानी, श्रीमती — हरदोई
95–जमुना मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
96–जयपाल सिंह, श्री — मेरठ
97–जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
98–जयराम कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
99–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री — इटावा
100–जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री — इलाहाबाद
101–जवाहर लाल दिवाकर, श्री — इलाहाबाद
102–जसवन्त सिंह, श्री — कानपुर देहात
103–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री — गोरखपुर
104–जुगेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
105–जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
106–ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती — वाराणसी
107–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
108–तिलक राज बेहड़, श्री — नैनीताल
109–तीरथ राज, श्री — सोनभद्र
110–तुलसीदास राय चन्दानी, श्री — गोण्डा
111–तुलाराम सैनी, श्री — मुरादाबाद
112–तेजपाल सिंह, श्री — बिजनौर
113–तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
114–तेजपाल सिंह पंवार, श्री — हरिद्वार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

115–तेज भान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
116–त्रिपाल सिंह धामा, श्री — मेरठ
117–दया सिन्धु शंखधर, श्री — बदायूं
118–दरोगा, श्री — आजमगढ़
119–दल बहादुर कोरी, श्री — रायबरेली
120–दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
121–दीनानाथ चौधरी, श्री — बलिया
122–दीनानाथ भाष्कर, श्री — वाराणसी
123–रिक्त — उन्नाव
124–देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री — ललितपुर
125–दौलत राम, श्री — सीतापुर
126–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
127–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
128–धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री — बुलन्दशहर
129–धामू राम भाष्कर, श्री — फैजाबाद
130–धीरेन्द्र बहादुर सिंह, कुंवर — खीरी
131–धू राम चौधरी, श्री — हमीरपुर
132–नजमउद्दीन, श्री — इलाहाबाद
133–नन्द किशोर मिश्रा, श्री — देवरिया
134–नन्द लाल, श्री — सुल्तानपुर
135–नन्द लाल सिंह पटेल, एडवोकेट, श्री — इलाहाबाद
136–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री — इलाहाबाद
137–नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
138–नरेन्द्र सिंह, श्री — मैनपुरी
139–नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
140–नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — कानपुर देहात
141–नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री — गाजियाबाद
142–नरेश अग्रवाल, श्री — हरदोई
143–नवल किशोर, श्री — बुलन्दशहर
144–नसीम, श्री — मऊ
145–नसीरुद्दीन, श्री — फिरोजाबाद
146–निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री — खीरी
147–निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
148–नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
149–परमानन्द दण्डी, स्वामी — रामपुर
150–परशुराम, श्री — फैजाबाद
151–पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
152–पीतम सिंह, श्री — एटा
153–पुत्तू सिंह यादव, श्री — शाहजहांपुर
154–पूर्णमासी देहाती, श्री — देवरिया
155–पृथ्वी सिंह विकसित, श्री — हरिद्वार
156–प्रणत पाल सिंह, श्री — मथुरा
157–प्रताप सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
158–प्रभा रावत, श्रीमती — गोरखपुर
159–प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
160–प्रवीण सिंह ऐरन, श्री — बरेली
161–प्रीतम सिंह, श्री — देहरादून
162–प्रीतम सिंह, श्री — मुरादाबाद
163–प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री — सिद्धार्थनगर
164–प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
165–प्रेम सिंह, श्री — गाजियाबाद
166–फजलुर्रहमान अंसारी, श्री — बहराइच
167–फ्रेन्सिस डब्लू० मूर — नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
168–फौजदार प्रसाद, श्री — मऊ
169–बंशीधर, श्री — नैनीताल
170–बचनू राम पटेल, श्री — वाराणसी
171–बची सिंह रावत, श्री — अल्मोड़ा
172–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
173–बदन सिंह, श्री — आगरा
174–बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
175–बनवारी सिंह, श्री — बदायूं
176–बरकत अली खां, श्री — सुल्तानपुर

177–बी० आर० वर्मा, श्री — आजमगढ़
178–बरफिया लाल जुवांठा, श्री — उत्तरकाशी
179–बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
180–बशीर, श्री — हमीरपुर
181–बाबू खां, श्री — हरदोई
182–बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
183–बाबू राम वर्मा, श्री — बस्ती
184–बाबू लाल, श्री — उन्नाव
185–बाल गोविन्द राजवंशी, श्री — सीतापुर
186–बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
187–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
188–बालेश्वर यादव, श्री — देवरिया
189–बिहारी लाल आर्य, श्री — झांसी
190–बी० के० गुप्ता, श्री — पीलीभीत
191–बेचन राम, श्री — गोरखपुर
192–बेनी प्रसाद, श्री — बाराबंकी
193–बैजनाथ रावत, श्री — बाराबंकी
194–ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री — फर्रुखाबाद
195–ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
196–भगवत शरण गंगवार, श्री — बरेली
197–भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री — लखनऊ
198–भगवती प्रसाद सागर, श्री — कानपुर देहात
199–भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
200–भागवत पाल, श्री — मिर्जापुर
201–भैरो प्रसाद मिश्र, श्री — बांदा
202–मंजूर अहमद, श्री — बरेली
203–मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
204–मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
205–मदन भइयां, श्री — मेरठ
206–मनव्वर हसन, श्री — मुजफ्फरनगर
207–मनोहर लाल, श्री — उन्नाव
208–मन्नू लाल कुरील, श्री — बांदा
209–मयंकर सिंह, श्री — बहराइच
210–मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
211–मसूद अहमद, डा० — फैजाबाद
212–महबूब अली, श्री — मुरादाबाद
213–महराज सिंह यादव, श्री — इटावा
214–महाबीर सिंह, श्री — बिजनौर
215–महाबीर सिंह, कुंवर — हरदोई
216–महिपाल सिंह यादव, श्री — बरेली
217–महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री — आगरा
218–महेन्द्र पाल सिंह, श्री — बिजनौर
219–महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री — फतेहपुर
220–महेन्द्र सिंह माहरा, श्री (महू भाई) — पिथौरागढ़
221–महेश चन्द्र, श्री — कानपुर नगर
222–मातवर सिंह कण्डारी, श्री — टिहरी गढ़वाल
223–माम चन्द्र, श्री — सहारनपुर
224–माया शंकर पाठक, श्री — वाराणसी
225–मारकण्डेय सिंह, श्री — बलिया
226–मित्रसेन यादव, श्री — फैजाबाद
227–मीर मजहर अली उर्फ नन्हें मियां, श्री — बदायूं
228–मुक्ति नाथ, श्री — देवरिया
229–मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
230–मुनीश गौड़, श्री — अलीगढ़
231–मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
232–मुलायम सिंह यादव, श्री — फिरोजाबाद
233–मेवा लाल बागी, श्री — वाराणसी
234–मोलई, श्री — गोरखपुर
235–मोहम्मद अरशद खान, श्री — जौनपुर
236–मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
237–मोहर सिंह, श्री — सहारनपुर
238–मोहसिन, डा० — गोरखपुर

239–यश पाल आर्य, श्री — नैनीताल
240–यश पाल चौधरी, श्री — खीरी
241–यश पाल सिंह चौधरी, श्री — सहारनपुर
242–योगेन्द्र कुमार सागर, श्री — बदायूं
243–रंगनाथ, श्री — वाराणसी
244–रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर उर्फ राजा भइया, श्री — प्रतापगढ़
245–रघुवीर सिंह, श्री — एटा
246–रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
247–रणधीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
248–रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
249–रतन पाल पंवार, श्री — मुजफ्फरनगर
250–रमाकान्त यादव, श्री — आजमगढ़
251–रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — देवरिया
252–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
253–रमेश कान्त लवानियां, श्री — आगरा
254–रमेश चन्द्र चंचल, श्री — फिरोजाबाद
255–रमेश पोखरियाल "निशंक", श्री — गढ़वाल
256–रमेश बहादुर, श्री — प्रतापगढ़
257–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रोफेसर — मेरठ
258–रवीन्द्र प्रताप चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
259–रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री — देवरिया
260–रवीन्द्र शुक्ल, श्री — झांसी
261–राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
262–राकेश सोनकर, श्री — कानपुर नगर
263–राजकुमार शिवहरे, श्री — बांदा
264–राजबली जैसल, श्री — इलाहाबाद
265–राजबली यादव, श्री — आजमगढ़
266–राज लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
267–राजबीर सिंह, श्री — अलीगढ़
268–राजा राम त्यागी, श्री — रायबरेली
269–राजीव कुमार, श्री — नैनीताल
270–राजेन्द्र कुमार, श्री — मऊ
271–राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
272–राजेन्द्र प्रसाद, श्री — लखनऊ
273–राजेन्द्र सिंह, श्री — देहरादून
274–राजेन्द्र सिंह, श्री — बिजनौर
275–राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
276–राजेश कुमार, श्री — बदायूं
277–राजेश कुमार, श्री — वाराणसी
278–राधे श्याम, श्री — बाराबंकी
279–राधे श्याम गुप्त, श्री — फतेहपुर
280–रानी देव लता, श्रीमती — सहारनपुर
281–राम अचल राजभर, श्री — फैजाबाद
282–राम अधार यादव, श्री — महराजगंज
283–राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
284–राम औतार मिश्रा, श्री — शाहजहांपुर
285–राम करन आर्य, श्री — बस्ती
286–राम किशोर बिन्द, श्री — वाराणसी
287–राम कुमार वर्मा, श्री — खीरी
288–राम कुमार शुक्ल, श्री — लखनऊ
289–राम कृष्ण वर्मा, श्री — मेरठ
290–राम खेलावन, श्री — उन्नाव
291–राम गोपाल, श्री — खीरी
292–राम जीत भारद्वाज, श्री — वाराणसी
293–राम तेज, श्री — बहराइच
294–राम दर्शन यादव, श्री — आजमगढ़
295–राम दवर, श्री — जौनपुर
296–राम दास पाल, श्री — कानपुर देहात
297–राम देव वर्मा, श्री — फैजाबाद
298–राम धनी, श्री — गाजीपुर
299–राम नरेश यादव, श्री — रायबरेली
300–राम पाल सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

301–राम प्रकाश, श्री — बस्ती
302–राम प्रकाश गुप्त, श्री — लखनऊ
303–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — फर्रुखाबाद
304–राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
305–राम प्रसाद टम्टा, श्री — अल्मोड़ा
306–राम प्रसाद, श्री — बुलन्दशहर
307–राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
308–राम बाबू हरित, डा० — आगरा
309–राम मूर्ति सिंह, श्री — शाहजहांपुर
310–राम लखन यादव, श्री — प्रतापगढ़
311–राम लखन वर्मा, श्री — फैजाबाद
312–राम लोटन सिंह पटेल, इन्जी० — मिर्जापुर
313–राम विशुन आजाद, श्री — गोण्डा
314–राम वीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
315–राम सजीवन निर्मल, श्री — इलाहाबाद
316–राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
317–राम सिंह, श्री — बुलन्दशहर
318–राम सेवक सिंह, श्री — इलाहाबाद
319–राम सेवक सिंह, श्री — बदायूं
320–राम स्वरूप शर्मा, श्री — मथुरा
321–राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
322–रामेश्वर दयाल, श्री — मैनपुरी
323–रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री — गोण्डा
324–रेखा छागला, श्रीमती — इटावा
325–लक्ष्मी चन्द्र, श्री — बुलन्दशहर
326–लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ गुरू जी, श्री — प्रतापगढ़
327–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
328–लाज कृष्ण गांधी, श्री — सहारनपुर
329–लालजी, श्री — वाराणसी
330–लालजी यादव उर्फ जोगी, श्री — जौनपुर
331–लाल बहादुर सिंह, श्री — प्रतापगढ़
332–लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
333–वकार अहमद शाह, श्री — बहराइच
334–वासुदेव, श्री — बुलन्दशहर
335–विक्रमा सिंह, श्री — बलिया
336–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
337–विजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
338–विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री — गोण्डा
339–विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
340–विश्वनाथ, श्री — देवरिया
341–विश्वनाथ प्रसाद गुप्त, श्री — गोण्डा
342–विश्वम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
343–विश्वम्भर सिंह, श्री — मथुरा
344–वीर अभिमन्यू सिंह, श्री — फतेहपुर
345–वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
346–वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री — शाहजहांपुर
347–वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री — पीलीभीत
348–वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री — अलीगढ़
349–शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
350–शराफत यार खां, श्री — बरेली
351–शशि बाला पुण्डीर, श्रीमती — सहारनपुर
352–शशि बाला भारती, श्रीमती — खीरी
353–शाकिर, श्री — देवरिया
354–शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
355–शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री — महराजगंज
356–शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
357–शिव दानी, श्री — इलाहाबाद
358–शिव प्रताप यादव, डा० — गोण्डा

359–शिव प्रताप शुक्ल, श्री — गोरखपुर
360–शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
361–शिव राम सिंह कुशवाहा, श्री — जालौन
362–शिवेन्द्र, श्री — महराजगंज
363–शूरवीर सिंह सजवाण, श्री — टिहरी गढ़वाल
364–श्याम किशोर यादव, श्री — लखनऊ
365–श्याम देव राय चौधरी, (दादा) — वाराणसी
366–श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
367–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
368–श्रीराम पाल, श्री — जालौन
369–श्रीराम, श्री — मिर्जापुर
370–श्रीराम यादव, श्री — जौनपुर
371–श्रीराम सिंह, श्री — गोण्डा
372–संग्राम सिंह यादव, श्री — बलिया
373–संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
374–सज्जन पाल सिंह उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री — एटा
375–सतीश कुमार, श्री — बिजनौर
376–सतीश भटिया, श्री — लखनऊ
377–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
378–सत्य प्रकाश, श्री — मुरादाबाद
379–सत्य प्रकाश विकल, श्री — आगरा
380–सत्येन्द्र सिंह, श्री — मुरादाबाद
381–सन्त बक्श रावत, श्री — लखनऊ
382–सफदर रजा खां, श्री — सुल्तानपुर
383–समई, श्री. — आजमगढ़
384–समर पाल, श्री — मुरादाबाद
385–समीर भाटी, श्री — गाजियाबाद
386–सरजीत सिंह डंग, डा० — मिर्जापुर
387–सर्वराज सिंह, कुंवर — बरेली
388–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री — मुरादाबाद
389–सावित्री देवी, श्रीमती — जौनपुर
390–सियाराम सागर, डा० — बरेली
391–सुखदेव, श्री — आजमगढ़
392–सुखदेवी, श्रीमती — इटावा
393–सुधीर कुमार बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
394–सुन्दर पाल सिंह, श्री — सीतापुर
395–सुन्दर लाल दीक्षित, श्री — बाराबंकी
396–सुन्दर लाल लोधी, श्री — उन्नाव
397–सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री — बांदा
398–सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री — गढ़वाल
399–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
400–सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री — मुजफ्फरनगर
401–सुरेश पासी, श्री — प्रतापगढ़
402–सुरेश प्रताप सिंह, श्री — मुरादाबाद
403–सुरेश संगल, श्री — मुजफ्फरनगर
404–सुशीला सरोज, श्रीमती — हरदोई
405–सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
406–स्वयंम्वर चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
407–स्वामी नाथ, श्री — देवरिया
408–हरक सिंह रावत, श्री — गढ़वाल
409–हरदेव सिंह, श्री — बाराबंकी
410–हरपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
411–हरवंश कपूर, श्री — देहरादून
412–हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
413–हरी किशन श्रीवास्तव, श्री — कानपुर देहात
414–हरी शंकर माहौर, श्री — अलीगढ़
415–हरीश कुमार गंगवार, श्री — बरेली
416–हरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
417–हरेन्द्र सिंह, श्री — रामपुर
418–हाजी मोहम्मद हयात, श्री — मुरादाबाद
419–हीरा मनि पटेल, श्री — इलाहाबाद
420–हृदय नारायण, श्री — उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्यपाल

श्री मोती लाल वोरा

मंत्रि-परिषद्

1–श्री मुलायम सिंह यादव, मुख्य मंत्री ।	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, ऊर्जा, सूचना, निर्वाचन, वित्त, संस्थागत वित्त, सार्वजनिक उद्यम, आवास, न्याय विधायिका, गन्ना विकास, चीनी मिलें, उद्योग, सिंचाई, आबकारी, पर्यटन, पर्यावरण, श्रम, कृषि, उत्तरांचल विकास, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, नियोजन, खाद्य, दुग्ध विकास, राज्य सम्पत्ति, उद्यान, युवा कल्याण, राष्ट्रीय एकीकरण, इलेक्ट्रानिक्स ।
2–श्री बेनी प्रसाद वर्मा	लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य ।
3–श्री मोहम्मद आजम खां	सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ ।
4–श्री राज बहादुर	समाज कल्याण ।
5–श्री राम लखन वर्मा	पंचायती राज ।
6–श्री रमा शंकर कौशिक	नगर विकास ।
7–श्री भगवती सिंह	वन ।
8–श्री बलराम यादव	स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा ।
9–श्री बाबूराम यादव	राजस्व ।
10–श्री मनोहर लाल	पशुधन तथा मत्स्य ।
11–श्री अवधेश प्रसाद	कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन ।
12–श्री आर० के० चौधरी	परिवहन ।
13–डा० मसूद अहमद	माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा ।
14–श्री श्रीराम यादव	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्य मंत्री

1–श्री शारदानन्द अंचल	माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री ।
2–श्री रामधनी	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री ।
3–श्री दीनानाथ भाष्कर	स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री ।
4–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा	परिवहन मंत्री ।
5–श्री श्रीराम पाल	मत्स्य तथा पशुधन मंत्री ।
6–श्री सन्त बख्श रावत	नगर विकास मंत्री ।
7–श्री सुन्दर सिंह बघेल	समाज कल्याण मंत्री ।
8–श्री सुखराम सिंह यादव	लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री ।
9–श्री अशोक कुमार सिंह बेबी	पंचायती राज मंत्री ।
10–श्री सुखदेव राजभर	सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री ।
11–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	राजस्व मंत्री ।

उप मंत्री

1–श्री राम किशोर बिन्द	कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री ।
2–श्री लालजी चौहान	वन मंत्री ।

नेता, विरोधी दल

श्री कल्याण सिंह	भारतीय जनता पार्टी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री धनीराम वर्मा

उपाध्यक्ष

रिक्त

अधिष्ठाता मण्डल

1–श्री अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई) ।

2–श्री ऊदल, सदस्य, विधान सभा (वाराणसी) ।

3–श्री राम करन आर्य, सदस्य, विधान सभा (बस्ती) ।

4–श्री बी० आर० वर्मा, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़) ।

5–श्री सत्य प्रकाश विकल, सदस्य, विधान सभा (आगरा) ।

6–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर) ।

7–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ) ।

8–श्री नरेश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (हरदोई) ।

9–श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा (हरदोई) ।

10–श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा (महराजगंज) ।

सचिव

श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 7 अप्रैल, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:–

अक्षयवार लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
अवधपाल सिंह यादव, श्री	एटा
उदय भान सिंह, श्री	आगरा
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी
उर्मिला राजूत, श्रीमती	फर्रुखाबाद
ओंकार सिंह, श्री	एटा
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
चैनसुख भारती, श्री	जालौन
जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी
तेजपाल सिंह पवार, श्री	हरिद्वार
त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ
दीनानाथ भाष्कर, श्री	वाराणसी
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
दौलत राम, श्री	सीतापुर
नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरिया
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
परमानन्द दण्डी, स्वामी,	रामपुर
प्रीतम सिंह, श्री	मुरादाबाद
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
बंशीधर, श्री	नैनीताल
बची सिंह रावत, श्री	अल्मोड़ा
बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बी० के० गुप्ता, श्री	पीलीभीत
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भागवत पाल, श्री	मिर्जापुर
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महावीर सिंह, श्री	बिजनौर
महावीर सिंह, कुंवर	हरदोई
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
महेन्द्र पाल सिंह, श्री	बिजनौर
महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री	फतेहपुर
मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
यशपाल आर्य, श्री	नैनीताल
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़
राजवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम किशोर विन्द, श्री	वाराणसी
राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
रामकृष्ण वर्मा, श्री	मेरठ
राम दवर, श्री	जौनपुर
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर
सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री	मुरादाबाद
स्वयंबर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
हरबंश कपूर, श्री	देहरादून
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 7 अप्रैल, 1994

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 2 मिनट पर अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव पर हुये प्राण घातक हमला विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को लिए जाने की मांग

(कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही दो मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने नियम–311 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी । कृपा करके पहले उसको ले लें । विभिन्न दलों के विधायकों के ऊपर आरोप लगाया गया है । हमारे मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य को भी शामिल किया गया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है पहले आप इसको सुन लें । प्रदेश के अधिकारियों ने विधायकों के ऊपर आरोप लगाया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अगर विधायिका कलंकित हो जायेगी तो इस सदन के चलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं बाद में सुन लूंगा । आप कृपया बैठें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह सम्पूर्ण सदन का सवाल है । यह खुला आरोप है । जब इस प्रकार के आरोप विधायिका के ऊपर लगाये जायेंगे तो इस सदन की गरिमा नष्ट होगी ।

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्न प्रहर हो जाने दीजिये फिर सुन लूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

पूरे हिन्दुस्तान के अखबारों में उत्तर प्रदेश के विधायकों को गाली दी गयी है और तमाम दलों के विधायकों को इसमें जोड़ा गया है, मंत्रि-परिषद् के एक मंत्री को भी इसमें जोड़ा गया है और यह एक अहम बात है ।

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्न प्रहर हो जाने दें तो ज्यादा अच्छा होगा । उसके बाद मैं सुन लूंगा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इससे ज्यादा गम्भीर विषय और कोई नहीं हो सकता है। आज पूरे प्रदेश में विधायिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है, कार्य-पालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अगर इसी प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगा तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में घृणा और भ्रम की स्थिति पैदा हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

मैं सुन लूंगा। पहले प्रश्न हो जाने दीजिये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह अति महत्वपूर्ण विषय है और आज लोगों में घृणा और भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इसे आप स्वीकार कर लें, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। सारे नियमों को निलम्बित कर आप इस पर सुन लीजिये। आज हम लोगों पर उंगली उठ गयी है, ऐसी स्थिति में आज के दिन इससे अहम् सवाल कोई हो नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष–

मैं सुनने के लिये तैयार तो हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

नियमों को निलम्बित कर के पहले इसी को ले लें। आज विधायिका सन्देह के घेरे में आ गयी है।

श्री अध्यक्ष–

आप इसे एक घण्टे बाद उठा लीजियेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, चूंकि पिछले दिनों सदन की कार्यवाही नहीं हो रही थी, अन्यथा हम लोग उत्तेजित तो थे ही। आज सम्पूर्ण विधायिका की अस्मिता पर कुठाराघात हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

मैं तैयार हूं, सुनने के लिये।

श्री राम आसरे वर्मा–

अगर विधायिका के ऊपर सन्देह बना रहेगा तो सदन की कार्यवाही चलाने का कोई मतलब नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी–

अध्यक्ष जी, विधायिका की गरिमा सुरक्षित होनी चाहिये । सदन के नेता के ऊपर हमला हुआ है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय क्या हो सकता है ? अन्य सारे विषयों की तुलना में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये आप इस विषय पर चर्चा करायें, उसके बाद किसी और विषय को लें । नेता सदन से ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आज पूरा सदन विधायिका के लिये चिन्तित है । विधायिका पर उंगली उठी है । पहले इस प्रकरण को ले लें । अगर विधायिका ही नहीं रहेगी तो नेता सदन भी नहीं रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात सुनूंगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अखबारों के मुखपृष्ठ पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया है । इससे पूरे प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में हम लोगों की छवि खराब हुयी है । मैं उस दिन दिल्ली में था, जब खबर छपी थी । दिल्ली वालों ने भी हमसे पूछा, इस बारे में ।

श्री अध्यक्ष–

आप सारी बात रख लीजियेगा, जब मैं ग्राह्यता पर सुनूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जिन लोगों ने इस विषय पर सूचना दी है । एक साथ सबको लेकर आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, मैं सब सुन लूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसी सदन में, विगत एक महीने में 5 किशोरों की हत्याओं के मामले में, इस विषय को चुनौती के रूप में स्वीकार किया था इससे जनमानस को आशा बंधी थी कि इसका पर्दाफाश होगा । लेकिन अपनी असफलताओं को छिपाने के लिये कार्यपालिका और प्रशासनिक लोगों के खिलाफ आरोप लगाये जा रहे हैं । नेता सदन के ऊपर भी प्राणघातक हमला हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल साहब, मैं कह तो रहा हूं कि सुनूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, बहुत गंभीर विषय है, सम्पूर्ण विधायिका का मामला है इसलिये इसको पहले सुन लें ।...

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न प्रहर के बाद मैं सुन लूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, प्रश्न प्रहर स्थगित करने का निवेदन पहली बार नहीं किया है, जब सदन के समक्ष ऐसे गंभीर प्रश्न आ जाते हैं जिससे पूरे प्रदेश की जन भावनायें सम्बद्ध होती हैं तो प्रश्न प्रहर से महत्वपूर्ण विषय हो जाता है । यह विषय पूरे प्रदेश की 14 करोड़ जनता की चिन्ता का विषय है । वैसे मान्यवर, सबसे पहला प्रश्न हमारा ही लगा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुनने के लिये कहा है और इसे प्रश्न प्रहर के बाद सुन लूंगा ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, [x x x]

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, प्रदेश की जनमानस से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिये इसका काफी महत्व है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

इस मामले का संबंध पूरे सदन से है और सदन में बैठने वाले विभिन्न दलों के विधायकों से है । श्रीमन् पूरी विधायिका से संबंधित प्रश्न है ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, 311 में मैंने और मेरे दल के कई माननीय सदस्यों ने भी माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ है उसके बाद में सूचना दी है । मैं चाहता था कि प्रश्न प्रहर के बाद यह मामला उठता है । लेकिन विषय की जो अविलम्बता है, महत्वपूर्ण है और जिसको माननीय नेता कांग्रेस दल ने भी कहा है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । माननीय नेता सदन पर जो प्राणघातक हमला हुआ उससे स्पष्ट हो जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत निष्प्रभावी हो गयी है । इसलिये यह विषय बहुत ही गंभीर है । इसको आप 311 में सुन लें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय उप नेता भारतीय जनता पार्टी के विचार से सहमत हूं, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है । एक प्रश्न जो पूरी विधायिका की गरिमा का प्रश्न है, जिसको माननीय वर्मा जी ने और हमारे साथियों ने उठाया है । मान्यवर, दूसरा विषय जो और भी महत्वपूर्ण है कि जब इस

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रकार की कानून-व्यवस्था इस मोड़ पर पहुंच गयी है कि मुख्य मंत्री की सुरक्षा नहीं है तो सामान्य विधायकों की बात ही क्या है ? मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री पर जो प्राणघातक हमला हुआ है उस पर सरकार का दृष्टिकोण आना आवश्यक है, मुख्य मंत्री सुरक्षित हैं या उनको चोट आयी है सारी बातें इस सदन में स्पष्ट होना आवश्यक है । इसलिये मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि सभी की भावनाओं को देखते हुये जो राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा है उस पर पहले चर्चा करा लें । उसके बाद जो वर्मा जी ने और हमारे साथियों ने उठाया है वह कम महत्वपूर्ण नहीं है अतः इसको भी ले लें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर हमला हुआ उस पर दो पक्षों के बीच सवाल जवाब की बात है । मैं उस पर नहीं जाना चाहता हालांकि अहमियत रखती है लेकिन जो प्रस्ताव मैंने दिया है वह ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि उसका संबंध पूरे विधायिका से है, पूरी विधायिका पर ऊंगली उठायी गयी है । मान्यवर, जनता के बीच में जब कोई चर्चा का विषय बन जाती है और सन्देह की उठी हुई ऊंगली पर अगर आप चर्चा नहीं कराते हैं, स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो हम सभी लोग उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता के बीच में गुनाहगारों के रूप में गिने जायेंगे । इसलिये मान्यवर, इसको आप पहले ले लें । दूसरा सवाल माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर हुये प्राण घातक हमले के संबंध में है और जिसको 311 में भारतीय जनता पार्टी के बन्धुओं ने उठाया है, उसको भी ले लें । इसलिये मान्यवर, नियमों को निलम्बित करके प्रश्न प्रहर इस समय रोक दें और इस महत्वपूर्ण विषय पर पहले चर्चा करा लें ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैंने भी नियम 311 के अन्तर्गत एक सूचना दी है, जो कि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर है । मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर चर्चा करा लें ।

* श्री ऊदल–

मैं अपने को (खुद को) समझने में असमर्थ पा रहा हूं इसलिये कि विधायिका में जो लोग हैं वह इतने कमजोर हैं और उनका दिल भी इतना कमजोर है, यह जो 14 करोड़ जनता 80 करोड़ जनता है उसके सामने धूमिल हो गया है, इस पर विचार करना होगा । मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव आ रहा है विधायिका का उसकी और छीछालेदर होगी । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर किसी भी प्रकार की बहस यहां सुनने की इजाजत न दें और इसे निरस्त करके आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करें, मेरी यही प्रार्थना है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो यह प्रश्न उठाया है वह महत्वपूर्ण है लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा परसों, यह मामला पूरे प्रदेश के जनमानस से सम्बद्ध है, शान्ति व्यवस्था से है, सुरक्षा से है, प्रदेश के मुखिया के ऊपर जब प्राणघातक हमला हुआ, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी जब सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, यह महत्वपूर्ण मामला है, चाहे तो आप नियम को निलम्बित

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विधान पुस्तकालय कार्यवाही खण्ड,
उत्तर प्रदेश

कर सुन लें और न भी सुनें । मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि प्रश्न प्रहर में किसी भी प्रश्न को उठाना उचित नहीं है । किसी भी प्रश्न को इस प्रश्न प्रहर में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, उसके बाद आप सुन लें, मेरी आपसे यही प्रार्थना है ।

* श्री रंगनाथ–

मान्यवर, यह चार अप्रैल की घटना हुई है, इस पर मैंने प्रथम नोटिस दिया है और पहले राजीव अग्रवाल के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था, सदन में नोटिस दी गयी थी । एक विधायक होने के नाते आपने कहा था कि प्रश्नकाल के बाद लूंगा, उसको मान लिया गया था, इसके बाद भी कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है, विधायक के ऊपर, सदन के नेता के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया है, आपके भी ऊपर हो सकता है, इसलिये इतने लोक महत्व का प्रश्न है कि प्रश्नकाल स्थगित करके तत्काल इस पर चर्चा करायें । आज जो स्थिति बनी हुयी है उससे प्रदेश में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर हमला हो गया है और भी किसी के ऊपर हमला हो सकता है । मेरी आपसे यह अपील है कि प्रश्नकाल को रोककर 311 के अन्तर्गत चर्चा करायें ।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह दो विषय बड़े गंभीर आपके सामने आये हैं और निश्चित तौर पर सबसे गंभीर माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी के ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ है वह वास्तव में चिन्ता का विषय है । इस आरोप-प्रत्यारोप में न जाकर कि जो भी कहा जा रहा है दूसरा यह कि कौन क्या कह रहा है, अखबारों में तो तरह-तरह की बात छापी जाती है । मैं गंभीरता से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, उनके ऊपर इस प्रदेश का बहुत बड़ा भार है वह प्रदेश के एक विशिष्ट व्यक्ति हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हुयी है, सब ब्रांन्चेज गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में फैली है, जब घर में ही यह होता है तो बाहर का कहना क्या है ? प्रश्नकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है इस संबंध में मैं माननीय श्री ऊदल जी के विचारों से सहमत हूं । यह जो विषय है, महत्वपूर्ण है, उस विषय के संबंध में अब अखबारों में बातें आ रही हैं, मैं इस संबंध में जिक्र करूंगा, आरोप-प्रत्यारोप में नहीं जाऊंगा । मेरा निश्चित मत यह है और मैं गंभीरता से कहना चाहूंगा कि प्रदेश की जो कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है उस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी के पास शिकायतें आई भी हैं, यह गंभीर विषय है । गृह मंत्रालय की सेवा चरमरा गयी है । माननीय मुख्य मंत्री जी घर में सुरक्षित नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय को रोककर प्रश्नकाल पर चर्चा करायें । मान्यवर, दूसरी बात यह है कि यहां पर किशोरों की जो मौतें हुई हैं, जो हत्या हो रही हैं, उसकी सी० बी० आई० जांच करा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

श्री नरेश अग्रवाल जी आपको इस संबंध में कुछ कहना है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री किरनपाल सिंह–

उसकी छीछालेदर हो गयी है, मान्यवर, बात सुन लें, जो जांच चल रही है उसकी छीछालेदर हो रही है। लेकिन जो छीछालेदर हो चुकी है, उसका पर्दाफाश होना चाहिये, इसलिए सरकार यह बताये कि जो जांच हो रही थी, वह कहां तक पहुंची है। इस पर भी प्रश्नकाल के बाद अवश्य चर्चा करायी जानी चाहिये। यही दो बातें मुझे कहनी थीं।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण काल होता है। हम विधायकों को भी जो सबसे बड़ा अधिकार होता है, वह प्रश्नकाल का ही होता है परन्तु कभी-कभी अति गंभीर विषय आ जाते हैं, जिसके कारण हमें अपने अधिकारों को छोड़ते हुए आपसे आग्रह करना पड़ता है। आज एक ओर माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर हमले की बात है तो दूसरी तरफ सम्पूर्ण प्रदेश की विधायिका को जिस तरीके से आफिशियल स्टेटमेंट के माध्यम से उसकी छवि व गरिमा को गिराया गया है। अब तो वह मीडिया के द्वारा जनता के बीच में चला ही गया है। माननीय श्री ऊदल जी ने भी यह बात कही। गरिमा को तो गिरा ही दिया गया है। अब ये दोनों प्रश्न आपके सामने में हैं। एक तरफ तो वे निकम्मे अधिकारी हैं जो कुछ तो कर सकते नहीं हैं परन्तु अपने बचाव के लिए विधायकों का नाम, मंत्रियों का नाम बतलाते हैं। आज इन दोनों प्रश्नों का पर्दाफाश होना है। इन दोनों प्रश्नों पर नियम–311 व 56 के अन्दर नोटिसें दी गई हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर हमला हुआ है और दूसरी तरफ विधायिका की छवि को धूमिल किया गया है। इसलिए आप कृपा करके प्रश्न प्रहर को रोक दें और इन दोनों प्रश्नों पर चर्चा करवा दें ताकि स्थिति सामने आ जायेगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, आज प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था की जो लचर स्थिति है, उसके तहत माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर जो हमला करने की कोशिश की गई, वह निश्चित रूप से चिन्तनीय है। यह प्रदर्शित करता है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति गिरती जा रही है। इसी विषय पर हमारे माननीय सदस्यों ने व हमारे उप नेता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने नोटिस दी हैं और माननीय श्री गुप्ता जी ने जो भावना व्यक्त की है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं साथ ही इस कड़ी में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने डंकल के विरोध में जो रैली आहूत की थी दिल्ली में, उसमें भाग लेने के लिए काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होने के लिए आ रहे थे कि पिलखुवा स्टेशन पर पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ट्रेन से खींच-खींचकर प्लेटफार्म पर उतारा और उन्हें मारा पीटा गया, जिससे सैकड़ों लोग लहू-लुहान हो गये। उसके बाद उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। गाजियाबाद स्टेशन पर हम थे, हमारे उप-नेता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी भी वहां आ गये, स्थानीय विधायक श्री बालेश्वर त्यागी जी भी वहां थे और बनारस के विधायक श्री अमरनाथ यादव जी भी हमारे साथ थे। हम लोगों ने इसका विरोध किया। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि इस विषय पर भी आप चर्चा करवायें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कदाचित् आप निर्णय लेने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। इसलिए आप मेरी दो बातें अवश्य सुन लें। मान्यवर, यह सही है कि प्रश्न प्रहर माननीय सदस्यों का होता है। आज सम्पूर्ण सदन इस विषय पर केन्द्रित है। माननीय मुख्य मंत्री जी पर प्राणघातक हमला हुआ, दूसरा प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति से आज सारा प्रदेश चिन्तित है और साथ ही सम्पूर्ण विधायिका का भी मामला है जिस पर ऊंगुलियां उठायी जा रही हैं। इसलिये आप प्रश्न प्रहर को रोक कर इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करवा दें। आप चाहे पहले विधायिका से संबंधित मामला ले लें या फिर मुख्य मंत्री जी के ऊपर हुए हमले वाले मामले को ले लें। आज पूरा प्रदेश चिंतित है, नेता सदन पर जो हमला हुआ इससे गंभीर विषय दूसरा नहीं हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय संपूर्ण विधायिका पर हमले का है, विधायिका के लोगों का नाम आना चाहिये, ऐसे कौन लोग हैं जो संदेह के घेरे में हैं। इसलिये प्रश्नकाल को स्थगित कर इस पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष–

(श्री राकेश सचान के खड़े होने पर) काफी बाते आ गयी (व्यवधान) आप भी अपना पक्ष प्रस्तुत कर लीजिये।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, आपने सदन में नेता कांग्रेस, नेता जनता दल, माननीय वर्मा जी तथा अन्य लोगों को सुना। सभी लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, नेता सदन पर जो प्राण घातक हमला हुआ तथा दूसरा विधायिका पर भी हमला हुआ। सभी का कहना है कि प्रश्न प्रहर स्थगित करके इन दोनों विषयों पर चर्चा करा ली जाय जोकि पूरे प्रदेश और देश की जनता के लिये चिन्ता का विषय है।

श्री अध्यक्ष–

यह सभी लोगों ने कहा है कोई नयी बात आपने नहीं कही।

श्री राम आसरे वर्मा–

इस पर चर्चा हो जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसे चर्चा के लिये लिया जाय या न लिया जाय। (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये (व्यवधान) क्या मेरी बात नहीं सुनेंगे ? जो आप बात कहें उसे मैं सुनता रहूं और मेरी बात नहीं सुनेंगे।

मैंने विभिन्न दलों के नेताओं को तथा माननीय सदस्यों को सुना। तीन बातों पर चर्चा के लिये सुना। पहला है चर्चा के बारे में जो लिख कर भी दिया गया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी पर जो प्राण घातक हमला हुआ उससे संबंधित कानून व्यवस्था के बारे में, दूसरा विषय है जिस पर जोर दिया गया है 311 में सुनने के लिये वह है विधायिका पर हमला और तीसरा विषय है जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में प्रदर्शन पर तथाकथित मारमीट के संबंध में। इन तीनों विषयों पर मैं मानता हूं सुना जायेगा ऐसा नहीं है कि मैं उनको नकार रहा हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की गलत परम्परा

हमेशा के लिये पड़े कि प्रश्न काल स्थगित हो । मैं प्रश्न प्रहर पहले लेने के लिये कह रहा हूं । उसके बाद सुनूंगा । यह परम्परा गलत पड़ रही है इसलिये प्रश्न प्रहर स्थगित नहीं कर रहा हूं । (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

नियमों में प्राविधान है (व्यवधान) यह कौन सी बात है ?

(श्री राम आसरे वर्मा, श्री नरेश चन्द्र आदि के खड़े होने पर)

मान्यवर, यह कौन सी बात हुई है कि पहाड़ भी टूट जायेगा तो प्रश्नकाल स्थगित नही होगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.20 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 11 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।)

प्रश्नोत्तर †

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अनाथ, बेसहारा बच्चों तथा निराश्रित महिलाओं को बसाने हेतु वृहद् योजना लागू किए जाने की मांग

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में अनाथ, बेसहारा बच्चों तथा निराश्रित महिलाओं को बसाने हेतु कोई वृहद् योजना लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त योजना का क्या प्रारूप होगा तथा कब से यह योजना प्रदेश में शुरू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राज बहादुर)–

जी नहीं, कोई वृहद् योजना विचाराधीन नहीं है किन्तु अनाथ, बेसहारा बच्चों तथा निराश्रित महिलाओं की सुरक्षा देखभाल एवं प्रशिक्षण तथा उनके पुनर्वास की योजनायें पूर्व से ही संचालित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद शहर में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग

**2–श्री समर पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की सुविधा हेतु मुरादाबाद शहर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के संबंध में विचार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जसवन्त सिंह आयोग की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना संबंधी संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा अपना अभिमत भारत सरकार से अग्रिम विचार विमर्श के उपरान्त निर्धारित किया जायगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सहायक विकास अधिकारी/ग्राम समाज अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु लिए गये परीक्षा शुल्क को वापस किए जाने की मांग

*1–श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "सहायक विकास अधिकारी/ग्राम समाज अधिकारी" के पद पर नियुक्ति हेतु मई, 1989 में (परीक्षा शुल्क रु० 40 सहित) आवेदन-पत्र आमंत्रित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पदों पर नियुक्तियां कर ली गयीं हैं ? यदि नहीं, तो क्या शासनादेश संख्या 3895/स्पे०कम्पो०/26-3-89, दिनांक 23-10-89 द्वारा परीक्षा शुल्क वापसी के आदेश के बाद भी अभी तक परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया गया है ? यदि हां, तो आवेदन-पत्र तथा शुल्क ब्याज सहित अभ्यर्थियों को कब तक वापस किया जायेगा ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

विशेष आडिट के आदेश दिये गये हैं । आडिट परिणामों के बाद निर्णय लिया जायेगा ।

तराई भांवर क्षेत्र में वर्ग चार की भूमि के कब्जों को नियमित करने की मांग

*2–श्री राजीव कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहाड़ों के तराई भांवर क्षेत्र में वर्ग चार की भूमि को नियमितीकरण करने के कोई शासनादेश है ? यदि हां, तो क्या उनका अनुपालन करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वर्ग चार के कब्जेदारों के कब्जों को नियमित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

जी हां ।

तराई भांवर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर वर्ष 1381 फ० तक के अनधिकृत कब्जों को नियमित किये जाने के आदेश दिनांक 19-7-89 को निर्गत किये गये थे । जिसके अन्तर्गत नियमितीकरण हेतु कुल 22624 मामले प्राप्त हुए थे जिनमें से 17811 मामले विनियमित कर दिये गये और 3831 मामले

नियमितीकरण के योग्य नहीं पाये गये तथा 982 मामले शेष हैं जिनमें कुल 17708–07 बीघा भूमि निहित है।

प्रश्न नहीं उठता।

[बुधवार दि० 7-4-94 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में वनों के कटान को रोकने के उपाय

*1–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वनों के कटान को रोकने के लिये शासन ने क्या व्यवस्था की है ?

वन मंत्री (श्री भगवती सिंह)–

वनों में कटान का नियंत्रण कार्य योजनाओं तथा शासकीय आदेशों के अन्तर्गत किया जाता है। अवैध कटान को रोकने के लिए वन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में कृषि योग्य भूमि भूमिहीनों को आवंटित करने की मांग

*2–श्री निरवेन्द्र कुमार "मुन्ना"–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी के निघासन विधान सभा क्षेत्र में विभाग के कब्जे में बेकार पड़ी हुई कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ बना कर भूमिहीन किसानों को आवंटित करने के लिए कोई प्रभावकारी कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 (11) के तहत वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रतिबन्धित है।

*3–श्री राजेन्द्र सिंह–

[9 वें मंगल में तारा० प्र० सं० 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण की व्यवस्था

*4–श्री राम करन आर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के छात्रवृत्ति वितरण संबंधी नियम विगत सरकार ने परिवर्तित किया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी छात्रों की सुविधा के लिए वर्ष 1989-90 के नियमों के अनुसार पुनः छात्रवृत्ति वितरण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी हां । दिनांक 3-10-91 तक प्रचलित प्रक्रिया में शासनादेश सं०–3492/26-3-91-4 (215)/90 दिनांक 4-10-91 द्वारा विभागीय छात्रवृत्ति वितरण संबंधी नियम में परिवर्तन हुआ था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश दि० 4-10-91 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में छात्रवृत्ति विद्यालयों के स्तर पर, विद्यालय स्तर पर गठित स्थानीय समिति द्वारा स्वीकृति कर दिये जाने की विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया में छात्रों को छात्रवृत्ति शीघ्र स्वीकृत एवं वितरित हो जाती है तथा छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृति हो जाने का शीघ्र संज्ञान भी हो जाता है ।

जनपद मुजफ्फरनगर एवं बिजनौर के मध्य सीमा विवाद को शीघ्र निस्तारित करने के प्रयास

*5–श्री राम पाल सिंह सैनी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बीच बने गंगा बैराज से मिलने वाली दोनों जिलों की सीमाओं में कोई विवाद चल रहा है ? यदि हां, तो इस सीमा विवाद का निस्तारण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

उक्त विवाद को शीघ्र नियमानुसार निस्तारित किये जाने का प्रयास किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र–उतरौला के विकलांग व निराश्रित विधवाओं की पेंशन के भुगतान की मांग

*6–श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि विकलांग व विधवा पेंशन जनपद गोण्डा के उतरौला विधान सभा क्षेत्र के पेंशन प्राप्त कर्ताओं की पेंशन पिछले दो वर्ष से नहीं मिली है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? क्या मंत्री जी दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जनपद गोण्डा के, उतरौला विधान सभा क्षेत्र की लाभ प्राप्त कर रही 315 निराश्रित विधवाओं तथा 18 विकलांगों को वर्ष 1992-93 में संसाधन की कमी के कारण प्रथम छःमाही अर्थात् अप्रैल, 92 से सितम्बर, 92 तक का भुगतान किया जा चुका है । द्वितीय छःमाही के लिए धनराशि वित्तीय वर्ष 1993-94 में उपलब्ध करायी जा चुकी है। वर्ष 1993-94 में इस विधान सभा क्षेत्र की विधवाओं को प्रथम

छःमाही अर्थात् अप्रैल, 1993 से सितम्बर, 1993 तक का भुगतान किया जा चुका है। वचनबद्ध अवशेष धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है।

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र जानसठ में भूमि के अवैध कब्जाधारियों की जांच तथा भूमिहीनों को भूमि दिलाने की मांग

*7–श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जानसठ विधान सभा क्षेत्र, जनपद मुजफ्फरनगर में गंगा के खादर क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा अवैध बैनामे तथा फर्जी मुख्तारनामे बनाकर कई-कई हजार बीघा जमीन पर कब्जा किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दूसरी ओर अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जाति के लोगों के पास भवन बनाने तक के लिए जमीन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अतिरिक्त भूमि अवैध कब्जाधारियों से छुड़ाकर भूमिहीनों को दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

लेखपालों की परीक्षा का परीक्षा फल घोषित करने की मांग

*8–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार को ज्ञात है कि सन् 88-89 में लेखपालों की परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त परीक्षाफल घोषित हुआ ? यदि परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ तो क्यों और कब तक परीक्षाफल घोषित होगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां। वर्ष 1988 एवं 1989 में लेखपाल परीक्षा हुई थी।

जी हां। वर्ष 1988 में 2431 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित हो गया है तथा वर्ष 1989 में 1590 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित हो चुका है।

वर्ष 1988 में 103 तथा वर्ष 1989 में 864 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया है। क्योंकि इन अभ्यर्थियों की पूर्व सेवा का सत्यापन जिलाधिकारियों से प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान पुस्तकालय कार्यवाही खण्ड,
उत्तर प्रदेश

प्रदेश में बनरोजो को नष्ट करने हेतु अनुज्ञा-पत्र का जारी किया जाना

*9–श्री भागवत पाल–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में वनरोज भारी तादाद में फसल को नुकसान कर रहे हैं ? यदि हां, तो वनरोज की समस्या के समाधान हेतु सरकार के पास क्या कार्य योजना है ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां ।

प्रदेश में वनरोजों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाये जाने की छिट-फुट सूचनायें हुई हैं ।

कृषि हेतु हानिकारक वनरोजों को नष्ट करने के लिये क्षेत्रीय वन संरक्षकों एवं जिलाधिकारियों को अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी घोषित कर दिया गया है ।

जनपद बरेली स्थित सिंथेटिक्स केमिकल्स में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

*10–श्री हरीश कुमार गंगवार–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि बरेली की सिंथेटिक्स एवं केमिकल्स फतेहगंज प० ने सैकड़ों लोगों को उनकी फैक्ट्री के लिए अधिगृहीत भूमि का मुआवजा 32 साल गुजरने के बाद भी अभी तक नहीं दिया जिसके लिए व प्रदर्शन व धरने का आयोजन कई बार कर चुके व अब डेढ़ मास से कर रहे हैं ? यदि हां, तो बाजार रेट पर मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबूराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*11–श्री विश्वनाथ–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद महराजगंज में परतावल को तहसील बनाने की मांग

*12–श्री राम अधार यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के अन्तर्गत परतावल को तहसील बनाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? और परतावल को तहसील बनाये जाने की घोषणा शासन द्वारा कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

केवल परतावल को तहसील बनाने की मांग की गई है जिसे अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को यह प्रकरण संदर्भित कर दिया गया है । समिति की संस्तुति प्रतीक्षित है ।

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद यूनिट के सहजना वन ब्लाक में पौधों के रख-रखाव हेतु दैनिक वेतन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

*13–श्री पारस नाथ यादव–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलिहाबाद यूनिट लखनऊ के अन्तर्गत सहजना वन ब्लाक में वर्ष 1986 में 10,000 वर्ष 1988 में 60,000 तथा 1989 में 60,000 पौधों का वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा कराया गया ? क्या उक्त पौधों के रख-रखाव हेतु दैनिक वेतन कर्मचारियों को भी 3 वर्ष तक वेतन भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त वृक्षारोपित क्षेत्र में कितने वृक्ष जीवित हैं ? क्या जीवित वृक्षों की संख्या लगभग शून्य है ? यदि हां, तो उत्तरदायी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

सहजना ब्लाक में वर्ष 1986 में कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया । वर्ष 1988 में 60,000 पौध तथा वर्ष 1989 में 60,000 पौध का रोपण किया गया ।

जी हां ।

वर्ष 1988, 1989 में जीवित वृक्षों की संख्या क्रमशः 9,500 तथा 9,000 है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के ग्राम-बारा में अवैध कब्जा हटाने की मांग

*14–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री उमाकान्त यादव तथा श्री जोखू लाल यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम-बारा तहसील पुरवा, जिला उन्नाव के निवासी श्री राजकिशोर पुत्र जगदीश नारायण नाम के सवर्ण व्यक्ति ने अपने घर के समीप स्थित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के घरों की भूमि एवं सार्वजनिक गलियारे की भूमि को अपने घर में जबरिया मिला लिया है जिससे सार्वजनिक मार्ग संकरा होने के कारण अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के घरों को कोई वाहन आ-जा नहीं सकता है ? जिससे उनमें रोष व्याप्त है ? क्या इस मामले की जांच किसी उच्चाधिकारी से अविलम्ब कराने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के भयमुक्त बयान लेने व पुराने रिकार्ड्स के आधार पर रास्ते की माप कराकर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की जायेगी व दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पीलीभीत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किये जाने की मांग

*15–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में शारदा बांध में आये मेहमान साइबेरियाई पक्षियों को मार कर दस से बीस रुपया में खुले आम नेपाल भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार वन्य पक्षियों के संहार पर क्या कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी नहीं ।

वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है ।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड-निचलौल के अन्तर्गत ग्राम सभा शीतलापुर की निवासी बीबी फातमा की भूमि को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराने की मांग

*16–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद महाराजगंज की विकास खण्ड निचलौल के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा शीतलापुर के स्थाई निवासी बीबी फातमा आजादी के पश्चात् ही अपनी सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति तथा खेती योग्य भूमि छोड़कर पाकिस्तान चली गयी ? उनके द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति जो राज्य सरकार की सम्पत्ति घोषित होती है उस भूमि पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराकर सम्पत्ति का लाभ ले रहे हैं ? इस प्रकार राज्य सरकार की लाखों रुपये की क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध तथा फर्जी इन्द्राज को समाप्त कराने अवैध कब्जा को हटाने तथा उक्त भूमि को दलितों एवं गरीबों में आवंटन कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वच्छकार मुक्ति योजना के अन्तर्गत स्वच्छकारों को ऋण उपलब्ध कराने की जानकारी

*17–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वच्छकार मुक्ति योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को कितना ऋण प्रदान किया जाता है ? उसमें अनुदान कितना है तथा बैंक का शेयर कितना है तथा मार्जिनल मनी, किस ब्याज की दर पर कौन अदा कर रहा है ? गाजियाबाद जनपद में 93-94 में कितने लाभार्थियों को कितना-कितना ऋण प्रदान किया गया है ? क्या यह सही है कि अधिकतर लाभार्थियों से ऋण प्रदान करने के दिन से ही संबंधित बैकों ने अपना शेयर का धन वापिस साविधिक खाते में जमा करा लिया है ?

श्री राज बहादुर–

स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजनान्तर्गत स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों को रु० 50,000 तक की योजनायें देकर पुनर्वासित कराये जाने का प्राविधान है जिसमें योजना लागत का 50% अथवा रु० 10,000 जो भी कम हो अनुदान तथा योजना लागत का 15 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ? शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में होती है । वित्तीय वर्ष 93-94 में जनपद गाजियाबाद में 356 लाभार्थियों को रु० 35.60 लाख अनुदान एवं रु० 5.07 लाख मार्जिन मनी ऋण तथा रु० 31.83 लाख बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है ।

जी नहीं ।

प्रदेश की धोबी तथा बासफोर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग

*18–श्री मो० अरशद खान–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुस्लिम, मेहतर, धोबी, बसफोर अनुसूचित जाति में शामिल हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने की शासन की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि योजना बनायी जायेगी तो कब तक ?

श्री राज बहादुर–

धोबी तथा बासफोर जाति अनुसूचित जाति तथा मुस्लिम स्वीपर पिछड़ी जाति की सूची में पहले से ही शामिल है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गोण्डा की तहसील-मनकापुर के परगना-बूढ़ापायर के अन्तर्गत ग्राम सभा-पिपराइस्माइल निवासी श्रीमती सोना देवी के पट्टे को कथित खतौनी दिए जाने की मांग

1–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा, परगना बूढ़ापायर, तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम सभा पिपराइस्माइल की निवासी श्रीमती सोना देवी को दिनांक 25-3-87 को परिवार नियोजन के अन्तर्गत एक एकड़ भूमि का पट्टा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत पट्टे की खतौनी अभी तक श्रीमती सोना देवी को नहीं दी गयी, जिसका शिकायती-पत्र नवम्बर, 1992 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत भूमि के पट्टे की खतौनी श्रीमती सोना देवी को उपलब्ध करायी जायेगी ? दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? क्या समस्त कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

श्रीमती सोना देवी के नाम पट्टे से सम्बन्धित कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता ।

जी नहीं ।

ग्राम पिपराइस्माइल परगना बूढ़ापायर तहसील मनकापुर जनपद गोण्डा की आराजी गाटा–25 रकबा 2.93 एकड़ का पट्टा 6 व्यक्तियों को वर्ष 1986 में किया जा चुका था तथा उसी आधार पर खतौनी में अमलदरामद हो चुका था । पुनः इसी भूखण्ड सं०–25 रकबा 2.93 एकड़ में से एक एकड़ भूमि का आवंटन दिनांक 25-3-87 को श्रीमती सोना देवी पत्नी सोमई को कर दिया गया था । खतौनी में अमलदरामद के स्तर पर पता चला कि उक्त भू-भाग पहले से ही अन्य व्यक्तियों को आवंटित है, तो उक्त पट्टे की अमलदरामद खतौनी में नहीं की जा सकी । खतौनी में इससे पूर्व पट्टों की अमलदरामद होने के कारण प्रश्नगत पट्टे की भूमि की खतौनी दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

पट्टा देने से पूर्व पूर्ण जानकारी किये बिना पट्टा स्वीकृत करने में बरती गई लापरवाही के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद सोनभद्र में वन निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा तेन्दू पत्ता क्रेताओं को समान मियाद वृद्धि की सुविधा देने की मांग

2–श्री विजय सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन निगम, उ० प्र० के प्रबन्ध निदेशक ने जनपद सोनभद्र के किन-किन तेन्दू पत्ता क्रेताओं को मियाद वृद्धि दी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पत्रांक–4564 दिनांक 21-9-93 एम० डी०, वन निगम उ० प्र० द्वारा किस क्रेता को तेन्दू पत्ता सेल लिस्ट के किस नियम एवं शर्त के अनुसार मियाद वृद्धि दिया गया है ? क्या उ० प्र० वन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या–4620 द्वारा दिनांक 12-1-94 को समस्त क्रेताओं को एक सी मियाद वृद्धि की सुविधा देने हेतु पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उसके तहत कितने क्रेता लाभान्वित हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

प्रबन्ध निदेशक, वन निगम द्वारा जनपद सोनभद्र में मे० राम प्रसाद राम एण्ड सन्स तथा मे० प्रयाग तेन्दू लीब्स प्रोसेसिंग कम्पनी को मियाद वृद्धि दी गयी है ।

तेन्दू पत्ता की बिक्री की शर्त संख्या–20 के प्राविधानों के अन्तर्गत वन निगम के आर्थिक/व्यवसायिक हित में उक्त क्रेताओं को मियाद वृद्धि दी गयी है ।

उल्लिखित पत्र में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश थे, जिसके अनुसार जनपद सोनभद्र के कुल 16 क्रेताओं को बिक्री की शर्त संख्या–18 अ के अन्तर्गत लाभ मिला ।

जिन क्रेताओं द्वारा बिक्री की शर्त संख्या–18 अ के अन्तर्गत मियाद वृद्धि के लिए आवेदन प्रस्तुत कर नियम 18 ब के अन्तर्गत वांछित धनराशि जमा नहीं की, उन्हें मियाद वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं हो सका ।

जनपद सोनभद्र में प्रयाग तेन्दू लीब्स प्रोसेसिंग कम्पनी द्वारा अवशेष तेन्दू पत्ता बोरों की निकासी का प्रकरण

3–श्री विजय सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में प्रयाग तेन्दू लीब्स प्रोसेसिंग कम्पनी ने तेन्दू पत्ता सन् 1993 सीजन में कितना वास्तविक बोरा/मानक बोरा कितने मूल्य का क्रय किया है ? 20 फरवरी, 1994 तक उक्त कम्पनी ने कितने रुपये का किश्त जमा करके, कितना बोरा तेन्दू पत्ता निकासी ले लिया है ? उक्त कम्पनी कब तक अपने क्रय किये हुए, तेन्दू पत्ता बोरों की निकासी ले लेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 31 मार्च, 1994 तक यदि उक्त कम्पनी ने अपने क्रय किये हुए माल की निकासी नहीं की है ? यदि हां, तो वन निगम को कितने रुपये की क्षति हुई ?

श्री भगवती सिंह–

जनपद सोनभद्र में प्रयाग तेन्दू लीब्स प्रोसेसिंग कम्पनी द्वारा वर्ष 1993 सीजन का रुपये 3,03,90,268 रुपये मूल्य का कुल 41061 वास्तविक बोरा/33435.130 मानक बोरा तेन्दू पत्ता क्रय किया गया है ।

दिनांक 20 फरवरी, 1994 तक उक्त कम्पनी ने रुपये 1,53,44,111.55 की किश्त जमा करके 21480 वास्तविक बोरा/17519.193 मानक बोरा की निकासी ले ली है तथा अवशेष तेन्दू पत्ता बोरों की निकासी के लिये दिनांक 30-4-1994 तक मियाद वृद्धि दिये जाने का प्रार्थना पत्र क्रेता द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

उक्त कम्पनी द्वारा क्रय किये गये तेन्दू पत्ता में से 7,373 वास्तविक बोरा/5,885.975 मानक बोरा की निकासी नहीं ली गयी है । चूंकि क्रेता द्वारा दिनांक 30-4-94 तक मियाद वृद्धि हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया है, अतः फिलहाल वन निगम को कोई क्षति नहीं हुई है ।

तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित वेतन देने की मांग

4–श्री निरवेन्द्र कुमार 'मुन्ना'–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेगे कि तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित विभिन्न परियोजनाओं व जनपदों में निगम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन, भत्तों, ऐरियर का भुगतान एवं उनके ई० पी० एफ० की कटौती, नियमानुसार करके उनके खाते में नियमित रूप से जमा हो रही है ? यदि हां, तो क्या उसके खाते कर्मचारियों को उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पूर्वी वन विभाग बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में बघैल तालाब स्थित वन भूमि पर कथित अवैध भूमि पर कथित अवैध कब्जे

5–अक्षयवर लाल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी वन विभाग बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में बघैल तालाब के पास वन विभाग की जमीन पर अराजक तत्वों द्वारा नकली मजार बनाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ? क्या यह भी बतायेंगे कि वन विभाग की उक्त भूमि अवैध कब्जेदारों द्वारा कब तक खाली करा ली जायेगी ? वहां कितनी जमीन पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है ?

श्री भगवती सिंह–

पूर्वी बहराइच वन प्रभाग के विकास खण्ड पयागपुर में बघेल तालाब के पास वन विभाग की जमीन् पर अराजकतत्वों द्वारा कोई नकली मजार बनाकर अतिक्रमण नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है ।

जनपद बहराइच के कतिपय विकास खण्डों में वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन के नये आवेदकों को पेंशन स्वीकृत करने की मांग

6–श्री अक्षयवर लाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के वि० खण्ड पयागपुर, विशेश्वरगंज, इकौना में दिसम्बर, 1993 तक वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन व विकलांग अनुदान पाने वालों की संख्या क्या है ? क्या यह भी बतायेंगे कि वहां पर उन्हें कितने दिनों से पेंशन व अनुदान नहीं मिल रहा है ? सरकार इसकी व्यवस्था कब तक सुनिश्चित करा देगी ? कितने नये अभ्यर्थियों ने पेंशन हेतु आवेदन-पत्र दिया है ? नये आवेदकों को पेंशन कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी ?

श्री राज बहादुर–

जनपद बहराइच के प्रश्नगत विकास खण्डों में लाभार्थियों की संख्या निम्नवत् है :–

	पयागपुर	विशेश्वरगंज	इकौना
वृद्धावस्था पेंशन	644	479	390
विधवा भरण–पोषण अनुदान	404	148	112
विकलांग भरण–पोषण अनुदान	114	22	23

धन की कमी के कारण वर्ष 92-93 एवं 93-94 में, कतिपय लाभार्थियों को पेंशन/भरण-पोषण अनुदान का भुगतान नहीं किया जा सका है ।

निराश्रित वृद्धवस्था विधवा, भरण पोषण अनुदान तथा विकलांग भरण-पोषण अनुदान में वर्ष 92-93 हेतु आवश्यक शेष धनराशि जनपद को उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा वर्ष 93-94 हेतु उक्त योजनाओं में आवश्यक धनराशि जनपद को उपलब्ध करा दी गयी है।

नये प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या निम्नवत् है :–

	प्रयागपुर	विशेश्वरगंज	इकौना
वृद्धावस्था पेंशन	..	..	..
विधवा भरण–			
पोषण अनुदान	505	72	54
विकलांग भरण–			
पोषण अनुदान	62	14	30

जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रश्नगत विकास खण्डों में भी नये आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में नोयडा हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने की मांग

7–डा० सुरेश प्रताप सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि नोयडा गाजियाबाद में पुराने बसे किसानों को क्यों उजाड़ा जा रहा है ? क्या यह सही है कि ग्राम-मामूरा में श्री मेंदा पुत्र श्री जाहरिया की भूमि खसरा नं०–219 खाता संख्या–50/2-10-16 क्षेत्रफल पर आबादी बनाकर चहारदीवारी व चार कमरों सहित बसे थे ? यदि हां, तो क्या इन्हें उजाड़ा गया व विरोध करने पर इनके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस भूमि की फलैसस इण्डस्ट्रीज को बगैर भूमि अर्जन किये एलाट कर दी गयी है ? क्या इस भूमि को आवास हेतु छोड़ा जायेगा व इनके मकानों का मुआवजा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? क्या इनके बसने के लिये भूमि 2-10-16 क्षेत्रफल की गांव के नजदीक दी जायेगी जैसे कि अन्य लोगों को प्रदान की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज के ग्राम कौहार तथा राम शाहपुर के भूमिहीनों को आवंटित भूमि का कब्जा दिलाने की मांग

8–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गजाधर, प्रभू, सन्तू कोरी, ग्राम–कौहार, तथा ग्राम–राम शाहपुर (ब्लाक–शाहगढ़) तहसील–गौरीगंज, जिला–सुल्तानपुर के भूमिहीनों को आवासीय एवं कृषि भूमि

आवंटित हुयी है ? यदि हां, तो क्या इन्हें भूमि का कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो किस अधिकारी के समक्ष ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर कब्जे का सत्यापन किया गया है ।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के स्व० श्री विभूति प्रसाद सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के आश्रित श्री महेन्द्र कुमार को सेवा में लिये जाने की मांग

9–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977 में सेवारत रहते हुए स्वर्गवासी हुए स्व० श्री विभूती प्रसाद, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसील–बिलग्राम, जनपद हरदोई की पत्नी का भी स्वर्गवास हो जाने की स्थिति में उनके नाबालिग पुत्र को पेंशन प्राप्त करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उनके पुत्र के बालिग हो जाने की स्थिति के बाद भी मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत उसे सेवा में न लिये जाने का क्या कारण है ? कब तक उसे सेवा में ले लिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

स्व० श्री विभूती प्रसाद, स० र० का० मृतक की विधवा की मृत्यु की जानकारी कार्यालय में किन्हीं भी सूत्रों द्वारा प्राप्त नहीं हुई । विधवा के मृतक की मृत्यु का प्रमाण-पत्र, विधिक संरक्षक प्रमाण-पत्र एवं फोटो आदि उपलब्ध कराये जाने पर नियमानुसार पारिवारिक पेंशन नाबालिग पुत्र को उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

मृतक के आश्रित पुत्र श्री महेन्द्र कुमार को उ० प्र० मृतक आश्रित सेवा नियमावली, 1974 के अन्तर्गत सेवायोजित करने हेतु पत्र संख्या–50/7भूलेख/दिनांक 4-1-92 द्वारा लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया । परिषदादेश संख्या 3847/4-15 बी/93 दिनांक 29-12-93 द्वारा परीक्षाफल घोषित होने पर अनुत्तीर्ण घोषित किया गया ।

अनुत्तीर्ण व्यक्तियों को परिषदादेश संख्या 8555/4–336–दिनांक 29-5-90 द्वारा लेखपाल पद पर न नियुक्त किये जाने के आदेश हैं ।

लेखपाल प्रशिक्षण की परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त सेवा में लिये जाने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है ।

जनपद व तहसील वाराणसी के परगना कसवार के ग्राम धानापुर में आबादी हेतु ली गयी भूमि का मुआवजा देने की मांग

10–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव धानापुर, परगना कसवार राजा त० व जि० वाराणसी की आराजी नं० नया 104 व 105 इसका पुराना नं०–112 को सरकार ने आबादी हेतु 14 जनवरी, 76 में एक्वायर करके आबादी को आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसका मुआवजा अब तक उन काश्तकारों को नहीं दिया गया जिनकी यह जमीनें थीं ? यदि हां, तो मुआवजा न देने का कारण क्या है ? क्या सरकार तुरन्त मय ब्याज के मुआवजा का वितरण करा देगी ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम सभा दतौली के अभिलेखों की सम्परीक्षा का पूर्ण किया जाना

11–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम सभा दतौली, विकास खण्ड रामनगर, जनपद बाराबंकी के अभिलेखों की सम्परीक्षा (आडिट) वर्ष 1987 से अब तक समयानुसार कर ली गयी है ? क्या सम्परीक्षा में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के रिकार्ड एवं ग्राम सभा को प्राप्त धन का उपयोग सन्तोषजनक पाया गया है ? यदि नहीं, तो अनियमितताओं के लिये कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? क्या वर्ष 1987 से अब तक किसी एक वर्ष की सम्परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आडिट न करने के क्या कारण हैं एवं इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या सरकार दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1987 से अब तक सभी वर्षों की सम्परीक्षा पूर्ण कर ली गयी है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम सभा दतौली के ग्रामवासियों के शिकायती पत्र पर जांच

श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड राम नगर ग्राम सभा दतौली वासियों द्वारा कोई संयुक्त शिकायती पत्र दिसम्बर, 93 तथा जनवरी एवं फरवरी, 94 में

मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायतों के आधार पर प्रधान के विरुद्ध जांच करवा ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच कर कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

जांच शीघ्र पूर्ण करा ली जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ स्थित पंचायत उद्योग रानी की सराय पर बकाया बिक्रीकर की वसूली हेतु कुर्की का स्थगित किया जाना

13–श्री अंगद यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त पंचायत उद्योग रानी की सराय, आजमगढ़ के वर्ष 72-73 से 90-91 तक के बकाया बिक्रीकर की वसूली अब तक क्यों नहीं की गयी ? क्या उक्त वसूली श्री अम्बिका सिंह, भूतपूर्व पंचायत उद्योग निरीक्षक, वर्तमान में जिला पंचायत राज अधिकारी, मऊ से करायी जा रही है ? क्या यह सत्य है कि पंचायत उद्योग की कुर्की की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है और नीलामी होने वाली है ?

श्री राम लखन वर्मा–

जांच कार्यवाही प्रचलित होने के कारण ।

जी नहीं ।

कुर्की की कार्यवाही जिलाधिकारी के आदेशानुसार अग्रिम आदेश तक के लिये स्थगित है ।

जनपद नैनीताल के राम नगर क्षेत्र में कोमल काष्ठ प्रकोष्ठ की व्यवस्था करने की मांग

14–श्री बंशीधर भगत–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि 'कोमल काष्ठ प्रकोष्ठ' की इस समय राम नगर क्षेत्र, जिला नैनीताल में व्यवस्था क्या पूरी है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1992-93 में किये गये कटान की समय से काष्ठ ग्रडिंग नहीं हुई, जिससे आवंटन नहीं हुआ, जिससे लाखों का माल सड़ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला समाज कल्याण अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराये जाने की मांग

15–श्री बेचन राम–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने जिलों में, जिला समाज कल्याण अधिकारियों के पास शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी जीपें या चार पहिया वाहन उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि प्रत्येक जिला में समाज कल्याण अधिकारी केवल एक होता है जिसे पूरे जिलों में दौरा करना पड़ता है ? यदि हां, तो उसे वाहन देने में शासन के समक्ष कौन सी कठिनाई है ?

श्री राज बहादुर–

जी नहीं । कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया ।

राज्य सरकार की कठिन वित्तीय स्थिति एवं मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है ।

जी हां ।

उपरोक्त प्रस्तर–2 के अनुसार सम्भव नहीं है ।

जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी चौरा में गांव सभा एवं सीलिंग की भूमि पात्र व्यक्तियों को वितरित करने की मांग

16–श्री बेचन राम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील चौरी चौरा में कितने एकड़ बचत/सीलिंग की भूमि उपलब्ध है ? क्या भूमिहीन अनुसूचित जाति के पांच व्यक्तियों में भूमि वितरित करने की शासन की योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

तहसील चौरी चौरा, जनपद गोरखपुर में वर्तमान समय में गांव सभा की बचत भूमि 25–27 एकड़ उपलब्ध है तथा सीलिंग के अन्तर्गत 217–96 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी है ।

गांव सभा एवं सीलिंग की भूमि पात्र व्यक्तियों में जैसा उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 198(1) में वरीयता क्रम दर्शाया गया है जिसे दृष्टिगत रखते हुए पात्र व्यक्तियों में वितरण करने का शासकीय प्राविधान है और उसी शासकीय प्राविधान के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को वरीयता क्रम के आधार पर भूमि वितरित की जाती है ।

जनपद सहारनपुर में भूमिहीनों को आवंटित पट्टों पर कब्जा दिलाने की मांग

17–डा० मामचन्द्र लाम्बा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में भूमिहीनों को जो पट्टे आवंटित किये गये हैं अभी तक उक्त लोगों को कब्जा नहीं दिया गया है ? क्या सरकार उक्त आवंटित पट्टे धारियों को आवंटित भूमि दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद सहारनपुर में भूमिहीनों को जो पट्टे दिये गये हैं उनमें से जिनके विरुद्ध वाद न्यायालय में विचाराधीन है, उन्हीं को कब्जा नहीं दिया गया है ।

न्यायिक निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड गजरौला के ग्राम ख्यालीपुर में पेड़ों की कटान के संबंध में प्रधान के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट का दर्ज किया जाना

18–श्री तुलाराम सैनी–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद के ब्लाक गजरौला में ग्राम–ख्यालीपुर के निकट कीकड़ व शीशम का बड़ा वन है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुराने मोटे पेड़ वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से चोरी छिपे काटे जा रहे हैं ? क्या उक्त चोरी की लकड़ी को ग्राम–रखेड़ा, ख्यालीपुर, बिजौरा के ग्राम प्रधान द्वारा खरीद कर अपने ग्रामों में एकत्र करके बेचा जा रहा है ? क्या लकड़ी के मोटे-मोटे लट्ठों को रातोंरात वाहनों से शहरों में बेचने हेतु भेजा जा रहा है ? क्या वनों की सुरक्षा हेतु चोरी के धन्धे में लिप्त वन के कर्मचारियों और ग्राम प्रधानों के खिलाफ शासन द्वारा कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

8/9 मार्च, 1994 की रात को 12 बबूल तथा 13 विलायती बबूल चोरी से काटते हुए प्रधान एवं 6 व्यक्तियों को एक वाहन के साथ पकड़ा गया है ।

ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है ।

जनपद मुरादाबाद एवं मेरठ के मध्य सीमा विवाद का निस्तारण

19–श्री तुलाराम सैनी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद की तहसील धनौरा व जनपद गाजियाबाद की तहसील गढ़मुक्तेश्वर के बीच की भूमि का सीमा विवाद चल रहा है ? क्या उक्त दोनों जनपदों के

जिलाधिकारियों द्वारा भूमि की नाप कराकर सीमा का निर्धारण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां । जनपद मुरादाबाद की तहसील–धनौरा व जनपद गाजियाबाद की तहसील गढ़मुक्तेश्वर के कुछ ग्रामों के मध्य सीमा-विवाद था, जिसका निस्तारण सहायक अभिलेख अधिकारी, गढ़, परगनाधिकारी, गढ़ व परगनाधिकारी–धनौरा की संयुक्त बैठक में दिनांक 25-10-91 को लिया जा चुका है । अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना–भोपा के कतिपय ग्रामों में कृषि हेतु बने हानिकारक वनरोजों (नीलगाय) को नष्ट करने हेतु अनुज्ञा पत्र का जारी किया जाना

20–श्री रामपाल सिंह सैनी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भोपा के गांव शुक्रतार, फिरोजपुर, शुक्रतारी, मोरना, बिहारगढ़, भुवापुर, दरियाबाद, खरपोड आदि गांव में नीलगायों द्वारा कई वर्षों से फसलों को नष्ट किया जाना अब तक जारी है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन सी प्रभावी कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी ? नीलगायों द्वारा फसलों की हानि की रोकथाम के साथ-साथ फसलों की कोई बीमा पालिसी सरकार निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां ।

वनरोजों (नीलगायों) द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुंचाने की छिट-पुट सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

कृषि हेतु हानिकारक वनरोजों (नीलगायों) को नष्ट करने के लिये क्षेत्रीय वन संरक्षकों एवं जिलाधिकारियों को अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी घोषित कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

नीलगायों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित, 1991) के अन्तर्गत नियंत्रित करने का प्राविधान है, अतः फसल बीमा योजना के अन्तर्गत इन संरक्षित जानवरों द्वारा पहुंचाई गई क्षति को सम्मिलित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से अप्रभावित व्यक्तियों को अनुदान देने में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

21–श्री सतीश भाटिया–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1993-94 में जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से कुल कितने मकान क्षतिग्रस्त तथा धराशायी हुए ? क्या यह भी बतायेंगे कि इनमें से कितने व्यक्ति गृह अनुदान के पात्र थे, तथा उनका पूरा नाम, पता क्या है तथा अनुदान के रूप

में कितनी धनराशि उन्हें प्रदान की गयी ? क्या कुछ अपात्र व्यक्तियों को भी अनुदान दे दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध वैधानिक कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों?'

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर की तहसील खजनी के परगना धुरियापार के मौजा बेलांव खुर्द एहतमाली, तप्पा बेलघाट में रेकार्ड आपरेशन में बरती गयी अनियमितता की जांच

22–डा० मोहसिन–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा बेलांव खुर्द एहतमाली, तप्पा बेलघाट, परगना धुरियापार, तहसील खजनी, जिला गोरखपुर में वर्ष 1985 ई० में रेकार्ड आपरेशन की कार्यवाही हुई है ? क्या उपरोक्त जिल्द-बन्दोबस्त भारी अनियमितता के आधार पर जिला कलेक्टर, गोरखपुर के आदेश से सील कर दी गयी है ? क्या जिला कलेक्टर ने कोई जांच पड़ताल करके उक्त अनियमितता को दुरुस्त किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

रेकार्ड आपरेशन की कार्यवाही 1385 फसली अर्थात वर्ष 1977 में की गयी थी ।

जी हां ।

कलेक्टर द्वारा अनियमितताओं की जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

23–डा० मोहसिन–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जिल्द में गांव समाज व सीलिंग की भूमि है ? क्या जिलों की पट्टा भूमि व अन्य काश्तकारों की भूमि को भूमि माफियाओं द्वारा फर्जी इन्द्राज करा लिया गया है ? क्या उपरोक्त जिल्द की गल्तियों को वर्ष 1376 फसलों की खतौनी जो कि शुद्ध है, से मिलान कराकर सरकार जिल्द को शुद्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जिल्द बन्दोबस्त में फर्जी इन्द्राज के संबंध में जांच के आदेश दे दिये गये हैं एवं जांच पूर्ण होने पर पट्टे की भूमि व अन्य काश्तकारों की भूमि, जिस पर फर्जी इन्द्राज की शिकायत है, उसकी सत्यता की जानकारी हो सकेगी ।

कथित अशुद्धि का मिलान कर जांच का कार्य प्रगति पर है तथा जांचोपरान्त अशुद्धि पाये जाने की दशा में दुरुस्त किया जायेगा ।

जनपद गाजीपुर के कतिपय ग्राम प्रधानों द्वारा निलम्बन आदेश के विरुद्ध मा० न्यायालय से स्थगन आदेश का प्राप्त किया जाना

24–श्री अफजाल अंसारी–

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में, किस-किस ग्राम सभा के, किन-किन ग्राम प्रधानों को जून, 1992 से दिसम्बर, 1992 के मध्य किन-किन आरोपों पर, निलम्बित किया गया है ? इनमें से कितने ग्राम प्रधानों को पुनः जांच कराकर और किन-किन को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बहाल कर दिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस जनपद की ग्राम सभाओं के प्रधानों को मात्र इसी अवधि में चार बार निलम्बित किया गया और न्यायालय के आदेश से बहाल हो गये हैं ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करायेगी कि उक्त प्रधान को निर्दोष होते हुए भी बार-बार निलम्बित क्यों किया गया है ? क्या उक्त प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

जनपद गाजीपुर में जून, 1992 से दिसम्बर, 1992 तक ग्राम सभा महरूपुर के ग्राम प्रधान श्री सुरेश सिंह यादव, ग्राम सभा हसनापुर के प्रधान श्री जीताराम, ग्राम सभा असावर के प्रधान श्री काशीनाथ यादव, ग्राम सभा मोहदाविशुनपुरा के ग्राम प्रधान श्री सदानन्द तिवारी को जवाहर रोजगार योजना के धन के दुरुपयोग के आरोप में तथा ग्राम सभा छपरी के प्रधान श्री चन्द्रमा राम को ग्राम समाज की भूमि के दुरुपयोग के आरोप पर निलम्बित किया गया ।

इनमें से उक्त सभी ग्राम प्रधानों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करायी गयी । ग्राम सभा असावर के प्रधान श्री काशीनाथ यादव, ग्राम सभा महरूपुर के प्रधान श्री सुरेश सिह यादव तथा ग्राम सभा छपरी के प्रधान श्री चन्द्रमा राम को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तथा ग्राम सभा हसनापुर के प्रधान श्री जीताराम, ग्राम सभा मोहदाविशुनपुरा के प्रधान श्री सदानन्द तिवारी को परगनाधिकारी के आदेश से बहाल किया गया ।

केवल ग्राम सभा असावर के प्रधान श्री काशीनाथ यादव को कतिपय प्रकरणों में जैसे-जैसे अनियमिततायें प्रकाश में आयीं तद्नुसार दिनांक 6-1-92 व दि० 18-4-92 को निलम्बित किया गया । तत्पश्चात् तत्कालीन परगनाधिकारी ने स्वविवेक से उक्त ग्राम प्रधान के संबंध में जारी आदेश (दि० 6-1-92 को छोड़कर) अपने आदेश दिनांक 24-10-92 द्वारा वापस ले लिया । तदोपरान्त ग्राम प्रधान असावर ने निलम्बन आदेश के विरुद्ध मा० न्यायालय में याचिका दायर कर दिनांक 30-10-92 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । वर्तमान में श्री काशीनाथ यादव, ग्राम प्रधान के पद पर कार्यरत हैं । सम्बन्धित प्रधान का प्रकारण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण जांच कराये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

जनपद सीतापुर की सदर तहसील में अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

25–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले की तहसील सीतापुर में आग लगने से जले मकानों की कितनी सूचनाएं जून, 93 से लेकर जनवरी, 94 तक एस० डी० एम०, सीतापुर को प्राप्त हुई ? उनमें से आर्थिक सहायता प्राप्त करने योग्य पात्र कितने मामले हैं जिन्हें अभी तक आर्थिक सहायता नहीं मिल पायी है ? जिन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिली है, उन्हें कब तक सहायता उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

माह जून, 1993 से जनवरी, 1994 तक 148 ग्रामों से अग्निकाण्ड की सूचनाएं एस० डी० एम० सीतापुर को प्राप्त हुई, जिनमें 206 मकान एवं 245 परिवार प्रभावित हुए ।

कोई मामला शेष नही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील हण्डिया के ग्राम सभा मौनपुर के ग्राम प्रधान द्वारा किये गये अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

26–श्री जवाहर लाल दिवाकर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा मौनपुर, तहसील हंडिया, जनपद इलाहाबाद के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर आराजी सं०–300 एवं आराजी सं०–97 पर अतिक्रमण एवं अनाधिकार कब्जा कर रखा गया है ? उक्त प्रधान के विरुद्ध कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

27–श्री बालेश्वर यादव-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में पिछड़ी जातियों की सूची में समावेश करने हेतु तंवर सिघाड़िया जाति का परीक्षण

28–श्री महावीर सिंह (बिजनौर)–

क्या समाज कल्याण मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि तंवर सिघाड़िया जाति जो बहुत ही गरीबी की स्थिति में अपनी गुजर बसर करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय तालाबों में में सिंघाड़ा पैदा करना तथा मछली पालना है ? क्या सन् 1955 में काका कालेलकर की रिपोर्ट में इस जाति को सर्वाधिक पिछड़े वर्ग की सूची में रखने की संस्तुति की गयी थी ? क्या उक्त जाति सरकारी सूची में अंकित है ? यदि हां, तो किस वर्ग में ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस तंवर सिघाड़िया जाति को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

प्रदेश में पिछड़ी जातियों विषयक जारी शासनादेश दिनांक 10-7-86 में तंवर सिघाड़िया जाति का कोई उल्लेख नही है । फिर भी पिछड़े वर्ग की सूची में अपेक्षित समावेश अथवा निष्कासित करने एवं तत्संबंधी शिकायतों पर सम्यक् रूप से विचार कर संस्तुति देने हेतु प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है । तदनुसार इस प्रकरण को भी उक्त आयोग के द्वारा परीक्षण करने हेतु भेज दिया गया है ।

जनपद मेरठ की तहसील सरधना चकबन्दी प्रक्रिया को शीघ्र समाप्त करने के आदेशोपरान्त राजस्व ग्राम बनाने पर विचार किया जाना सम्भव

29–श्री त्रिपाल सिंह धामा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ की तहसील सरधना के दो मजरों (मुकीम पुरा व गठीदुल्ला) को अलग-अलग राजस्व गांव बनाने संबंधी ग्राम सभा प्रस्ताव लम्बी अवधि से शासन से निस्तारित नहीं हो सका है, जबकि प्रदेश के कई जनपद शासन द्वारा अलग कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों गांव राजस्व गांव बनाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

सम्बन्धित गांव में चकबन्दी प्रक्रियायें चल रही हैं, जिन्हें जल्दी समाप्त करने हेतु निर्देश जा चुके हैं, अतः उसके उपरान्त ही विचार सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

30–श्री गोविन्द सिह कुंजवाल–

[दि० 23-3-94 को ता० प्र० सं०–9 द्वारा उत्तरित]

जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन निगम द्वारा डिपो की बाउन्ड्री वाल के निर्माण में व्यय धनराशि का विवरण

31–श्री विजय सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन निगम द्वारा आश्रम मोड़ पर जो डिपो का बाउन्ड्री वाल बनाया गया है उसके लिये कुल कितनी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई ? कौन-कौन से समाचार पत्र के माध्यम से टेण्डर प्रकाशित किये गये और कब ? कितने ठेकेदारों ने टेण्डर दिये ? किस ठेकेदार का किस दर पर टेण्डर स्वीकृत हुआ ? क्या मंत्री जी प्रत्येक का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 1993 को गोविन्दपुर डिपो के तार बाड़ के निर्माण हेतु रु० 9,04,100.00 की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

दिनांक 20 अक्टूबर, 1993 को दैनिक आज (वाराणसी) में सूचना प्रकाशित की गयी तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक ने इसके पूर्व अपने पत्र दिनांक 30 अगस्त, 1993 द्वारा निविदा आमंत्रित की थी ।

मात्र एंगिल आयरन आपूर्ति के लिये चार कोटेशन प्राप्त हुए थे ।

न्यूनतम कोटेशन दाता अमर इन्डस्ट्रीज हल्द्वानी को रु० 138.00 प्रति रनिंग मीटर की दर से स्वीकृति दी गयी ।

एंगिल आयरन की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी मद में टेण्डर व कोटेशन प्राप्त न होने के कारण प्रश्न नहीं उठता ।

32–श्री रमापति उर्फ रमाकान्त–

[दि० 31-3-94 को ता० प्र० सं०–10 द्वारा उत्तरित]

जनपद ललितपुर एवं गाजियाबाद के जिला पंचायत कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थायी तथा पुनरीक्षित वेतनमान की मांग

33–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद ललितपुर एवं गाजियाबाद के जिला पंचायत कार्यालयों के कर्मचारियों को 1-1-86 से पुनरीक्षित वेतनमानों में अब तक वेतन निर्धारण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? इन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इनके स्थायीकरण का प्रकरण भी विचाराधीन है ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी नहीं ।

प्रस्ताव विभागाध्यक्ष से शासन को दिनांक 2-4-94 को प्राप्त हुआ है जिसका शासन में परीक्षण किया जा रहा है ।

परीक्षणोंपरान्त यथाशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां ।

जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड बीसलपुर के अन्तर्गत नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी के विरुद्ध धन की गड़बड़ी की जांच की मांग

34–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत नियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी के विरुद्ध गांव अमृता खास में दिनांक 10 फरवरी, 1994 की मात्र एक बैठक करके वहां के प्रधान से विगत पांच माह की फर्जी बैठकें दर्शा कर भारी धनराशि विभाग से आहरित करने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से नसबन्दी केस न देने के बदले प्रत्येक से 800 रु० लेने आदि की जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत स्थान एवं दिनांक को ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी थी । आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से नसबन्दी केस न देने के बदले कोई धनराशि नहीं ली गयी है । अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत एवं बरेली के मध्य नदी देवहा के कटान से उत्पन्न सीमा विवाद के निदान हेतु निर्देश

35–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि नदी देवहा के कटान के कारण जनपद पीलीभीत एवं जनपद बरेली के नागरिकों के मध्य भूमि सीमा विवाद गहराता चला जा रहा है ? क्या मंत्री जी उक्त समस्या का शीघ्र निदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां । जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज एवं जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के मध्य देवहा नदी के कटान के कारण भूमि सीमा-विवाद है ।

जी हां । संबंधित जिलाधिकारियों एवं राजस्व परिषद् को शीघ्रता से समस्या के निदान हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन विभाग के प्रसार एवं जनसम्पर्क वृत्त में कार्यरत महिला अधिकारियों/कर्मचारियों के उपयोगार्थ क्रय की गयी पत्रिका पर व्यय धनराशि का विवरण

36–श्री मो० अरशद खान–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वन विभाग के प्रसार एवं जन सम्पर्क वृत्त द्वारा वर्ष 1991 तथा 92 में गृहणियों की पत्रिका गृह शोभा तथा स्टारडस्ट नामक फिल्मी पत्रिका मंगाकर उच्चधिकारियों को प्रेषित की गयी थी ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? विभागीय उद्देश्यों की पूर्ति इस पत्रिकाओं से किस प्रकार की गयी ? वर्ष 91, 92 तथा 93 में पत्र पत्रिकाओं पर प्रत्येक वर्ष में कितना-कितना व्यय हुआ ? क्या शासन इसे शासकीय धन का गम्भीर दुरुपयोग मानता है ? यदि हां, तो शासन दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को कब दण्डित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां । विभाग में पुरुष एवं महिला अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं । उक्त पत्रिकायें अधिकारियों/कर्मचारियों के उपयोगार्थ क्रय की गयी हैं ।

वर्ष 1991-92 तथा 1993 में पत्र पत्रिकाओं पर हुए व्यय का विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष	व्यय
1991	6417.90
1992	9869.95
1993	5255.50

संबंधित पत्र-पत्रिकायें राजकीय हित में क्रय की गयीं इसलिये शासकीय धन के दुरुपयोग का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

वन विभाग के प्रसार एवं जन सम्पर्क वृत्त में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रखा जाना

37–श्री मोहम्मद अरशद खान–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रसार एवं जन सम्पर्क वृत्त में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या शासन नियुक्ति की सामान्य प्रक्रिया जारी होने तक इन कर्मचारियों के कार्यालय प्रवेश पर पाबन्दी लगायेगा ?

श्री भगवती सिंह–

दैनिक पारिश्रमिक पर कुछ व्यक्ति रखे गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन विभाग के प्रसार एवं जनसम्पर्क वृत्त में कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण न किया जाना

38–श्री मोहम्मद अरशद खान–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वन विभाग के प्रसार एवं जनसम्पर्क वृत्त से तृतीय श्रेणी के कुछ कर्मचारियों का स्थानान्तरण वर्ष 1993 में किया गया था ? यदि हां, तो इस वृत्त में कार्यरत अन्य तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण जो 7 वर्षों से अधिक समय से यहां कार्यरत हैं, कब तक किया जायेगा ?

श्री भगवती सिंह–

जी नहीं । प्रसार एवं जन सम्पर्क वृत्त का एकल संवर्ग होने के कारण कर्मचारियों के स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता ।

बनरोजों (नीलगाय) को पकड़ कर विक्रय की व्यवस्था किये जाने की मांग

39–श्री मोहम्मद अरशद खान–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नील गायों के आतंक से किसानों को छुटकारा दिलाने हेतु क्या विभाग इन्हें पकड़कर मामूली दर पर विक्रय की व्यवस्था करेगा ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक ?

श्री भगवती सिंह–

जी नहीं । बनरोजों (नीलगायों) को पकड़ कर विक्रय की व्यवस्था विधिक एवं व्यवहारिक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जनपद की सदर तहसील के ग्राम डिडौहा की विधवाओं की पेंशन संबंधी प्रकरण

40–श्री रमापति उर्फ रमाकान्त–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद की सदर तहसील के ग्राम सभा डिडौहा की उन विधवाओं की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिन्हें वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 में विधवा पेंशन दी गयी ? प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी धनराशि उन्हें दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के विकास खण्ड शिवगढ़ की सर्किल सांगापट्टी में जनता की समस्याओं के समाधान हेतु भू-अभिलेखों की प्रतिलिपियों को तैयार कराने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध

41–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि विगत 4 वर्ष पूर्व सर्किल सांगापट्टी, विकास खंड शिवगढ़, तहसील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के लेखपाल के निलम्बन के कारण उक्त सर्किल के समस्त भू-अभिलेख सील कर दिये गये हैं ? क्या उक्त अभिलेखों के अभाव में जनता की कठिनाइयों को हल करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां । पुलिस ने कथित लेखपाल से सभी अभिलेख उनके कब्जे से लेकर सील कराकर दिनांक 8-2-90 को सदर मालखाना भेज दिया ।

वर्तमान लेखपाल द्वारा अभिलेखागार में उपलब्ध जिल्द बन्दोबस्त की सहायता से चिट्ठा तैयार कर पड़ताल का कार्य किया जा रहा है किन्तु खतौनी उपलब्ध न होने के कारण उत्तराधिकार एवं हस्तान्तरण के मामलों में दाखिल खारिज की कार्यवाही रुकी हुई है । न्यायालय अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट (प्रथम) प्रतापगढ़ से अनुरोध किया गया है कि वह सील्ड अभिलेखों की प्रतिलिपि तैयार कराने की अनुमति प्रदान करें जिससे जनता की समस्याओं का समाधान किया जा सके ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर के परगना पश्चिम राठ के ग्राम–भखौली में अग्निकांड से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता राशि का भुगतान

42–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम भखौली, परगना पश्चिम राठ, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में दिसम्बर, 1992 में हुए अग्निकांड से पीड़ित परिवार रामप्यारे, रामसागर, गया प्रसाद आदि को स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि स्वीकृत सहायता

राशि को उक्त गांव के प्रधान द्वारा पीड़ित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भुगतान करा दिया है ? क्या प्रधान के विरुद्ध कोई अपराध का मुकदमा भी अंकित है ? यदि हां, तो पूरे प्रकरण का विस्तृत विवरण क्या है और उसमें कौन-कौन लोग दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं । ग्राम भखौली, परगना खण्डासा, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में अग्निकाण्ड की घटना माह दिसम्बर, 92 में नहीं, बल्कि दिनांक 12-11-91 में हुई थी, जिसमें पीड़ित परिवार श्री राम प्यारे, राम सागर तथा अन्य 6 व्यक्तियों को सहायता राशि वितरित की जा चुकी है । श्री गया प्रसाद की उक्त घटना में कोई क्षति नहीं हुई थी ?

जी नहीं । सहायता राशि का भुगतान पीड़ित व्यक्तियों को ही कराया गया है । अन्य को नहीं ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता है ।

43–श्री बनवारी सिंह यादव–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

44–श्री रमापति शास्त्री–

[दि० 17-3-94 को अता० प्र० सं०–89 द्वारा उत्तरित]

जनपद गाजियाबाद में हिन्डन नदी व रेलवे लाइन के समीप झील को पक्षी विहार बनाने की मांग

45–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में हिन्डन नदी व रेलवे लाइन के किनारे सैकड़ों एकड़ में फैली झील में पक्षी विहार की कोई योजना तैयार की गयी थी ? यदि हां, तो आगामी योजना क्या है ?

श्री भगवती सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में पात्र वृद्धा अवस्था एवं विधवा पेंशन भुगतान करने की मांग

46–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार के संज्ञान में है कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में वृद्धा अवस्था एवं विधवा पेंशन का भुगतान विगत लम्बे अन्तराल से नहीं हुआ है ? यदि हां, तो भुगतान कब तक हो जायेगा ? क्या पेंशन पाने वालों की ऐसी सूची उपलब्ध करायेंगे जिसमें कि पेंशन स्वीकृति होने की तिथि एवं भुगतान हो जाने की तिथि का भी उल्लेख हो ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम सभा बरावां, परगना-तहसील रुदौली, जनपद बाराबंकी में वर्ष 1988 में किये गये भूमि के फर्जी आवंटन से संबंधित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

47–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा बरावां, परगना व तहसील रुदौली, जनपद बाराबंकी में वर्ष 1988 में किये गये भूमि के फर्जी आवंटन की जांच वर्ष 1992 में की गयी थी ? क्या उक्त गांव में अनियमिततायें सिद्ध हो जाने के कारण उस फर्जी आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी जो जिले स्तर पर अभी तक लम्बित है ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन सी अनियमिततायें पायी गयीं ? उक्त फर्जी आवंटन कब तक निरस्त कर दिया जायेगा ? क्या सरकार उक्त फर्जी आवंटन के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड–बढ़पुर के ग्राम महलई के उप प्रधान द्वारा धन के दुरुपयोग की शिकायत

48–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद के विकास खण्ड बढ़पुर के ग्राम महलई के ग्राम प्रधान श्री चरन सिंह को परगनाधिकारी सदर द्वारा निलम्बित कर दिया गया था और श्री चरन सिंह द्वारा परगनाधिकारी, सदर के आदेश को चुनौती दिये जाने पर आयुक्त, कानपुर मण्डल द्वारा दिनांक 16-2-94 को श्री चरन सिंह की निगरानी मंजूर करते हुए परगनाधिकारी, सदर के आदेश को निरस्त कर दिया गया है तथा श्री चरन सिंह को पुनः प्रधान के पद पर बहाल कर दिया गया है ? क्या पंचायत राज मंत्री को जानकारी है कि श्री चरन सिंह द्वारा 18-2-94 को ही परगनाधिकारी, सदर एवं खण्ड विकास अधिकारी, बढ़पुर को उक्त आदेश की प्रतियां भी दे दी गयीं फिर भी उन्हें कार्यभार नहीं दिलाया गया और गांव के उप प्रधान द्वारा दिनांक 23-2-94 के ग्राम सभा का सारा धन अवैध रूप से खाते से निकाल कर दुरुपयोग किया जा रहा है ? क्या सरकार प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने एवं ग्राम सभा का रुपया उसी खाते में उप प्रधान द्वारा जमा कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

विधान पुस्तकालय कार्यवाही खण्ड,
उत्तर प्रदेश

आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा निगरानी सं०–15/94 श्री गंगाराम बनाम परगनाधिकारी आदि में पारित आदेश दिनांक 16-2-94 में कहा गया है कि परगनाधिकारी का अवक्षेपित आदेश दिनांक 28-12-93 जिसमें श्री चरन सिंह, को प्रधान पद पर बहाल किया गया है, क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा निगरानी कर्ता उप प्रधान की निगरानी भी पोषणीय न होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर के उपरोक्त आदेश दिनांक 16-2-94 के आधार पर विधिक दृष्टि से प्रधान को निलम्बित माना गया है। श्री चरन सिंह को विधिक दृष्टि से प्रधान पद का कार्यभार नहीं दिलाया जा सकता है। जांचोपरान्त उप प्रधान द्वारा धन के दुरुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः इनसे धन जमा कराने का प्रश्न नहीं उठता। उप प्रधान विधिक रूप से कार्यरत है।

प्रदेश के जनपदों व विकास खण्डों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में आरक्षित कोटा पूरा किये जाने की मांग

49–श्री राम करन आर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंगनबाड़ी केन्द्र प्रदेश के कितने जनपदों व विकास क्षेत्रों में चल रहे हैं ? इनमें कार्यकर्त्री के चयन की क्या प्रक्रिया है ? क्या अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरक्षण कोटा कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री राज बहादुर–

प्रदेश के समस्त जनपदों के 292 ग्रामीण तथा 21 शहरी विकास क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का चयन जनपद स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है। चयन के लिये ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्रामसभा की स्थायी निवासिनी तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के एक कि०मी० की परिधि में निवास करने वाली महिलाएं पात्र हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकत्रियों को देय मानदेय का विवरण

50–श्री राम करन आर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री का मानदेय क्या है ? क्या सरकार के पास इनके नियमितीकरण की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार कब तक निर्णय लेगी ?

श्री राज बहादुर–

भारत सरकार के निर्णयानुसार आंगनबाड़ी कार्यकत्री का मानदेय निम्नलिखित है :—

श्रेणी	नान मैट्रिकुलेट	मैट्रीकुलेट
1–नियुक्ति की तिथि से	रु० 350 प्रतिमाह	रु० 400 प्रतिमाह
2–जिन्हें 5 वर्ष की अवैतनिक सेवा का अनुभव हो।	रु० 375 प्रतिमाह	रु० 425 प्रतिमाह
3–जिन्हें 10 वर्ष की अवैतनिक सेवा करने का अनुभव हो।	रु० 400 प्रतिमाह	रु० 450 प्रतिमाह

जी नहीं क्योंकि यह योजना केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के ग्राम बरहीं नेवादा में वन विभाग द्वारा लगाये गये पेड़ों की अवैध कटान रोकने तथा शेष नये पेड़ों की सुरक्षा की मांग

51–श्री ऊदल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के छठे सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–39 के उत्तर के संदर्भ में क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आ० नं०–1013, 1030, 1036क, 1023व 1022 पांच गाटा 15 एकड़ भूमि गांव बरहीं नेवादा प० पन्द्रह, जिला वाराणसी में जो 16000 पौध सामाजिक वानिकी ने 44835.18 रु० खर्च करके लगाये गये थे क्या उसको गांव सभा बरहीं नेवादा को 1991 में सौंप दिया है ? क्या सरकार जांच करायेगी कि अब 16000 पेड़ों में से कितने बचे हैं और कितने कट गये ? जो रुपये वृक्षारोपण पर खर्च किये गये हैं उसे गांव सभा को माफ किया जायेगा या नहीं ? क्या यह सही है कि पेड़ों की सुरक्षा नहीं हो पायी है ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां।

जी हां।

जांच कराई जा चुकी है। लगभग 13 प्रतिशत पेड़ बचे हैं और 87 प्रतिशत पेड़ कट गये हैं।

जी नहीं।

पेड़ों की सुरक्षा ग्राम सभा द्वारा समुचित ढंग से नहीं की गयी है।

समाज कल्याण के अन्तर्गत आवर्तक सूची पर संचालित छात्रावासों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनवृद्धि का प्रस्ताव

52–श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा आवर्तक सूची पर संचालित छात्रावासों में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं ? उन्हें विभाग द्वारा कितना-कितना वेतन मानदेय प्रतिमाह दिया जा रहा है ? क्या इनकी वेतनवृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर शासन की क्या नीति है ?

श्री राज बहादुर–

आवर्तक अनुदान पर संचालित छात्रावास स्वैच्छिक संस्थाओं के छात्रावास हैं और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अपने छात्रावासों में विभिन्न श्रेणी में नियुक्ति किये गये कर्मचारी राज्य कर्मचारी नहीं हैं । अतः उनकी संख्या से शासन का सम्बन्ध नहीं है ।

आवर्तक अनुदान पर संचालित छात्रावासों में प्रबन्धक/अधीक्षक को रु० 50 प्रतिमाह, रसोइया को 150 प्रतिमाह तथा सफाई कर्मचारी को रु० 100 प्रतिमाह की दर से मानदेय भुगतान हेतु अनुदान स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रदान किया जाता है ।

जांचोपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

53–श्री नन्द किशोर मिश्र–

[दि० 31-3-94 को ता० प्र० सं० 90 द्वारा उत्तरित]

जनपद नैनीताल (काशीपुर) की तहसील बाजपुर के अन्तर्गत चकबन्दी कराने के आदेश देने की मांग

54–श्री राजीव कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशीपुर नैनीताल के अन्तर्गत बाजपुर तहसील में चकबन्दी कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी ? उक्त तहसील में चकबन्दी कराने के आदेश शासन से कौन सी तारीख को दिये थे ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद नैनीताल की तहसील बाजपुर को चकबन्दी क्रियाओं हेतु दिनांक 2-1-93 को गजट में प्रकाशित किया गया । उसके बाद चकबन्दी क्रियायें प्रारम्भ होने पर श्री हरदेव सिंह गिल आदि द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट दायर करके दिनांक 26-8-93 को स्थगनादेश प्राप्त कर लिया । फलस्वरूप स्थगनादेश के निरस्त होने पर ही कोई अग्रेतर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी लागू करने के आदेश शासनादेश संख्या–23/1-1(5)/1991–रा०–1, दिनांक 23 फरवरी, 1991 द्वारा जारी किये गये थे ।

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के निवासी ग्राम हरखपुर कौड़हा की श्रीमती सुखराजी पत्नी श्री मिश्रीलाल चमार के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

55–श्री राम अचल राजभर, श्री धामू राम भास्कर तथा श्री तिलक राज बेहड़–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुखराजी पत्नी मिश्रीलाल चमार, निवासी ग्राम–हरखपुर कौड़हा, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद ने जिला अधिकारी, फैजाबाद को दिनांक 16-2-93 को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया था कि उसके गांव के निवासी श्री नान्हू ने फर्जी तरीके से अपनी जाति धर्म चमार लिखवाकर हरिजनों को शासन द्वारा प्राप्त सुख सुविधाओं को उपभोग किया है और उसी आधार पर उसका खानदानी बनकर जमीन जायदाद हड़प लेना चाहता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा उसकी जांच अपने स्तर से कराई और उक्त संबंध में सी० डी० ओ० फैजाबाद को कोई आदेश भी दिया ? यदि हां, तो जिलाधिकारी ने जांच के दौरान शिकायत के आधार पर उक्त संबंध में प्रार्थिनी के माध्यम से व अन्य माध्यमों से कौन-कौन से साक्ष्य प्राप्त किये और कब क्या आदेश किया ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद खीरी के परगना निघासन के मौजा खमरिया की वर्णित भूमि पर गड्ढा खनन का प्रकरण

56–श्री निरवेन्द्र कुमार "मुन्ना"–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर खीरी वन प्रभाग जनपद खीरी द्वारा भूमि सं० 56 स्थित मौजा खमरिया, परगना निघासन, खीरी पर खड़ी फसल को जबरन पलट कर गड्ढा खोदे जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1993 पर शासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17 दिसम्बर, 1993 तथा मा० न्यायालय अपर आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25 जनवरी, 1994 जिसमें यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश थे, के बावजूद वन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा यह कृत किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसमें कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भगवती सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर मण्डल में निराश्रित विधवाओं, वृद्धावस्था व विकलांग पेंशन भुगतान करने की मांग

57–श्री विश्वनाथ–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में निराश्रित विधवाओं, वृद्धावस्था व विकलांग पेंशन प्राप्त करने वालों की पेंशन की रकम कितनी भुगतान करने को शेष है और यह कब तक भुगतान कर दी जायेगी ?

श्री राज बहादुर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उत्तरकाशी की तहसील मटबाड़ी के परगना उत्तरकाशी के ग्राम बड़ाहार पट्टी वर्णित भूमि का खतौनी में दर्ज किया जाना

58–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बड़ाहार पट्टी बड़ाहार, प० उत्तर काशी, तहसील मटबाड़ी, जिला उत्तरकाशी की खतौनी खाता 393 जिसमें आराजी नं० 2551 लगायत 2560 रकबा टोटल 8 एकड़ जिसका मालिक शिक्षा विभाग है जो सन् 1918 से है और खतौनी खाता 393 में प्रबन्धक शिक्षा विभाग का नाम दर्ज है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त जमीन को रेवेन्यू विभाग, पुलिस विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग एवं रा० इण्टर कालेज के पुराने अध्यापकों ने अपने नाम ए० आर० ओ० के यहां करा लिया है ? जो खतौनी की कैफियत में दर्ज कर दिया गया है ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने खतौनी की पक्की नकल, बड़ाहार गांव का नक्शा अपने पत्र के साथ ता० 2-3-94 को राजस्व मंत्री को भेजा है कि शिक्षा विभाग की जमीन की रक्षा कराये और गलत आदेश को रद्द करा दें ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पत्र दिनांक 2-3-94 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

जनपद बाराबंकी के सेवानिवृत्त सहायक चकबन्दी अधिकारी श्री राम चन्द्र श्रीवास्तव को देय अवशेषों के भुगतान हेतु चकबन्दी आयुक्त को निर्देशित किये जाने की मांग

59–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामचन्द्र श्रीवास्तव सेवानिवृत्त सहायक चकबन्दी अधिकारी, बाराबंकी को अपने सेवाकाल के दौरान वर्ष 1982 अथवा 1993 में सेलेक्शन ग्रेड लभ्य होते हुए भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उदासीनता से अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उसके दोषी कौन हैं उनको दण्डित करते हुए उक्त सेवानिवृत्त स० चकबन्दी अधिकारी को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ देते हुए सभी अवशेषों का भुगतान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

श्री रामचन्द्र लाल सेवानिवृत्त सहायक चकबन्दी अधिकारी को वर्ष 1982 अथवा 1983 से सेलेक्शन ग्रेड देय नहीं था ।

देय तिथि से नियमानुसार भुगतान हेतु शीघ्र कार्यवाही करने के लिये चकबन्दी आयुक्त को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित प्रभागीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग, लखनऊ में कथित अनियमित चयन

60–श्री तेजभान सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ के अन्तर्गत ट्रैक्टर चालक के पद हेतु साक्षात्कार दिनांक 26-2-94 को विभाग में ही कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के सेवा विनियमितीकरण हेतु लिया गया है ? यदि हां, तो 5 से 10 वर्ष तक दैनिक वेतन पर कार्यरत ट्रैक्टर चालकों में से उक्त पद पर चयन न करके, उन जीप/कार चालकों, जो अपेक्षाकृत कनिष्ठ थे, को ट्रैक्टर चालक पद पर चयन करने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस अनियमित चयन को निरस्त करके ट्रैक्टर चालकों के साथ न्याय करते हुए उनका चयन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री भगवती सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के उपभोग हेतु आवश्यक निर्देश

61–श्री हृदय नारायण–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 93-94 में अद्यतन कितनी-कितनी धनराशि सड़क, पुल व ग्राम विकास के कार्यों के लिये (योजनागत कार्यों हेतु) विभिन्न जनपदों को दी गयी है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पंचायती राज विभाग के पास सड़क, पुल व ग्राम विकास के कार्यों हेतु कुल कितनी धनराशि 93-94 में उपलब्ध थी ? कितनी जिलों को भेजी जा चुकी हैं ? इस धनराशि को प्रयुक्त किये जाने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ? धनराशि के प्रयुक्त किये जाने हेतु किस प्रकार के दिशा निर्देश जारी हुए हैं ?

श्री राम लखन वर्मा–

वित्तीय वर्ष 1993-94 में पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषद् की सड़कों व पुलियों के निर्माण/अनुरक्षण कार्यों हेतु 1490.75 लाख रुपये की धनराशि तथा 1985.99 लाख रुपये ग्राम विकास के योजनागत कार्यों हेतु कुल रुपये 3476.74 लाख की धनराशि विभिन्न जनपदों को स्वीकृत की गयी है। वित्तीय वर्ष 1993-94 में उक्त कार्यों हेतु 3704.80 लाख रुपये की धनराशि आय-व्ययक में उपलब्ध करायी गयी तथा रुपया 1050.00 लाख की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित कर स्वीकृत की गयी। रुपये 3476.74 लाख की धनराशि संबंधित जनपदों को आवंटित की गयी तथा अवशेष रुपये 1278.06 लाख की धनराशि वैयक्तिक लेखा खाते में रखी गयी है। स्वीकृत

धनराशियों के उपभोग के संबंध में सम्बन्धित शासनादेशों में विस्तृत आवश्यक निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

जनपद एटा के निर्वाचन क्षेत्र पटियाली के ग्राम सहोरी, पटहसुआ, सुकरी खेड़ा को पटियाली ब्लाक में जोड़े जाने की मांग

62–श्री सज्जन पाल सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पटियाली, जनपद एटा में ग्राम सहोरी, पटहसुआ, सुकरी खेड़ा, ब्लाक पैथरा से काटकर पटियाली ब्लाक से जोड़े जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

जिलाधिकारी, एटा से आख्या प्राप्त की जा रही है।

श्री अवध पाल सिंह यादव, मा० विधायक ने मा० मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 29-1-94 में उक्त आशय का अनुरोध किया है।

जनपद व विकास खण्ड मैनपुरी के ग्राम नौनेर के मौजे के विभाजन की जानकारी

63–श्री चन्द्र भूषण सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी ब्लाक के ग्राम नौनेर का कोई मौजा बंटवारे का प्रकरण विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उस पर निर्णय हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

याचिका संख्या–11286/1990 में उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यंतर काल में विभिन्न तिथियों को पारित आदेशों का क्रियान्वयन स्थगित कर दिये जाने के कारण प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है। निर्णय होने के उपरान्त उपयुक्त कार्यवाही हो सकेगी।

जनपद मैनपुरी के मौजा नौनेर में चकबन्दी रुकवाने की मांग

64–श्री चन्द्र भूषण सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब तक मौजा नौनेर, जिला मैनपुरी का विभाजन नहीं हो जाता क्या तब तक चकबन्दी रुकवाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं।

मौजा नौनेर जनपद मैनपुरी के विभाजन संबंधी कार्यवाही के विरुद्ध श्री भूमिराज सिंह व अन्य ने मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर रखी है और अभ्यन्तर काल में विभिन्न तिथियों को पारित आदेशों का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया है व मामला न्यायालय में विचाराधीन है। चकबन्दी प्रक्रियाओं को स्थगित किये जाने का प्रशासकीय अधिकार शासन को नहीं है।

जनपद बरेली के मोहल्ला–सागढ़ में भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रकरण

65–श्री धनराज यादव, रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री राम प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला सागढ़, बेहेड़ी, जनपद बरेली के गाटा संख्या–698 जमीन आराजी सड़क पोख्ता पी०डब्लू०डी० जो सन् 1982 तक पी० डब्लू० डी० के नाम से दर्ज थी, तदोपरान्त रिकार्डों में हेरा-फेरी कर गाटा संख्या–698 के अतिरिक्त दो गाटा संख्या 698/1 एवं 698/2 में विभक्त कर काफी धन लेकर कुछ लोगों को आवंटित कर दिया गया है ? क्या इसकी जांच कराकर पुराने अभिलेखों के अनुसार उक्त भूमि को पी० डब्लू० डी० के नाम दर्ज कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

इस प्रकार का कोई आवंटन नहीं किया गया है।

प्रकरण की जांच करायी गयी है। इस समय प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद बाराबंकी के ग्राम–रामपुर जौगा में किए गए अनियमित पट्टों की जांच कराये जाने की मांग

66–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या–159 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर जौगा, पो० बरौली जाटा, जनपद बाराबंकी द्वारा ग्राम प्रधान एवं परगनाधिकारी (श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव) द्वारा बिना नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार को प्रस्तुत किये बगैर सीधे पत्रावली अनुमोदित कर दी थी ? इस प्रकरण में दोषी परगनाधिकारी नवाबगंज एवं ग्राम प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक कार्यवाही जायेगी और अनियमित पाये गये पट्टे को लम्बित न्यायालय द्वारा कब तक निस्तारण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बाराबंकी के पोस्ट–बरौली जाटा के ग्राम रामपुर जौगा के प्रधान एवं सेकेट्री द्वारा पंचायत भवन के निर्माण में किये गये घपले की जांच की मांग

67– श्री राम आसरे वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम रामपुर जौगा, पो० बरौली जाटा, जनपद बाराबंकी में ग्राम प्रधान एवं पंचायती सेकेट्री द्वारा वर्ष 1989-90 में पंचायत भवन निर्माण कार्य में घपला किया गया था ? यदि हां, तो किसके द्वारा जांच करायी गयी ? जांच कराने के बाद दोषी ग्राम प्रधान एवं पंचायत सेकेट्री के विरुद्ध कब और क्या कार्यवाही की गयी ? यह प्रकरण कब से किस स्तर पर लम्बित रहा ? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं ? क्या इस विचाराधीन कार्यवाही के पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? संबंधित ग्राम प्रधान के संबंध में मौजूद स्थिति क्या है ? यदि वह दोषी है, तो उन्हें कब तक निलम्बित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री राम लखन वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बांदा जिले में महुवा फूल के क्रय-विक्रय की कठिनाइयों के संबध में जानकारी

68–श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि बांदा जिले में महुवा फूल की विभिन्न मंडियों में जो मंडी समिति के अन्दर से व्यापारी कमीशन एजेन्टों से किसानों से खरीद करते हैं उसे बेचने के लिये जब वह बाहर की मंडियों में उस मंडी से माल भेजते हैं उसमें भी फारेस्ट का परमिट लेने के लिये व्यापारियों को बाध्य किया जाता है ? यदि हां, तो मंडी समिति के अन्दर खरीदे गये माल पर वन विभाग द्वारा परमिट मांगने का क्या औचित्य है ? यदि नहीं, तो क्या वन मंत्री जी वहां के वन अधिकारी को यह व्यवस्था समाप्त करने के लिये निर्देशित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां ।

भारतीय वन अधिनियम की धारा-2 के अनुसार महुवा का फल व फूल वन उपज है चाहे वह वन क्षेत्र में पायी जाये अथवा नहीं । अतः इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिये नियमानुसार अभिवहन पास लेना आवश्यक है ।

जी नहीं ।

भारतीय वन अधिनियम 1927 और उसके अन्तर्गत बनी नियमावली 1978 के अनुसार यह आवश्यक है ।

प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित परिवारों को राहत धनराशि देने की मांग

69–श्री मोलई प्रसाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों में मारे जाने की स्थिति में प्रभावित परिवारों को एक लाख या इससे अधिक की धनराशि राहत रूप में दी जाती है ? यदि हां, तो क्या इसी क्रम में अनुसूचित जाति उत्पीड़न या हत्या आदि मामलों में मारे जाने पर एक

लाख या अधिक की धनराशि प्रदान करने की नीति अपनाई जायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी नहीं । शासनादेश संख्या–एफ०ए०–2–367/10-92-100(30) डी०/92, दिनांक 21 दिसम्बर, 1992 द्वारा रु० 50,000/- की धनराशि निर्धारित की गई है ।

जी नहीं ।

कुमायूं मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय पर स्थायी निदेशक को तैनात करने की मांग

70–श्री यशपाल आर्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि कुमायूं मण्डल में लागू एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के निदेशक का कार्यालय लखनऊ में है तथा वर्ष 1990 से इनके बहुत कम समय में स्थानान्तरण हो जाने तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर निदेशक की तैनाती न होने के कारण परियोजना सुचारु रूप से कार्य नहीं कर पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार परियोजना के लिए क्षेत्रीय कार्यालय पर एक स्थायी निदेशक को तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राजबहादुर–

जी हां ।

क्षेत्रीय कार्यालय पर निदेशक का पद सृजित नहीं है बल्कि परियोजना अधिकारी का पद सृजित है ।

निदेशक की तैनाती का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में निर्धारित अवधि तक कार्यरत अतिरिक्त संग्रह अमीनों के वेतन का भुगतान

71–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर तहसील मुसाफिरखाना में कितने अतिरिक्त अमीन कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि इन अमीनों को 1-12-92 से 31-3-93 तक का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? उक्त समानता के कितने प्रकरण तहसील मुसाफिरखाना में लम्बित हैं ? क्या परगनाधिकारी को 8-7-93 को किसी कर्मी का प्रार्थना-पत्र इस बाबत मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बाबू राम यादव–

तहसील मुसाफिरखाना जनपद सुल्तानपुर में खरीफ 1401 फसली (नवम्बर 93 से मार्च, 94) में कुल 30 अतिरिक्त संग्रह अमीन कार्यरत थे ।

दिनांक 1-12-92 से 31-3-93 तक जितने अतिरिक्त संग्रह अमीन कार्यरत रहे उन सभी को वेतन दिया जा चुका है ।

कोई नहीं ।

श्री अवधेश कुमार सिंह, अमीन का प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-7-93 प्राप्त हुआ था जिसका निस्तारण किया जा चुका है ।

जनपद बस्ती में प्राथमिक विद्यालय तथा जूनियर हाई स्कूल में अनुसूचित जाति के समस्त छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति देने हेतु प्रस्ताव

72–श्री राम करन आर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के प्राथमिक विद्यालयों व जू० हा० स्कूल के विद्यालयों के अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं की छात्रवृत्ति देने के नियम क्या है ? क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना विचाराधीन है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाय ? यदि हां, तो कब तक उक्त प्रकरण पर निर्णय होगा ?

श्री राज बहादुर–

बस्ती जनपद के लिए छात्रवृत्ति वितरण हेतु कोई अलग नियम नहीं है । सामान्य छात्रवृत्ति वितरण से संबंधित शासनादेश सं०–3492/26-3-91, दिनांक 4-10-91 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों व जूनियर हाई स्कूल में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है ।

अनुसूचित जाति के समस्त छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु प्रदेश की अर्थोपाय स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को धनराशि की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव भेजा गया है ।

जनपद व तहसील बहराइच के परगना इकौना के ग्राम सभा लाल बोभी, रमवापुर व जोरडीह के किसानों को खसरा खतौनी उपलब्ध कराने की मांग

73–श्री अक्षयवर लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा लाल बोभी, रमवापुर व जोरडीह, परगना इकौना, तह० व जनपद–बहराइच के किसानों को खसरा, खतौनी कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम के किसानों को पांच वर्षों से खसरा, खतौनी न मिलने के कारण उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम लाल बोभी, रमवापुर व जोरडीह के अभिलेख दिनांक 2-9-91 को गायब हो गये थे जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी थी । अभिलेख दुबारा तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है ।

दिनांक 2-9-91 से किसानों को खसरा खतौनी उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है उन्हें आकार पत्र 45 में भूमि का विवरण उपलब्ध कराया जा रहा है ।

जनपद बहराइच की तहसील नानपारा के ग्राम सभा सेमरीकलां मलमला के तत्कालीन लेखपाल श्री राम सेवक वर्मा द्वारा बरती गयी अनियमितताओं के विरुद्ध निलम्बित किये जाने के आदेश

74–श्री अक्षवर लाल–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा सेमरी कलां, मलमला, तहसील–नानपारा, जनपद बहराइच के तत्कालीन लेखपाल श्री राम सेवक वर्मा द्वारा बनाये गये फर्जी पट्टों की जांच हुई है तथा समस्त पट्टों को निरस्त किया गया है ? यदि हां, तो श्री राम सेवक वर्मा के विरुद्ध जालसाजी सत्यापित

होने के पश्चात् उनके विरुद्ध अभी क्य कार्यवाही हुई ? क्या सरकार तत्कालीन लेखपाल श्री राम सेवक वर्मा के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

श्री राम सेवक वर्मा तत्कालीन लेखपाल के द्वारा बरती गयी गम्भीर अनियमितताओं के कारण इनको निलम्बित किये जाने के आदेश दिनांक 21-8-93 को पारित किये गये ।

इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के ग्राम सिरार में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीरपुर की स्वीकृति के संबंध में जानकारी

75–श्री हरपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा तहसील में 1 जनवरी, 1990 से 1 जनवरी, 1994 तक कितनी प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को ग्राम समाज की भूमि विद्यालय बनाने के लिए दी गयी है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहांगीरपुर का प्रस्ताव भी ग्राम समाज-सिरार द्वारा तहसीलदार खुर्जा को भेजा गया है ? यदि हां, तो अभी तक प्रश्नगत कन्या उ० मा० विद्यालय को मिलने वाली भूमि की स्वीकृति न मिलने का क्या कारण है ?

श्री बाबू राम यादव–

तहसील खुर्जा में प्रश्नगत अवधि में गांव सभा भूमि (कन्या इण्टर कालेज भारत विकास परिषद्, खुर्जा) के निर्माण हेतु खुर्जा देहात के खसरा नम्बर 895 की 1.172 हेक्टेयर भूमि, भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर दिनांक 26-7-1993 को स्वीकृत हुई, किन्तु प्राप्त शिकायतों के आधार पर नियम 115-बी के अन्तर्गत कार्यवाही अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है ।

इसके अतिरिक्त अंगूरी देवी कन्या विद्यालय, थोरा को केवल क्रीड़ास्थल हेतु 3 बीघा 2 विस्वा भूमि दिनांक 23-10-1992 को स्वीकृत हुई है ।

ग्राम सभा सिरार का प्रस्ताव कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीरपुर के लिए प्राप्त हुआ था, जो नियमानुसार न हाने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

76–श्री बालेश्वर त्यागी–

[6ठे बुध में अता० प्र० सं० 135 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यरत लेखपालों के सामान्य भविष्य निधि (जी०पी०एफ०) की कटौती की मांग

77–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यरत जिन लेखपालों का सामान्य भविष्य निधि (जी०पी०एफ०) कटौती नहीं किया जा रहा है, उनका सामान्य भविष्य निधि की

कटौती करवाने के संबंध में सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

अधिकांश लेखपालों के नामांकन पत्र भरवाकर महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को भेज दिये गये हैं । शेष लेखपालों के नामांकन-पत्र भरवाये जा रहे हैं । महालेखाकार से खाते का आवंटन होने पर सामान्य भविष्य निधि में कटौती बकाये की राशि सहित की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्व विभाग में कार्यरत सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के वेतन का निर्धारण

78–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग में कार्यरत सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो का वेतनमान 1200 रुपया करने का कोई शासनादेश हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में राजस्व परिषद्, उ० प्र० द्वारा कोई आदेश निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राजस्व परिषद् उ० प्र० द्वारा इस संबंध में कोई आदेश अब जारी होगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता । शासनादेश के बिना राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा कोई आदेश नहीं जारी किया जा सकता है ।

प्रदेश में महिला विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन तथा विकलांग पेंशन प्रदान करने हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग

79–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में कितनी महिलाओं को विधवा पेंशन, कितनों को वृद्धावस्था पेंशन तथा कितनों को विकलांग पेंशन वर्ष 1993-94 में प्रदान की गयी है ? वित्तीय वर्ष 1994-95 में इन मदों में कितने अतिरिक्त धन का प्राविधान किया गया है ?

श्री राज बहादुर–

फरवरी, 94 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2,14,015 महिलाओं को निराश्रित विधवा भरण-पोषण अनुदान 51,655 विकलांगों को भरण-पोषण अनुदान प्रदान किया गया है । वृद्धावस्था पेंशन के बारे में अगस्त, 1993 तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 3,36,382 को पेंशन का लाभ दिया गया है ।

अभी विभागीय बजट माननीय सदन में पारित नहीं हुआ है ।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ में राप्ती नदी के कटान से प्रभावित ग्रामों को सहायता देने की मांग

80–श्री धनराज यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992 एवं वर्ष 1993 के वर्षा में सिद्धार्थनगर जनपद की नौगढ़ में राप्ती नदी की कटान से ग्राम अमरिया, रीवां नावकर, संगलदीप में एवं बूढ़ी राप्ती नदी की कटान से ग्राम छितरावार में किस किसके घर नदी में विलीन हो गये ? क्या सरकार की ओर से उन्हें सहायता दी गयी ? यदि हां, तो किन-किन को व कितनी-कितनी ? यदि नहीं, तो उक्त सहायता उन्हें कब तक दी जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ में वर्ष 1992 में ग्राम सांगलदीप में 7 एवं वर्ष 1993 में ग्राम रीवां नावकार में 29, अमरिया में 3, संगलदीप में 18, छितरापार में 4 घर कटान से नदी में विलीन हो जाने की सूची संलग्न है। शासन द्वारा निर्धारित दर पर सहायता दी गयी, जिसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 194–196पर)

जनपद गाजीपुर व वाराणसी में कृषि फसल को क्षति पहुंचाने हेतु वनरोजों को नष्ट करने हेतु अनुज्ञा-पत्र का जारी किया जाना

81–श्री ऊदल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर व वाराणसी में क्रमशः औडिहार-सैदपुर में गोमती गंगा के किनारे तथा भदोही एवं वरुणा नदी के किनारे बड़े पैमाने पर नीलगाय किसानों की खेती को नुकसान पहुंचा रही हैं ? क्या यह भी सत्य है कि इसी तरह से प्रदेश के लाखों नीलगाय पैदा होकर खेती को नुकसान पहुंचा रही हैं ? यदि हां, तो इनको पकड़ने पर समाप्त करने के लिए सरकार की क्या योजनायें हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या इनको मार देने पर काले पानी तक की सजा हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको खत्म करने के लिए कोई कानून बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी नहीं। प्रदेश में वनरोजों (नीलगायों) द्वारा कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाने की छिट-पुट सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

वनरोजों (नीलगायों) को पकड़ना सम्भव नहीं है। कृषि को हानि पहुंचाने वाले वनरोजों को नष्ट करने के लिए क्षेत्रीय वन संरक्षकों एवं जिलाधिकारियों को अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी घोषित कर दिया गया है।

जी नहीं। किन्तु बिना अनुज्ञा-पत्र के वनरोजों को मारना वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए 3 साल तक की कैद या और 20,000 तक अर्थदण्ड हो सकता है।

कृषि हेतु हानिकारक वनरोजों को नष्ट करने के लिए वन संरक्षकों तथा जिलाधिकारियों को अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी घोषित कर दिया गया है ।

जनपद आजमगढ़ में संचालित विभागीय अनुदानित अनु० जाति बेसिक प्रा० पाठशाला, मई खरगपुर में कार्यरत श्रीमती चम्पा देवी सहायक अध्यापिका के वेतन के भुगतान की मांग

82–श्री फौजदार प्रसाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में संचालित विभागीय अनुदानित, अनु० जाति बेसिक प्रा० पाठशाला, मई, खरगपुर में कार्यरत श्रीमती चम्पा देवी सहायक अध्यापिका का वेतन उप निदेशक, समाज कल्याण, गोरखपुर के आदेश दिनांक 20-2-92 व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22-5-92 के अनुपालन में स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि श्रीमती चम्पा देवी का स्वीकृत वेतन वर्ष 1988-89 से चेक द्वारा संस्था के प्रबन्धक को भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या श्रीमती चम्पा देवी को उक्त वेतन प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार श्रीमती चम्पा देवी का स्वीकृत वेतन भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वन विभाग की नर्सरी में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचरियों को नियमित करने की मांग

83–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वन विभाग की नर्सरियों में 10 वर्षों से भी अधिक समय से कुल कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि अभी तक उन्हें नियमित नियुक्ति नहीं मिल पायी है ? क्या इनके भविष्य को देखते हुए तत्काल इन्हें नियमित नियुक्ति दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

दैनिक वेतनभोगी व्यक्तियों को कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्य पर रखा एवं हटाया जाता है अतएव उत्तराखण्ड में 10 वर्षों से निरन्तर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वास्तविक संख्या बताना सम्भव नहीं है ।

उत्तराखण्ड में रानीखेत वन प्रभाग के अन्तर्गत बसाणी पौड़ी गढ़वाल की नर्सरी में जीवित पौधों का विवरण की जानकारी

84–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड में रानीखेत वन प्रभाग के अन्तर्गत वासाणी पौड़ी गढ़वाल नर्सरी में विगत पांच वर्ष में कितने पौधे उगाये गये हैं ? कितने पौधे जीवित रहे ? क्या यह भी सही है कि उक्त नर्सरी के दस हजार से भी अधिक पौधे सूख गये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या शासन इनकी जांच करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

प्रश्नगत नर्सरी में विगत पांच वर्षों में 1,22,015 पौधे उगाये गये हैं ।

उपरोक्त में से 1,17,540 पौधे जीवित हैं,

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी की तहसील भदोही के ग्राम धनवतिया के ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

85–श्री रंगनाथ–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी जनपद के भदोही तहसील के धनवतिया ग्राम में परगनाधिकारी भदोही ने ए० डी० एम० के आदेश से ग्राम समाज की जमीन में बने मकान को गिरवा दिया है ? यदि हां, तो क्या उस पर 122बी का मुकदमा चलाया गया था ? क्या मकान गिराये जाने के पूर्व मकान मालिक श्री रमेश को नोटिस दी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम धनवतिया तहसील भदोही जिला वाराणसी में 5 व्यक्तियों को दिये गये आवास आवंटन की भूमि पर अवैध रूप से किये गये अधूरे निर्माण से अतिक्रमणकर्ता को बेदखल कर आवंटियों को कब्जा दिलाया गया ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

ग्राम धनवतिया के आवास आवंटन की भूमि पर ग्राम प्रधान ग्राम सभा धनवतिया द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा था । चूंकि अवैध निर्माण आवास आवंटन की भूमि पर किया जा रहा था इसलिए जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122डी के उपबन्धों के तहत कार्यवाही की गयी ।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के ग्राम रतसिया तप्पा बलिवन में भूमि के फ्रैगमेन्ट के विक्रय के संबंध में जानकारी

86–श्री विश्वनाथ–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रतसिया तप्पा बलिवन, तहसील सलेमपुर जिला देवरिया में भूमि के फ्रैगमेन्ट के विक्रय एवं नामान्तरण आदेश के संबंध में उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-168-क के अन्तर्गत नायब तहसीलदार भाटपाररानी ने वाद संख्या 635 व 636 सन् 1983 का फैसला दिनांक 30-9-83 को किया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिनियम के उल्लंघन के कारण तत्कालीन नाम व तहसीलदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? क्या गाटा संख्या 740 के फ्रैगमेन्ट के विक्रय के कारण यह जमीन राज्य सरकार के अधीन घोषित कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

वाद संख्या 635/03 कायम होकर न्यायालय में विचाराधीन है । निर्णय के उपरान्त स्थिति स्पष्ट होगी ।

भर/राजभर जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने की मांग

87–श्री मो० अरशद खान–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि राजभर (भर) जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने का शासन का कोई प्रोग्राम है ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

भर/राजभर जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है । उनके निर्णय की प्रतीक्षा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

88–श्री राज कुमार शिवहरे–

[5वे शुक्र में अता० प्र० सं० 142 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला परिषद् बांदा में लेखाकार के पद पर श्री राम किशोर की नियुक्ति की जानकारी

89–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद् बांदा में लेखाकार के पद के चयन हेतु दिनांक 30-6-93 को गठित चयन समिति द्वारा वरिष्ठ योग्यता प्राप्त लिपिकों की ज्येष्ठता को अवक्रमित करने मात्र सुझावात्मक प्रविष्टि के आधार पर अध्यक्ष ने उक्त आदेश पत्र सं०–1600, दिनांक 8-9-93 द्वारा कनिष्ठ लिपिक श्री राम किशोर की ही नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? क्य उक्त गठित चयन समिति में परिषद् के वित्तीय परामर्शदाता को भी शामिल किया गया है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? क्या उक्त नियुक्ति के पूर्व भी वित्तीय परामर्शदाता के ही परामर्श पर कार्यालय पत्रांक 7280, दिनांक 21-2-92 द्वारा कनिष्ठ लिपिक, श्री राम किशोर की नियुक्ति वरिष्ठ योग्यता प्राप्त लिपिकों की उपेक्षा करके की गयी थी ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? उक्त नियुक्ति आदेश के निरस्तीकरण का कारण क्या है ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हां । अवक्रमित कर्मचारियों की प्रविशिष्टयों को चयन समिति द्वारा सुझावात्मक नहीं बल्कि प्रतिकूल पाया गया ।

उत्तर प्रदेश के क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा–45 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा नियमावली, 1970 के नियम–24 के तहत गठित चुनाव समिति की संस्तुति पर श्री राम किशोर की नियुक्ति लेखाकार के पद पर की गयी ?

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा नियमावली, 1970 के नियम–18 व 24 के अन्तर्गत कार्यालय अधीक्षक व लेखाकार के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति का गठन किया गया था । कार्यालय अधीक्षक पर पद प्रोन्नति हेतु चयन समिति में वित्तीय परामर्शदाता को सदस्य के रूप में नामित किया गया था । लेखाकार का पद वित्त से संबंधित होने के कारण अध्यक्ष, जिला परिषद् द्वारा वित्तीय परामर्शदाता जिला परिषद् बांदा को चयन समिति में सलाहकार के रूप में रखा गया ।

जी नहीं । दिनांक 8-9-93 से पूर्व श्री राम किशोर की नियुक्ति लेखाकार के पद पर नहीं की गयी ।

90–श्री राज कुमार शिवहरे–

[5वे शुक्र में अता० प्र० सं० 141 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला परिषद् बांदा द्वारा श्री राम किशोर लेखाकार के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि

91–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1989-90 में अध्यक्ष, जिला परिषद् बांदा द्वारा लेखाकार पद हेतु चयन कर्मचारी श्री राम किशोर को प्रतिकूल वार्षिक चरित्र पंजिका प्रविष्टि अंकित की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त प्रविष्टि क्या थी ? क्या उक्त प्रविष्टि चयन समिति के निर्णय में उल्लिखित की गयी ? यदि नहीं, तो क्या लेखाकार परीक्षा देने के पूर्व परिषद् के वरिष्ठ कर्मचारियों को मु० अ० द्वारा कार्यालय पत्रांक 1126, दिनांक 3-12-90 द्वारा यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लेखाकार के पद पर नियुक्ति हेतु परिषद् बाध्य नहीं होगी ? यदि हां, तो क्या पूर्व में भेजे गये लिपिकों पर भी यह प्रतिबन्ध लगाया था ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हां ।

श्री राम किशोर की वर्ष 1989-90 की प्रविष्टि के प्रतिकूल अंश निम्नवत् हैं :–

"जिम्मेदारी का अभाव है तथा कार्य एवं व्यवहार में सुधार लाने की आवश्यकता है" ।

जी नहीं । श्री राम किशोर की प्रविष्टि के उक्त प्रतिकूल अंश आदेश दिनांक 16-2-93 द्वारा विलुप्त कर दिये गये थे, जबकि चयन समिति की बैठक दिनांक 30-6-93 को हुई थी । इसलिए उक्त प्रविष्टि को चयन समिति के निर्णय में उल्लिखित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जी नहीं ।

उक्त प्रतिबन्ध लगाने की नियमों में बाध्यता नहीं है, लेकिन पत्र दिनांक 3-12-90 द्वारा जिला परिषद् के हितों को ध्यान में रखकर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ।

जनपद रायबरेली में निराश्रित विधवा विकलांग एवं वृद्धावस्था पेंशन पात्र व्यक्तियों को भुगतान करने की मांग

92–श्री राजाराम त्यागी तथा श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि रायबरेली जिले में निराश्रित विधवा, विकलांग एवं वृद्धावस्था पेंशन के पूर्व से उक्त लाभ पाने वाले लाभार्थियों को दो वर्षों से उनकी पेंशन का पूर्ण

भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि उन्हें भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या नये लाभार्थियों का चयन भी किया जा रहा है ? यदि हां, तो बिना पूर्व बकाया भुगतान किये उक्त शिविर क्यों लगाये जा रहे हैं ? अब तक जिले में कहां-कहां शिविर लगे हैं ? पेंशन हेतु प्रार्थियों ने कितने प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? उनमें से कितने लोगों की पेंशन स्वीकृत की गयी ? स्वीकृति का मापदण्ड क्या अपनाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

93–श्री भगवत शरण गंगवार–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

परगना अफजलगढ़ (बिजनौर) को धामपुर तहसील में सम्मिलित करने की मांग

94–श्री इन्द्र देव सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगना अफजलगढ़ (बिजनौर) को जनहित में नगीना तहसील से पृथक करके धामपुर तहसील में सम्मिलित किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकृत होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

जिला परिषद देवरिया में तदर्थ रूप से नियुक्त श्री राम दयाल तिवारी के वेतन का भुगतान तथा स्थानान्तरण की जानकारी

95–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के जिला परिषद् में श्री रामदयाल तिवारी, अवर अभियन्ता की नियुक्ति कब और किसके आदेश से की गयी है ? इनकी नियुक्ति के बाद अब तक उन्हें वेतन न देने का क्या कारण है ? क्या यह भी सत्य है कि इनका स्थानान्तरण जिला परिषद्, देवरिया से जिला परिषद्, मऊ को किया गया है ? यदि हां, तो उनको कार्यमुक्त न करने का कारण क्या है ? क्या इस विषय में शासन से भी पत्राचार किया गया है ? यदि हां, तो शासन में उक्त पत्रों पर कार्यवाही न करने के लिये कौन लोग दोषी हैं ? उस पत्र पर क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

श्री राम दयाल तिवारी की जिला परिषद्, देवरिया में अवर अभियन्ता के पद पर तदर्थ नियुक्ति शासनादेश संख्या–134वी०आई०पी०/33-2-900(23)/88, दिनांक 21-4-90 द्वारा की गयी है ।

श्री तिवारी को वेतन का भुगतान जिला परिषद्, देवरिया द्वारा किया जाना है। श्री तिवारी के वेतन का भुगतान करने हेतु मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् देवरिया को निर्देशित कर दिया गया है।

जी हां।

श्री तिवारी को कार्यमुक्त करने हेतु अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, देवरिया को निर्देशित कर दिया गया है।

जी हां।

उक्त प्रकरण में कार्यवाही न करने के लिये शासन में कोई दोषी नहीं है। अपर मुख्य अधिकारी जिला परिषद्, देवरिया को यथोचित निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद देवरिया में तहसील स्तर पर ग्राम सभा के वादों के सम्बन्ध में नियुक्त पैनल का वकील की फीस की दर में संशोधन किये जाने का प्रकरण

96–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में जिला अधिकारी द्वारा तहसील स्तर पर नियुक्त राजस्व न्यायिक वकीलों की फीस का जो धन 1974 में था, अब भी लागू है ? क्या फीस की उक्त धनराशि बहुत ही कम है ? यदि हां, तो क्या फीस की दर में बढ़ोत्तरी का कोई शासन का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक उक्त फीस में बढ़ोत्तरी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

तहसील स्तर पर गांव सभा के वादों के सम्बन्ध में नियुक्त पैनल का वकील की फीस का भुगतान उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 1980 में विद्यमान दर के अनुसार किया जाता है।

फीस की दर में संशोधन किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

लेखपालों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों की तैनाती तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

97–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि लेखपाल प्रशिक्षण केन्द्र में किस स्तर के अधिकारी प्रशिक्षण देते हैं ? क्या यह भी सत्य है कि जिस स्तर का अधिकारी प्रशिक्षण देगा, प्रशिक्षु उसी स्तर तक प्रबुद्ध हो पायेंगे ? यदि हां, तो लेखपालों के परीक्षा की कापी किस स्तर के अधिकारी से जंचवायी जाती है ? यदि आई०ए०एस० अधिकारी जांचते हैं, तो क्यों ? क्या यह न्यायोचित है कि प्रशिक्षण निम्न अधिकारी प्रशिक्षक दे और उसकी परीक्षा वरिष्ठ अधिकारी अपनी बुद्धि से ले ? क्या मंत्री जी प्राकृतिक न्याय के अनुसार प्रशिक्षण स्तर तथा परीक्षक स्तर को बराबर करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

भूलेख नियमावली के परिच्छेद 204 व 205 के अनुसार प्रधानाचार्य के रूप में तहसीलदार की एवं सहायक अध्यापक के रूप में नायब तहसीलदार या सहायक भूलेख अधिकारी जिन्होंने सर्वेक्षण एवं भूलेख का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, की तैनाती की जाती है ।

लेखपाल अभ्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार लेखपाल स्तर का प्रशिक्षण प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाता है ।

लेखपाल प्रशिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तकायें राजस्व विभाग के तहसीलदार व उससे उच्च संवर्ग के अधिकारियों के द्वारा मूल्यांकन किये जाने की वर्तमान व्यवस्था है ।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का स्तर लेखपाल के निर्धारित पाठ्यक्रम एवं उनके शैक्षिक स्तर के अनुरूप ही होता है अतः प्रशिक्षण देने के स्तर व उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अधिक ज्ञान एवं योग्यता रखने वाले अधिकारियों द्वारा किये जाने से कोई असंगति नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील–गौरीगंज के ग्राम बरौलिया में मछली पालन हेतु पट्टा देने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों के सामूहिक पत्र में दर्शाये गये बिन्दुओं की जांच

98–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के तहसील गौरीगंज अन्तर्गत ग्राम बरौलिया में परगना अधिकारी गौरीगंज द्वारा मछली पालने के लिये अबदहा तालाब को पट्टे पर देने के विरोध में माह जून में कोई प्रार्थना-पत्र सामूहिक रूप से ग्रामवासियों ने दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम सभा के सदस्यों ने विरोध स्वरूप इस्तीफा भी दिया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी ? क्या सामूहिक पत्र में दर्शाये गये बिन्दुओं के औचित्य की जांच की गयी है ? क्या उक्त पट्टा सरकार निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय शिल्पकार सभा द्वारा प्रेषित कथित पत्र की मांगों का विवरण तथा कृत कार्यवाही की मांग

99–श्री केदार सिंह फोनिया–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें पर्वतीय शिल्पकार सभा के दिनांक 14 अक्टूबर, 1990 के गोपेश्वर (चमोली) अधिवेशन में, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित ज्ञापन की प्रति सहित, अध्यक्ष, उ० प्र० अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास परिषद् चमोली का पत्रांक–589/अनु० जा० (ज्ञापन)/93-94 दि० 28-2-94 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र तथा संलग्न ज्ञापन की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करते हुए क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि ज्ञापन में अंकित मांगे क्या-क्या हैं ? उन मांगों पर शासन द्वारा क्या-क्या बिन्दुवार कार्यवाही की गयी है और मांगें कब तक ली जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्या

श्री राज बहादुर–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र संख्या–589/अनु०जा०(ज्ञापन)/93-94 दिनांक 28-2-94 समाज कल्याण विभाग में सम्प्रति उपलब्ध नहीं है । तलाश कराई जा रही है । उपलब्ध होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

100–श्री केदार सिंह फोनिया–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें पर्वतीय क्षेत्र के अनुसूचित जाति के शिल्पकारों के दिनांक 14 अक्टूबर, 1990 के शिल्पकार सभा, गोपेश्वर (चमोली) के अधिवेशन में प्रस्तुत ज्ञापन की प्रति अध्यक्ष, उ०प्र० अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास परिषद्, चमोली का पत्र संख्या 588/अनु०जा०(ज्ञापन)/93-94, दिनांक 28-2-94 सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो ज्ञापन में मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं और वे मांगें शासन द्वारा कब तक मान ली जायेंगी ? जो मांगें भारत सरकार से सम्बन्धित हैं, क्या राज्य सरकार उन्हें अपनी संस्तुतियों सहित, भारत सरकार को भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र संख्या–588/अनु०जा०(ज्ञापन)/93-94 दिनांक 28-2-94 समाज कल्याण विभाग में सम्प्रति उपलब्ध नहीं है । तलाश कराई जा रही है । उपलब्ध होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

101–श्री अजय कुमार पोइया–

[5 वें सोम में अता० प्र० सं० 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज में ग्रामों में रास्ता की भूमि से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण की जानकारी

102–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन ने गांवों में रास्ता की भूमि से सम्बन्धित छोटे-छोटे मामलों का निस्तारण मौके पर ही माह में एक दिन तहसील व पुलिस के संयुक्त अभिमत द्वारा तय करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो जनपद सुल्तानपुर में तहसील गौरीगंज में इस तरह के कितने मामलों की पहचान की गयी तथा इन्हें किन-किन तारीखों में किस-किस के द्वारा मामलों को हल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

गांवों में रास्ता की भूमि से सम्बन्धित छोटे-छोटे मामलों का शीघ्र निस्तारण सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है ।

प्रश्नगत मामले संज्ञान में आते ही अधिकार सीमा के अर्न्तगत आने वाले सभी मामलों का निस्तारण तुरन्त कर दिया जाता है और उसका कोई भी पंजीकरण नहीं किया जाता है । ग्रामों में सार्वजनिक रास्ते के अवरोध की शिकायत पर तुरन्त मौके पर पहुंच कर अवरोध हटवा दिये गये हैं ।

केवल उन मामलों का निस्तारण नहीं हो पाता है जो दीवानी न्यायालय के अधिकार सीमा में होते हैं और शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी कोई मामला नहीं होता है शेष आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए तुरन्त मौके पर ही हल करने का अथक प्रयास किया जाता है।

जनपद व तहसील गाजियाबाद के परगना लोनी के ग्राम जटवाहा कला में उल्लिखित भूमि के सम्बन्ध में मूल आवेदन जिला जज-न्यायालय को भेजा जाना

103–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खसरा नं० 368 मि०/2 ग्राम जटवाहा कला, परगना लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद के संबंध में भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–18 के अन्तर्गत विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के समक्ष दिनांक 11 जुलाई, 1967 को कोई लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो क्या मूल आवेदन कार्यालय में उपलब्ध है ? यदि हां, तो विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी का उक्त आवेदन पर क्या टिप्पणी है ? क्या उक्त आवेदन का कोई उल्लेख कार्यालय के रजिस्टर में है ? उक्त आवेदन को 15 साल तक जिला जज कार्यालय में न भेजने का कारण क्या है ? क्या उक्त कार्यवाही फर्जी कराई गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

जी नहीं। मूल आवेदन ज़िला जज, न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया है।

तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी की टिप्पणी पर जिलाधिकारी, मेरठ ने संदर्भ जिला जज को भेजने की संस्तुति की थी।

आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि अभिलेखों से होती है।

गाजियाबाद पूर्व में जनपद मेरठ का भाग था। जनपद गाजियाबाद का सृजन वर्ष 1976 में हुआ था। संबंधित पत्रावली अभिलेखागार, मेरठ में दाखिल दफ्तर थी। याची के प्रार्थना-पत्र पर संबंधित पत्रावली मेरठ अभिलेखागार से मांगी गई जिसके कारण विलम्ब हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मैनपुरी वन प्रभाग के अन्तर्गत दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों का विवरण

104–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में कितने लोगों को वन विभाग में दैनिक वेतन पर रखा गया है ? क्या इनमें से कुछ को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सेवा में नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो उन्हें नौकरी पर कब तक लिया जायेगा ?

श्री भगवती सिह–

मैनपुरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 40 व्यक्ति दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड बड़ागांव के ग्राम तरसड़ा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायतों की जांच

105–श्री ऊदल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास अधिकारी वाराणसी ने एम० जेड०हसन सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण वाराणसी को अपने पत्रांक/18–शि०/जांच/बड़ागांव/विकास दिनांक 19 मार्च, सन् 93 के द्वारा ग्राम प्रधान तरसड़ा, विकास खण्ड बड़ागांव, वाराणसी के विरुद्ध शिकायतों की जांच हेतु लिखा था ? यदि हां, तो जांच अब तक न करने का कारण क्या है ? क्या सरकार इन शिकायतों की जांच तुरन्त कराने का आदेश देगी ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हां।

श्री एम०जेड० हसन, सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा वाराणसी का स्थानान्तरण जून, 1993 में वाराणसी जनपद से इलाहाबाद हो जाने के कारण जांच कार्य में विलम्ब हुआ। अब जांच पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया की तहसील–हाटा के परगना, सिधुवा जोबना के ग्राम सिधावट रजक जाति (धोबी) के व्यक्तियों को भूमि का आवंटन न किया जाना

106–श्री चन्द्र किशोर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के तप्पा-परवरपार, परगना सिधुवा जोबना, तहसील हाटा के ग्राम–सिधावट के रजक जाति (धोबी) के लोगों ने अपनी जातीय पेशे हेतु/शासनादेशों का हवाला देते हुए धोबी घाट व कपड़ा सुखाने हेतु जमीन की मांग, दिनांक 18-1-94 को पंजीकृत डाक द्वारा उन से, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश, लखनऊ मण्डलायुक्त गोरखपुर एवं जिला अधिकारी, देवरिया से की हैं ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक इस प्रकरण में कार्यवाही कर दी जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

ग्राम सिधावट नदी के समीप है तथा छोटी गन्डक में रजक जाति (धोबी) के व्यक्ति कपड़ा धोते व सुखाते हैं, जहां पर्याप्त भूमि है, अतः अलग से भूमि आवंटन की आवश्यकता नहीं है।

जनपद बरेली के विकास खण्ड दमखोदा के ग्राम मुडिया नबीबक्श में भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही से सम्बन्धी प्रकरण

107–श्री मंजूर अहमद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि० 30-6-92 को तहसीलदार बहेड़ी, जनपद बरेली द्वारा ग्राम मुडिया नबीबख्श, ब्लाक दमखोदा के एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने के कारण गाटा संख्या–575, गाटा संख्या–380/2 को उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश किया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त व्यक्ति के खिलाफ जो उक्त भूमि पर काबिज है, बेदखली की कोई कार्यवाही सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही होगी तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

न्यायालय तहसील/असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी बहेड़ी (बरेली) द्वारा गाटा संख्या 575 रकबा 0.076 हेक्टेयर मुकदमा नं०–34/91 में गाटा संख्या–578 रकबा 0.089 हेक्टेयर मुकदमा नं०–37/91 एवं गाटा संख्या–380/2 रकबा 0.036 हेक्टेयर दिनांक 30-6-92 को बेदखल आदेश पारित किये गये हैं ।

लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18-1-94 में सूचित किया है कि बेदखली का कोई अमलदरामद नहीं हुआ है व आराजी पर विपक्षी का अवैध कब्जा है । तदोपरान्त दिनांक 21-1-94 को पुनः बेदखली आदेश जारी किये गये हैं । मा० हनीफ ने कब्जा देने से इन्कार कर दिया पुलिस बल की मांग भूलेख निरीक्षक द्वारा की गई हैं ।

दिनांक 7-2-94 को हनीफ अहमद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी मुडिया नबीबख्श ने दिनांक 30-6-92 के आदेश को एक पक्षीय बताते हुए निरस्त कराने हेतु पुर्नस्थापन प्रार्थना-पत्र दिया है । वर्तमान में प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण विधिक प्रक्रिया में है ।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला की ग्रामसभा बेनीगंज में ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही

108–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व बताने की कृपा करेगे कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला की ग्रामसभा बेनीगंज में ग्राम सभा की करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि पर प्रधान एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की सांठ-गांठ से अनधिकृत कब्जा किये जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करायेंगें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला की ग्राम सभा बेनीगंज में ग्रामसभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा किये जाने के जो मामले प्रकाश में आये हैं, उन सभी अतिक्रमणियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122(बी)/नियम 115 सी के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही हेतु वाद सम्बन्धित न्यायालय में संस्थित कर दिये गये हैं । प्रथम दृष्टया कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है ।

जांच की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती की तहसील खलीलाबाद में निकाले गये सीजनल संग्रह अमीनों को नियुक्त करने की मांग

109–श्री बची सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील खलीलाबाद जिला बस्ती में सीजनल संग्रह अमीनों के पद पर दिसम्बर, 93 में कौन-कौन कार्यरत थे तथा उनकी तहसील में प्रथम नियुक्ति कब की गयी ? उनमे से जनवरी, 94 से कौन-कौन कार्यरत हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि नये नियुक्त सीजनल अमीनों द्वारा रसीद से जमा तथा जमाकर्ता द्वारा सीधे बैंक में प्रत्येक माह कितना जमा किया गया है ? क्या निकाले गये अमीनों को पुनः शीघ्र नियुक्त कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

अभिलेखों के अनुसार तहसील खलीलाबाद जनपद बस्ती में माह दिसम्बर 1993 में 49 सीजनल संग्रह अमीन कार्यरत रहे जिनकी सूची (सूची "अ") संलग्न है । जिसमें प्रथम नियुक्ति की तिथि अंकित है ।

माह दिसम्बर, 1993 में कार्यरत 49 सीजनल संग्रह अमीनों में से 35 अमीन (सूची "ब" संलग्न) जनवरी 94 से 31-3-94 तक कार्यरत रहे ।

नये नियुक्त सीजनल संग्रह अमीनो में माह जनवरी, 1994 में 14 व्यक्तियों की तथा माह फरवरी में एक व्यक्ति की नियुक्ति की गयी, जिनके द्वारा रु० 2,67,666.00 की धनराशि की वसूली की गयी । जमाकर्ता द्वारा सीधे बैंक में जमा करना नहीं पाया गया ।

जी नहीं ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 197–200 पर)

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल के ग्राम सभा डोमा खास के श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री वृन्दावासिनी प्रसाद द्वारा फर्जी ढंग से भूमि दर्ज कराने की जांच

110–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा डोमा खास विकास खण्ड निचलौल महराजगंज के श्री सुरेश कुमार ने उ०प्र० भूमि सीमा जोत अधिनियम 60 के लागू होते ही फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार

पर चकबन्दी में 29 बी० का फर्जी मुकदमा स्वतः अपने विरुद्ध चलावाकर फर्जी नामों से करा लिया है और उक्त जमीन को भूमि सीमा जोत अधिनियम से बचने के लिए चकबन्दी द्वारा फर्जी लोगों के नाम करा लिया है और उन्हीं जमीनों को वर्तमान समय में बैनामा द्वारा बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने एवं फर्जी भूमि स्वामियों का नाम कटवाकर दलितों, मजदूरों को भूमि आवंटित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल में ग्राम डोमा खास नाम का कोई ग्राम नहीं है बल्कि ग्राम डोमा मुस्तकिल है । उसे ही डोमा खास कहा जाता है । उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रियाओं हेतु धारा 4(2) का प्रकाशन शासकीय गजट में दिनांक 4-8-73 को हुआ था और चकबन्दी प्रक्रियायें पूरी होकर धारा 52(1) का प्रकाशन दिनांक 23-7-88 को हो चुका है । श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री वृन्दवासिनी प्रसाद द्वारा चकबन्दी के दौरान फर्जी ढंग से हस्तांतरण का कोई प्रमाण नहीं है । यह अवश्य है कि श्री सुरेश कुमार द्वारा पारिवारिक समझौते के आधार पर 13-22 एकड़ भूमि श्री अम्बिकेश्वर पुत्र श्री आनन्द प्रकाश के नाम बतौर सहखातेदार दर्ज कराया गया है और इसी ग्राम में श्री सुरेश कुमार व उनके भाईयों के नाम अंकित 6-96 एकड़ भूमि को वसीयतनामा के आधार पर ग्राम के विभिन्न काश्तकारों के नाम अंकित किया गया है ।

प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है और जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी और यदि नियमानुसार कुछ भूमि अतिरिक्त घोषित होती है तो उसका कब्जा लेने के पश्चात् पात्र व्यक्तियों में आवंटन की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सुल्तानपुर के परगना गौरीगंज के ग्राम पूरेलाल, सम्भांवा के निवासी श्री शीतला प्रसाद व श्री चन्द्रबली तिवारी द्वारा अवैध पट्टों की शिकायत की जांच

111–श्री तेजभान सिह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर, परगनाधिकारी गौरीगंज, कमिश्नर फैजाबाद/अध्यक्ष राजस्व परिषद्, जिलाधिकारी सुल्तानपुर को क्रमशः प्राप्त कराया गया रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 10-6-93, 12-8-93 तथा 24-12-93 श्री शीतला प्रसाद व श्री चन्द्रवली तिवारी आदि ग्राम पूरे लाल शाह, ग्राम सम्भांवा, परगना गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र उनको मिला जो अवैध पट्टों विषयक था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर किन-किन अधिकारियों द्वारा तथा कब जांच की गयी ? शिकायती-पत्र में कितने आरोप थे तथा कितने सत्य पाये गये ? जांच अधिकारी कौन थे तथा कार्यवाही के बाद अन्तिम परिणाम क्या निकाला ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

दिनांक 24-7-93 व 13-2-1994 को नायब तहसीलदार द्वारा जांच आख्यायें प्रस्तुत की गयीं । शिकायती प्रार्थना पत्र में 20 भूखण्डों के अवैध आवंटन एवं 29 अपात्र व्यक्तियों को आवंटन किए जाने की शिकायत की गयी थी ।

उक्त में से पांच अपात्र व्यक्तियों को आवंटन किए जाने की शिकायत सत्य पायी गयी तथा सात भूखण्डों का गलत आवंटन पाया गया ।

जांच अधिकारी नायब तहसीलदार गौरीगंज थे । छः भूखण्डों का आवंटन परगनाधिकारी स्तर से निरस्त कर दिये गये तथा पांच अपात्र व्यक्तियों एवं एक भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198(4) के अन्तर्गत वाद संस्थित किया गया है ।

जनपद सुल्तानपुर में संदर्भित प्रकरण की जांच

112–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० गुरुदीप सिंह, संयुक्त सचिव, राजस्व द्वारा प्रश्नकर्ता को प्रेषित (सूचनार्थ) पत्रांक–अर्ध० प० सं०–बी०–158/1-2/92-रा-2, दिनांक 21 अक्टूबर, 1992 में संदर्भित प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नही, तो क्यों ? क्या जांच कार्यवाही को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

दिनांक 16-7-1993

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच कार्यवाही मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल के ग्राम सभा भगवानपुर में अवैध भूमि से सम्बन्धित प्रकरण की जांच तथा पात्र व्यक्तियों में आवंटन की कार्यवाही

113–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा भगवानपुर विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज में उ० प्र० अधिकतम जोत सीमा अधिनियम, 60 के अन्तर्गत खाता सं० 376-11 एकड़ 72 डिसिमल अतिरिक्त भूमि यादव निधि पुत्र श्री धनानिधि को घोषित की गयी थी ? उक्त भूमि के विरुद्ध भूमि स्वामी ने मण्डलायुक्त के यहां वाद दाखिल किया था ? क्या न्यायालय ने वाद खारिज करके अतिरिक्त भूमि घोषित किया है ? उसके पश्चात् भी विभाग द्वारा अवैध रूप से यादव निधि के तीन एकड़ भूमि को बैनामा द्वारा बेच दिया है ? क्या विशेष भूमि को भी बेचने की तैयारी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को क्रेताओं से वापस कराकर दलितों में भूमि आवंटन कराने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां । श्री यादव निधि पुत्र धनानिधि निवासी ग्राम परसौनी की भूमि नियत प्राधिकारी के आदेश दिनांक 20-7-76 के अनुसार 11.72 एकड़ सिंचित निधि भूमि अतिरिक्त घोषित हुई । अपील मण्डलायुक्त के नहीं बल्कि जिला जज के यहां हुई । अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 30-9-77 को

अपील खारिज कर दिया। तत्पश्चात् मा० उच्च न्यायालय ने दि० 25-7-79 को अपीलीय न्यायालय के आदेश निरस्त करके पत्रावली रिमाण्ड कर ली। यह कहना सत्य नहीं है कि विभाग द्वारा अवैध रूप से यादव निधि के तीन एकड़ भूमि को बैनामे द्वारा बेचा गया है तथा शेष भूमि को भी बेचने की तैयारी की जा रही है। वास्तविकता यह है कि यह समस्त कार्यवाही उस समय हुई जब जनपद महराजगंज तथा तहसील निचलौल का सृजन ही नहीं हुआ था और समस्त कार्यवाही जनपद गोरखपुर से हुई थी। परिणामस्वरूप खातेदारों ने कागजात में अमलदरामद न होने के कारण ग्राम भगवानपुर स्थित 9-76 एकड़ भूमि का बैनामा विभिन्न कास्तकारों को कर दिया है।

पूरे प्रकरण की छानबीन की जा रही है। जांचोपरान्त अवैध रूप से हस्तान्तरित अतिरिक्त भूमि को वापस कराकर पात्र व्यक्तियों में नियमानुसार आवंटन कराया जायेगा।

जनपद महराजगंज में बड़े फार्म होल्डरों की अतिरिक्त भूमि को वापस लेने की कार्यवाही

114–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के अन्तर्गत बड़े-बड़े फार्म होल्डरों की भूमि उत्तर प्रदेश अधिकतम भूमि जोत सीमा 60 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अतिरिक्त भूमि घोषित कर ग्राम सभा खेसरहा, ओडवलिया, गिरहियां, डोमा, एहतमाली, बढ़ेयां, चरगहां भमौरी, चमइनियां फार्म, सबयां, अमडीहां,, पकड़ीचौबे, भगवानपुर लेदी भेडिदारी आदि की गयी थी ? उक्त अतिरिक्त भूमि पर भू-स्वामी द्वारा वर्ष 1987 से लेकर वर्ष 1993 तक मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, मण्डलायुक्त, गोरखपुर, जिलाधिकारी, महराजगंज आदि न्यायालयों में सरकार के विरुद्ध मुकदमा दाखिल करके स्थगन आदेश लेकर भूमि बचाने की कार्यवाही कर रखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त न्यायालयों में दाखिल वाद के विरुद्ध भूमि वापस लेने के लिये कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो आज तक मुकदमें की पैरवी में शिथिलता बरतने का कारण क्या है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

जी हां।

भूमि वापस लेने हेतु न्यायालयों में लम्बित वादों की बराबर पैरवी की जा रही है। इसमे कोई शिथिलता नहीं बरती जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खंड मान्धाता में स्थित ग्राम खरवई में मत्स्य पालन हेतु पात्र व्यक्ति को पट्टा देने की मांग

115–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सदर, प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में स्थित ग्राम खरवई में मत्स्य पालन का पट्टा श्री जगदीश बहादुर सिंह को पहले से ही दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि शासन की नीतियों की अवहेलना करते हुए तथा तमाम शिकायत होने के बावजूद गांव वालों के प्रबल विरोध एवं प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र लिखने के बाद भी पट्टे का

नवीनीकरण पट्टा समाप्त होने के दो माह पूर्व उन्हीं के नाम से पुनः कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या वे शासनादेश के अनुसार पट्टा पाने के पात्र थे ? क्या सरकार इस पट्टे को निरस्त करके, गांव वालों की राय से नियमानुसार पात्र व्यक्ति को ही पट्टा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

पट्टे के नवीनीकरण के समय कोई शिकायत या विरोध संबंधी परिवाद नहीं मिला था और न प्रश्नकर्ता का ही कोई पत्र मिला था । पट्टे का नवीनीकरण शासन की नीति के प्रकाश में किया गया था और किसी नीति की अवहेलना नहीं की गयी । पट्टे का नवीनीकरण दिनांक 8-12-93 को किया गया है और शासन की वर्तमान नीति शासनादेश संख्या–45/1-2/94-रा०-2, दिनांक 4-1-94 से लागू हुई है ।

पट्टे का निरसन दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके किया जा सकता है । इस संबंध में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर निवासी श्री राम किशोर पुत्र श्री श्रीराम द्वारा पारिवारिक सदस्यों के नाम पट्टा तथा अनधिकृत कब्जा करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

116–श्री राम सरन वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तहसील बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के राजस्व गांव बसारा, उचसिया, शेरगंज धरमगदपुर, खमरिया नवदिया तथा नगर बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद में नगर बीसलपुर निवासी श्री राम किशोर पुत्र श्री श्रीराम ने अपने तथा अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम से पट्टे करवाकर अथवा अनधिकृत कब्जे करके भूमियों पर कृषि कराकर अथवा निर्माण कर लिया है जिसकी जानकारी परगनाधिकारी एवं प्रभारी न० पा० बीसलपुर श्री बी० एल० यादव को है ? यदि हां, तो अब तक वांछनीय कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ? क्या इस हेतु अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील मेजा में पट्टेदारों को कब्जा दिलाने की मांग

117–श्री राज बली जैसल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद, तहसील मेजा में विभिन्न गांवों में ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जिन्हें जोत/आवासीय पट्टे तो दिये गये हैं परन्तु कब्जे नहीं दिये गये ? क्या पट्टेदारों को कब्जा दिलाने हेतु शासन कटिबद्ध है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील मेजा में कुल 544 ग्रामों में जोत के 20,544 एवं आवास के 16,660 पट्टे दिये गये हैं।

इसमें से जोत के 102 तथा आवास के 23 पट्टेदारों को कब्जा दिलाया जाना शेष है।

जी हां।

कब्जा दिलाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी अवधि दिनांक 30-4-1994 तक है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के ब्लाक महराजगंज मिठौरा, घुघुली के ग्राम बिरैचा, कोटवा, बिरैचा टेढ़वा में ग्राम समाज की बंजर/परती/कृषि योग्य भूमि को भूमिहीनों में आवंटित करने की मांग

118–श्री चन्द्र किशोर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद महराजगंज के ब्लाक महराजगंज मिठौरा घुघुली के ग्राम-बिरैची, कोटवा, बिरैचा, टेढ़वा में ग्राम समाज की बंजर/परती/कृषि योग्य कितनी-कितनी भूमि उपलब्ध है ? क्या उपलब्ध भूमि को भूमिहीन आनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? ग्राम समाज की उपलब्ध भूमि को भूमिहीनों में आवंटित न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम बिरैची, कोटवा, बिरैचा एवं टेढ़वा विकास खण्ड घुघुली जनपद महराजगंज के अन्तर्गत पड़ता है। ग्राम-बिरेची, कोटवा एवं बिरैचा में आवंटन योग्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है, ग्राम टेढ़वा में नवीन परती के रूप में आवंटन योग्य 12.40 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

ग्राम-टेढ़वा में आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि के आवंटन की कार्यवाही भूमि प्रबन्धक समिति टेढ़वा द्वारा की जा रही है।

जनपद नैनीताल की तहसील बाजपुर के अन्तर्गत ग्राम गोबरा के निर्धन, असहाय भूमिहीनों को पट्टा देने की मांग

119–श्री चेतराम–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद नैनीताल के तहसील बाजपुर अन्तर्गत ग्राम गोबरा के निर्धन, असहाय, भूमिहीन सिखों को लम्बे अर्से से काबिज, भू-राजस्व अभिलेखों में दर्ज, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व मा० मुंसिफ न्यायालय, काशीपुर द्वारा दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि का पट्टा दिये जाने विषयक पूर्व विधायक, डा० गंगा बख्श सिंह का पत्र दिनांक 1-10-93 राजस्व अनुभाग–2, उ० प्र० शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रकरण में अपेक्षित शासकीय निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो कब तथा क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के परगना-पलिया के ग्राम उजहा के भूमिहीन हरिजनों को पट्टा देने का प्रस्ताव

120–श्री निरवेन्द्र कुमार 'मुन्ना'–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उजहा, परगना पलिया, तहसील निघासन, लखीमपुर खीरी में वर्षों से काबिज लावारिस खाते की भूमि खाता सं०–29 व 59 पर 17 भूमिहीन हरिजनों में से 14 भूमिहीनों को भूमि के पट्टे दिये जाने का प्रस्ताव भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम सभा मकनपुर से परगनाधिकारी, निघासन द्वारा करवा लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन अभी तक न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

प्रस्ताव का अनुमोदन हो चुका है ।

जनपद व तहसील बस्ती के ग्राम मनेतापुर में वर्णित भूमि राजस्व अभिलेखों में गांव सभा की सम्पत्ति दर्ज किया जाना

121–श्री स्वामी नाथ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मनेतापुर, तहसील व जिला बस्ती में भूमि संख्या–347, 348, 349, 350 पर मौके पर बाग एवं खलिहान हैं ? यदि हां, तो उस बाग में किस-किस किस्म के पेड़ हैं व उनकी संख्या एवं उम्र क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उस भूमि पर 40 वर्षों के पूर्व से किसका कब्जा है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

बाग में 5 वर्ष से 40 वर्ष के 5 पेड़ अकोल, 10 वर्ष से 35 वर्ष के 4 पेड़ चिलविल, 30 वर्ष से 40 वर्ष के 8 पेड़ महुआ, 25 वर्ष से 40 वर्ष के 4 पेड़ नीम, 25 वर्ष से 35 वर्ष के 3 पेड़ बबूल, 25 वर्ष के 3 पेड़ शीशम, 40 वर्ष से 70 वर्ष के 10 पेड़ आम, 80 वर्ष का एक पेड़ बरगद, 25 वर्ष का एक पेड़ अमरूद, 25 वर्ष का एक पेड़ बड़हल, 20 वर्ष का एक पेड़ अशोक तथा एक बांस की कोठी स्थित है ।

उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गांव सभा सम्पत्ति दर्ज है, पर उपरोक्तानुसार पाये गये पेड़ों में से कुछ पेड़ सुकई द्वारा तथा कुछ पेड़ उनके पुत्रों द्वारा लगाये गये हैं ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव पर हुये प्राण घातक हमला विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनायें आयी हैं उनमें सबसे पहले श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल की सूचना आयी है । दूसरी श्री रंगनाथ, श्री बदन सिंह, तीसरी श्री नरेन्द्र सिंह, चौथी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल, पांचवीं श्री हृदय नारायण, छठी श्री मदन भैय्या और सातवीं श्री मित्रसेन यादव की सूचना मिली हैं । इन सभी सूचनाओं का एक ही विषय– दिनांक 4 अप्रैल, 1994 को माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव पर प्राण घातक हमला किये जाने के संबंध में है । अब ग्राह्यता पर अपने विचार रखें ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, एक माह पूर्व इस सदन में गिरती हुई कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई थी । माननीय नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि इस तरह की गिरती कानून व्यवस्था को एक चैलेन्ज के रूप में स्वीकार करता हूं और मुख्य मंत्री जी ने पटना में बयान दिया था कि मैं मुख्य मंत्री न होता तो मेरी हत्या कर दी जाती । तो उस समय भी यहां शंका व्यक्त की गयी थी कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुख्य मंत्री का कत्ल कर सकता है या सरकार को असफल कर सकता है । लेकिन इन बातों पर सरकार ने गम्भीरता से विचार नहीं किया । इसलिये यदि आज प्रदेश के मुख्य मंत्री पर उनके घर में ही उन पर कातिलाना हमला हो सकता है तो इस प्रदेश की सम्पूर्ण जनता आज अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है ।

मान्यवर, नेता सदन, माननीय मुख्य मंत्री जी के पास गृह विभाग है और सुरक्षा से संबंधित सभी विभाग एवं अन्य अनेक विभाग भी उनके पास हैं लेकिन उन्हीं के घर में घुस कर किसी व्यक्ति द्वारा उन पर कातिलाना हमला करना स्पष्ट करता है कि यह सरकार कानून व्यवस्था के प्रति गम्भीर नहीं है ।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा लेकिन भाजपा उपनेता माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त कहने लगेंगे कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कहेंगे कि जो तिलंगे नामक व्यक्ति पकड़ा गया है उसका मेरी पार्टी से कोई संबंध नहीं है किन्तु प्रश्न इस बात का है कि उस व्यक्ति का बैग भाजपा कार्यालय में कैसे पहुंचा, पास कैसे मिला, बिना पास के श्री अटल बिहारी बाजपेयी से वह मिलने कैसे पहुंच गया ? यह बात आपके दल को गम्भीरता से लेना चाहिए । इसके अलावा तिलंगे ने स्वीकार किया है कि अयोध्या में विवादित ढांचे को तोड़ने के लिये उस पर वह चढ़ा था ।

इसलिये स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक ताकतें आज प्रदेश में उन ताकतों को जो धर्मनिरपेक्ष हैं उनको साम्प्रदायिक ताकतें कुचलना चाहती हैं, इसलिये सदन को इस भर्त्सना की करनी चाहिए । इसके साथ ही मैं भाजपा उप नेता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से कहना चाहता हूं कि तिलंगे ने स्वीकार किया है कि वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आर० एस० एस० की शाखा में जाता था और उसका भारतीय जनता पार्टी से संबंध है चूंकि उसका बैग इनके कार्यालय में मिला है, इसलिये उपनेता कहने के लिए साहस करें कि इस प्रकार की जो ताकतें आपकी पार्टी का संरक्षण पा रही हैं उन्हें संरक्षण नहीं दिया जाएगा और इसे आपको नैतिकता के आधार पर कहना पड़ेगा । क्योंकि यह इस सम्पूर्ण प्रदेश का मामला है, 14 करोड़ जनता के प्रदेश का मामला है, यह एक गम्भीर प्रश्न है और पूरे प्रदेश ने इसे गम्भीरता से लिया है । आज यह प्रश्न चिह्न पैदा हो गया है कि सरकार कानून व्यवस्था कायम रखने में सक्षम है या नहीं । यदि वर्तमान कानून व्यवस्था में मुख्य मंत्री पर और मंत्रियों पर इस तरह का कातिलाना हमला होता रहा तो हमें सोचना पड़ेगा कि इस सरकार को रहने का हक नहीं है । इस घटना के सम्बन्ध में दोषी और गाफिल कर्मियों को जो स्थानान्तरण की सजा दी गयी है, तो स्थानान्तरण कोई पनिशमेंट नहीं होता है ।

जिन्होंने इस काण्ड में अपनी ओर से कमी रखी है और जिन्होंने नेता सदन की सुरक्षा नहीं रखी और जो व्यक्ति इस कुचक्र में शामिल हैं, वह चाहे कितने बड़े क्यों न हों, चाहे जितने बड़े दल के नेता क्यों न हों, उनको सबको इसकी छूट नहीं देनी चाहिए और सरकार को आज यहां इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को यह सरकार नहीं छोड़ेगी । अतः इस विषय की गम्भीरता और तात्कालिकता को देखते हुए इसे आप नियम 311 में अवश्य स्वीकार करने का कष्ट करें ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जिस विषय को हमारे दल ने आज नियम 311 के अन्तर्गत उठाया है और जिसकी ग्राह्यता पर मैं विचार रख रहा हूं उसके सम्बन्ध में एक तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री को भी इस सदन में उपस्थित रहना चाहिए था । क्योंकि जैसा अभी हमारे श्री नरेश अग्रवाल जी ने उल्लेख किया है कि जब पटना में उनहोंने अपने दिए एक सार्वजनकि वक्तव्य में इस बात पर अपनी चिन्ता परिलक्षित कर दी थी कि यदि मैं मुख्य मंत्री न बनता तो ऐसी ताकतें मेरी हत्या कर देतीं और आज तब उन पर ऐसा एक प्राणघातक प्रयास हुआ, दोनों की कड़ियां जुड़ती हैं और उनके उक्त कथन की आशंका सामने आने लगी है । यह तो इसमें कुछ ऐसा संयोग हुआ और ईश्वर की कृपा हुई कि उस प्राणघातक हमले में माननीय मुख्य मंत्री और नेता सदन बच गये, किन्तु उनको मारने का प्रयास पूरी तरह से हुआ था ।

श्री अध्यक्ष–

आप बहुत संक्षेप में कहें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जिस तरीके से हमलावर उनके पास पहुंच गया और जिस तरीके से उसने उनका कालर या गर्दन पकड़कर चाकू निकाल लिया, ऐसी हालत में कोई भी दुर्घटना हो सकती थी । किन्तु सौभाग्य से वह बच गये तो उन परिस्थितियों पर हम विचार करें और माननीय मुख्य मंत्री जी को आज के इस सन्दर्भ में और पिछले सन्दर्भ में पटना में अपनी जान के सम्बन्ध में व्यक्त आशंका उनको यहां पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उपस्थित रहकर सारी स्थिति बतानी चाहिए थी । उनको निश्चित रूप से इस बात की जानकारी है कि ऐसे कौन लोग हैं, जो उनके प्राण के पीछे पड़े हैं, उनकी हत्या के पीछे पड़े हुये हैं और उन पर प्राणघातक हमला करने की साजिश कर रहे हैं । आज वह सिर्फ मुलायम सिह यादव नहीं हैं, वह इस प्रदेश के मुखिया हैं और इस विशाल प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं । उन पर कोई हमला होता है तो वह इस प्रदेश के लिए, हम सबके लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है । दिक्कत यह है कि जो हमलावर था, उसने जो वक्तव्य दिया है और जो.....

श्री अध्यक्ष–

पहले जो बात रख दी गई है, उसको छोड़कर आप कहें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

उसने कहा हमने इसलिए हमला किया, जब श्री अशोक सिंघल जी का यह बयान आया कि अयोध्या में पुनः कारसेवा प्रारम्भ होगी, तो इस समय जो वह मुख्य मंत्री थे, जिन्होंने विवादित ढांचे की सुरक्षा के लिए उस समय गोलियां चलवाई थीं, ऐसी कोई परिस्थितियां फिर बनती हों तो कारसेवकों की सुरक्षा के लिए यह बात सामने आई कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को साफ कर दें ताकि कारसेवा के समय वह मुख्य मंत्री ही न रहें, जिससे हमें कोई व्यवधान पैदा हो । यह चीज तो एक मानसिकता की द्योतक है और इस मानसिकता के एक व्यक्ति को अभी पकड़ा गया है ऐसे तमाम उस मानसिकता के लोग हैं जो साम्प्रदायिकता के आधार पर अगर मुख्यमंत्री के प्राणों के पीछे पड़े हैं, उनकी हत्या करना चाहते हैं, तो मान्यवर, इससे गंभीर विषय और नहीं हो सकता है । प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि वो साम्प्रदायिक शक्तियां जो चुनाव में पराजित हो गयी हैं, अभी समाप्त नहीं हुई हैं और जहां प्रदेश में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, वहां हिंसात्मक ढंग से प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर ही हमला करती हैं तो धर्म निरपेक्ष ताकतें चाहे सपा हो, बसपा हो, जनता दल हो, कांग्रेस दल हो सब के लिये एक गंभीर संकट दिखाई देता है या वह साम्प्रदायिकता के खिलाफ न बोले या अपनी आवाज को बन्द कर दें अन्यथा उनकी आवाज को दबाने के लिये इस तरह के प्राणघातक हमले का प्रयास होगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त कीजिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही जा रहा हूं । इससे ज्यादा लोक महत्व का प्रश्न नहीं हो सकता है, इसके साथ ही यह अविलम्बनीय भी है और तात्कालिक इसलिये भी है कि जब से यह सदन प्रारम्भ हुआ है कानून व्यवस्था की बात रोज ही होती है और यह उसी का परिणाम है कि यह हमला हुआ । सरकार साम्प्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिये किस तरह के कदम उठा रही है । मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस विषय को गंभीरता से लें ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन पर जो प्राणघातक हमला हुआ है उससे हम सभी लोग चिन्तित हुए, दुखी हुए और हम लोगों ने एक राहत की सांस ली कि जो बुरी घड़ी आई थी, टल गई ।

जैसा हमारे कांग्रेस दल के दो साथियो ने कहा है उसी से अपनी बात को जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश से बाहर जाकर पटना में यह कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनता तो अब तक मेरी हत्या हो गई होती और नेता प्रतिपक्ष ने अखबारों में यह कहा और सदन में भी कहा कि यह मुख्य मंत्री का सिर्फ ढकोसला है सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये बयान दिया है।

मान्यवर, जब मुख्य मंत्री जी को इस बात का अहसास है कि यदि वह मुख्य मंत्री न बने होते तो उनकी हत्या हो गयी होती, तो मान्यवर, सारी जानकारी उनके पास होगी, यह सदन मानकर चलेगा। हत्या कौन करना चाहता है, इस बात की जानकारी होगी। जब इस बात की जानकारी थी तो पुलिस के डी० जी० पी० और होम सेक्रेटरी को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई ? छोटे-छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी से फारिग नहीं हुआ जा सकता है। मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगाता हूं कि इस प्रदेश के प्रशासन या गृह सचिव या पुलिस के जो मुखिया हैं नकारा हैं और इस जिम्मेदारी को निभाने लायक नहीं हैं।

जैसा अखबार में पढ़ा कि तेलंगे जो पूना से आया था उसने खुद बयान दिया है कि वह एक दिन पहले भी वहां गया था और वहां के बारे में जानकारी ली थी, वहां की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ही उसने अपना प्लान बनाया कि काम किस तरह से हो सकेगा। वहां की सिक्योरिटी की हालत को देखकर उसने सोच लिया कि हमला करना बहुत आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन के सामने यह गंभीर विषय है। यह किसी दल से संबंधित मामला नहीं है। यह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जो हमला करने का कुप्रयास किया गया यह इस प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ा है।

(ध्वनि व्यवस्था ठीक न होने के कारण व्यवधान)

इस प्रदेश के डी० जी० पी० बयान देते हैं, हाउस के चलते बयान देते हैं कि इस प्रदेश में पाकिस्तानी खुफ़िया तंत्र, आई० एस० आई० घुस आई है। अपने प्रदेश में ऐसा हो रहा है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुख्य मंत्री जी की हत्या की साजिश हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने बताया है लापरवाही बरती गई। मैं बताना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी की सिक्योरिटी के लिए बड़े अधिकारी लगते हैं वह पद दो महीने से खाली है। यह एक गंभीर विषय है।

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री किरनपाल सिंह–

मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। मुख्य मंत्री जी की सिक्योरिटी के लिए एस० एस० पी० रैंक का अधिकारी होता है। वह पद खाली पड़ा है। रिक्त है। जैसा मान्यवर, हमारे साथियों ने कहा, मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश में मा० मुलायम सिंह यादव के नाम से भी अपनी हैसियत रखते हैं। कुछ साम्प्रदायिक शक्तियां उनको हटाना चाहती हैं। जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि सन्तों के अखाड़े चल रहे हैं, कार सेवा की तैयारी हो रही है, उधर से कुछ किया जायेगा तो क्या शासन, प्रशासन को चलाने

के लिये इसको देखने के लिए इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी हो सकती है । मुख्य मंत्री जी पहले भी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे । जब अयोध्या का मामला गरमाया था और आज भी हैं । हम तो अब सुनते हैं कि सन्तों के अखाड़े होते हैं, पता नहीं कुश्ती के होते हैं, काहे के होते हैं । यह परिस्थितियां दोनों फिर पैदा हो रही हैं । इस प्रदेश के बड़े अधिकारी कानून व्यवस्था चला रहे हैं वह इस प्रदेश की कानून व्यवस्था चलाने के लिए ठीक नहीं है । मान्यवर, मुझे ध्यान है प्रदेश में जब राज्यपाल शासन था तो जो सज्जन गृहसचिव बनाए गये थे, मैंने उन्हें देखा नहीं है, जो प्रदेश के सबसे निकम्मे अफसर हैं वह गृह सचिव बनाए गए, ऐसा सुना गया । पता नहीं क्यों इतने निकम्मे गृह सचिव को आज तक क्यों नहीं बदला गया ? यह गंभीर विषय है ।

मान्यवर, साम्प्रदायिक शक्तियां जो इस प्रदेश को तोड़ने के लिये कुचक्र रच रही हैं । मुख्य मंत्री जी की हत्या कराने का प्रयास कर रही हैं । मेरी मांग है । सरकार से कि इस प्रदेश के प्रशासन को चलाने के लिए जो काबिल अधिकारी हैं जिनमें जांति-पांति और मजहब का भेद नहीं पाया जाता है जो इन चीजों से ऊपर उठकर हैं उनको कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी जाए । कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ रही है उसको सुधारा जाए । श्रीमन्, प्रदेश के कोई और गृहमंत्री होते तो हम उनसे इस्तीफा मांगने का काम करते लेकिन मुख्य मंत्री जी स्वयं गृहमंत्री हैं । उनके ऊपर हमला हुआ यह बड़ी लापरवाही की बात है । यह जो कुप्रयास किया गया यह उनके घर पर न होकर किसी और इलाके में होता, किसी मैदान में हुआ होता तो प्रशासन क्षमा की स्थिति में आ सकता था लेकिन लखनऊ शहर में, लखनऊ राजधानी में उनके घर पर हमला हुआ इससे गंभीर और कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं हो सकती है । मैं मांग करूंगा इस विषय पर गंभीरता से, ग्राह्यता पर, कानून व्यवस्था प्रदेश की जो है वह सबके सामने आ जाय, इस पर विचार हो जाय ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, 4 अप्रैल को सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी पर प्राणघातक हमला हुआ उस हमले के संबंध में सदन में चर्चा हो रही है । माननीय मुख्य मंत्री जी की सुरक्षा के संबंध में यह पहली बार ही चर्चा नहीं हो रही है । इसके पहले भी एक बार चर्चा इसी सदन में हो चुकी थी । मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जब पटना में आरोप लगाया था कि अगर हम मुख्य मंत्री न होते, तो मेरी हत्या हो जाती । आज उनके ऊपर 4 अप्रैल को प्राणघातक हमला हुआ । मान्यवर, उस समय जब आरोप लगाये गये थे, तो प्रतिपक्ष के नेता श्री कल्याण सिंह जी ने स्पष्ट चुनौती दी थी कि यदि आपको जानकारी हो, तो उसको सदन के सामने रखें । ऐन केन प्रकारेण उस बयान को देखा जाय जो आज घटना उपस्थिति हुई है उससे कहीं न कहीं निश्चित रूप से तालमेल दिखाई दे रहा है । इस प्रकार की साजिश की गई, किसी पार्टी को बदनाम करने की । इसमें साजिश की बू आ रही है । हो सकता है कि सुनियोजित ढंग से यह हमला कराने का प्रयास किया गया हो । जिस प्रकार से घटना के बाद अखबार बाजी की जा रही है उससे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के लोगों को मुख्य मंत्री जी के प्राणों की चिन्ता नहीं है । उनकी चिन्ता है भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की ।

मुख्य मंत्री के प्राण की चिन्ता होती तो मुख्य मंत्री के पटना में बयान के बाद उसे गंभीरता से लिया जाता और कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया होता । कानून व्यवस्था मुख्य मंत्री जी के हाथ में है । आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता का भयादोहन किया जा रहा है, निश्चित रूप से इसके पीछे

साजिश नजर आ रही है । मुख्य मंत्री जी अपनी सुरक्षा में परिवर्तन करना चाहते थे, इस संबंध में उन्होंने डी० जी० पी० को पत्र भी लिखा था, लेकिन उस पत्र पर कार्यवाही नहीं हुई, यह कैसी विडम्बना है ? एक मुख्य मंत्री अपने डी० जी० को आदेश करता है और उस आदेश का पालन नहीं होता है । उनकी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी के पुलिस अधीक्षक का पद चार महीने से खाली पड़ा हुआ है । उस पद पर कोई रखा नहीं गया । निश्चित रूप से यह गंभीर प्रकरण है । पुलिस अधीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद पर मुख्य मंत्री नियुक्ति नहीं करवा सकते । केवल इस प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का कुचक्र किया जा रहा है । दूसरी बात कांग्रेस के कई नेताओं ने इस घटना को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना चाहा है कि झोला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रखा था । मैं बताना चाहता हूं कि एक झोले के कारण उसे घटना को किसी संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि हर्षद मेहता का सूटकेश प्रधानमंत्री के कार्यालय में रखा मिला था । इस प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना लोकतंत्र पर कुठाराघात है । कांग्रेस पार्टी के साथी पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें । मुख्य मंत्री जी के ऊपर कोई पहली बार हमला नहीं हुआ है । आप बताइए संसदीय कार्यमंत्री जी कि यदि हमले इसके पहले हुये हैं मुख्य मंत्री जी के ऊपर, तो उसमें कौन सी कार्यवाही की गई ? इस प्रकार की घटनाओं से सस्ती लोकप्रियता हासिल करना सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की नीयत बन गई है । जिस तरह से यहां पर बातें बतायीं गयीं हैं उनको सुनकर मैं कहना चाहता हूं कि अगर सच जानने की किसी में हिम्मत है तो किसी मैजिस्ट्रेट से नहीं बल्कि सी० बी० आई० से जांच और न्यायिक जांच इस मामले की करा दें तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जायेगा । इसमें किसी तथ्य को छिपाने की जरूरत नहीं है । इसलिये मैं इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुये इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

(श्री नरेन्द्र सिंह व श्री ऊदल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नरेन्द्र सिंह के बाद आपको बुलवा लूंगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह

मान्यवर, प्रदेश की जनता के लिये इससे गंभीर और कोई विषय नहीं हो सकता है ।

(श्री बदन सिंह के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय बदन सिंह, आप बैठ जायं ।

* श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बड़े जोश से इस घटना के बारे में बताया कि हमलावर का कोई संबंध, किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से नहीं है । वह इतना जोर न लगाते तो मान्यवर, अच्छा था । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह अभियुक्त संतुलित बुद्धि का था और एक नहीं अनेक बयान 4 तारीख के बाद से उस अभियुक्त के आ रहे हैं । वह शिव सेना का सदस्य था जो भारतीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनता पार्टी का सहयोगी दल है। उसने आर० एस० एस० की शाखायें अटेंड की हैं। उसका कहना है कि वह मा० राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से मिला था, मैं नहीं कहता कि वह किसी साठगांठ से उनसे मिला था। भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं वह उनसे मिला था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह युवक धर्मांध है और उसके अन्दर जहर भरा है। मैं अब इतिहास की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि यह वही तत्व हैं जिन्होंने 30 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की, नाम कुछ भी रहा हो, हिन्दूमहासभा, विश्व हिन्दू महा सभा, या उस वक्त जनसंघ था या आर० एस० एस० था मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह वही तत्व हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम का विरोध किया और आजादी मिलने के बाद उनकी हत्या की। आज श्री मुलायम सिंह यादव एक शक्ति के रूप में उभरे है और साम्प्रदायिकता को पीछे ढकेलने वाले तत्वों को बल दे रहे हैं तो उनकी हत्या करने का यह एक सुनियोजित षड़यंत्र था। मान्यवर, यह तो एक रिहर्सल था, यह मत समझें कि वह खतरे से खाली हैं। वह एक धर्मांध युवक है वह स्वीकार करता है कि मैं बाबरी मस्जिद के गुम्बद पर चढ़ा हूं। ऐसा युवक एक दिन पहले चाकू छिपाकर जाता है और वहां की सारी जानकारी करता है। माननीय वर्मा जी, माननीय विधायकों से एक चाबी तक निकलवा ली जाती है, मेटल डिटेक्टर लगे हैं और मुख्य मंत्री जो सबसे सुरक्षित व्यक्ति इस प्रदेश का होना चाहिये उनके निवास में वह चाकू लेकर चक्कर लगाये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ? खुशकिस्मती है कि वह बच गये, जहर बुझा चाकू था मारें भी जा सकते थे। मैं कहना चाहता हूं कि आज कोई सुरक्षित नहीं है। केवल वही लोग सुरक्षित हैं जिन्हें मारने में किसी को दिलचस्पी नहीं है।

आप इसलिये सुरक्षित हैं कि आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसा नहीं है, आप सुरक्षित इसलिये हैं कि आपको मारने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अदरवाइज किसी व्यक्ति को कहीं पर मारा जा सकता है। मान्यवर, मेरठ में मुख्य मंत्री जाकर बयान देते हैं कि अपराध घट रहे हैं। मेरठ की इतनी बुरी हालत है कि बयान नहीं किया जा सकता। रोज हत्यायें, अपहरण, कत्ल डकैतियां हो रही हैं और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। न जाने कितनी मौतें होंगी तब सरकार जागेगी। मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण और कोई घटना नहीं है। ऐसी शक्तियों को पीछे ढकेलने के लिये माननीय मुलायम सिंह को कोई निश्चित कारगर कदम उठाने होंगे। अन्यथा यह राजनीतिक हत्यायें भविष्य में निश्चित रूप से होंगी। अभी धर्म संसद ने चेतावनी दी है कि वह परिसर पर जबरदस्ती कब्जा करेंगी। इस विषय पर चर्चा करायें इससे अधिक महत्वपूर्ण विषय कोई और नहीं हो सकता है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर हमले का प्रयास हुआ, यह चिन्ता का विषय है। यह कोई पहला प्रयास नहीं है, इसके पहले भी कभी तो बम फटा, कभी मध्य प्रदेश में हमला हुआ, कभी हजरतगंज में जाते हुए उनके काफिले पर हमला हुआ, मेरे ख्याल से यह चौथा या पांचवां हमला है। यह हमला इसलिए ज्यादा महत्व रखता है कि वह आज हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं। मान्यवर, एक मुख्य मंत्री के ऊपर जो जेड कटेगिरी के सुरक्षा के घेरे में बराबर रहते हों, जहां पर विधायकों का पहुंचना भी कठिन हो, वहां पर हमलावर पहुंच जाय और चालाकी के साथ पहुंच जाय, यह एक आश्चर्य की बात है।

मान्यवर, सुरक्षा का जितना भी घेरा मुख्य मंत्री जी के इर्द-गिर्द रहता है, उस घेरे को तोड़कर हमलावर वहां तक पहुंच जाय, तो वहां के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक दण्ड के पात्र हैं। मैं किसी मसले को हल्का नहीं करना चाहता हूं, आरोप और प्रत्यारोप में, मैं नहीं जाना चाहता हूं, अपराध, अपराध होता है और अगर किसी अपराध को हम राजनैतिक रूप देकर प्रदेश की जनता के सामने कहते हैं, तो जनता इसको हल्का समझती है। अगर अपराधी पकड़ में आया है, और वह तरह-तरह के बयान दे रहा है, उसके हिसाब से उसके खिलाफ कार्यवाही तो हो, लेकिन सुरक्षा का जो घेरा मुख्य मंत्री के इर्द-गिर्द पड़ा हुआ है, वह भी दण्ड का भागी है, चाहे वह इस प्रदेश का मुखिया प्रमुख सचिव (गृह) हो या डी० जी० पी० हो। डी० जी० पी० की तो कहानी ही अजीब है, उनको प्रदेश की सुरक्षा से मतलब नहीं है, वह तो बार-बार यह पेटीशन दे रहे हैं कि उनकी उम्र कम है, उनको अपनी नौकरी की चिन्ता है, जबकि वह 41 वर्ष तक सर्विस कर चुके हैं, उनको प्रदेश की शांति-व्यवस्था की चिन्ता नहीं है। मान्यवर, घटना-क्रम जो जुड़ा हुआ है, उसको भी गंभीरता से लिया जाय और अपराधी को अपराधी की तरह से माना जाय। घटना की गंभीरता को हल्का न किया जाय, सिर्फ यह कह कर कि वह दोषी हैं, ये दोषी हैं। अगर प्रदेश के मुख्य मंत्री आहत होते, तो प्रदेश के जो रहनुमा हैं, सबकी भावनाओं को ठेस लगती। कम से कम वह बाल-बाल बच गये और मैं कामना करता हूं कि अगर इस तरह की कभी भी कोई बात आये, तो उससे वह बचते रहें और ऐसी बात ही न आये, तो बहुत ही अच्छी बात है। जो साम्प्रदायिकता के खिलाफ माननीय मुलायम सिंह ने कंधा लगाया, तो हो सकता है कि वह शक्तियां उनके इस अभियान के विरुद्ध हों, उनकी आंख की किरकिरी बनी हों और किरकिरी को साफ करना चाहती हों, यदि ऐसी गंभीर बातों को सदन में हम आरोप-प्रत्यारोप में बदल कर हल्का कर देंगे, तो प्रदेश की जनता कोई अच्छी राय नहीं रखेगी। इन शब्दों के साथ मैं मांग करूंगा कि जो घेरा है सुरक्षा का, सुरक्षा के घेरे के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी और कर्मचारी इसमें हों, उन्हें दण्डित किया जाना चाहिये, उन्हें बरी नहीं किया जाना चाहिए।

* श्री ऊदल–

मान्यवर, यह विषय बहुत ही गंभीर है। माननीय मुलायम सिंह जी ने जब पटना में बयान दिया था कि यदि वह मुख्य मंत्री न होते तो उनकी हत्या कर दी जाती। फिर भी उनकी सुरक्षा में सुधार नहीं किया गया। तब से यह मालूम होने लगा था माननीय मुलायम सिंह यादव संकट के घेरे में हैं। मान्यवर, 4 तारीख को जो प्राण घातक हमला हुआ और जिसमें मुख्य मंत्री जी बाल-बाल बच गये, तो इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद हमलावर चाकू जहर से बुझाया हुआ लेकर कैसे पहुंच गया, यह मुझे बड़ा ताजुब्ब लग रहा है और इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो एक साधारण आदमी हूं और कभी-कभी रिक्शे से जाता हूं, महीने में एक दो बार मिलने जाता हूं, तो मेरे बारे में छानबीन होने लगती है और ऐसी व्यवस्था टाइट हो जाती है, जैसे कि वह मुझे पहचानते ही नही हैं। तो मुझको कहना पड़ रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था टाइट होती है, जब मैं पहुंचता हूं और मुझे बड़े संदेह के घेरे में देखा जाता है, लेकिन उस दिन वह आदमी किस प्रकार से पहुंच गया, यह बड़े ताजुब्ब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की बात है। इसे आप हल्के रूप में न लें, कानून और व्यवस्था की बात बहुत नाजुक है और जब प्रदेश के मुखिया के ऊपर इस तरह से हमला हो सकता है तो इस प्रदेश की 14 करोड़ जनता के साथ क्या होगा ? इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिये।

आज हमारे प्रदेश में पुनः साम्प्रदायिक ताकतें सिर उठा रही हैं और जो पिछला इतिहास है और उस इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने उसका बयान पढ़ा है, तो उससे भी यही भावना निकलती है कि वह उस दिन यही कहने गया था कि फिर से कार सेवा शुरू होगी और उन पर गोली न चलायी जाये। मान्यवर, अभी हमारे यहां पर धर्म संसद हुई थी। डोम राजा के यहां धर्म संसद हुई थी और उन के साथ बैठकर खाना खाया था और आज तक उसको अपवित्र कर रहे थे। यह किस रास्ते पर चल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांति बनाये रखें। उनको अपनी बात पूरी कर लेने दें। आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री ऊदल–

अभी तो मैंने भाजपा के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, केवल धर्म संसद के बारे में कहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। [x x x] मान्यवर, अभी हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी। तो यह लोग साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। यह बहुत गंभीर मामला है और शांति और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिये आप इसको स्वीकार करें और चर्चा करायें।

* श्री हृदय नारायण–

श्रीमन्, बहुत ही गंभीर विषय पर सदन में चर्चा चल रही है। मुझे उम्मीद थी कि जब इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सदस्य बोलेंगे तो गंभीर होंगे, स्तब्ध होंगे लेकिन श्रीमन्, बड़ा दुखद आश्चर्य हुआ है कि नेता सदन पर प्राणघातक हमला है और इस संबंध में गिरफ्तार व्यक्ति यह स्वीकार करे कि वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और यह भी स्वीकार करे कि उसका प्रदेश स्तरीय नेताओं से सम्पर्क, संबंध है। उसका सामान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मिला इस सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण, हमारे साथीगण बोलने के लिए खड़े हुए तो बड़ी हास्यास्पद बात कहने लगे और झोले की जगह ब्रीफकेस का उदाहरण देने लगे।

श्रीमन्, क्या यह सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े तमाम संगठनों ने पिछले 5-7 सालों में एक जहर फैलाया है और वह जहर अभी भी लोगों के दिलोदिमाग में भरा हुआ है। दीवारों पर, पोस्टरों में, अखबारों में यह लिखाया गया क्या यह सच नहीं है ? मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के गुप्ता जी जब बोलने के लिए खड़े हों तो जो मैं बिन्दु उठा रहा हूं उसका उत्तर जरूर दें।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, क्या यह सच नहीं है कि जगह जगह यह लिखाया गया कि "जिस हिन्दू का खून न खौला वह खून नहीं वह पानी है" । तो श्रीमन्, जब खून खौलने की बात कही जायेगी और जिसका खून नहीं खौलेगा उसे अहिन्दू कहा जायेगा और भ्रष्ट कहा जायेगा और फिर वही एक जहर बनेगा और इसी जहर का नतीजा है कि पूरे प्रदेश में एक विषाक्त वातावरण बना हुआ है । श्रीमन्, इसी जहर के चलते अयोध्या में मस्जिद गिरायी गयी थी और अयोध्या काण्ड हुआ ।

श्रीमन्, इसी प्रकार हमारे माननीय राजस्व मंत्री श्री बाबू राम जी पर जो हमला हुआ था वह अब इसी जहर का नतीजा था । तो मैं माननीय गुप्ता जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनका विश्वास लोकतंत्र की इस प्रणाली में है कि नहीं, हम लोग प्रति तर्क के माध्यम से किसी नतीजे पर पहुचेंगे या चाकू और कट्टे के माध्यम से किसी नतीजे पर पहुचेंगे ?

श्रीमन् मंत्री एक संस्था होता है और आदरणीय लोक सभा के सदस्यों ने, इस आदरणीय सदन के सदस्यों ने, विधायकों ने [x x x] इन लोगों ने मंत्री जी की कार के उपर हमला किया था, मंत्री को जान से मारने की कोशिश की थी । श्रीमन्, मंत्री एक संस्था है, व्यक्ति नहीं हैं । सरकार चलाने के लिए उसे संविधान की तरफ से नियुक्ति किया जाता है और उसी पर हमला किया जाय तो क्या श्रीमन्, यह सच नहीं है कि इनकी कोई लोकतंत्र में आस्था नहीं है, धर्मनिर्पेक्षता में आस्था नहीं है ।

श्रीमन्, यह कोई एक घटना नहीं है जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतागण भाषण करने जाते हैं तो वह इसी प्रकार का जहर का बीज बोने की कोशिश करते हैं और इसी का नतीजा है कि पूरे प्रदेश और देश का वातावरण बहुत विषाक्त हो रहा है । मुझे उम्मीद थी कि जब इनके नेतागण भाषण करेंगे तो कुछ ऐसे तथ्यों पर सफाई देंगें, दुखी होंगे लेकिन कहीं कोई दुखी दिखाई नहीं दे रहा है । श्रीमन्, इन लोगों को जान लेना चाहिए कि श्री मुलायम सिंह एक व्यक्ति नहीं विचार हैं और जिस समाजवादी विचारधारा को पूरे देश में फैलाने का काम वह कर रहे हैं, वह सराहनीय है । श्रीमन्, जिस तरह से गांधी को नहीं मारा जा सका था उनके विचार आज भी जिन्दा हैं । इन्हीं की विचाराधारा के लोगों ने उनको मारने की कोशिश की थी लेकिन गांधी की विचाराधारा आज भी जिन्दा है ।

शरीर हमारा आपका किसी का भले न रहे लेकिन विचार नहीं मरते । गांधी जी के विचार को, लोहिया और अम्बेडकर के विचारों को दबाया नहीं जा सकता है । इस प्रकार के घटिया हमलों से उनके विचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है, यह कायरता है और जो इनके मन में षड़यन्त्र है, उसका पर्दाफाश हो गया है । हम लोग लोहिया, अम्बेडकर और गांधी जी के विचारों के लोग हैं, हम लोग समाजवादी विचार के लिए काम कर रहे हैं । हम लोगों के हौसले ऐसे कृत्यों से बढ़े हैं इससे हम लोग अब दूने वेग से काम करेंगे । श्रीमन्, जब गुप्ता जी बोलने के लिए खड़े हों वे 2-3 बिन्दु साफ कर दें कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में खून खौलाने की बातें नहीं की और क्या उनका विश्वास लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता में है, अगर है तो फिर यह चाकू और बम की बातें क्यों होती हैं, राजस्व मंत्री जो एक संस्था हैं व्यक्ति हैं, उन पर हमले की साजिश क्यों होती हैं ? क्या वे ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां न्यायालय, संविधान, लोकतंत्र और सर्वधर्म समभाव धर्म निरपेक्षता की प्रतिष्ठा और

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

इज्जत हो या कि ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां चाकू से त्रिशूल से, खून खौलाकर देश और समाज को नष्ट करने की साजिश रची जाती है।

मेरी विनती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण इन बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे। मान्यवर, मेरा प्रस्ताव तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री रखेंगे, सरकार रखेगी, मैं सरकारी पक्ष का विधायक हूं, एक विधिवत् प्रस्ताव हो जाय कि जिस व्यक्ति ने हमला किया है उसके संबंध में और अगर उसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है तो उस संबंध में भी एक निन्दा प्रस्ताव इस आदरणीय सदन में आना चाहिये और पास होना चाहिये।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, इस सदन के माननीय नेता और प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी पर 4 अप्रैल को प्राणघातक हमला करने की कोशिश की गयी। यह हमला उनके निवास पर सुरक्षा घेरे के बीच में उस समय किया गया जब कि वे जनता से मिल रहे थे। मान्यवर, यह घटना बहुत निन्दनीय है, बहुत चिन्तनीय है और इसने कई प्रश्न हमारे सामने खड़े किये हैं। कुछ राजनीति की बातें भी यहां की गयीं, मैं उन बातों से पीछे रहूंगा, मुख्य बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री के ऊपर उनके सर पर ही हमला हुआ इसका आखिर सारे प्रदेश में असर क्या जाता है ? असर यह जाता है कि विधायकों पर हमले हो रहे हैं, राजीव अग्रवाल जी पर हमला हुआ, लोग समझते हैं कि विधायक तक सुरक्षित नहीं हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी के निवास पर सारी सुरक्षा के बाद, जेड श्रेणी की सुरक्षा के बाद उन पर हमला हो इसका एक ही अर्थ है कि यह सरकार प्रदेश को चलाने में पूरी तौर पर विफल है। यह न प्रदेश चला सकते हैं और न मुख्य मंत्री की रक्षा कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं जिस आदमी ने हमला करने की कोशिश की जो समाचार आ रहे हैं, 28 तारीख को वह आदमी 4 कालीदास मार्ग पर जाता है, घटना के पहले दिन भी जाता है और वह कहता है, कि मैंने यहां यह पाया कि आराम से मुख्य मंत्री पर हमला किया जा सकता है, क्या इसमें सरकार दोषी नहीं है ? उधर बेंचों पर बैठकर आप लोग शोर कर रहे हैं क्योंकि आप चीजों को दूसरी शकल देना चाहते हैं इसकी हमें तकलीफ है। सरकार को यह सोचना है कि क्या यह आपकी सुरक्षा व्यवस्था की खामियां नहीं हैं, यह इस सरकार की असफलता है। वह कह रहा है कि मैंने यह पाया कि मैं आराम से अपना काम कर सकता हूं।

सुरक्षा से जुड़े लोगों की निगाह में यह बात क्यों नहीं आयी कि तीन दिन से लगातार यह आदमी आ रहा है किसी ने उसको नहीं देखा। ईश्वर की कृपा है मुख्य मंत्री जी बच गये मैं उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। लेकिन, मान्यवर एक बात कहना चाहता हूं, कुछ बातों को जोड़ा गया है जानकारी में आया है कि उस आदमी ने 4 तारीख को जब हमला हुआ तो प्रदेश सरकार के यहां के अधिकारियों ने पुणे से जानकारी की, पुणे के पुलिस अधीक्षक ने उसी शाम यह सूचना दी कि यह आदमी शिव सेना का कार्यकर्ता है। अभी जो बातें यहां कही जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया जा रहा था, उससे कहलवाया जा रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है सिर्फ इसलिये कि भारतीय जनता पार्टी का नाम आ जाय, (व्यवधान) आप सुन लें, भारतीय जनता पार्टी का नाम अगर उसमें है तो निन्दा करने में चुकूंगा नहीं। मैं घटना की निन्दा करता हूं और घटना करने वाले की निन्दा करता हूं। लेकिन पुलिस द्वारा जो कहलवाया जा रहा है, उसको सही ऐसे ही नहीं मान लूंगा। पुलिस द्वारा उससे यह कहलवाया गया कि 28 मार्च 30 मार्च के बीच वह अटल बिहारी बाजपेयी जी से लखनऊ में मिला, जबकि वह 31 मार्च को लखनऊ आये थे, क्या यह नहीं कहलवाया गया कि वह 34

नम्बर कमरे में गेस्ट हाउस में उनसे मिला जबकि वह 4 नम्बर कमरे में ठहरे हुए थे । तो सारे प्रदेश में एक झूठा संदेश देने की कोशिश की जा रही है । अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिये । आप सरकार में बैठे हुए हैं आपके हाथ में पता लगाने के लिए सब कुछ है, आपको सब कुछ करने का हक है और आप कर सकते हैं । मान्यवर, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं । अभी माननीय ऊदल जी ने डोम राजा के यहां धर्म संसद वालों के भोजन करने का मजाक उड़ाया । मैं माननीय ऊदल जी की बहुत इज्जत करता हूं वे हमारे पुराने मित्र हैं परन्तु मुझे दुख है कि उन्होंने धर्म संसद वाली बात कही । उन्होंने साधु संतों, शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाया कि वे लोग छुआ छूत करते हैं और वर्षों से उनके मन में यह धारणा चली आ रही थी । अरे अच्छा होता कि मा० ऊदल जी इस वन्दनीय और अभिनन्दनीय कार्य की प्रशंसा करते कि डोम राजा के घर में जो भोजन किया गया उसकी तारीफ की जानी चाहिए न कि उसका उपहास किया जाना चाहिए । उस धर्म संसद में साधु संतों ने हमारे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के साधु सन्तों को बुलाया और उन लोगों के साथ बैठकर भोजन किया था जो कि एक अच्छा काम हुआ है ।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं, अभी माननीय हृदय नारायण जी जो कि हमारे वरिष्ठ सदस्यों में से हैं, उन्होंने कहा कि तिलंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य था, हमारे हृदय नारायण जी भी शाखा में आते थे, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वह इस तरह की कोई गड़बड़ी करते हैं तो स्वयं सेवक संघ के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है । मान्यवर, मैंने शुरू में ही कहा है कि मैं इसकी निन्दा करता हूं लेकिन जिस तरह से चीजों को तोड़ मरोड़कर कहा जा रहा है । वह ठीक नहीं है अभी हमारे सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कानपुर वाली घटना का जिक्र किया और राज्य मंत्री वाली घटना का जिक्र किया माननीय कल्याण सिंह जी ने भी यह कहा था कि बहुत बुरा हुआ और मैंने भी कहा कि बुरा हुआ लेकिन हमें तकलीफ है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसे अपराधी कहा गया तो क्या किसी व्यक्ति को अपराधी मानकर हत्या होती रहेगी । अगर इसी प्रकार आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो हत्याओं का अन्त कैसे होगा ? मैंने जो नियम–311 की सूचना दी है इस पर मैं बल देता हूं और इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार की कमियां और विफलता है जो सुरक्षा की खामियां हैं, सरकार स्वयं उसके लिये कटघरें में खड़ी है । जब मुख्य मंत्री के प्राणों की रक्षा नहीं हो पा रही है तो देखना यह होगा कि ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिनके रहते हुए मुख्य मंत्री जी के आवास पर उन पर हमला हुआ ?

* श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर प्राणघातक हमले पर जो चर्चा हो रही है और गंभीर चिन्ता व्यक्त की जा रही है, मैं समझता हूं कि इसे चुनौती के रूप में लेना चाहिए और यह चुनौती जिन शक्तियों द्वारा व्यक्त की जा रही है उन्हें पहचानने में देर नहीं करनी चाहिए । पहचान तो पहले से ही हो चुकी है । आज हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी भी बड़ी हत्याएं हुई हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि साम्प्रदायिक और विघटनकारी ताकतों का हाथ रहा है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी जिस समय जनता दरबार में आम पब्लिक से मिलकर उनकी तकलीफों को सुन रहे थे, उस समय स्वाभाविक है ज्यादा तर लोग मिलने आते हैं, और उस समय ऐसा व्यक्ति चला गया जिसने यह कहा कि मैं हिन्दुत्व का रक्षक हूं और कार सेवक हूं । अगर हिन्दुत्व का रक्षक इस प्रकार का घटिया और निकृष्ट काम करता है, तो जो देश तोड़क ताकतें हैं जो हिन्दुत्व का नाम लेकर देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, जिस प्रकार से जो मजदूरों की किसानों की और मेहनत से कमाने वालों की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार हैं, वह उनकी आंख में किरकरी हो सकती हैं। लेकिन इस प्रकार से सरकार को तोड़ा नहीं जा सकता है। अभी माननीय श्री हृदय नारायण जी कह रहे थे कि अगर किसी को विचारों से लड़ना है तो व्यक्ति की हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर वह विचारों से लड़ना चाहता है। बहुत से लोग संसार से उठकर चले गये लेकिन उनके विचार नहीं मरे इसलिये कि माननीय मुलायम सिंह एक विचार के व्यक्ति हैं। इस 14 करोड़ जनता के सबसे वरिष्ठ उच्चकोटि के नागरिक हैं, मुखिया हैं और इस सदन के नेता हैं, प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, आज वह एक ऐसे विचार के केन्द्र बिन्दु बन गये हैं। जो साम्प्रदायिक शक्तियों के विकल्प में बहुत बड़ी ताकत बनकर खड़े हुये हैं। मान्यवर, आज हिन्दुस्तान को किसी ओर से खतरा नहीं हैं, चीन से खतरा नहीं है, पाकिस्तान से खतरा नहीं है। खतरा देश में छिपे हुये गद्दारों से है और ऐसी ताकतों की पहचान होनी चाहिये। हमारे बी० जे० पी० के साथी यहां बैठे हैं, इनको विचारों से लड़ना चाहिये। इस घटना से यह लोग डिर्मालाइज हैं, जो शंका की सुई है, वह शंका की सुई किधर जा रही है, यह बी० जे० पी० वालों को मालूम है, किसी न किसी तरीके से इन पर आंच आ रही है। और यदि सरकार सही तरीके से, गहन अध्ययन करेगी तो निश्चित रूप से दोषी कहां से पनपा है, कहां से संरक्षण मिला है, यह भी साफ हो जायेगा।

मान्यवर, यह घटना इस गरीबों, मजदूरों की सरकार के लिये चुनौती है और यह हमारे लोकतंत्र के लिये चुनौती है, संविधान को चुनौती है, इसके साथ ही साथ हमारा जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेटअप है, उसके लिये भी चुनौती है। मान्यवर, आज ऐसी ताकतों को पूरी कसरत के साथ सरकार को दंडित करना चाहिये और इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर इनसे लड़ा जाना चाहिये।

* श्री बदन सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह विषय बहुत गंभीर है। माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर 4 अप्रैल को जो प्राणघातक हमला हुआ है, उसकी मैं निन्दा करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि वह शतायुं हों। इसी के साथ-साथ मैं यह भी कामना करता हूं कि मुख्य मंत्री, मंत्रि-परिषद् के सदस्यों, विधायकों के साथ-साथ, इस प्रदेश की 14 करोड़ जनता को शान्ति और व्यवस्था के विषय में यह विश्वास मिल जाय कि वह सुरक्षित है, इसके लिये भी ईश्वर से कामना करता हूं।

मान्यवर, सामान्य रूप से जो शान्ति-व्यवस्था के संबंध में जर्जर होने की चर्चा इस सदन में होती रही है, उसके पश्चात् इस नगरी में किशोरों की हत्याओं के विषय में चर्चा हुयी है और लाशों को ऐसे स्थानों पर डाला गया, जो सुरक्षित थे, जहां पर सर्तकता बरती जाती थी, ऐसे स्थानों पर, जहां बिना अनुमति के कोई जा नहीं सकता था, लेकिन इन सबके बावजूद आज प्रदेश के मुखिया पर हमला हुआ है, यह कोई साधारण बात नहीं है। इस कानून और व्यवस्था में कहीं न कहीं कोई ऐसी बड़ी खामी अवश्य है, जिसकी वजह से रोजाना इस तरह की घटनायें हो रही हैं और एक से एक भंयकर हो रही हैं, सर्तकता के स्थानों पर हो रही हैं। मान्यवर, सिपाहियों और कांस्टेबिलों को तो दंडित किया जाता है।

---

* वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[समय–1 बजकर 20 मिनट]

लेकिन जो सुरक्षा के लिये प्रदेश के गृह सचिव व डी० जी० पी० हैं उनको क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ? अगर इसी प्रकार से उच्चाधिकारियों को इसके लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया गया तो ये उच्चाधिकारी इस प्रदेश की रक्षा नहीं कर पायेंगे, ये मंत्रिमंडल और इस माननीय सदन की रक्षा नहीं कर पायेंगे । मान्यवर, मैं किसी भी राजनैतिक दल को इस घटना से सम्बद्ध नहीं करना चाहता हूं । कोई भी राजनैतिक दल को अगर अन्दर इस प्रकार के घिनौने कार्य करने के लिये किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है तो मैं पहला आदमी हूंगा जो उसकी निन्दा करूंगा । मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के शासन से मांग करता हूं कि विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं की एक मीटिंग की जाये और उसमें खुले दिमाग से विचार किया जाये । यह भी विचार किया जाये कि इस प्रदेश की सुरक्षा किस प्रकार से हो सकती है । मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी राजनैतिक दल इस प्रकार का घिनौना कार्य करेगा ।

आज जो भारतीय जनता पार्टी की बात की जा रही है तो मैं बता देना चाहता हूं कि वह एक ऐसी पार्टी जरूर है जिसमें देशभक्ति व राष्टभक्ति है और राष्ट्रवाद की बात करती है । मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को शमिल करके एक मीटिंग की जाये, जिसमें सरकार उनके विचार ले । और उसके अनुसार कार्य करे । मैं समझता हूं कि इसके बाद सभी पार्टियों की जिम्मेदारी हो जायेगी और प्रदेश की निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था हो सकेगी और कोई पार्टी यह नहीं कह सकेगी कि हमको इसमें शामिल नहीं किया गया । मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, शासन की आलोचना नहीं करूंगा लेकिन गृह विभाग जो स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी के हाथ में है, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं है । वह स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं यह बहुत गंभीर और खतरे की बात है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके शतायु के लिये कामना करता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रदेश के शासन को अच्छी तरह से संभालेंगे और पूरे प्रदेश को भयमुक्त करेंगे ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, जिस विषय पर चर्चा हो रही है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है । माननीय मुख्य मंत्री पर जो विगत 4 अप्रैल को प्राणघातक हमला हुआ वह एक षडयंत्र है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मदन भइया को बुला लिया है । आप बैठ जायें ।

* श्री मदन भइया–

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव पर गत 4 अप्रैल को जनता दरबार के दौरान हुये प्राणघातक हमले ने एक बार पुनः संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं । [x x x] यही नहीं हमलावर का बैग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से बरामद किया गया और वह पर्ची भी बरामद की गयी जिसमें लिखा गया था कि अगर हम मर जायें तो मेरी लाश मेरे गांव भिजवा देना ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[x x x] श्रीमन्, विपक्षी पार्टी का कार्य सदन व बाहर सरकार की समालोचना करना है न कि प्रदेश के मुखिया की फासिस्टवादी तरीके से हत्या कराकर पूरे प्रदेश को साम्प्रदाकिता की आग में झोंकने का ।...

(व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्री जी ने विगत माह पटना में अपनी हत्या की आशंका का रहस्योद्घाटन किया था जिसकी चर्चा 8 मार्च को सदन में नियम–301 के अन्तर्गत हुई थी । मैं इसी के साथ यह बता देना चाहता हूं कि यह जो ताकतें हैं यह अपने कार्य में सफल नहीं होंगे और न ही इन्हें सफल होने दिया जायेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी का विचार है कि जो यह ताकतें आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ रही हैं, उन ताकतों को आगे नहीं बढ़ने दिया जायेगा, उनका मुकाबला करना है, उनका पूरी तरह से दमन करना है । इस दमन में पूरी समाजवादी ताकत होगी न कि फासिस्टवादी ताकत । मान्यवर, यह सोच लेना चाहिए कि भाजपा के इस कृत्य से जो कि अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में है, से संविधान की मूल भावना एवं सदन की प्रक्रिया नियमावली का घोर उल्लंघन हुआ है, अस्तु इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में ग्रहण करने की कृपा करें ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी को बुला रहा हूं । गुप्त जी के बाद आपको मौका दे दूंगा ।

श्री किशन लाल–

मान्यवर, मैं पीलीभीत जनपद से हूं । यहां विधान सभा में जो हो रहा है, इस संबंध में मेरा आपसे निवेदन है कि जो बात कही जा रही हैं, इसका सबूत और इस बात का प्रमाण आपको मिल जायेगा । पीलीभीत जिले में सरयू काण्ड हुआ, पुलिस से मुठभेड़ हुयी इस मामले में मैं यह कह रहा था कि शिवराज की पत्रावली मंगाकर देखा लेवें । जिससे इस कुख्यात डकैत के सपा के विधायक के कहने पर रु० 50 हजार का मुआवजा दिया गया है उसकी पत्रावली से यह स्पष्ट हो जायेगा कि श्री शिवराज पर कितने मुकदमें थे ।

(एक साथ खड़े होकर कई सदस्य बोलने लगे, जिसके कारण श्री किशन लाल सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी को बोलने दें । सचान साहब आपको दो मिनट दे दूंगा । मैंने गुप्ता जी को बुला लिया है ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस गंभीर विषय पर इस समय जो चर्चा हो रही है । माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के राजकीय आवास स्थित सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है । विक्षिप्त मानसिकता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का नवयुवक वहां पर पहुंचा और उन पर प्राणघातक हमला किया । चाकू भी निकाल लिया यह क्या कम है । लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि इस मामले को किसी तरह का सही निष्कर्ष निकालने के बजाय राजनीतिक दृष्टि से देखने का प्रयास किया जा रहा है । भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि विचारों में मतभेद हो सकता है । विचारों के मतभेद विचारों से काटें । राजनीति में हिंसा को लाना कोई अच्छी बात नहीं है । हमने तथा हमारे दल के नेताओं ने इस घटना की कड़ी निन्दा की है । यह जो घटना घटी, इस घटना ने मान्यवर अनेक सवाल पैदा कर दिये हैं ।

जो आरोप लगाया गया है उसका ज़वाब भी देना चाहता हूं । जो आरोप आपने लगाये हैं, उस पर काट सुने और उस पर तर्क भी सुने, आरोपों पर तर्क तो दिये ही जायेंगे, उनका काट तो किया जायेगा, उसको आप सुन लें । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी जो "जेड" प्लस श्रेणी सुरक्षा प्राप्त होने वाले एक वी० आई० पी० व्यक्ति हैं, इस घटना से यह साबित हो गया है कि वहां पर तीन-तीन मेटल डिटेक्टर वहां पर लगे थे, उसके बाद बाउचर पर जामा-तलाशी ली गयी और फिर भी वह चाकू लेकर वहां पहुंच जाता है । इस सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या प्रश्न करना उचित नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था है क्या यह ? पिछले दो महीने से वहां एस० पी० (सिक्योरिटी) चीफ मिनिस्टर नहीं था ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को याद होगा कि एक सवाल यहां पर चल रहा था तो उस समय मैंने किसी का नाम लेकर कहा था कि वह सीतापुर में पी० ए० सी० में एस० पी० थे । उनको यहां पर चीफ मिनिस्टर के सेक्योरिटी स्टाफ में एस० पी० बनाकर लाया गया था । उसने चुनाव में बड़ी मदद की थी । इसलिए उसने कहा होगा कि आपकी मैंने इतनी मदद की, आप मुझे यहां पर रखेंगे । आप किसी जिले में मुझे भेजिये । उसे जिले में भेज दिया गया । अगर चीफ मिनस्टर इस काम में किसी के लिए रुचि प्रकट करते हैं और वह किसी को लाना चाहते हैं तो वह ला सकते हैं । अगर वह विश्वास का आदमी रहा है तो उसे ओबलाइज भी करना होगा । दो महीने से एस० पी० का पद खाली था । एस० पी० की नियुक्ति शासन द्वारा होती है । जब गृह सचिव को यह एहसास होने लगा कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है तो उन्होंने चट से एक रास्ता निकाला । एक असामाजिक व्यक्ति जो वहां पर आया, उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया गया ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाचार पत्रों की कुछ बातों की तरफ भी हमें विचार करना होगा । 4 तारीख को मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में था तो एक सांध्य समाचार में मैंने पढ़ा कि उस व्यक्ति के पास एक जहर बुझा चाकू था । वह था या नही, मुझे नहीं मालूम । दूसरे दिन अखबार में आया कि उस चाकू को कैमिकल्स एक्जामिनेशन करने के लिए भेजा गया है । कैमिकल एक्जामिनेशन की रिपोर्ट तो आयी यहीं परन्तु गृह सचिव ने यह जान लिया कि वह जहर बुझा चाकू था । मान्यवर, मैं कोई विज्ञान का तो छात्र नहीं रहा, हो सकता है कि गृह सचिव ने आंख से देखकर व छूकर पता कर लिया हो । परन्तु मैंने जो जानकारी की और इसके बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि बगैर कैमिकल जांच किये यह कैसे पता लग जायेगा कि वह जहर था या नहीं ? इस प्रकार जो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, उसका हमें अफसोस है । कैमिकल जांच की रिपोर्ट के बाद अगर कोई बयान आता तो अच्छा रहता । मैंने पुणे से भी पता लगवाया है । मैं कहना चाहता हूं कि उस व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी, आर० एस० एस० तथा संघ परिवार के किसी भी संगठन से उसका कोई दूर-दराज तक का भी संबंध नहीं है ।

मान्यवर, शिव सेवा का नाम लिया गया । मैं बताना चाहता हूं कि शिव सेना से भारतीय जनता पार्टी का कहीं से भी कोई संबंध नहीं है । शिव सेना, भारतीय जनता पार्टी या संघ के किसी भी संगठन से इसका कोई संबंध नहीं है ।

(सत्ता पक्ष की ओर कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री हृदय नारायण जी आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, स्पष्टीकरण तो भाषण के बाद लें या पहले ले लें ?

श्री अध्यक्ष–

स्पष्टीकरण तो भाषण के बाद ही होना चाहिए ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, अभी श्री गुप्त जी ने बताया कि उस व्यक्ति का संबंध भरतीय जनता पार्टी, आर० एस० एस०, विश्व हिन्दू परिषद् या बजरंग दल से नहीं है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या श्री गुप्त जी सभी संगठनों की तरफ से बोलने के लिए अधिकृत हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है । मान्यवर, श्री गुप्त जी बोल रहे हैं वह अपना मत रख रहे हैं एक घटना के बारे में । स्पष्टीकरण के नाम पर कोई सत्ता पक्ष के सदस्यगण स्पष्टीकरण करना चाहेंगे तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है । मैं यह भी निवेदन कर दूं कि कम से कम सत्ता दल के विधायकों को अपनी जिम्मेदारी से चलना चाहिए और विपक्ष को सत्ता पक्ष जैसा मानकर स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, राम आसरे वर्मा जी ने सही बात कहीं उन्होंने माननीय हृदय नारायण जी ने हमें सत्ता पक्ष का मान लिया है, सत्ता पक्ष को मान कर हमसे बात कर रहे हैं ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, राम आसरे वर्मा जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया उन्होंने यह बताया है कि माननीय गुप्ता जी अपना भाषण कर रहे हैं तो मुझे कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं था । मान्यवर, ऐसे गम्भीर मुद्दे पर बहस चल रही है, जो अति लोक महत्व का और गम्भीर प्रश्न है । उस कुर्सी पर वह बैठ चुके हैं, मैंने वर्मा जी से सीखा है कि अध्यक्षपीठ से दिये निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं होती है, उन्होंने हमें सिखाया है और आज वही उसके विपरीत बोल रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय हृदय नारायण जी वरिष्ठ सदस्य हैं, जरा वह ध्यान दें जब दीक्षित जी भाषण दे रहे थे और जो उन्होंने कहा मैं उसका उत्तर देने के लिए खड़ा हूं। उन्होंने धर्म संसद के बारे में कुछ पूछा था, तो जब मुझसे पूछा तो मैं उसका उत्तर दे दूं यह मैं अपना अधिकार समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक और संघ परिवार के किसी भी आनुसांगिक संगठन से उसका कोई संबंध नहीं है। असली मुद्दा क्या है ? असली मुद्दा यह है कि प्रदेश सुरक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से वी० आई० पी० सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है इससे बढ़कर दूसरा प्रमाण क्या मिलेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि तिलंगे का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में मैंने आपके पास दो अखबारों की कटिंग भेजी गयी है। उनमें से मैं कोट करना चाहता हूं। नव भारत टाइम्स एक दिसम्बर का है जिसमें अयोध्या जा रहे कारसेवकों का इण्टरव्यू छपा है। मुदित माथुर ने इण्टरव्यू लिया था और उसमें संगीन बात यह है कि जो इण्टरव्यू लिया गया है वह इन्हीं तिलंगे का है जिसकी कटिंग आपके पास भी है तो मैं उसे पढ़ना चाहता हूं कि इसमें लिखा है "महाराष्ट्र के पुणे जिले के पास स्थित पिंपरी चिंचवह नामक स्थान से अयोध्या जा रहे सैकड़ों शिव सैनिकों के नेता बसंत तिलंगे ने कहा कि "बाबा साहब ठाकरे आये या नहीं हम तो कारसेवा नहीं मस्जिद तोड़ने जा रहे हैं। हमें कल्याण सिंह सरकार गोली मारे या लाठी हमारा मकसद साफ है। पिछली बार अगर हमें झांसी में न रोक लिया जाता तो यह काम तभी पूरा हो जाता। हम भाजपा को नहीं मानते और तोड़फोड़ की बात समझते हैं।" तो कोई आदमी कहे कि कल्याण सिंह भी गोली मारना चाहे तो मार दें।

श्री विश्राम सिंह यादव–

यह तो आलोचना की बात है। उनको विश्वास था कि गोली नहीं मारेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस तरह से मौलिक मतभेद है। यह जो हादसा हुआ लखनऊ में पूरी दुनिया के अखबारों में छपा होगा। 6 अप्रैल का केसरी अखबार है जो पूणे से प्रकाशित होने वाला पत्र है, माननीय तिवारी जी यह आपका अखबार है, जो मराठी में है इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। इससे दो तीन बातें साफ हैं, यह शिव सैनिक है, इसमें इसका पूरा वायोडाटा दिया हुआ है। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नाम पर परिवर्तन पर आन्दोलन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने एलानियां घोषणा की थी कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नाम मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने के हम पक्षधर हैं। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इन महोदय, श्री तिलंगे, जिनका नाम मेरे से जोड़ा जा रहा है उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मान्यवर, दो-चार बातें जब वह यहां आया तो कहीं। मुझसे भेंट हुई और लोगों से भेंट हुई, लेकिन आज जागरण में उसने कहा कि भाजपा के किसी नेता से मैंने बातचीत नहीं किया।

मेरे बारे में लिखा है कि मेरे से उसने कहा कि श्री कल्याण सिंह से मिलना है, मैंने कहा कि श्री कल्याण सिंह नहीं हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमसे और श्री कल्याण सिंह जी से न मालूम कितने लोग मिलने आते हैं। मैं भी अपने दल का वरिष्ट विधायक हूं और इसलिए मुझसे मिलने बहुत लोग आते हैं। इसलिए कौन, कब कहां और कितने लोग मिलने आये इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी के बारे में कहा गया है कि तिलंगे उनसे मिला तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उस तारीख को श्री अटल बिहारी बाजपेयी यहां नहीं थे जिसका उल्लेख किया गया है। मान्यवर, श्री ऊदल जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं। वह जब खड़े होते हैं तो मान्यवर, उनकी बात को हम लोग ध्यान से सुनते हैं क्योंकि वह सही बात कहते हैं। मैं उम्मीद करता था कि वह कहेंगे कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ गया तो उसकी तारीफ करना चाहिए।

मान्यवर, हमारे सन्त महात्मा मात्र अपने मोक्ष के लिए तपस्या नहीं करते थे बल्कि वह समाज में समता और शान्ति हेतु तपस्या करते थे। इसकी उन्हें प्रशंसा करनी चाहिए। इसी तरह स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि साधु सन्तों का आदर करना चाहिए। तो यह हमारा दर्शन है यह हमारा आध्यात्मिकवाद है और अनेक अस्पताल खोले। इसके लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए। (व्यवधान)

मान्यवर, धर्म संसद की आलोचना हुई लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतन्त्र में विश्वास रखती है, इसीलिए हिन्दुस्तान में भारतीय जनता पार्टी है और उसके अन्दर और बाहर लोकतन्त्र कायम है। इसलिए धर्म संसद की आलोचना आपको इस तरह से नहीं करनी चाहिए। धर्म संसद हिन्दुस्तान में है और रहेगी तथा जनता को दिशा निर्देश देती रहेगी। मान्यवर, अयोध्या के मामले का स्थायी हल एक ही है कि अधिगृहीत भूमि विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा बनाये गये न्यास को सौंप दी जाय और जहां रामलला विराजमान हैं वहीं मन्दिर बनाया जाय। माननीय दीक्षित जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म निरपेक्षता में विश्वास करती है या नहीं, तो वह सुन लें। मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन में यह बताना चाहता हूं कि वह सकारात्मक धर्म निरपेक्षता में पूरी तरह से विश्वास करती है और यह हमेशा छद्म धर्म निरपेक्षता का विरोध करती है और करती रहेगी। भारत के संविधान के साथ-साथ उसे सकारात्मक धर्म निरपेक्षता में पूरा-पूरा विश्वास है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करने के पूर्व एक बात और कह देना चाहता हूं। बड़े जोरदार शब्दों में कहा जा रहा है कि झोला वहां रखा था 'व्यवधान' यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भी यह घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसे नारे में विश्वास नहीं है, किन्तु जिस समय उन पर दमनचक्र चला, हिन्दुओं ने यह नारा लगाया है, लगाया है, पर भारतीय जनता पार्टी ने उस नारे को इन्डोर्स नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया है, 'व्यवधान' आप सुन लें, जो मैंने यहां कहा है वह बाहर छपेगा, कल पढ़ लीजियेगा। वह एक उत्तेजना की बात कह दी, यह बड़ा गम्भीर विषय है, मान्यवर, हमारे और आपके कार्यालय विधान सभा के बाहर हैं भारतीय जनता पार्टी का है, बसपा का है और अन्य पार्टियों के भी हैं।

इन कार्यालयों में कितने लोग आते हैं, प्रवेश करते हैं, क्या पहले हम हर एक का आइडेन्टीफिकेशन ले लेते हैं ? लोग आते हैं और वह भी आ गया और हमारे यहां के एक कर्मचारी को झोला रखने को कहा। हमारे यहां दूसरी पार्टी के भी कितने लोग आ जाया करते हैं "व्यवधान" मान्यवर, वह कार्यालय में झोला अपना रखने के लिए गया होगा और कहा होगा कि अभी आ रहा हूं, तब तक आप मेरा झोला रख लें। अगर किसी की लिप्सा उसमें होती, तो उसमें बाधा पैदा होती, लेकिन वहां जब पुलिस के लोग गये थे तो किसी ने कोई किसी किस्म की बाधा उसमें नहीं पैदा की और उन्होंने साफ कहा कि उक्त झोला अमुक स्थान पर रखा है। किन्तु अनर्गल प्रचार किया जा रहा है, पहले प्रचारित किया

कि वहां से पर्ची मिली और आज समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि झोले के अन्दर पर्ची मिली है। इससे साफ जाहिर है कि जानबूझकर एक दुखद प्रकरण को लेकर इस तरह का दुस्प्रचार किया जा रहा है। हम इस प्राणघातक हमले की निन्दा करते हैं, वह हमारे पुराने साथी हैं वह 100 वर्ष जिन्दा रहें, यह हमारी कामना है, इससे हमें खुशी होगी।

हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, इस विषय की जिसकी सबको निन्दा करनी चाहिए, राजनैतिक लाभ उठाने की कुचेष्टा की जा रही है, जो नहीं होनी चाहिए थी। झोला रखने में एक साजिश कहां पैदा हुई है और पुलिस ने बार-बार बयान अपने बदले हैं। हम लोग इसकी आलोचना करते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि पुलिस के बयान किस तरह से लिए जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं ? (व्यवधान) मैं आपसे (मित्रसेन यादव) प्रार्थना करता हूं कि पुलिस ने आपके खिलाफ भी अनर्गल आरोप लगाये थे तब भी हमने उस पर विश्वास न करके उसकी निन्दा की थी और आज आप ही पुलिस के भक्त हो गये हैं। माननीय मित्रसेन यादव हमारे पुराने साथी हैं, इसी आदरणीय सदन में तत्कालीन सरकार ने उनके विरुद्ध क्या गम्भीर आरोप लगाये थे, कितने गम्भीर आरोप लगाये थे, हमने उनको नहीं माना था।

श्री राम आसरे वर्मा–

आज इनके वह विचार बदल गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसलिए मुख्य मुद्दा यह है कि सरकार की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गयी है, उस पर हमें नये सिरे से विचार करना चाहिए। मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि सरकार ने इस पर कोई कमेटी बनायी है और 6 तारीख को उसकी रिपोर्ट आ गयी होगी। मैं नहीं कहता कि उसके गोपनीय तथ्य यहां उजागर करें लेकिन नये सिरे से किसी व्यवस्था पर विचार किया है तो उसको बतायें। हमारा पूरा सहयोग है। यह भी सोचने की बात है कि मुख्य मंत्री जी ने 28 मार्च को निर्देशित किया था कि हमारे यहां से सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया जाय तो उन्हें क्यों नहीं हटाया गया कदाचित मुख्य मंत्री जी को उनमें से किसी पर विश्वास न रहा हो। अखबार में छपा है कि धीरे-धीरे हटाये गये। 90 में से 30–38 रखने थे बाकी हटा दिये जाते 90 से 150 करने थे तो और रख लिए जाते। मुख्य मंत्री के निर्देश पर काम होना चाहिए गृह सचिव और डी० जी० पी० को इफ बट के अलावा कोई रास्ता निकालना चाहिए। धीरे-धीरे कम किये गये यह सब साजिश के तहत है। बयान चाहे कितने दे दें। हम इस बात से सहमत हैं कि वी० आई० पीज० की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। यहां भी मैटिल डिटैक्टर लगे हैं ताकि कोई हथियार लेकर न आये।

आपके परिसर में भी लिखा है कि असलहा ले जाना मना है तब भी असलहे लिए लोग पहुंच जाते हैं। पहले जब मैटिल डिटैक्टर लगे थे प्रोसीडिंग्स में लिखा होगा मैंने ठोकर मारकर हटा दिये थे उस समय अध्यक्ष पीठ से फैसला हुआ था कि मैटिल डिटेक्टर नहीं लगाये जाने चाहिए। किसी विधायक पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए। आज परिस्थितियां कुछ और हैं आज की बदली हुई परिस्थितियों में हमने उसका विरोध नहीं किया। आज किसी के भी ऊपर हमला हो सकता है। आज की बदलती हुई परिस्थितियों में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त

करता हूं और इतना अवश्य कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं रखती है। राजनैतिक लाभ उठाने की चेष्टा न करें। माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर जो प्राण-घातक हमला हुआ है, उससे हम सब दुखी हैं, चिन्तित हैं। इसके लिए बैठकर विचार करना चाहिए। वी० आई० पीज० की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार मजबूत की जाय, इस पर विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को दीर्घजीवी होने की कामना करता हूं।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, आज सदन में बड़े ही गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं हो रही है। ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री राकेश सचान–

ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। जिस तरीके से नेता सदन के ऊपर 4 अप्रैल को एक साधारण से नौजवान ने उनके निवास पर इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद उन पर हमला किया। इससे 14 करोड़ जनता चिन्तित है कि जब प्रदेश के मुखिया के ऊपर, प्रदेश के मुख्य मंत्री के ऊपर उनके निवास पर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद उन पर हमला करने का प्रयास किया गया तो हम जो आम नागरिक हैं, क्या स्थिति होगी ? आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति पर चिन्ता का विषय है। आज इस घटना पर सदन में सभी नेताओं ने चर्चा की। अखबारों में छपा किस दल से संबंधित था। उसने भी बयान दिया मैं कार सेवक था। कारसेवा में रहा। आगे भी हमला मैंने इसलिए किया कि आने वाले नवम्बर में कारसेवा होने वाली है कहीं हमारे ऊपर कार सेवकों के ऊपर पुनः गोली चलवाने का काम न करें। उसने यह भी कहा कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, यह बात अखबारों में भी आयी है। जो हमला हुआ यह पूरे प्रदेश की चिन्ता का विषय है। इस संबंध में गांव-गांव में अखबारों के जरिये यह बात पहुंची और आक्रोश उत्पन्न हुआ। तमाम लोगों ने पटाखे छुटाये कि इतनी बड़ी घटना घटने से बच गयी। हमारे क्षेत्र में तमाम लोगों ने दुख प्रकट किया। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया पर इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद हमला हुआ। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, इनकी कोई पार्टी नहीं होती लेकिन मान्यवर, आज चिन्ता का विषय है जो सुरक्षा में लोग लगे थे कहीं न कहीं तो खामी थी ही। जो लोग दोषी हैं उनको दण्ड मिलना चाहिए। जब मुख्य मंत्री से हम लोग मिलने जाते हैं तो नीचे से ऊपर तक तलाशी ली जाती है। लेकिन चिन्ता की बात यह है कि जब वह मिलने गया सही ढंग से तलाशी नहीं ली गयी।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं इस घटना की निन्दा करता हूं इसको ग्राह्यता पर सुनें इस बात पर जोर देता हूं।

श्री वशीर–

मान्यवर, सदन के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव पर कातिलाना हमला हुआ। यह लोग सच्ची बात को स्वीकार करते। [x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री वशीर–

ग्राह्यता पर बोलने की बात कह रहा हूं। सच बात ग्राह्यता की यह है कि सही बात पर बहस हो रही है और यह लोग सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप सदन को मस्जिद तोड़ने के संबंध में गुमराह किये हैं आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर गुमराह किया है।

(व्यवधान)

मुलायम सिंह यादव जी पर हमला हुआ। सच्ची बात यह है कि आप लोग गुमराह करते हैं। यह सदन सफाई देने वालों की निन्दा करता है।

(व्यवधान)

मुलायम सिंह यादव जी पर हमला हुआ। श्रीमन् जो लोग सफाई दे रहे हैं उनकी सी० आई० डी० की जांच करायी जाय। उनके जरिये यह लोग आये हैं। यह सबसे बड़े देश के आतंकवादी हैं।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री वशीर–

इन्हें देश के आतंकवादी में जोड़ दिया जाय। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हर क्षण सदन के इतिहास में बहुत काम आता है। जब स्थिति यहां तक खराब हो जाय कि हमें चर्चा करने के लिए एक विषय रह जाय कि नेता सदन पर प्राणघातक हमला हुआ। मान्यवर, नेता सदन साधारण व्यक्ति नहीं हैं इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं मुख्य मंत्री की अपनी सुरक्षा होती है। आज भारतवर्ष की सबसे बड़ी प्रतिष्ठापूर्ण सुरक्षा जेड कैटेगरी को माना जाता है। "जेड" कैटेगरी सुरक्षा प्राप्त मुख्य मंत्री जी पर कहीं बाहर नहीं तो उनके घर में ही हमला हुआ। मान्यवर, अगर इस प्रदेश के

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री, नेता सदन जेड कैटेगरी सुरक्षा प्राप्त अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं तो 14 करोड़ जनता कितनी सुरक्षित है ? यह बात अब किसी से छिपी नहीं है । सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार चाहे जो जवाब दे । सरकार को अपनी विफलता स्वीकार करनी पड़ेगी । जो सरकार अपने मुखिया की रक्षा नहीं कर सकती, उस सरकार से पूरे प्रदेश की जनता की सुरक्षा की आशा करना व्यर्थ है । हम आये थे सरकार की इस नीति की आलोचना करने और यह कहने भी आये थे कि भगवान का लाख-लाख शुक्र है कि यह दुर्घटना टल गयी । लेकिन यह संकेत है कि कहीं न कहीं आपकी सुरक्षा व्यवस्था में खामी है, कहीं न कहीं आपकी नीतियों में खामियां हैं । आपके संकल्प में कहीं न कहीं कमी है । आपके चार महीने के कार्यकाल की यह उपलब्धि है कि आप अपने मुख्य मंत्री की सुरक्षा तक नहीं कर सकते, तो अपने अवाम को क्या बचा सकते हैं । इस पर आप गम्भीरता से विचार करिये । प्रदेश की जनता को सुरक्षा का संदेश दीजिये । [x x x] अपराध ग्रस्त भावना से ग्रस्त यह लोग ऐसे बोल रहे थे, जैसे कि कोई चश्मदीद गवाह हों । एक साहब ने अभी इसके पहले ब्रीफ केस की बात कही थी कि वह कहां से आया आपने लाख कोशिश की आप यह भी नहीं साबित कर पाये कि वह व्यक्ति प्रधान मंत्री से मिला भी था । लेकिन यहां पर झोला आपकी पार्टी कार्यालय से बरामद हुआ । आपकी पार्टी के लोगों को शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि जो व्यक्ति हत्या करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति के साथ भी होता है वह व्यक्ति हत्यारा कहा जाता है । मैं एक बात पहले नहीं कहता लेकिन अब वह बात सार्वजनिक हो चुकी है । इण्डियन इवीडेंस एक्ट के मुताबिक [x x x] जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो आपके सहयोगी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर शक की सुई ठहरी थी । और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर इल्जाम लगा था । उनकी हत्या करने वालों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ था और आज आपका हाथ उससे मिला हुआ है । यह किसी से छिपा नहीं है ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, अनर्गल आरोप लगाकर सदन का समय बरबाद किया जा रहा है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, आर० एस० एस० की बात तिवारी जी कर रहे हैं । तिवारी जी यह बता दें कि डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या किन परिस्थितियों में हुई थी और हत्यारे कौन थे ?

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, तिवारी जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने एक बात कही, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कही होगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी जब बोल रहे थे तो मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया था । माननीय गुप्त जी बीच में बोल रहे हैं । व्यवस्था का प्रश्न हो तो सबको अवसर देना चाहिए ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने गुप्त जी को बुला लिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से तिवारी जी से जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर हत्या का इल्जाम लगा था । इस मामले में एक न्यायालय बना था उसके जजमेंट की जानकारी तिवारी जी को होनी चाहिए । उसमें यह था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या उसके किसी अधिकारी का दूर दराज का संबंध महात्मा गांधी की हत्या से नहीं था । यह जजमेंट उन्होंने पढ़ा होगा उसको भी बता दें । वरना यदि किसी आरोप का निर्णय हो गया हो तो आरोप पर चर्चा नहीं होनी चाहिए चर्चा निर्णय पर होनी चाहिए । मैं एक उद्धरण देना चाहूंगा । इसी आदरणीय सदन में, माननीय मुलायम सिंह यादव पर बाबू राम जी के निर्वाचन क्षेत्र में जब हमला हुआ था और उन्होंने जब यह बात यहां उठायी थी तो उनकी यहां पर खिल्ली उड़ायी गयी थी और यह साबित करने की कुचेष्टा की गयी थी कि मुलायम सिंह जी जानबूझकर नाटक कर रहे हैं । हम तो उस समय मौन थे । अब परिस्थितियां बदल गयी हैं । यदि किसी आरोप को जजमेंट हो गया है तो आरोप पीछे चला जाता है नैतिकता इस बात की है कि जजमेंट की चर्चा करनी चाहिए ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, उस समय तो मात्र आरोप लगा था आज कुछ दिनों पहले जब गांधी जी के हत्यारे गोडसे के भाई का अभिनन्दन हुआ तो उससे सबसे पहले हाथ मिलाने वाली शिव सेना भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी हैं जिसने गोडसे का अभिनन्दन किया । मैंने उसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में अपनी बात कही थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अगर यहां पर स्पष्टीकरण नहीं आता है तो मैं कहना चाहूंगा कि यह जानबूझकर सदन को गुमराह करने की चेष्टा की जा रही है । जब कोई मुकदमे में बरी हो जाता है तो हम कहते हैं कि बरी हो गया आरोप गलत था । माननीय मुलायम सिंह जी ने एक बार कहा था कि हमारी पार्टी में किसी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, सिद्ध हुआ हो तो बता दें । हम नहीं बता सके । इस मामले में न्यायालय का जजमेंट हो गया है तिवारी जी जजमेंट बता दें । मान्यवर, आप जजमेंट को देख लें, अगर यह आरोप अनर्गल हो तो कल आप इसे कार्यवाही से निकाल दीजियेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय गुप्त जी बार-बार तिवारी जी के कथन पर आपत्ति कर रहे हैं । क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से डिनाई कर सकती है कि हमलावर का झोला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं मिला । (शोर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी पर अनर्गल आरोप लगाये जा रहे हैं। यदि आरोप लगाये जा सकते हैं तो न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है उसकी भी हवाला दिया जाना चाहिए। माननीय तिवारी जी बतायें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी अपने शब्द वापस लें। यह बहुत गलत बात है। यह बहुत ही निन्दनीय और गलत बात है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये।

(घोर व्यवधान)

विरोधाभास है। माननीय गुप्ता जी, जब माननीय तिवारी जी गोडसे के संबंध में कह रहे थे और जोड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, तो माननीय गुप्ता जी ने न्यायालय की बात कही, न्यायालय ने सिद्ध कर दिया। इससे पहले आप सोचिये गुप्ता जी, पहले भी आप कह चुके थे। गुप्ता जी ने अभी से ही प्रमाणित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं था। माननीय गुप्ता जी पहले से आप यह नहीं कह सकते। नियमों का पालन सबको करना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को नहीं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा नाम लिया है आपने। गांधी जी के बारे में एक सुविचारित फैसला भी हो चुका है। आदरणीय पटेल जी उस समय प्रधान मंत्री की गद्दी पर बैठे थे, उस समय नेहरू जी बाहर थे। तिवारी जी अगर कह दें कि हमें जजमेंट की जानकारी नहीं है, तो मैं चुप हो जाऊंगा।

(घोर व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मुझे एक निवेदन यह करना है कि यह सदन में बहुत गम्भीर विषय चल रहा है, ग्राह्यता पर आप सुन लें। मान्यवर, जब से सदन चला है, करीब डेढ़ महीने हुए, यह साम्प्रदायिक है, यह पार्टी वह पार्टी (व्यवधान) तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक दिन इस बात के लिए तय कर दें कि आजादी के बाद भारत की राजनीति और साम्प्रदायिकता पर चर्चा हो जाय।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, पूर्व की बात पर बल देते हुए कहना चाहता हूं। मान्यवर, ही स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस देश के इतिहास को आप देख लें, [x x x] ऐसा लगता है कि लाशों की नींव को अपनी सत्ता की इमारत खड़ा करने में प्रयोग करते रहे हैं और आगे भी खड़ी करना चाहते हैं।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, महात्मा गांधी की हत्या में आर० एस० एस० की बात कही गयी है, इसको कोई इन्कार नहीं कर सकता है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब इन्दिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो उनके हत्यारों की हिफाजत करने के लिए कौन खड़ा हुआ, उनकी पैरवी करने के लिए कौन खड़ा हुआ ? जब सम्पूर्ण राष्ट्र चिन्ता में डूबा हुआ था, तो उस समय [x x x] उनके हत्यारों की पैरवी करने के लिए लगे हुए थे। उनके विरोधियों और हत्यारों की वकालत [x x x] की थी और किसी दूसरे ने नहीं की थी।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय तिवारी जी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद का जिक्र किया, इसलिए कहना चहता हूं कि जेठमलानी एक एडवोकेट हैं, वह अलग चीज है और पार्टी की चीज अपनी जगह पर अलग है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है। माननीय तिवारी जी श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बारे में कह रहे हैं, तो इसी प्रकार के और भी तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और अहम मुद्दे हैं, तो इसको आप सीमित करें, जिससे दूसरे मुद्दे भी आ जायें।

श्री अध्यक्ष–

मैं भी तो यही कह रहा हूं। तिवारी जी आप भाषण न दें। अपनी बात को संक्षेप में कहें, ग्राह्यता पर कह दें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जितना समय और लोगों को आपने दिया है, कम से कम उतना समय मुझे भी दें। मान्यवर, मैं अपनी बात पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि इन्दिरा जी साम्प्रदायिकता से लड़ती हुई मारी गयीं और उनके हत्यारों को बचाने के लिए और उनकी हिफाजत करने के लिए कौन उठा था, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उठे थे वह लोक सभा के सदस्य थे। अभी गुप्ता जी ने कहा कि वकालत दूसरी बात है और पार्टी की दूसरी बात है। अगर गुप्ता जी कोई कार्य कर दें, तो क्या यह यहां पर नेता नहीं कहलायेंगे।

मान्यवर, आगे बढ़ें। मुलायम सिंह की हत्या का प्रयास हुआ। उसका इरादा बना, [x x x] लेकिन जो पत्र मिला है, जो मरने के बाद डाइंग डिक्लेरेशन बन जाता, लेकिन वह नहीं बन पाया, जिन्दा लौट आया, उसमें लिखा है, उसे नहीं मालूम था कि वह जीते जी पकड़ा जायेगा, वह यही समझता था कि अपना काम करने के बाद वापस होगा और वही काम होता कि आप लाशें ढोते रहते। आपको भी मालूम है, अगर आपकी नीयत साफ है और आप इस घटना से दुखी हैं, तो आप कहें कि

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति विश्व हिन्दू परिषद् में नहीं जायेगा और अगर वह जायेगा, तो उसका नाता भारतीय जनता पार्टी से नहीं रहेगा और उसको अपने दल में नहीं रखेंगे।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

और अगर आप में साहस है तो विश्व हिन्दू परिषद् और शिव सेना से संबंध तोड़ने का एलान कीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, तिवारी जी ने कुछ पूछा है अगर आप कहें तो उत्तर दे दूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैंने कुछ नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी, माननीय गुप्त जी कुछ उत्तर देना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, वह बैठ नहीं रहे हैं, इसके मायने यह है कि प्रश्न का उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं। आप मना कर दें तो मैं बैठ जाऊं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस समय न्यायाधीश के रूप में बैठे हैं [x x x] हर बात पर जिस तरह से सफाई देने के लिए खड़े होते हैं उससे माननीय ऊदल जी की बात सही लगती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मान्यवर, मैं तीन चार बातें जानना चाहता हूं जो पूछी गयी थी। मान्यवर, अगर आप समझते थे कि वह आपका कार्यकर्ता नहीं था तो आपके नगर और जिला अध्यक्ष के साथ क्या करता रहा ? वह आपसे मिला तो क्या बात की ? आपके कार्यालय में जो उसका झोला बरामद हुआ तो उसमें रखे पत्र में उसने अपनी जिम्मेदारी क्यों सौंप दी उसकी डेड बाडी को पुणे तक पहुंचाने की ? मान्यवर, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इनकी भारतीय जनता पार्टी को इस गुनाह में लिप्त होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि इन्होंने सी० बी० आई० की जांच का इन्तजार नहीं किया और इसे पहले ही मुलायम सिंह का नाटक बता दिया (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि इनकी पार्टी का हत्यारे के साथ कोई न कोई संबंध है।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, न्यायिक और सी० बी० आई० जांच की मैंने मांग की है, आप [× × ×] बोल रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं अपनी बात कहते हुए दो बातें और कहना चाहता हूं । मान्यवर, इससे अधिक महत्वपूर्ण मसला और कुछ नहीं हो सकता है कि यह हमला नेता सदन पर हुआ है और इसका सम्बन्ध पूरे प्रदेश से है दूसरा तात्कालिक है क्योंकि जिस दिन यह घटना हुई है उसके बाद से सदन का यह पहला दिन मिला है, तीसरी बात यह है कि लोकतंत्र का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी जो इस प्रदेश के सौभाग्य से सत्तापक्ष में नहीं हैं और दुर्भाग्य से विपक्ष में हैं क्योंकि इन्होंने जो संविधान विरोधी कार्य किया था उससे तो इनको विरोध पक्ष में भी नहीं होना चाहिए था ।

मान्यवर, आज यह आरोप उस दल पर लगा हुआ है इसलिये इससे महत्वपूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती है । मान्यवर, जब सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी खड़े हों तो मैं केवल कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री किसी दल विशेष के नहीं हैं, मुख्य मंत्री पूरे प्रदेश के हैं, नेता पूरे सदन के हैं, इस समय पर आप वायदा करिये कि अगर [x x x] का हाथ इस हत्या करने वाले हत्यारे के साथ साबित हो तो आप यहां निन्दा प्रस्ताव ही नहीं सदन में लायेंगे बल्कि ऐसी फ़ासिस्टवादी दल की राजनीतिक रूप से मान्यता समाप्त कर चुनाव न लड़ने देने के प्रस्ताव लेकर आप सदन में आते हैं तो जानूंगा कि साम्प्रदायिकता से लड़ने की सचमुच हिम्मत आप रखते हैं और नहीं तो यह समझा जायेगा कि आप फासिस्टवाद को बढ़ाना चाहते हैं । इसी विषय पर सभी नियमों को निलम्बित करते हुए चर्चा करा लें जिससे सभी बातें सामने आ जाय, सच्चाई सामने आ जाय । क्योंकि पूरे प्रदेश को आशंका है कि मुख्य मंत्री पर हमला हुआ है वह सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है [× × ×] ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, जिस गम्भीर प्रकरण पर अभी आप सुन रहे थे माननीय सदस्यों को ग्राह्यता पर, पूरा प्रदेश उस घटना से चिन्तित है । सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने ढंग से इस पर चिन्ता व्यक्त की है । थोड़ा माननीय वर्मा जी की बात से जरूर हमको कष्ट हुआ इसलिये कि वे भी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के साथ हमेशा जुड़े रहे । किस बात को कैसा बल मिलना चाहिये, हम कभी कोई बात बोलें तो उसे देखें । पिछले वर्षों में साम्प्रदायिक हिंसा का ताण्डव देख चुके है, उसके पीछे किसका हाथ रहा, गुप्ता जी, वह कहीं छिपा नहीं है । माननीय तिवारी जी की बात पर आप गोडसे के पक्ष में तर्क दे रहे थे । न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देता है । कातिल भी कभी-कभी बच जाता है । जनता की नजर में वह कातिल बना रहता है भले ही सबूतों के आधार पर प्रमाणों के अभाव में अदालत से वह बच जाय । लेकिन, सच्चाई नहीं छिपती है ।

माननीय मुलायम सिंह जी ने पीछे झटका दिया प्रतिगामी शक्तियों को, बहुत बड़ा सपना देख रही थीं दिल्ली की गद्दी पर बैठने का । वह आदमी पैदा जरूर हुआ पिछड़ी जाति में, बर्दाशत भले ही न हो लोगों को, लेकिन उस व्यक्तित्व ने देश में जो करिश्मा कर दिखाया अपने परिश्रम से, पौरुष से, उससे

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

प्रतिगामी शक्तियों की सोची समझी 25 वर्षों की अनेक वर्षों की रणनीति वह खत्म हो गयी एक व्यक्ति के परिश्रम से (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) यह स्वाभाविक है, ऐसे व्यक्ति पर नजर इन शक्तियों की हमेशा रहेगी जिन्होंने उनके सपनों को चकनाचूर किया है। माननीय ऊदल जी ने सही कहा, घटना के बारे में उल्लेख किया, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय ऊदल जी को, उन्होंने पूरी सच्चाई से, जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी की नीतियों को यहां पर उजागर किया है।

श्रीमन्, 4 तारीख को 9 बजकर 25 मिनट पर हत्या की नीयत से वह युवक उसमें दाखिल हुआ था, सुरक्षा कर्मी पर बड़ी चिन्ता है, सुरक्षा व्यवस्था पर ज्यादा चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं, हमारे सामने बैठे हुए साथी। सुरक्षा का इन्तजाम पूरा समझते थे और सुरक्षा का इन्तजाम आप के जरिये हुआ और आप ही यहां पर कहते हैं कि टूटे हुए पर गर्व है। इससे बड़ी शर्म की बात किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के लिये नहीं हो सकती। कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे एक ही मुद्दे पर, कभी कहा गया कि बाबरी मस्जिद का टूटना दुर्भाग्यपूर्ण था यह अब बयान आने लगा है। कभी गर्व करते हैं कभी दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं। यह प्रतिगामी शक्तियों का फासिस्टवादी शक्तियों का तरीका रहा है कि जिस बात से वे अपना पक्ष जनता के बीच में रख सकें और जनता उसे पसन्द करे, उसी तरीके से अपने बयान बदलते रहते हैं।

सच्चाई पर पर्दा डालना और समय समय पर अपने अनुसार उसे बदलना यह फासिस्टवादी शक्तियों का चरित्र रहा है। यह जांच का विषय है कि उसका किस दल से सम्बन्ध है इसमें सफाई की आवश्यकता नहीं है। क्या यह सही नहीं है कि पार्टी के नगर कार्यालय से उसका सामान बरामद हुआ और उसी राजनीतिक पार्टी, जिसका नाम लिया माननीय प्रमोद तिवारी जी ने, की शहर इकाई के अध्यक्ष को पत्र लिखा गया कि मैं आज मुख्य मंत्री पर हमला करने जा रहा हूं तत्काल अगर मैं मारा जाऊं तो हमारी लाश पुणे भेज देना। अगर पहले से मालूम नहीं था पहले से सम्पर्क नहीं था तो इस तरह का पत्र उस व्यक्ति को क्यों लिखा गया ? यह पत्र बरामद हुआ, उसी की हस्तलिपि में बरामद हुआ। गुप्ता जी आप इस तरह से सफाई देने के लिए यहां नहीं हैं। आपकी पार्टी न मालूम कितने दलों एवं संगठनों से चलती है। योजना कहीं बनती है, अमल कोई करता है तो आप सफाई क्यों दे रहे हैं ?

आप यहां पर बैठे थे और 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद तोड़ने की योजना कहीं बनी थी दूसरे लोग अमल करने वाले थे और दूसरे लोग विधान सभा में बैठने वाले थे। यह तो पूरी दुनिया जानती है। आप तो पुराने साथी हो मुलायम सिंह जी के, सुरक्षा व्यवस्था पर चिन्ता व्यक्त करके इस मामले को हल्का नहीं करना चाहिए था। आज यह जो सिलसिला चला आ रहा है कि जो भी इस देश की एकता के लिए खड़ा होता है, संघर्ष करता है, देश में भाईचारे की भावना को बढ़ाने का प्रयास करता है उसकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है। महात्मा गांधी, इन्दिरा गांधी एवं राजीव गांधी की हत्या इन्हीं प्रतिगामी शक्तियों ने की।

आज उन्हीं प्रतिगामी शक्तियों की निगाह माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर है। वह इनकी नजर में कांटा बने हुए हैं। आज साम्प्रदायिकता पर विश्वास रखने वाले लोगों का सपना चूर हुआ है। आज वह सत्ता में नहीं हैं। मान्यवर, इसमें जांच हो रही है। अभी माननीय ऊदल जी, माननीय किरनपाल जी एवं तिवारी जी ने, जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप समर्थन करो और प्रतिगामी शक्तियों को अपने से दूर रखना चाहते हो तो सही बात कहने की कोशिश करो। अगर उन्हीं का अनुसरण करोगे तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जायेगा। आज आप विरोध में बैठे हुए हो अगर यह सब धर्मनिरपेक्ष लोग संगठित हो कर चलेंगे तो कल आप विरोध में भी नहीं बैठ पाओगे अगर हम लोग मिलकर हिन्दू मुस्लिम की एकता और भाई-चारे को बनाये रखेंगे तो जो इस एकता को नष्ट करना चाहते हैं, ऐसी प्रतिगामी शक्तियों का सपना पूरा होने वाला नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ....

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति पर हमला हुआ वह इस सदन के नेता एवं इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और वे तथ्यों को भी आसानी से रख सकते हैं जो कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं रख सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, संसदीय कार्य मंत्री जी का रूटीन बयान आया है, माननीय मुख्य मंत्री जी पर हमला हुआ है, सदन की गरिमा के लिए कोई निर्णय पर पहुंचने से पूर्व कि आप इसे चाहे ग्राह्य करें या न करें, मेरे दल की मंशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को सदन में बुला लिया जाये और उनका बयान आ जाये, वे पूरी घटना की जानकारी दे दें और उसके बाद आप कोई निर्णय लें। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, जब पटना की बात कही गयी थी, जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मेरी जान को खतरा है और मैंने भी इसको उठाया था जिस पर इनके द्वारा राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गयी थी और बेहूदा शब्द का इल्जाम लगा था, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का आदर करते हुए हम यह कहना चाहते हैं कि हम आपके बयान को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वह व्यक्ति सदन में आ सकता है और नेता भी है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि यदि माननीय मुख्य मंत्री जी लखनऊ में हैं तो उन्हें यहां आना चाहिए और बताना चाहिए। यह केवल 4 अप्रैल की अकेले की घटना नहीं हैं बल्कि जो उन्होंने पटना में बयान दिया था उसकी चरम परिणति हो रही है। वे यहां पर आयें और बतायें कि कौन सी प्रतिगामी एवं साम्प्रदायिक शक्तियां हैं जो माननीय मुख्य मंत्री जी की हत्या करना चाहती हैं, कौन लोग हैं जो उनकी हत्या करना चाहते हैं और उसका जवाब केवल माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में दे सकते हैं उनके अलावा कोई बयान मेरा दल स्वीकार नहीं करेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय तिवारी जी ने जो आपके सामने इच्छा व्यक्त की है, हमारा उससे कोई विरोध नहीं है। श्रीमन् आप और तिवारी जी, जो चाहेंगे, जैसा आप निर्देश देंगे, उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जिस विषय पर पूरे सदन ने चिन्ता व्यक्त की है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी निन्दा की है। मान्यवर, जिन प्रतिगामी शक्तियों की बात संसदीय कार्य मंत्री कर रहे हैं, उनका आज सदन में खुलासा होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

जो बात तिवारी जी ने कह दी, उसको आप मत दोहराइये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह तो ज्वाइंट रिस्पान्सबिलिटी है। एक मंत्री का बयान पूरी सरकार का बयान होता है। संसदीय कार्य मंत्री जी तो संवैधानिक स्थिति बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहां विषय यह नहीं है।

जिस पर हमला हुआ है, वह इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं, इस सदन के नेता भी हैं, वह स्वयं यहां आकर अपनी बात को क्यों नहीं रख रहे हैं, इसमें उन्हें क्या दिक्कत है ? अगर वह अपनी बात सदन में नहीं रखना चाहते तो कहां रखना चाहते हैं ? मान्यवर, आपको असीम अधिकार हैं, आप निर्देश दें कि माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव को इस सदन में लाया जाय और वह अपनी बात से सम्पूर्ण सदन को अवगत करायें कि सम्पूर्ण घटनाचक्र क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जो निर्देश आप देंगे, उसका अनुपालन होगा । माननीय मुख्य मंत्री जी यदि लखनऊ में नहीं हैं, तो भी हम उन्हें इस भावना से अवगत अवश्य करायेंगे, वैसे वह स्वयं किसी उपयुक्त अवसर पर अपनी बात कह देंगे । हमारे पास जो सूचना है, उसके अनुसार सी०आई०डी० की जांच के आदेश दे दिये गये हैं और सी०बी०आई० से भी सहयोग लिया जा रहा है । श्रीमन् यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती । प्रदेश के प्रमुख पर जानलेवा हमला हुआ, अगर वहां के सुरक्षाकर्मी पूरी तरह चौकस न होते, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट सकती थी । चाकू जो बरामद हुआ, वह कोई मामूली चाकू नहीं था, बहुत अच्छी मूंठ, नक्काशीदार और काफी लम्बा चाकू है । सामने बैठे लोग हंस रहे हैं । जब यह घटना की जानकारी प्रदेश में हुयी तो पूरा प्रदेश स्तब्ध रह गया था । श्रीमन्, हम लोग गांधी और अम्बेदकर की नीतियों में विश्वास न रखते होते तो हम भी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे सकते थे । लेकिन सबसे पहला बयान जो हमारा आया वह यही था कि लोग उत्तेजना में न आवें और पूरी तरह से संयम बरतें । आप एक मारो, सौ पैदा होंगे और एक मारोगे तो सौ खुद ही मर जाओगे ।

आप लोग हिंसा की राजनीति करके हिन्दुस्तान में पैर नहीं जमा सकते । श्रीमन्, इन चुनावों में धर्मनिरपेक्षता की जीत हुयी है और आगे के चुनावों में भी धर्मनिरपेक्षता ही जीतेगी । श्रीमन्, जो अपराधी है और उसके पीछे जो ताकतें हैं, उनका पूरी तरह पर्दाफाश किया जायेगा । मैं साफ शब्दों में अभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन भाजपा कार्यालय में उसका सामान बरामद हुआ, भाजपा अध्यक्ष को वह पत्र लिख गया था कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को पूना पहुंचवा दीजियेगा । मैं मुलायम सिंह यादव को मारने जा रहा हूं । जांच के बाद सारी बात पता लगेगी । जो अपराधी है, उसको तो सजा मिलेगी ही, लेकिन उसके पीछे जो ताकतें हैं, उनका भी खुलासा होगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अपना निर्णय देने के पहले इस बात पर विचार कर लें कि माननीय नेता सदन को यहां आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता सदन श्री मुलायम सिंह यादव पर प्राण घातक हमला हुआ, उससे उत्पन्न स्थिति पर हमारे पक्ष और विपक्ष के अनेक नेताओं और सदस्यों ने नियम–311 के अन्तर्गत सारे नियमों को निलम्बित करके प्रकरण पर चर्चा के लिये मांग की । जिन माननीय सदस्यों और माननीय नेताओं ने नोटिस दिये, हस्ताक्षर किये उनके अतिरिक्त भी मैंने कुछ माननीय नेताओं और माननीय सदस्यों को सुना । स्थिति अति गम्भीर है ऐसी स्थिति भविष्य में कभी पैदा न हो, इस प्रकार के प्रकरण सामने न

आयें, इसके लिये बहुत से सुझाव भी आये । हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी अपना पक्ष रखा और उन्होने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सी०आई०डी० से जांच के लिये आदेश हुये हैं और सी०बी०आई० जांच भी होगी ।

माननीय नेता कांग्रेस श्री तिवारी जी, पाल साहब और अग्रवाल जी ने यह मांग की कि माननीय मुख्य मंत्री जी पर हमला हुआ है उनको यहां उपस्थित रहना चाहिए था और अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था । मंत्रि-मण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सरकार की तरफ से कोई मंत्री सरकार का पक्ष रखता है वह काफी होता है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने सरकार का पक्ष रख दिया है और वह पर्याप्त है । मैं अपनी तरफ से और नैतिकता के नाते यह उचित नहीं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी पर हमला हुआ और वह अपना पक्ष यहां प्रस्तुत करें । हम सभी लोगों ने जो विचार रखे जिससे उन्हें आत्म सन्तोष हो कि मेरे ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ है उससे सभी लोग चिन्तित हैं और उसे गम्भीरता से ले रहे हैं । चूंकि सरकार की तरफ से पक्ष आ गया है और सरकार ने जांच के लिये भी आदेश कर दिये हैं इसलिये नोटिस को निरस्त कर रहा हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस पर वक्तव्य तो स्वीकार कर लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, इसलिये इसे मैंने निरस्त कर दिया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अभी यह विषय उठ चुका है, दुबारा यह विषय उठ सकता है । इस पर आगे तमाम जानकारियां शासन के पास आयेंगी । इसलिये मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर शासन की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, अब इस पर कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस पर वक्तव्य स्वीकार कर लीजिये । क्योंकि जो शासन ने जानकारी दी है वह आज तक जो तथ्य थे उन्हें उपलब्ध करा दिया । हो सकता है कि एक दिन बाद, दो दिन, चार दिन, छः दिन और 10 दिन बाद तफतीश में शासन को कुछ और जानकारी मिले । चूंकि एक बार उठ चुका है और नियमों की बाध्यता के कारण समस्या यह है कि इसे दोबारा उठा नहीं पायेंगे । इसलिये मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कृपापूर्वक पूरे सदन को ही नहीं सम्पूर्ण प्रदेश को जानकारी देने के लिये उचित है । इस संबंध में कुछ दिनों बाद ही जानकारी आयेगी उससे सदन को अवगत कराया जाय और सदन अवगत हो । मैं चाहूंगा कि शासन की बिल्कुल नयी जानकारी से यहां पर अवगत कराया जाय । जानकारी के संबंध में एक वक्तव्य देने के निर्देश दें, यह आपका अधिकार है और अधिकार क्षेत्र में है । हम चाहते हैं कि इसे स्वीकार किया जाय यह सरकार के लिये और जनहित में है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, श्री तिवारी जी ने जो भावना व्यक्त की है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। इस हमले से यह सदन और सभी लोग चिन्तित हैं। इन तथ्यों से और जो कुछ भी तथ्य आगे आयेंगे, उसके लिये एक वक्तव्य देने के लिये निर्देशित कर देंगे तो सदन अवगत हो जायगा। पूरा प्रदेश और जनता अवगत होगी। वक्तव्य के लिये निर्देशित करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष–

सबको सुन लिया, अब नहीं, कोई और दूसरी बात कहिये, ठीक है बोलिये, सब लोग बोलिये।

श्री किरन पाल सिंह–

(व्यवधान) इस पर चर्चा की मांग करेंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

हां बोलिये, क्या है व्यवस्था का प्रश्न ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी आपने कहा कि निरस्त किया जाता है। इसे अग्राह्य करने के बाद भी एक, दो, तीन, पांच मिनट तक बोलने दिया जाता है। एक बार व्यवस्था देने के बाद भी बार-बार प्रश्न उठाने से अव्यवस्था पैदा होती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह विषय संवेदनशील है और नियमों के अनुसार ही करें। सरकार जिस एजेन्सी से चाहें इस मामले की जांच करा सकती है, यह उसके विवेक पर छोड़ते हैं। श्री तिवारी जी ने अभी जो एक बात कही कि परिस्थिति में और बदलाव है, नियम बाधक नहीं है। नयी परिस्थिति में चर्चा उठा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मेरी बात सुन लिया करिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियमों के अनुसार ही करें, मेरी पूरी सहानुभूति है। सरकार चाहे जिस एजेन्सी से जांच कराये ताकि उसका पर्दाफाश हो, विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

अभी माननीय तिवारी जी, माननीय वर्मा जी, माननीय किरनपाल जी और माननीय गुप्ता जी ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि निरस्त होने के पश्चात् फिर इस पर दोबारा चर्चा नहीं की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

इसलिये यदि कोई नया मोड़ लेती है यह घटना, तो उस पर किस तरह से विचार आयेंगे वक्तव्य के लिये सरकार को और किसी तरह से निर्देशित करने के लिये इच्छा व्यक्त की गयी है। मैं इसमें यदि कोई नया आयाम होता है, नयी कोई बात पैदा होती है तो सरकार को निर्देशित करता हूं कि वह अपने वक्तव्य यथा समय दे।

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब इसके पश्चात् भी नियम 311 के अन्तर्गत दो सूचनायें हैं। उन दोनों सूचनाओं पर मैं सुनूंगा। मैं उनको नियम 56 में ले रहा हूं। श्री राम आसरे वर्मा जी ने लखनऊ शहर में रहस्यात्मक हत्याओं के परिपेक्ष्य में किशोरों से दुष्कर्म के शक के दायरे मे अति विशिष्टजनों के लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में दिया था, मैंने इसे नियम 56 में ले लिया है। स्वविवेक से मैंने इसे पहले ले लिया है। ऐसी ही सूचना श्री किरनपाल सिंह, प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल व श्री नरेश अग्रवाल जी की है। अगली सूचना श्री राम सरन वर्मा, डा० रामबाबू हरित, श्री सत्य प्रकाश विकल व श्री बदन सिंह जी की प्रदेश के कतिपय जनपदों में वर्षा व आंधी तूफान एवं ओलावृष्टि से हुई धन एवं जनहानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं।

इसके बाद अगली सूचना श्री भैरो प्रसाद मिश्र व श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी की जनपद सोनभद्र में बस एवं ट्रक टक्कर में 12 लोगों के मरने एवं 24 लोगों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के समबन्ध में है, अगली सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक जी की जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस संरक्षण में फर्जी नोटों के चलन के संबंध में है, अगली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी जी की है जो दिल्ली मे आयोजित डंकल विरोधी रैली में जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पिलखुआ हाल्ट पर पुलिस कर्मियों द्वारा पीटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, अगली सूचना श्री कृष्ण वीर सिंह सिरोही जी की निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा द्वारा कथित रूप से अवैध नियुक्तियां किये जाने के संबंध में है, अगली सूचना श्री रमेश कान्त लवानियां जी की है। इन सभी सूचनाओं पर मैं नियम–56 में सुन रहा हूं। पहले मैं श्री राम आसरे वर्मा जी को बुला रहा हूं।

(श्री रंगनाथ मिश्र के खड़े होने पर – व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। शलाका के आधार पर जो निकली हैं, उन्हीं पर मैं सुनूंगा।

(व्यवधान)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 7 अप्रैल, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई।

पहली सूचना श्री कुंवर सर्वराज सिंह जी की रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग, धांधली आदि की उच्चस्तरीय जांच कराने के संबंध में है।

दूसरी सूचना श्री अमरनाथ यादव की वाराणसी के 243–वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में रह रहे सफाई कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री गया चरण दिनकर की उ० प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० में आरक्षण के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में है।

चौथी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की वाराणसी नगर के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने तथा काशी घाटों के सुन्दरीकरण हेतु महापालिका को निर्देशित करने के संबंध में है।

पांचवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की उन्नाव से ग्राम पडरी कलां जाने वाली परिवहन निगम की बसें जो शासन द्वारा बन्द कर दी गयी हैं, को पुनः चलवाने के संबंध में।

छठी सूचना श्री रमेशकान्त लवानियां की आगरा पुलिस के संचार माध्यम बाधित होने के कारण कानून व्यवस्था कायम रखने में हो रही कठिनाई के संबंध में है।

सातवीं सूचना श्री बदन सिंह की आगरा के कस्बा अछनेरा की कृषि उत्पादन मण्डी समिति में व्याप्त अव्यवस्था एवं कथित भ्रष्टाचार के संबंध में है।

प्रतीक्षा सूची में श्री नरेश अग्रवाल की सूचना वाराणसी नगर पालिका द्वारा नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत लाखों रुपया फर्जी नामों से निकाले जाने की जांच एवं जिन लोगों के नाम से रुपया निकाला गया है उनके उत्पीड़न की कार्यवाही रोकने के संबंध में तथा दूसरी श्री राम प्रसाद टम्टा की बागेश्वर क्षेत्र के नुमाइश खेत स्वराज भवन के आंगन में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति खण्डित करने के दोषी लोगों को दंड दिलाने के संबंध में है।

इसके बाद जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं उनके नाम इस प्रकार हैं–1–श्री मन्नू लाल कुरील, 2–श्री बनवारी सिंह यादव, 3–श्री जुगेन्द्र सिंह, 3–श्री रंगनाथ, 4–श्री मित्रसेन यादव, 5–श्री राम आसरे वर्मा, 6–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, 7–डा० राम बाबू हरित, 8–श्री ऊदल, 9–श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर), 10–श्री विश्राम सिंह यादव, 11–श्री हृदय नारायण, 12–श्री बालेश्वर त्यागी, 13–श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया, 14–श्री राम सरन वर्मा, 15–श्री मातवर सिंह कण्डारी और 16–श्री भैरों प्रसाद मिश्र।

7 सूचनाएं जो स्वीकार की गयी हैं वह पढ़ी हुई मानी जायं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा धांधली किये जाने तथा उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर सर्वराज सिंह–

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न आपके संज्ञान में लाते हुए सदन में उठाना चाहता हूं। रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यकाल में व्याप्त भ्रष्टाचार, अधिनियम/परिनियम की धाराओं का जानबूझ कर उल्लंघन परीक्षा/परीक्षाफल में टेम्परिंग तथा गम्भीर

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनियमितता/घोटाला छात्र/अध्यापकों में रोष असंतोष अनुशासन का अभाव के कारण छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। शिक्षकगण चाहते हुए भी शिक्षा का वातावरण नहीं बना पा रहे हैं। अभिभावक दुखी हैं। कई वर्षों से इसी मांग को लेकर आन्दोलित हैं परन्तु पूर्व भाजपा सरकार इस कुलपति के खिलाफ जानकर भी कोई कार्यवाही नहीं कर सकी क्योंकि कुलपति भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगलगीर व करीबी थे परन्तु इस लोकप्रिय मुलायम सिंह सरकार के बनने के बाद जनता, छात्र, अध्यापक, अभिभावकों को आशा बनी है कि इस गम्भीर मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी तो दोषियों के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जायेगी जिससे विश्वविद्यालय की विस्फोटक जटिल स्थिति से निकाला जा सकेगा। आन्दोलित छात्र व शिक्षक आन्दोलन छोड़ शिक्षा का माहौल बनायेंगे।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को बेनकाब करने का कष्ट करेंगे।]

वाराणसी में सफाई कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था न होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरनाथ यादव–

[महोदय, उक्त अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय को जनहित में आपके संज्ञान में लाकर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :—

वाराणसी शहर में सफाई कर्मचारियों के आवास की कोई व्यवस्था शासन की ओर से अब तक नहीं की गयी है। वे सड़क की पटरियों पर मिट्टी की दीवाल बनाकर, घास-फूस या टूटे टिनों, कनेस्टरों से छाया कर किसी प्रकार से जीवन बसर कर रहे हैं। बरसात के दिनों में और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रात भर पानी चूने से जाग कर व्यतीत करते हैं। जगह-जगह पानी लग जाता है। ऐसे लोगों को किसी प्रकार की नागरिक सुविधा जैसे स्वास्थ्य, सीवर, पेयजल, विद्युत आदि नहीं मिल पाती है।

उक्त समस्याओं से 243–वाराणसी उत्तरी विधान सभा के कज्जाकपुरा, डिगिया, जैटपुरा, मलदहिया, राजाबार, घौसाबाद, लच्छीपुरा, नेदसर, इंगिलिशिया, लाइन कोनिया, सरैया, जलालीपुरा, चोकाघाट, काजी सादुल्लापुरा, बड़ी बाजार, छोहरा दोषीपुरा, नवापुरा, कतुआपुरा मछोदरी आदि सफाई कर्मचारियों का क्षेत्र ग्रसित है।

उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में तत्काल सभी नागरिक सुविधाओं से युक्त आवास की व्यवस्था करें।]

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि० में आरक्षण के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गया चरण दिनकर–

[महोदय, सादर अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक में सेवा नियमावली में आरक्षण के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के आरक्षण के अन्तर्गत प्राविधान होते हुए भी प्रोन्नतियां नहीं दी गयीं परिणामतः महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक एवं प्रबन्धक पद पर एक भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अधिकारी नहीं है आज भी सहायक प्रबन्धक से प्रबन्धक पद पर 14, सहायक से सहायक प्रबन्धक पद पर 34, सहयोगी से सहायक पद पर 11 पद पदोन्नति हेतु रिक्त हैं 18% आरक्षण के अन्तर्गत आज भी 63 पद सहायकों के सीधी भर्ती हेतु रिक्त

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैं । तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी से ऊपर के सभी पद पदोन्नति द्वारा ही भरे जाते हैं, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा कई बार आरक्षण के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु प्रबन्ध निदेशक को स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं एवं तत्कालीन प्रशासन श्री आर० एस० टोलिया ने दिनांक 22-7-83 को उपरोक्त सन्दर्भ में आदेश पारित किये विरोधी संगठनों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर स्थगन आदेश ले लिया गया था किन्तु वर्ष 1984 में दिनांक 25 मई, 1984 को प्रश्नगत स्थगन आदेश निरस्त हो गया था फिर भी आज तक एक भी अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के आरक्षण के अन्तर्गत पदोन्नति नहीं की गयी यह विधि विरुद्ध एवं अमानवीय कार्य शैली है परिणामतः समस्त संबंधित कर्मचारियों में न्याय के प्रति निराशा उत्पन्न हो गयी है ।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, में आरक्षण के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ जनजाति के कर्मचारियों की शीघ्र पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को स्पष्ट आदेश पारित करने की कृपा करें ।

वाराणसी नगर के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने तथा काशी के घाटों के सुन्दरीकरण कराने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी–

[महोदय, विगत 5-6 वर्षों में नगर के मलिन बस्तियों में खड़ंजा बिछाये जाने, पेयजल उपलब्ध कराने, गन्दा पानी निकासी हेतु सीवर व्यवस्था आदि कार्यों द्वारा बस्तियों के विकास हेतु विभिन्न योजनान्तर्गत अलग से काफी धन महापालिका को प्राप्त हुए लेकिन उपरोक्त धन निश्चित मद में खर्च नहीं किया गया, जिससे बस्तियों की दयनीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सका । विकास हेतु प्राप्त धन कहां और किस मद में नियम के विपरीत खर्च किया गया इसकी जांच कराया जाना जनहित में आवश्यक है ।

इसी प्रकार काशी के घाटों के सुन्दरीकरण तथा उन्हें स्वच्छ बनाये रखने हेतु समय-समय पर धन प्राप्त होता रहा है, लेकिन घाटों पर रोशनी हेतु लगे हुए अधिकांश बल्ब बुझे रहने से अन्धकार छाया रहता है । घाटों पर जमा मिट्टी का ढेर लगा हुआ है । स्थान-स्थान पर एकत्रित मलमूत्र से उठते बदबू के कारण घाटों पर बैठना तो दूर रहा वहां से गुजरना भी अत्यन्त कष्टदायक रहता है । और इसका बहुत ही बुरा प्रभाव तीर्थयात्रियों तथा देशी और विदेशी पर्यटकों पर पड़ता है ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषयों पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मलिन बस्तियों के सुधार एवं घाटों के सुन्दरीकरण एवं स्वच्छ रखने हेतु शासन द्वारा महापालिका एवं संबंधित विभागों को निर्देशित किये जाने की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उन्नाव से ग्राम पड़री कला जाने वाली परिवहन निगम की बन्द बसों को पुनः चलवाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल लोधी–

[महोदय, जनपद उन्नाव से ग्राम पड़री कलां के लिए शासन द्वारा काफी लम्बे समय से परिवहन निगम की बसें चलायी जाती रही हैं । उस समय भी सवारियों की संख्या को देखते हुए बसों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग निरन्तर की जाती रही है, किन्तु बसों की संख्या बढ़ाये जाने के स्थान पर परिवहन निगम की बसें विगत 3 माह से बन्द कर दी गयी हैं ।

यहां यह भी उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा कि प्राइवेट सेक्टर के बस मालिकों के दबाव में आकर, परिवहन निगम की बसें बन्द करा दी गयी हैं, जिससे जनपद उन्नाव से ग्राम पड़री कलां हेतु प्राइवेट सेक्टर द्वारा जीपें चलायी जा रही हैं, उनमें इतनी अधिक संख्या में यात्रियों को जबरदस्ती बैठा लिया जाता है, जो कि सीटों की संख्या से कहीं अधिक होता है । जिससे प्रायः दुर्घटना होने के भय बना रहता है और यात्रियों को परिवहन बसों को न चलाये जाने से काफी असुविधा होती है । प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों पर समय से नहीं पहुंच पाते हैं । विशेषरूप से कृषक वर्ग को काफी असुविधा होती है ।

पुलिस की सांठ-गांठ से प्राइवेट बसें व जीपें चलाये जाने से स्थानीय नागरिकों को काफी असुविधा होती है, जिसे उनके द्वारा निरन्तर मांग की जा रही है कि पूर्व की भांति रोडवेज बसें पुनः चलायी जायें ।

अतः इस लोक महत्व के जनहित के प्रश्न पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि उपरोक्त उल्लिखित मार्ग पर परिवहन निगम की बसें पूर्व की भांति शीघ्र चलायी जायें, जिससे कृषक वर्ग व अन्य स्थानीय नागरिकों में किसी प्रकार का आक्रोश न व्याप्त हो ।]

आगरा पुलिस के संचार माध्यम बाधित होने से कानून व्यवस्था कायम रखने में हो रही कठिनाइयों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश कान्त लवानियां–

[महोदय, आगरा में गत कई दिनों से पुलिस थानों, चौकियों व पुलिस के अधिकारियों के टेलीफोन कनेक्शन भुगतान न होने के कारण अस्थायी रूप से कट गये हैं । जिससे कानून व्यवस्था कायम रखने में पुलिस को कठिनाई होती है वहीं जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है । कई बार सामान्य वारदातें जो पुलिस को सही समय पर सूचना मिल जाने से टाली जा सकती हैं । सूचना के अभाव में भयंकर रूप ले लेती है । कई थानों व चौकियों व पुलिस अधिकारियों के यहां के टेलीफोन कनेक्शन कटे पड़े हुए हैं । उक्त विषय को सदन में उठाना इसलिए आवश्यक है कि त्वरित कार्यवाही होकर पुलिस के संचार माध्यम ठीक हों । जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियन्त्रण रह सके ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को सदन में उठाने की अनुमति प्रदान करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ।]

जनपद आगरा के कस्बा अछनेरा की कृषि उत्पादन मण्डी समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह–

[महोदय, जनपद आगरा के कस्बा अछनेरा में स्थित कृषि उत्पादन मण्डी समिति घोर व्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार के घेरे में फंस गयी है । वहां पर केवल 18 दुकानें व्यापारियों को उपलब्ध करायी गयी हैं और 20 व्यापारियों को "बी" श्रेणी की दुकानें न देकर प्लेटफार्म ही आवंटित कर दिये गये हैं जिससे उनको गल्ला रखने की कोई असुविधा नहीं है किसानों के लिए गल्ला जमा कर 75% कीमत भुगतान करने के लिए भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । किसानों और व्यापारियों के लिए पानी बिजली और सफाई तथा जल निष्कासन के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है न वहां पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था है और न बैंक काउन्टर की दुकानों का आवंटन भी भ्रष्टाचार के आधार पर किया गया है न कि शुल्क के आधार पर । सचिव व्यापारियों और किसानों की खुली लूट कर रहा है और मण्डी समिति के राजस्व को खत्म कर अपनी जेब भरने लगा है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर भ्रष्ट मण्डी समिति कर्मचारियों को दण्डित करने और मण्डी समिति अछनेरा (आगरा) की अव्यवस्थाओं और कमियों को दूर करने की मांग करता हूं ।]

सदन में दी गयी विभिन्न सूचनाओं को सुने जाने की मांग

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

नहीं, ऐसे सदन नहीं चलेगा, माननीय रंगनाथ जी आप हमेशा मनमानी करते हैं (व्यवधान) लिखा नहीं जायेगा ।

श्री रंगनाथ–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं लिखा नहीं जायेगा ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आप अनुमति दीजिये, मैं बोलूं (व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

यह 300 की नहीं, दूसरी सूचना है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आपने कहा था मुझे सुनेंगे । 311 में मैंने दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया उसे 56 में सुनूंगा (व्यवधान) मैंने कह दिया आपको सुनूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैंने अहमियत को देखते हुए 311 में दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा सुनूंगा 56 में स्वीकार कर लिया हैं । आप जो कह रहे हैं मैंने 56 में परिवर्तित कर दिया है, आपको सुनूंगा (व्यवधान) नियम 300 को मैंने स्वीकार की हैं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि :–(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 मार्च, 1994 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 मार्च, 1994 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1994 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया ।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री रंगनाथ, श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया तथा श्री प्रणत पाल सिंह आदि कई सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर नारे लगाने से व्यवधान उत्पन्न हो गया)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि :–(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 मार्च, 1994 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 मार्च, 1994 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1994 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि :–(1) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 मार्च, 1994 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 मार्च, 1994 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 अप्रैल, 1994 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

गाजियाबाद की आठ लाख से अधिक आबादी को जल निगम के मानक के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में श्री राजेश पाल आदि की याचिका

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–4 में कुछ नहीं है मद संख्या–5 श्री बालेश्वर त्यागी याचिका प्रस्तुत करें।

(श्री सत्य प्रकाश विकल तथा सुधीर कुमार बालियान के प्रयास से सदन के वेल में आये सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से गाजियाबाद की 8 लाख से अधिक आबादी को जल निगम के मानक के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में श्री राजेश पाल, निवासी–257, रामपुरी गाजियाबाद तथा श्री सुनील शर्मा, निवासी–आर 10/104 राजनगर, गाजियाबाद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद कानपुर (देहात) के ब्लाक भीतरगांव के अन्तर्गत मुगलरोड से चन्दनपुर-उमरी साढ़े छः कि०मी० मार्ग को पक्का डामर युक्त कराये जाने के संबंध में श्री सुरेश सचान आदि की याचिका

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से (1) जनपद कानपुर (देहात) ब्लाक–भीतरगांव के अन्तर्गत मुगल रोड से चन्दनपुर-उमरी साढ़े छः कि०मी० मार्ग को पक्का डामरयुक्त कराये जाने के संबंध में श्री सुरेन्द्र सचान तथा श्री संजय सचान, निवासीगण–ग्रा०- व पो०–उमरी, जनपद कानपुर (देहात) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कानपुर (देहात) के ब्लाक भीतरगांव के अन्तर्गत भीतरगांव से पसेवा-पासीखेड़ा-उमरी-मड़ेपुरा-असेनिया मार्ग 8 कि० मी० को पक्का डामर युक्त कराये जाने के संबंध में श्री राज बिशम्भर आदि की याचिका

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद कानपुर (देहात) ब्लाक–भीतरगांव के अन्तर्गत भीतरगांव से पसेवा-पासीखेड़ा-उमरी-मुड़ेरा-असेनिया मार्ग 8 कि०मी० को पक्का डामरयुक्त कराये जाने के संबंध में

श्री राज विशम्भर ग्राम–सर्वानापुर, पो०–पासीखेड़ा, जनपद कानपुर (देहात) तथा श्री अशोक कुमार आर्य, ग्राम–उमरी, पो०–रार, जनपद–कानपुर (देहात) आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–7, 8, 9 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994 †

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 †

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 12 अप्रैल, 1994 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब जो नियम 56 में पांच लोगों की सूचनायें आयी हैं, मैं पहले किरन पाल जी को सुन रहा हूं।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ग्राह्यता के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया है। मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर विषय है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जहां राजसत्ता को चलाने वाले लोग रहते हैं, वहां पर पिछले दो महीने से विचित्र किस्म की हत्यायें हो रही हैं और उन हत्याओं का पता राज्य सरकार नहीं लगा पायी है कि किसकी हत्या हो रही है, कौन कर रहा है और किसलिए कर रहा है ? इसकी जांच का काम सी० बी० आई० के लोग भी कर रहे हैं। जांच इसकी होनी चाहिए, यह ठीक है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जांचकर्ताओं ने एक विचित्र स्थिति यह पैदा कर दी है कि इन हत्याओं में जो अनैतिक कुकर्म करने के बाद किशोरों की हत्याओं की बात की गयी है, उनके संबंध में उनके शक का इशारा कुछ विधायकों और कुछ मंत्रियों की तरफ गया है। जांच करने वाली संस्था ने कहा है कि इसमें पुलिस के किसी बड़े अधिकारी या किसी सरकारी अधिकारी का हाथ नहीं है, वह साफ है। जिन्होने इवीडेंस मिटाये हैं वह साफ हैं, लेकिन यह कहा है कि हम इसमें कुछ विधायकों और मंत्रियों को इन्ट्रोगेट करेंगे, इनसे पूछतांछ करेंगे। इस सूचना के समाचार-पत्रों में जाने के बाद, जो माननीय विधायकों पर समय-समय पर तरह-तरह के विभिन्न आरोप लगते हैं, उससे परे हटकर अब उन पर

(इस समय 3 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए।)

इतना गम्भीर और जघन्य आरोप लग गया है, जो कि बहुत ही चिन्ता की बात है। इसमें किशोरों की जिस तरह से हत्यायें हो रही हैं और उसमें सी० बी० आई० तक ने यह कहा है कि हम विधायकों और मंत्रियों को भी इन्ट्रोगेट करेंगे, इससे सारे प्रदेश में माननीय सदस्यों और मंत्रियों के बारे में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गयी है। यह उनके चरित्र हत्या का सा प्रयास है। इसमें कौन है, कौन शामिल नहीं है, यह कुछ साफ नहीं है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि इसमें जो इशारा किया गया है, उसकी जांच करने वाली संस्था ने किसी आधार पर यह कहा होगा, उससे पर्दा उठे और यदि यह तथ्य सही है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यदि झूठ है तो हम विधान सभा में बैठने सदस्यों के लिए इससे अधिक गम्भीर और कोई बात हो नहीं सकती है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है, यह विषय विधायकों के सम्मान और गरिमा से जुड़ा हुआ है और विधायक जिस काम के लिए बना हुआ है, उससे विमुख होने वाली यह बात है। यदि वास्तव में कुछ लोग इतने गम्भीर अपराध में लगे हुए हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। अतः इस विषय पर आज की कार्यवाही रोक कर सदन में चर्चा करायी जाय।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज जो विषय नियम–56 में दिया है सम्भवतः वह प्रश्न तीन बार पहले भी इस सदन में आ चुका है। प्रायः गम्भीर से गम्भीर महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण विषय किसी सदन के सत्र में एक ही बार आता है लेकिन यह विषय ऐसा था कि यह लखनऊ जो कि प्रदेश की राजधानी है उसके ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों जहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था सरकार ने सुनियोजित की है, उन इलाकों में लगभग एक ही उम्र के बालकों की हत्या एक ही तरीके से करके और हत्या के पूर्व अमानुषिक व्यवहार करके फेंकी गयी वह गम्भीर विषय है। पहली दूसरी हत्या के बाद यह विषय यहां उठाया गया था। संसदीय कार्य मंत्री ने कदाचित पहली बार सदन में कहा था कि यह घृणित कार्य है और इसके बारे में जांच करायेंगे।

दूसरी और तीसरी हत्या के बाद पुनः इस विषय को सदन में उठाया था। हमारे दल ने और तमाम अन्य सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया था। सरकार ने कहा था कि इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के साथ सी० बी० आई० का सहयोग लेंगे। जांच की क्या स्थिति हुई ? आज तक उन किशोरों के हत्यारों को पकड़ पाने में असफल रहे। सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं आया है। पुलिस प्रशासन अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस प्रकार की हत्याओं से पूरे प्रदेश में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गयी है। अभिभावक अपने बच्चों के प्रति चिन्तित हो गये हैं वह अपने कार्यालय से, दुकान से, व्यापार से जल्दी आकर अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं और स्कूल से लेने जाते हैं। बच्चों को अकेले कहीं नहीं आने-जाने देते। आज जो स्थिति पैदा हो गयी है कोई भी हत्यारा नहीं पकड़ा गया। प्रशासन अपनी असफलता को छिपाने के लिए प्रदेश के जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों को इसमें शामिल कर रहा है जिससे पूरे प्रदेश की जनता का ध्यान बंट जाय और लोगों को लगे कि इस तरह के घृणित अपराध आम अपराधी या सामान्य अपराधी नहीं कर रहा है प्रदेश के विधायिका के कानून बनाने वाले लोग इसमें शामिल हैं। जांच करने वाले जो अधिकारी हैं वह अपने को जांच कर पाने में असफल पाने के कारण स्पष्ट-तौर से नहीं कहते हैं पर असत्य रूप से यह अवश्य कह रहे हैं कि एक मंत्री जो फैजाबद अकबरपुर के हैं जिनके ऊपर 377 का मुकदमा चल चुका है इसमें शामिल हैं, इसी तरह से विधायक, सांसद आदि भी इसमें शामिल कहे जा रहे हैं। दुराचार और सोडोमी का आरोप लगाया जा रहा है। पांच किशोरों की हत्यायें हो गयीं और हत्यारे नहीं पकड़े जा सके। पूरे सन्देह की स्थिति हमारी विधायिका के ऊपर लगा दी गयी है।

आज संसदीय कार्य मंत्री जी को इसको गम्भीरता से लेना चाहिए और अपनी सरकार का पक्ष रखना चाहिए। जांच टीम ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि पदस्थ अधिकारी हमें इन्ट्रीग्रेट करने में बाधा पहुंचा रहे हैं नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए हम सही जानकारी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए ताकि प्रदेश की जनता के समक्ष स्थिति स्पष्ट हो सके और वह यह न सोचे कि इन पांचों किशोरों की हत्यारों का पर्दाफाश इसलिए नहीं हो सका कि इनकी विवेचना पुलिस की टीम और जांच अधिकारी नहीं कर पाये। मान्यवर, आज सम्पूर्ण विधायिका की अस्मिता के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। किसी सदस्य का उल्लेख हो रहा है किसी मंत्री का उल्लेख हो रहा है जो फैजाबाद के हैं। जिन मंत्री जी का उल्लेख हुआ व क्या मौजूदा वर्तमान सरकार के मंत्री हैं जिन पर आई० पी० सी० के 377 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ ? श्रीमन्, सफेदपोश एजेंसी के लोग लगाये गये हैं इस मामले के बारे में दारुलशफा में कम उम्र के लड़के जाते देखे गये थे।

मान्यवर, हास्यास्पद स्थिति हो गयी है दारुलशफा में विधायकगण रहते हैं और जहां आम जनमानस आता है वह अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आता है।

वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है जांच एजेंसी विफल हो रही है पांच हत्यायें हो गयीं आपकी सरकार पता लगाने में पूर्णतया असफल हो चुकी है। आप इस सदन में स्वीकार करिये पांचों हत्याओं के होने का पता मौजूदा सरकार नहीं लगा सकी है। उच्च अधिकारियों ने जिन लोगों के बारे में कहा है उनके नाम सदन में रखे जायें। यह कौन-कौन लोग हैं। जिनके संबंध में सन्देह किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

हम लोग यहां बैठे हैं जिस तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

जिस तरह से दुराचार और हत्यायें हो रही हैं और कानून व्यवस्था बिगड़ गयी है। कानून व्यवस्था की रक्षा होनी चाहिए।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

इसमें क्या आप भाषण दे रहे हैं कभी-कभी ऐसे समाचार अखबारों में छप जाते हैं जिससे चिन्ता होती है।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

तो उनका खण्डन होना चाहिए।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों की बदनामी होती है। हमने समाचर पढ़ा और उसकी जानकारी तत्काल की। उसमें सूत्र नहीं दिया है। एस० पी० स्तर के अधिकारी ने बताया हो सकता है श्रीमन्, जो लोग दुराचार करते हैं, राजधानी में, अपने अपराध को छिपाने के लिए, पुलिस का ध्यान डायवर्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हों कि राजनीतिक लोगों को इसमें कर दिया जाय। यह जो समाचार है यह निराधार है। कोई सूचना इस तरह की नहीं है। जहां तक किसी विधायक मंत्री के बारे में है कि अकबरपुर, फैजाबाद के मंत्री हैं तो अकबरपुर कोतवाली में किसी के खिलाफ 377 का मुकदमा नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, पिछले दो दिनों में 5-6 अप्रैल को पूरे प्रदेश में खासतौर से आगरा जिले और महानगर में भीषण वर्षा और भारी तूफान के आने से, ओलावृष्टि से, फसल की बरबादी बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। हजारों की संख्या में पशु-पक्षी मारे गये। सात लोगों की इस घटना में मौत हो गयी। करोड़ों की फसल बरबाद हो गयी। गेहूं,चना, जौ, लौकी, टमाटर आदि की फसल बरबाद हो गयी। आगरा की अकोला बरौली अहीर और शमसाबाद ब्लाक के हजारों गांव बरबाद हो गये हजारों की तादाद में मकान और झोपड़ियां गिर गयीं। सैकड़ों लोग घायल हो गये। बच्चे, महिलायें, पुरुष इनको गम्भीर रूप से चोटें आयी हैं।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

किसी के रीढ़ की हड्डी टूट गयी है वह अस्पताल में जिन्दगी और मौत के बीच पड़ा हुआ है। लेकिन शासन की ओर से न कोई अभी तक सहायता दी गयी है और न ही कोई ऐसी राशि वितरित की गयी है। मान्यवर, कल जो तूफान आया और वह परसों शुरू हुआ वह 120 कि०मी० की रफ्तार से था। जितनी देर वर्षा हुई उतनी थोड़ी सी देर में 10.2 मि०ली० वर्षा रिकार्ड की गयी। वर्षा होने से सारे शहर में जल प्लावन की सी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। कोई मार्ग ऐसा नहीं है जो पानी से न भरा हो। जगह-जगह पर जाम लगा हुआ है लोग धरने दे रहे हैं, मार्ग अवरुद्ध हैं। आने-जाने का रास्ता बन्द है। दूसरे कल शाम 4.00 बजे से विद्युत आपूर्ति बाधित है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तमाम कष्टों का सामना करना पड़ रहा है।

किसान अत्यन्त उत्तेजित हैं, उनमें असन्तोष है। उनको कहीं कोई राहत नहीं दी गयी है। ऐसे समय पर सरकार की ओर से यह घोषणा करनी चाहिए थी कि उन पर जो ऋण हैं उनकी वसूली स्थगित की जा रही है। उनको हर प्रकार की मदद दी जायगी। इस तूफान की वजह से आगरा नगर और आगरा जिले में बरबादी का ऐसा ताण्डव हुआ है जिसकी वजह से वहां लाखों लोग परेशान हुए हैं। नियम 56 के द्वारा मैंने नोटिस इसलिए दिया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस समय नहीं हैं, लेकिन शासन का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं। आज जो स्थिति पैदा हुई है। यह आगरा में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है। कल मैं दिल्ली से आ रहा था वहां से लौटते समय अनेक जगह यही स्थिति देखी। विधान सभा के सामने जो बोर्ड्स लगे हुए थे वह गिर गये हैं। तमाम लोग घायल हुए हैं। एक तरह से बरबादी की स्थिति पैदा हो गयी है। बिजली के खम्भे गिर गये हैं। मैं इस पर जोर देते हुए यह प्रार्थना करता हूं कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आगरा जनपद में दिनांक 5 अप्रैल को 5.00 और 6.00 बजे अपराह्न के बीच में तिहरी दैवी आपदा आयी है। सबसे पहले भयंकर तूफान आया जिसके विषय में 80–80 साल के बूढ़ों का यह कहना है कि उनके समय में इस प्रकार का भयंकर तूफान पहले कभी नहीं आया। इस तूफान में बिजली के खम्भे, टेलीफोन के खम्भे और पेड़ उखड़ गये हैं। मार्ग अवरुद्ध हो गये हैं और विद्युत आपूर्ति के बन्द हो जाने से वहां पर पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं इस तूफान में 100–150 फीट की लम्बी दीवारें गिर गयी हैं। भट्ठों की चिमनियां गिर गयी हैं। विशेष रूप से किरावली

तहसील के ब्लाक अकोला, अछनेरा आगरा सदर तहसील के लालऊ ग्राम में भीषण तबाही हुई है। तहसील किरावली के छैकोरा में दर्जनों व्यक्ति घायल हो गये हैं। इतना ही नहीं जेबारा गांव में सैकड़ों पशुओं की मृत्यु हो गयी है। इसके पश्चात् वहां पर भयंकर ओलावृष्टि हुई है जिसने तहसील किरावली आगरा, शमसाबाद की हजारों हेक्टेयर की फसल नष्ट हो गयी है। जो बरसीम आदि फसलें नष्ट हो गयी हैं। इस ओलावृष्टि का प्रकोप तहसील किरावली में दूसरी बार हुआ है। इसके पहले 8 फरवरी को यह प्रकोप हुआ था, और लाही की फसल नष्ट हो गयी और अब गेहूं तथा जौ की फसल नष्ट हो गयी है और किसान सर पकड़ कर रो रहा है जगह-जगह किसान आन्दोलन कर रहे हैं और अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी उनके दुख-दर्द को दूर करने के लिये और मृतक के परिवार जनों को सांत्वना देने के लिए नहीं गया है। इतना ही नहीं दूसरा प्रकोप यह हुआ कि जिन किसानों ने अपनी फसलें काट ली थीं और वह खेतों में पड़ी थीं वह फसलें सड़ रही हैं तथा कटी हुई फसल के कूड़े तूफान में उड़ गये हैं। खेतों में जो फसल थी वह वर्षा से नष्ट हो रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि तूफान से और बेमौसम वर्षा से और ओलावृष्टि से आगरा के अलावा किरावली व शमसाबाद तहसीलों के किसान मिट गये हैं और प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

आपके माध्यम से नियम 56 के अन्तर्गत काम रोको प्रस्ताव सदन के सामने रखकर मैं चर्चा की मांग करता हूं और निवेदन करता हूं कि अभी तक, पहले जो ओलावृष्टि हुई थी, किसानों को राहत नहीं दी गयी है उनको राहत दी जाय तभी उनका आन्दोलन समाप्त होगा। अबकी बार जो तूफान तथा वर्षा ने तबाही की है उसको देखते हुए शासन और प्रशासन किसानों को तुरन्त सहायता दे। अभी तक किसानों को राहत देने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। मैं कार्य-स्थगन द्वारा आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपको सदन में बैठना है तो किसानों पर आयी हुई इस दैवी आपदा में उनको राहत दीजिये। वहां जाकर उनके दुःख-दर्द में शामिल होइये ताकि किसानों को राहत मिल सके अन्यथा यहां पर हम लोग बैठ नहीं सकते हैं और शासन में बैठने वाले भी यहां आ नहीं सकेंगे।

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

माननीय अधिष्ठता जी, इस सदन के सम्मानित सदस्य माननीय विकल जी हमारे सम्मानित साथी बदन सिंह जी ने तूफान से हुई हानि के संबंध में यहां पर मामला उठाया है। यह सही है कि 5-6 अप्रैल को तूफान आया, लखनऊ में भी बिजली गायब रही और यह तूफान कई जगहों पर आया। माननीय बदन सिंह जी ने कहा कि इसके पहले जो ओलावृष्टि हुयी थी उसमें राहत नहीं दी गयी। मान्यवर, यह कहना सही नहीं है। पहले जो ओला वृष्टि हुयी थी उसमें राहत दी गयी है। आपने पूछा था तो प्रश्न के उत्तर में मैंने धनराशि भी बतायी थी। अबकी बार जो तूफान आया उसके बारे में कहा गया कि राहत नहीं प्रदान की गयी तो मान्यवर, अभी एक दिन का समय हुआ है, यह 6 तारीख की घटना है। तहसील किरावली, खेरागढ़ के 70 गांवों में तूफान का असर है।

हमारे सारे अधिकारी भ्रमण पर हैं और जिन लोगों की जानें गयी हैं उनके यहां जिलाधिकारी स्वयं गये हैं। एक महिला जो जल गयी थी उसके घर भी जिलाधिकारी गये। तूफान से प्रभावित लोगों को राहत वितरित की जा रही है। जहां-जहां पेड़ सड़कों पर गिर गये थे और अवरोध हो गया था वह सारे अवरोध हटा दिये गये हैं। यह 70 गांवों का मामला है। जिले के समस्त अधिकारी, ए० डी० एम०,

एस० डी० एम०, डी० एम० सारे अधिकारी भ्रमण पर हैं और राहत दी जा रही है। अभी एक दिन का समय हुआ है। यह दैवी आपदा है इसको हम लोग रोक नहीं सकते लेकिन राहत का जहां तक सवाल है उसमें हम पूरी तरह से तत्पर हैं। जिन लोगों की क्षति पहले हुयी है उनको राहत दी गयी है और इस बार भी राहत दी जा रही है। ३ दिन में राहत दे दी जाय यह सरकार की मंशा है। लेकिन कई तहसीलों में, 70 गांव हैं, सरकारी अधिकारी दौरा कर रहे हैं और बहुत शीघ्रता से राहत प्रदान की जा रही है। यह आरोप गलत है कि कोई अधिकारी वहां पर गये नहीं। माननीय विकल जी का आरोप लगाना तो सही भी है, लेकिन माननीय बदन सिंह का आरोप जो है, वह सही नहीं है। माननीय बदन सिंह जी पहले चौधरी साहब के साथ थे, जिनका किसानों से ताल्लुक था, लेकिन अब वह अडवानी जी के साथ चले गये हैं, जिनका किसानों से क्या ताल्लुक है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी के उत्तर को मैं मान लेता हूं कि 5 और 6 तारीख को तूफान आया, वह कह रहे हैं, मैं विश्वास कर लेता हूं, लेकिन जो मृतक हुए, उनको कितनी धनराशि मुआवजे की, क्षतिपूर्ति के लिए देंगे ? दूसरी बात, आगरा महानगर में बिजली आपूर्ति ठप्प है और उसके साथ ही जलापूर्ति भी बन्द है, उसके संबंध में कुछ भी माननीय मंत्री जी ने नहीं कहा। ऐसी आपदा के समय सरकार की ओर से कौन सा ऐसा प्रभावी कदम उठाया जायेगा ? जो मर गये हैं, उनको क्या मुआवजा देंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने कहा कि सारे अधिकारी वहां पर गये हैं, उसके बाद मूल्यांकन करने के बाद जो राहत की बात होगी, उसको वह देखेंगे, कार्यवाही तत्परता से हो रही है।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, यह सही है कि वहां पर ओला वृष्टि हुई। पहले वहां पर केवल दो गांवों, रैपरा अहीर और अरसेना में राहत दी गयी है और पचास फीसदी से ज्यादा नुकसान होने वाले अन्य गांव मंगूरा, जनूथा, सकतपुर, कासौटी, धनौली, पुरामना, निनवाया, डावली, रामवा नगला बुद्धा, कटवारी आदि गांवों में एक पैसे की भी राहत नहीं दी गयी है।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने तो कहा कि 70 गांव प्रभावित हैं, उसमें कार्यवाही हो रही है। अगर कोई गांव छूट गये हैं, तो उसे आप लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, वह उसे दिखवा लेंगे।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, अभी भी वहां पर कोई राहत का कार्य नहीं हुआ है।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से माननीय चौधरी साहब को मैं बताना चाहता हूं कि जांच में जो गांव आये थे, उनको राहत बांट दी गयी थी। आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि कोई राहत नहीं दी गयी। ऐसा नहीं है। दो गांवों में राहत बंटी है और अगर कोई गांव बच जाता है, तो माननीय सदस्य लिखकर दे दें। वहां पर भी राहत बंटवा दी जायेगी।

श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछली 30 तारीख को जनपद सोनभद्र में रेणुकोट से 7 कि०मी० दूर हाथी नाला के पास बस और ट्रक में भिड़न्त हो गयी, जिसके फलस्वरूप 12 लोगों के मरने और 24 लोगों के घायल होने की सूचना है, मैं इस घटना की अपनी सूचना की ग्राह्यता पर आपके सम्मुख विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, इस बस का जो चालक था वह शराब पिये हुये था और बस को अनियंत्रित ढंग से चला रहा था और उसी के कारण यह घटना हुई कि इतने आदमी मर गये और इतने घायल हो गये। कुछ और लोगों की भी मृत्यु हो गयी है, जो घायल थे, उनमें से कुछ और की भी मृत्यु हो गयी है, कुछ की हालत बहुत ही गम्भीर है। उनका समुचित इलाज नहीं किया जा रहा है। जो लोग घटना स्थल पर मर गये हैं उनके परिवार वालों को 20-20 हजार रुपये दिया गया है और सरकार ने इतने रुपये अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी वरिष्ठ मंत्री वहां पर नहीं गया है, अगर बाद में पहुंचा हो तो मैं नहीं कह सकता।

परिवहन मंत्री जी नहीं गये हैं, घायलों की स्थिति बहुत नाजुक है। मेरी मांग है कि मृतकों के परिवार वालों को कम से कम एक-एक लाख रुपये की सहायता दी जाये और घायलों के इलाज के लिये समुचित प्रबन्ध किया जाये और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रकार की घटना भविष्य में न हों और इसके लिये यह आवश्यक है कि जो सड़के हैं, उनको चौड़ा किया जाये। इन शब्दों के साथ अपनी सूचना की ग्राह्यता पर बल देते हुये आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर चर्चा करा दें।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, यह सरकार पूरी तरह से असफल हो गयी है। जितनी बसें चाहिये, उतनी बसें सरकार चला नहीं पाती है। इस कारण यात्रियों की स्थिति बहुत खराब है वह यह सोचते हैं कि इन बसों पर बैठें या न बैठें, इनकी भयावह स्थिति है। मैं इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुये आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की मृत्यु हो गयी है, उनके परिवार वालों को कम से कम एक-एक लाख रुपये दिये जाने की घोषणा करें और इसके साथ मृतकों के परिवार वालों के एक व्यक्ति को रोडवेज में नौकरी दिलाने के भी आदेश करने की कृपा करें। आम आदमी रोडवेज की बसों से यात्रा करने के लिये पहले सोचता है, इसलिये आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे यात्री इन रोडवेज की बसों से यात्रा करें और जो आपको घाटा हो रहा है वह पूरा हो जाये।

श्री अधिष्ठाता–

जो घायल हुये हैं उनके इलाज का समुचित प्रबन्ध किया जाये और उनके इलाज में किसी प्रकार की कमी या लापरवाही न हो। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

* श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मैं सरकार के संज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला लाना चाहता हूं और उस पर कार्यवाही की मांग करता हूं। हमारा मुजफ्फरनगर जिला ऐसा है जिसमें पर-कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां का व्यापार ठप हो रहा है, लोग बहुत ही भयभीत हैं, वहां पर फर्जी नोटों का बोलबाला है। यह जो काण्ड हो रहा है वह पुलिस के सुनियोजित संरक्षण में हो रहा है। इसलिये मेरी सरकार से मांग है कि वहां पर कानून व्यवस्था को सुरक्षित करें। मान्यवर, मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं 17 मार्च को स्टेट बैंक आफ इण्डिया, खतौली में जहां के माननीय विधायक सुधीर कुमार बालियान जी हैं, उनकी जानकारी में भी यह बात है, वहां का थाना प्रभारी एक दरोगा राम चन्द्र सिंह है वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डेढ़ लाख रुपये का नोट लेकर बदलने पहुंच गया, 100 के नोट थे तो बैंक में मैनेजर ने उन नोटों को पहचान लिया और उसके बाद उसे बन्द कर दिया गया लेकिन उसके बाद वह दरोगा रिवाल्वर की नोंक पर उन मैनेजर को धमका कर चला गया। मान्यवर, मैनेजर स्तर में दरोगा से बड़ा होता है, को अब धमका रहा है।

समाचार-पत्र वालों ने भी इसे छापा उनको भी धमका दिया गया और अफसोस यह है कि वहां पर इस वाकये की कोई रिपोर्ट या कोई कार्यवाही तक नहीं हो पायी है। इसके साथ-साथ इसका असर वहां के व्यापारियों पर हो रहा है, लोगों में भी यह आशंका उठ रही है कि कहीं पुलिस का बड़ा अधिकारी तो इसमें शामिल नहीं है, पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में तो यह काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, आज व्यापारी इतना भयभीत है कि गांव का भोलाभाला किसान जो गन्ना क्रेशर पर जाता है और वहां उसे 100 रुपये का नोट मिलता है तो वह मांग करता है कि उसे 10 रुपये के नोट दे दो, गुड़मण्डी में जाकर वह नोट नहीं ले पा रहा है, भयभीत है। मान्यवर, मैं आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं करता हूं। सीधा सीधा मेरा आरोप यह है कि जाली नोट को पुलिस के दरोगा ने बदलने का प्रयास किया और बैंक के लोगों को धमकाया गया लेकिन इसके बाद भी वहां क्या कारण कि जिला प्रशासन ने, डी०आई०जी०, आई०जी० ने भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की।

आज भी वह दरोगा बैंक मैनेजर को थाने में बुलाकर धमकी दे रहा है कि तुमको मार दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा तो इस प्रकार से चलेगा, यह प्रदेश ऐसे चलेगा। मैं इसकी सी०आई०डी० जांच की मांग करता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई मसला नहीं हो सकता है, सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय। जिला प्रशासन कान में तेल डाले बैठा हुआ है और केवल जातिवाद के काम में लगा हुआ है। मैं पुनः ग्राह्यता पर बल देता हूं और सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है।

श्री अधिष्ठाता–

घटना की जानकारी मिल गयी है, इस पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं इसलिए इस पर आपको अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है जिसका हरेन्द्र सिंह जी ने उल्लेख किया है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस पर सरकार को वक्तव्य देने का निर्देश देता हूं और साथ ही यह भी निर्देश देता हूं कि इस पर उच्चस्तरीय जांच करायें।

सूचना विभाग से प्राप्त डायरियों के वितरण में घपले के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । सूचना विभाग से पता लगा है कि प्रत्येक विधायकों को 10-10 डायरियां मिली हैं लेकिन मुझे केवल 5 ही मिलीं । मान्यवर, मेरी बात को सुन लें । मुझे आज फिर 5 डायरियां मिली हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि देर करके हम लोगों को सूचना नहीं दी गयी । क्योंकि हम विधायक तो लड़ते रहे, मेरी खुद उन लोगों से झड़प हो गयी, उन्होंने कहा कि 10 डायरियां गयी हैं, कई बार टेलीफोन पर बात हुई । आज मुझे पता चला कि 10 डायरियां वास्तव में आई थीं । तो जिन लोगों ने डायरी देने में विधायकों को गुमराह किया है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अधिष्ठाता–

जो व्यवस्था आपने उठाई है इसको दिखवा लूंगा कि इस सम्बन्ध में आपके साथ यह असुविधा क्यों हुई और जहां तक 10 डायरियों की बात हैं, मैं निर्देश देता हूं कि सबको समान रूप से डायरियां वितरित की जायं और यदि किसी माननीय सदस्य के पास कम डायरियां पहुंची हों तो उनको भी समान रूप से उपलब्ध कराई जायं, रही बात व्यवस्था की तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा ।

दिल्ली स्थित यू०पी० निवास में कमरे के आवंटन में अनियमितता विषयक सूचना को उठाने का प्रयास

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, हम लोगों ने दिल्ली में रहने के लिये राज्य सम्पत्ति अधिकारी को 30 मार्च को ही सूचना दी थी ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कहां व्यवस्था की बात है, आपकी कहां सूचना है ?

श्री रंगनाथ–

यह सदस्यों से संबंधित है ।

श्री अधिष्ठाता–

जो कार्यवाही चल रही हो उसमें कोई अव्यवस्था पैदा हुई हो उसमें व्यवस्था का प्रश्न पैदा किया जा सकता है ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, उस डायरी से तो यह अच्छा प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

न आर्य जी का और न आपका व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, आप नहीं सुनना चाहते हैं तो बैठ जाता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप नियमों के अनुसार दें तो जरूर सुनूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, आयुर्वेद निदेशालय में अनियमित नियुक्तियों के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वर्तमान में सरकार ने नियुक्तियों पर पाबन्दी लगायी हुई है। वर्तमान निदेशक इसी संबंध में सस्पेंड भी रह चुके हैं लेकिन फिर भी उन्होंने वर्तमान में कुछ नियुक्तियां कर रखी हैं। उदाहरणार्थ सुभाष चन्द्र पाठक की लिपिक पद पर नियुक्ति 1990 में की गयी उसकी आयु सीमा पार हो चुकी थी उसके बावजूद उसकी नियुक्ति हुई। खास बात यह है कि उसने 1993 में कार्यभार ग्रहण किया परन्तु नियुक्ति ही नहीं हुई उसको मई, 1990 से दिखाकर उसको वेतन दिलवाया गया है। यह सरकार के खजाने का पूर्णतया दुरुपयोग है। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। दवाओं की खरीद में खजाने से फर्जी बाउचरों से पेमेंट भी हुआ है अभी सी०आई०डी० जांच शुरू हो रही है। इन नियुक्तियों के साथ-साथ जितना भ्रष्टाचार इस विभाग में है वैसा भ्रष्टाचार किसी अन्य विभाग में नहीं है। सरकारी ड्यूटी पर वे गाजियाबाद स्टेशन उतरते हैं उसके बाद जब वे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के लिये रवाना होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मुख्य मंत्री दौरे पर हों। मान्यवर, 20-20 गाड़ियों की लाइन लग जाती है पता चलता है पूछने पर कि आयुर्वेद निदेशक जा रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि इस पर ध्यान देकर सरकार के खजाने को बचाया जाय। यह इन्हीं आधारों पर सस्पेंड रह चुका है। मान्यवर, जांच कराकर इनको कठघरे में लाया जाय और सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा की आज्ञा दें। भ्रष्टाचार इनकी नीयत बन चुकी है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, आपको पता है कि पूरे देश में आजकल डंकल का आतंक मचा हुआ है उस डंकल रूपी राक्षस को भारत में प्रवेश न मिले इसीलिये कई विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा रैलियां आयोजित की जा रही हैं इसी प्रकार की एक रैली भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल दिल्ली में आयोजित थी और उसमें शामिल होने के लिये भारतीय जनता पार्टी के कई हजार कार्यकर्ता बनारस से काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से दिल्ली जाने के लिये सवार हुए थे। वह ट्रेन जब पिलखुआ हाल्ट स्टेशन पर पहुंची वहां पर कुछ लोकल कार्यकर्ता जो किसी दूसरी पार्टी के नारे लगा रहे थे उन्होंने उस ट्रेन में प्रवेश करना चाहा ट्रेन पैक थी इसीलिये अन्दर बैठे लोगों द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी। इसी बात से वे नाराज हो गये और ट्रेन के डिब्बों पर पत्थर और ईंटें बरसाने शुरू कर दिये और यही नहीं उन्होंने उसका हाउस पाइप

जो लगा रहता है, ठप्प करने की नीयत से काट दिया और अपने साथ ले गये । फिर ढेले वगैरह बरसाते रहे और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो रैली में भाग लेना चाह रहे थे, उन्होंने खिड़की दरवाजे बन्द कर दिये । लेकिन चूंकि वह हाउस पाइप काटकर ले गये थे इसलिये काफी देर तक ट्रेन वहां पर रुकी रही । फिर पुलिस के लोग वहां पर आ गये और आने के बाद उन लोगों ने जो किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता थे और जो नारा लगाकर प्रवेश करना चाह रहे थे, पुलिस वालों ने उनका साथ दिया ।

उन्होंने हमसे यह कहा कि हम आपकी सुरक्षा के लिए आये हैं अतः आप खिड़की दरवाजे खोल दीजिये । तो हम लोगों ने पुलिस वालों की विश्वसनीयता के कारण, ज्यादती नहीं होगी खिड़की दरवाजों को खोल दिया और पुलिस वाले उसमें घुस गये और ट्रेन में घुसकर उन्हें लाठियों से, बन्दूकों के बट से बुरी तरह से मारा और खींचकर प्लेटफार्म में ले आये । ऐसा लगता था कि जैसे उनको दौरा पड़ गया है उन्हें प्लेटफार्म पर मारा और 76 लोगों को रोका और गार्ड से कहकर ट्रेन को रवाना कर दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

और उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ गयी । जब हम लोगों को यह पता चला तब तक ट्रेन गाजियाबाद पहुंच गयी थी । उन यात्रियों में नेता भी थे, मैं भी था, अमरनाथ यादव जी भी थे और अन्य विधायक भी थे । तो इससे बड़ा आक्रोश व्याप्त हुआ और हम लोग ट्रेन की पटरियों में जाकर लेट गये और विरोध करने लगे । वहां पर भारतीय जनता पार्टी विधान मंडल दल के उप नेता, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी, पीलीभीत के सांसद श्री जी०एल० कन्नौजिया एवं स्थानीय विधायक श्री बालेश्वर त्यागी जी भी वहां पर आ गये । उन लोगों के साथ पुलिस के अधिकारियों ने एक एस०पी०, राठौर था उन्होंने उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी का झण्डा छीन लिया और फेंक दिया । लेकिन कार्यकर्ताओं ने ट्रेन आगे नहीं बढ़ने दी । बाद में नेताओं की उपस्थिति में, उन 76 लोगों को जो बुरी तरह से जख्मी थे, किसी का हाथ टूटा था, किसी को खोपड़ी टूटी थी, तो किसी की टांग टूटी थी, किसी की हड्डियों पर चोट पहुंचायी गयी थी, दो तीन घन्टे हम लोगों के सत्याग्रह करने पर, एक बस से लेकर आये और जब वह जमीन से उतर रहे थे तो वह सही तरीके से चलने की स्थिति में भी नहीं थे । मान्यवर, उन्होंने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की रैली को विफल बनाने के लिये सारे लोगों को रोक दिया । जिन लोगों को शारीरिक और मानसिक चोटें आयीं वे रैली में शामिल नहीं हो पाये । यह पुलिस अपराधियों को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रही है और दूसरी तरफ जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक अत्याचार किया गया ।

मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि पुलिस द्वारा जो बर्बरतापूर्ण कांड किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के 76 लोग हैं, पिलखुआ में सुपुर्द किया गया उसमें एक व्यक्ति श्री कन्हैया गाजीपुर के हैं उसको

इतनी चोट लगी है कि उसको ब्रेन हैमरेज हो गया है, उसको कहीं अन्यत्र भेज दिया गया, तो मैं सदन से यह मांग करता हूं कि जो उस व्यक्ति को ब्रेन हैमरेज हो गया है और उसकी खराब हालत को देखकर पुलिस ने उसे कहीं अन्यत्र भेज दिया है, उसके घर में लोग परेशान हैं, चिन्ताग्रस्त हैं उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में पता लगाया जाये । जो पुलिस ने अमानवीय कार्य किया है इसके लिये जो दोषी लोग हैं, उनको उचित दंड दिया जाय तथा सदन में सारे कार्यों को रोक कर नियम 56 के तहत विषय पर चर्चा कराई जाय, इस पर मैं बल देता हूं ।

श्री अमरनाथ यादव–

श्रीमन्, महारैली जो दिल्ली में आयोजित थी, उसमें हम लोग भाग लेने जा रहे थे । इसमें भारतीय जनता पार्टी, वाराणसी के कार्यकर्ता तथा गाजीपुर और जौनपुर के कार्यकर्ता भी थे । जब काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन हापुड़ से आगे बढ़ी तो पिलखुआं में सर्वोदय इन्टर कालेज के ठीक सामने, गांव के सामने ट्रेन को रोका गया और 2-4 लोग हौज पाइप को काटकर आगे बढ़े, उसके बाद वह गांव में गये और गांव से 20-25 लोगों का एक झुंड आ गया, जिसने डिब्बे पर पथराव करना शुरू कर दिया । इसके 10-15 मिनट बाद पुलिस का एक हुजूम वहां के एस०ओ० के नेतृत्व में आया और आते ही आव देखा न ताव, वहां के निवासियों को संतुष्ट करने के लिये डिब्बों को जबरदस्ती खुलवाकर कार्यकताओं की पिटाई की, किसी का सिर फटा, किसी का हाथ टूटा, तमाम लोगों को चोटें आईं, उसके बाद पुलिस वाले सैकड़ों लोगों को पकड़कर ले गये, कुछ को रास्ते में छोड़ दिया । 76 लोगों को गिरफ्तार किया । इसके बाद जब हम लोगों को इसकी जानकारी मिली तो हम लोगों ने प्रयास किया कि ट्रेन वहीं रुक जाय, लेकिन ट्रेन चल दी और गाजियाबाद आने पर हम लोगों ने सत्याग्रह किया । सत्याग्रह करने के 10 मिनट बाद ही, वहां का पुलिस प्रशासन इतना चैतन्य था कि राठौर के नेतृत्व में भूखे भेड़िये की तरह कार्यकताओं पर झपटा, निश्चित रूप से वहां भी लोगों के सिर फूटते, हाथ टूटते, तब हम लोगों ने उनको रोका कि क्या करने जा रहे हो ?

मान्यवर, जहां से पथराव हुआ, उसके संबंध में मेरी निश्चित जानकारी है कि वह गांव एक विशिष्ट सम्प्रदाय का है और जानबूझकर शासन ने और केन्द्र सरकार ने महारैली में भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग न ले सकें, इसका प्रयास किया । रैली को असफल कर दिया जाय, रैली में लोग न पहुंच सकें, इसका यह एक सुनियोजित षड़यंत्र था, पुलिस से मिलकर कार्यकर्ताओं को भाग लेने से रोका गया । हम लोग व श्याम देव राय चौधरी आदि रैली में भाग नहीं ले पाये । हम लोग 3 बजे वहां पहुंचे, जिससे हमारे मौलिक अधिकार पर चोट पहुंचायी गयी तुष्टीकरण की नीति अपनाकर और पुलिस प्रशासन के साथ सांठगांठ करके रैली को असफल करने का प्रयास किया गया । सारे नियमों को रोककर इस विषय पर चर्चा कराई जाय और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, गांव के लोग, जिन्होंने पथराव किया है, उन सभी को उचित सजा दिलवायी जाय ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, 6 तारीख को काशी विश्वनाथ ट्रेन से भारतीय जनता पार्टी की रैली में भाग लेने जा रहे कार्यकर्ता जब ट्रेन से पिलखुआ पहुंचे तो वहां जो दैनिक यात्री थे वह उस डिब्बे में घुसना चाहते थे लेकिन इनके कार्यकर्ताओं ने घुसने नहीं दिया उसी में कुछ कहासुनी हुई और आउटर सिगनल पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोकी और पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस पहुंची।

श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय मंत्री जी रेल भारत सरकार के अधीन है या प्रदेश सरकार के अधीन है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जो प्रदेश सरकार ने किया है वही बता रहा हूं। पुलिस ने वहां स्थिति को नियंत्रित किया और 77 लोगों को पकड़ कर ट्रेन को गंतव्य स्थान के लिये चालू करने की व्यवस्था की। बाद में पकड़े गये 77 लोगों को भी छोड़ दिया गया। गलती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही थी। यह कोई गम्भीर घटना नहीं है केवल राजनैतिक उल्लू सीधा करने के लिये यहां उठाया जा रहा है। इसलिये इसको खारिज किया जाये।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

हमको यह नहीं पता था कि चोट खाने के बाद भी हमारे कार्यकर्ताओं को ही दोषी ठहराया जायेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चोट पर मलहम लगाने के बजाये उन्हीं को दोषी ठहराया गया।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई थीं वह 56 के अन्तर्गत नहीं आती हैं, अतः उन्हें निरस्त किया जाता है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

ताजमहल को प्रदूषण से बचाने विषयक दी गयी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को सुने जाने की मांग

श्री रंग नाथ–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री रमेश कान्त लवानियां–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 56 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो सूचनायें स्वीकार की हैं उसमें मेरी भी एक सूचना है, इसलिये निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने पूरे सदन में सूचनायें स्वीकार कीं और सुनायी भी थी, उसमें मेरी भी सूचना थी इसलिये कृपा करके दो-दो मिनट का समय प्रदान कर सुन लीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय लवानियां जी, मैंने आपकी व्यवस्था सुन ली है। अध्यक्ष जी को जो सूचनाएं प्राप्त हुई थीं उनकी सूचना दे दी और क्रमशः जो ऊपर की पांच सूचनाएं थीं, उनको सुनने के लिये निर्देशित किया था। आपकी छठीं सूचना थी इसलिये नहीं सुना गया। आप यह सूचना कल लिख कर दे दीजियेगा, कल विचार कर लिया जायेगा।

दिल्ली स्थित यू० पी० भवन में आरक्षित कमरे का आरक्षण निरस्त किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि सरकार की तरफ से कोई व्यवधान नहीं डाला गया। रैली में जाने वाले कार्यकर्ताओं ने वहां के दैनिक यात्रियों से झगड़ा किया और पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को गम्भीर बनने से रोक दिया। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 30 मार्च को हम लोगों ने राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारी को नोटिस दिया था कि हमको कमरा एलाट किया जाये। यू० पी० भवन में हमको कमरा एलाट किया गया लेकिन वहां पहुंचने पर कमरा नहीं दिया गया।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, दिल्ली में इनके द्वारा आयोजित रैली फ्लाप हो गयी।

श्री रंगनाथ–

रैली फ्लाप नहीं हुई बल्कि वर्ल्ड मीडिया में उसकी खबरें आयीं। फ्लाप तो ये लोग हो गये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी व्यवस्था पर मैं सरकार को निर्देशित करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों को यू० पी० भवन में कमरा एलाट कर दिया गया हो तो बिना अपरिहार्य कारण के उसे निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। इसको दिखवा लें कि ऐसा किन कारणों से हुआ ?

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कृषि से संबंधित मामला है।

श्री अधिष्ठाता–

मल्ल साहब आप बैठें। अभी कृषि का बजट आ रहा है उस पर बोलियेगा।

(माननीय कृषि मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) तथा अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

* कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,26,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,11,19,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन्, मैं आज इस आदरणीय सदन में एक ऐसे विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण बजट को प्रस्तुत करने के लिये मुझे जिम्मेदारी सौंपी है । श्रीमन्, आज जो बजट प्रस्तुत किया है वह कृषि का बजट है । उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है और इस विशाल प्रदेश में ऐसे और भी विभाग के बजट हैं । इनमें कृषि का अलग ही महत्व है । उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है । इस अवसर पर मैं आदरणीय सदन का और माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं और मुझे आज जानकारी देते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि हमारी सरकार की मान्यता है कि जब तक हमारे किसानों की माली हालत ठीक नहीं रहेगी तब तक प्रदेश और देश की माली हालत ठीक नहीं रहेगी ।

चौधरी साहब ने कहा है और कहा करते थे कि अगर देश और प्रदेश को खुशहाल करना है तो खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से गया है, इस पर विचार करना है और देश एवं प्रदेश को विकसित करना है, उत्थान करना है, देश और प्रदेश के किसानों की माली हालत को सुधारना होगा । हमारी सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी को उसके उत्पादन का मूल्य देने के लिये, किसानों को उनकी फसल का अच्छा उत्पादन बढ़ाने के लिये तमाम सुविधायें प्रदान की गयी हैं, सरकार ने किसानों के लिये कई योजनायें चला रखी हैं जिससे उनको लाभ दिया गया है । सारी योजनाओं को अच्छी तरह से चलाने के लिये हमारी सरकार की कोशिश होगी । इस संबंध में मैं थोड़े समय में बताने का प्रयास करूंगा । आदरणीय सदन में बताते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य देने के लिये उसे बेचने के लिये हमारी सरकार ने किसानों के धान, गेहूं और मोटे अनाज प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेश में बेचने की इजाजत दे दी है । इससे लगा नियंत्रण खत्म किया जा रहा यह इस बात का द्योतक है । किसानों को अपनी फसल का मूल्य उचित ढंग से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मिले इसलिये सरकार ने दूसरे प्रदेश में बेचने की इजाजत दी है । श्रीमन्, आज इस आदरणीय सदन में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है उत्तर प्रदेश में पहली बार खलिहान योजना लागू की गयी है । खलिहान योजना लागू करने की मंशा यही है कि प्रदेश में किसानों को इसका लाभ मिले । आजकल गर्मी है, लू चलती है । खलिहान में फसल इकट्ठा करके लगा दी जाती है । दैवी आपदा के रूप में अक्सर खलिहान में आग लग जाती है ।

मान्यवर, आज तक खलिहान में रखी फसलों में आग लग जाने के एवज में कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती थी, इससे पहले सरकार की कोई योजना नहीं थी, हमारी सरकार ने पहली बार खलिहान योजना लागू की है । इस बीमा योजना में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, भूमि का प्रीमियम नहीं जमा करना पड़ेगा और इसमें कम से कम पांच हजार रुपये का अनुदान मिलेगा । सरकार की तरफ से । उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज पहली बार बीमा योजना लागू की है । श्रीमन्, इस हमारी योजना की विशेष बात यह है कि इसमें सभी किसानों को रखा गया है, चाहे छोटे किसान हों, मझोले किसान हों या बड़े किसान हों । श्रीमन्, इसमें एक विशेषता और भी है कि इस योजना में किसानों को बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और दौड़ना नहीं पड़ेगा । बल्कि इस संबंध में तहसीलदार या एस० डी० एम० के यहां किसान सूचना देगा, मण्डी शुल्क की सूचना करेगा । इसके बाद इक्कीस दिन के अन्दर मुझे आज इस आदरणीय सदन को बताते हुए खुशी हो रही है । प्रायः ऐसा होता है जब किसान खेती करता है, फसलों की निराई गुड़ाई करता है और जब फसल काटता है तब कभी-कभी दुर्घटना भी हो जाती है । आज तक किसी सरकार ने इस दुर्घटना की ओर ध्यान नहीं दिया है । पहली बार हमारी सरकार ने किसानों के लिये दुर्घटना योजना लागू की है । हमारी सरकार बनने के एक सप्ताह के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों के लिये यह योजना लागू करा दिया है । दुर्घटना योजना खेती में काम करने वाले किसानों के लिये , मजदूरों के लिये मजदूर और पल्लेदार शामिल होंगे । यदि इनमें से कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो जायेगा तो उसे 15 हजार रुपये अनुदान के रूप में सरकार की तरफ से दिया जायेगा । किसानों की माली हालत को सुधारने के लिये उनके कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये कई योजनायें हैं । खासतौर से हमारे कृषि वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिये और उनकी खेती में दिलचस्पी को बढ़ाने के लिये छात्रवृत्ति का प्राविधान नहीं था । हमारे यहां 24 कृषि महाविद्यालय हैं और 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं । महाविद्यालयों में छात्रों के लिये 250 रुपये की छात्रवृत्ति और विश्वविद्यालयों में 350 रुपये की छात्रवृत्ति देने का फैसला किया गया है ।

एक कृषि निधि की स्थापना की गयी है, इसमें हमारी सरकार ने 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था को रखा है । कभी-कभी यहां पर आदरणीय सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों को एहसास होता होगा कि हमारे किसानों को अपनी फसल को मण्डी तक ले जाने में असुविधा होती थी, सड़कें नहीं होती थीं, जिसके कारण बिचौलिये अपने मन के हिसाब से उनको दाम देते थे । इसलिये अब किसानों का शोषण न हो सके और किसान मण्डी तक अपनी फसल को आराम से ले जा सकें, हमारी सरकार ने 350 कि०मी० तक की सड़क मण्डी समिति द्वारा बनाये जाने का फैसला किया है ।

पेयजल के संकट के बारे में विभिन्न नियमों के अन्तर्गत यहां मामले उठाये जाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने कोई कारगर उपाय नहीं निकाला । मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने मण्डी समिति के माध्यम से 1 हजार इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाने की योजना

बनायी है । इसी प्रकार हमारे प्रदेश में तमाम ऊसर व बीहड़ जमीन पड़ी है । हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि इस प्रकार की जमीन खेती लायक बनाकर उसे दलितों, श्रमिकों आदि को दिया जायेगा । इससे 2-3 फायदे होंगे । इसका एक फायदा यह होगा कि ऐसी जमीन जो वेस्टेज पड़ी हुई है, जिसमे अन्य उत्पादन नहीं होता है उसको तोड़ कर उन्हें देने का काम किया जायेगा । साथ ही साथ इससे राष्ट्रीय उत्पादन होगा और जो हमारी बेरोजगारी की समस्या है जिसको लेकर यहां सदन में चर्चा होती है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी रोजगार देने की नीयत है उत्तर प्रदेश के भूमिहीन और बेसहारा मजदूरों को दलितों को मजदूरी देने का काम किया है । हमने भूमि सेना गठित की है जिसके अन्तर्गत ऊसर बीहड़ जमीन को ऐसे गरीब परिवारों को पहले एलाट कर दी जायेगी, उसको उनके बाल बच्चों के भरण-पोषण करने के लिए खेती लायक बनायेंगे, उसके लिये उनको सरकार की तरफ से मजदूरी मिलेगी और जब फसल तैयार हो जायेगी अन्तिम रूप से विकसित हो जाने के बाद उन्हें दे दी जायेगी । यह इस बात का द्योतक है कि हमारी प्रतिबद्धता जो गरीबों को उठाने के लिये है वह पूरा किया है ।

यही नहीं जो हमारी टेक्नालाजी विकसित हुई है, हमारे वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है । वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं था जहां फसल के पक जाने के बाद उसके रखरखाव के लिये कोई भण्डारण की वैज्ञानिक सोच हो । इसे देखते हुए इटावा में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है जिसमें 40 करोड़ रु० खर्च होगा और 200 मेधावी छात्र अध्ययन करेंगे ।

आज इस आदरणीय सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने मेहनत की है और शासन की नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार इतना उत्पादन बढ़ाने का काम किया है। समय नहीं है कभी अवसर मिलेगा तो मैं आंकड़े प्रस्तुत कर दूंगा । 72 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है और इस पर जो उत्पादन हुआ है 1993-94 में यह पिछले वर्षों की तुलना में उत्साहवर्धक है । इसके मैं आंकड़े कभी पेश कर दूंगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं 3-3 बजट हैं जल्दी करें । हमारा जो उत्पादन है चाहे वह गेहूं का हो, चाहे तिलहन या दलहन का हो उसमें नया कीर्तिमान स्थापित किया है । जो इस बात का द्योतक है कि अब असली राम राज है । मैं प्रदेश के गांवों में और अपने क्षेत्र में भी गया हूं । मैंने देखा है कि 25सों सालों से जो पेड़ फलते फूलते नहीं थे उनमें इस बार बौर आया है और कल को फल भी आयेगा तो यह हमारी सरकार की उपलब्धि है ।

मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी रहूंगा जिनके विचार इस पर आयेंगे, वह विचार हमारे लिये वरदान का काम करेंगे, हम उनसे लाभान्वित होंगे क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूं -- "निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय, बिना साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाय "

तो आलोचना करना आपका अधिकार है उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा ।

मैं इस अवसर पर अपने अधिकारियों को और कर्मचारियों को जिन्होंने प्रशासन की नीतियों को और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाया और बजट को कार्यान्वित करने में मेहनत की है उनको धन्यवाद देता हूं । इन शब्दों के साथ मैं जो हमारे सदस्य कटौती रखेंगे और सुझाव देंगे उनका आभारी रहूंगा

क्योंकि वह रचनात्मक सुझाव देंगे जिससे हम लोग मिलजुल कर उत्तर प्रदेश की जनता की जो आशायें हैं, आकांक्षायें हैं उसे पूरा करेंगे और कृषि क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता पैदा करेंगे हमें किसी दूसरे प्रदेश के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी ।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

यह हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की महानता और गौरव की बात है और साथ ही प्रदेश के किसानों की महानता और गौरव की बात है । इन शब्दों के साथ मैं आपके बहुमूल्य सुझावों के लिये आभारी हूंगा जो हमारे लिये कारगर होंगे ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री बदन सिंह जी का कहना है कि वह चौधरी चरण सिंह साहेब की पाठशाला में पढ़े हैं और वह आज कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं । सौभाग्य है कि कम से कम वह चौधरी साहेब का नाम ले लेते हैं, इसलिये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह चौधरी साहेब का नाम ले लें और व्यापारियों के चक्कर में न आवें ।

श्री अधिष्ठाता–

देखते हैं कि पुराने स्कूल का प्रभाव है या नये स्कूल का प्रभाव होगा ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें तो अच्छा होगा ।

* श्री बदन सिंह–

मान्यवर, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेकर यह कृषि विभाग का बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है। मैं सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज यह पहला दिन है जब अभी तक रखे हुए अनुदानों पर कोई भी चर्चा नहीं हुई लेकिन आज कृषि विभाग के बजट पर चर्चा हो रही है और चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेकर चर्चा प्रारम्भ की गयी । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि चौधरी साहेब का नाम तो लिया गया किन्तु उनकी नीतियों को यहां अच्छी तरह से नहीं रखा गया है और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसका कारण है कि अभी तक इस मंत्रि मण्डल के पास न कोई कृषि मंत्री है और न बजट रखने वाला ही कृषि मंत्री है और यदि कृषि मंत्री कोई होता तो चौधरी साहेब के विचारों को यहां रखते और साथ ही साथ प्रगतिशील कृषि के संबंध में जो तरक्की की गयी है उसके संबंध में सदन को जानकारी कराते । लेकिन मैं कारागार मंत्री का सम्मान करता हूं, इसलिये यदि वह कारागार बजट पर या अनुसूचित जाति के बजट पर अपना प्रस्ताव रखते तो मैं समझता हूं कि इसमें इनकी रुचि है । लेकिन मान्यवर, जो कुछ भी उन्होंने रखा है, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह की नीति यह थी और उन्होंने यह बताया था कि देश की प्रगति का मार्ग खेतों और खलिहानों के बीच में होकर जाता है । यह चौधरी साहब ने बताया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि .....(व्यवधान) यह जो बजट रखा गया है, इस बजट में कृषि से सम्बन्धित किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया है । इनको न तो यह जानकारी सदन को देने का मौका मिला और शायद देना भी चाहते होंगे तो नहीं दे पाये कि कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जल्दी-जल्दी अनुदान रखने का उन्हें इशारा मिल गया था । हो सकता है कि इसकी वजह से वह खास-खास बातें भी न रख पाये हों । इनको यह विचार नहीं आया कि इस समय खेती करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, कितने प्रकार के लोग खेती करते हैं और किस-किस प्रकार के अनाजों का कितना-कितना उत्पादन हो रहा है और यह पिछले तीन वर्षों के आंकड़े भी सदन में नहीं दे सके कि पिछले तीन वर्षों में उन्होंने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्या प्रगति की है ? वह इसलिये भी यह सब नहीं बता सके क्योंकि उन्होंने कभी इस प्रकार की कोई खेती नहीं की है । यह इसलिये उनका अज्ञान है । कृषि के विषय में मैं निरन्तर देख रहा हूं कि उसकी पैदावार तीन वर्षों से बराबर कम हो रही है । उन्होंने कहा कि किसानों को यह छूट दी गयी है कि वह प्रदेश के अन्न को दूसरे प्रदेशों में बाहर ले जाकर बेच सकेंगे, लेकिन जब प्रदेश में इतना अन्न ही पैदा नहीं होगा तो यह हमारे किसान दूसरे प्रदेशों में क्या बेच सकेंगे ।

हम देखते हैं कि आज उसकी आर्थिक दशा इस प्रकार की है कि 80 फीसदी गल्ला उसका उसकी दैनिक आवश्यकता के कारण रुक जाता है इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि और चाहूंगा जब मंत्री जी जवाब दें तो इस बारे में बतायें कि कितना गल्ला तीन वर्षों में किसान ने पैदा किया है और कितना गल्ला बाहर बेचा गया है कितना इस साल बेचेंगे । बाहर इस प्रदेश के किसान का गल्ला नहीं जायेगा, क्योंकि उसको बिचौलिये पहले ही खरीद लेंगे । इसलिये इसकी व्यवस्था नहीं की गयी है कि किसान की आर्थिक दशा में सुधार हो । इसके लिये यह आवश्यक था कि प्रति हैक्टर या प्रति एकड़ उसके कृषि उत्पादन की शक्ति बढ़ाई जाये, उसका मंत्री जी ने कोई जिक्र नहीं किया है । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कृषि की उन्नति करने के लिये, उसका विकास करने के लिये तीन चीजों की आवश्यकता है–उत्तम बीज, सिंचाई का सुप्रबन्ध व उसकी सुनिश्चितता, दूसरे समय के अनुसार खाद और तीसरा है कृषि फसल के लिये कीटाणु रक्षक दवाओं का उपलब्ध कराना ।

यह उनको ज्ञान ही नहीं है कि वह कृषि के लिये उत्तम बीज किस प्रकार पैदा करेंगे ? उत्तम बीज पैदा करने के लिये जो हमारे वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए थे, जो उत्तम बीज पैदा करके किसानों को समय-समय पर देते थे और उससे जो लगातार पैदावार बढ़ रही थी, उस पर डंकल प्रस्ताव एवं पेटेन्ट कानून के द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों पर जबरदस्त पाबन्दी लगा दी जायेगी और हमारे किसान अब उन्नतिशील बीज विदेशी कम्पनियों से खरीदेंगे और वह विदेशी बीज उत्तर प्रदेश की जमीन पर अनुकूल

अंकुर नहीं दे सकता है। वह वहां के लिये कतई लाभप्रद नहीं हो सकता है। हल्की जमीन में बाजरा तिलहन पैदा नहीं होता है और दोमट मिट्टी में गन्ने की खेती होती है। विदेशी बीज किसी प्रकार इस भूमि के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता है। सबसे पहले इस बात पर जोर दिया जाये कि उत्तर प्रदेश का जो किसान है वह अपने लिये उत्तम बीज पैदा करने के लिये प्रोत्साहित हो सके और यहां हमारे प्रदेश में जो आज तक होता रहा है वह यही होता रहा है कि उत्तम कृषि का बीज कुछ गिने-चुने किसानों को प्रदान कर दिया जाता है, बाकी के किसान उससे वंचित रह जाते हैं। इन्होंने यहां पर यह भी बतलाना जरूरी नहीं समझा कि अभी तक खेतों में एक-एक पूल को पानी देने की परिकल्पना थी वह परिकल्पना से ऊपर कोरी कल्पना बनकर रह गयी। 40 प्रतिशत खेतों की सिंचाई की जो बात करते थे वहां खेतों में पानी नहीं मिल रहा है।

यहां पर सिंचाई के विषय में मैं यह अवश्य बताना चाहता हूं कि कृषि के लिये अन्तिम सिंचाई के लिये पानी नहीं मिला है इसका निश्चित रूप से उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा। किसानों पर सिंचाई से संबंधित कर तो लाद दिया लेकिन सिंचाई से जो उत्पादन बढ़ सकता था उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इसी के साथ ही साथ उत्तम किस्म की खाद की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं खाद के विषय में इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जब यह चौधरी साहब की नीति का नाम लेते हैं तो इनको यह करना चाहिए था कि जितनी रासायनिक खादें हैं, उनको बन्द कर देना चाहिए। चौधरी साहब के अनुसार गोबर की खाद और जो हरी खाद है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। आपको जानकारी दे रहा हूं, पूरे सदन को जानकारी दे रहा हूं कि किसान की भूमि बंजर होती चली जा रही है। आज स्थिति यह है कि सन् 76 में एक हैक्टेयर में 29.6 किलो खाद देकर पैदावार की जाती थी। सन् 88 से आज तक हाल यह है कि एक हैक्टेयर में 86.9 किलो खाद देने पर पैदावार प्राप्त हो रही है। भूमि ऊसर होती चली जा रही है। 60 हजार टन से लेकर 80 हजार टन तक रासायनिक दवाइयों का घोल भूमि में डाला जा चुका है जिससे भूमि बेकार होती जा रही है। मेंढक, गलोरे जो भूमि में रहते थे और भूमि के कीटाणुओं को नष्ट करते थे, वह नष्ट हो गये हैं। किसानों की भूमि ऊसर हो गयी है। चौधरी साहब का सही प्रकार से नाम लेना चाहते हैं तो उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। स्वदेशी खाद का नाम मंत्री जी को लेना चाहिए था। गोबर की खाद, हरी खाद का जब तक प्रयोग नहीं किया जायेगा किसी भी प्रकार के कृषि उत्पादन नहीं प्राप्त हो सकेंगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यूरिया की खाद में अपमिश्रण हो रहा है। इस अपमिश्रण को रोकने के लिये अभी तक सरकार कोई प्रबन्ध नहीं कर सकी है। रंग डालकर भी उसकी पहचान नहीं कर सकी है कि खाद शुद्ध है या अशुद्ध है। पूंजी-पतियों द्वारा खाद के कारखाने चलाये जा रहे हैं। पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिये उनकी खाद के ऊपर नियंत्रण नहीं लगाया गया है। किसानों को बर्बाद किया जा रहा है।

इस प्रकार की खाद किसान अपने खेतों में डाल रहा है जिससे कोई उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ रही है बल्कि बराबर गिरावट आ रही है। दलहन की फसलें नहीं पैदा की जा रही हैं, इनके ऊपर कुप्रभाव पड़ रहा है। जब तक प्रदेश के अन्दर दलहन की फसलें नहीं बढ़ाई जायेंगी तब तक प्रदेश को किसी भी प्रकार से आमदनी नहीं हो सकती है। दलहन फसलों में प्रोटीन होता है। चने की खेती तो प्रदेश में लोप हो गयी है। मैंने कई बार माननीय सदन में कहा था कि चने की खेती नहीं बढ़ेगी तो प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकेगा। चना वह है जिसको खाकर प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। यह हमारे

प्रदेश से नष्ट हो रहा है । चने में झुलसा रोग लग जाता है और इस रोग का भी कोई निदान नहीं ढूंढा जा सका है । किसी भी प्रकार से तैयारी करके चने की पैदावार नहीं बढ़ायी । बराबर दलहन की फसल गिरती जा रही है । हां थोड़ा सा यह कह सकते हैं कि तिलहन की फसल ने उन्नति की है । लेकिन इसमें इनका कोई योगदान नहीं है न सरकार का कोई योगदान है, न किसी संस्था का योगदान है, न किसी अधिकारी का योगदान है । किसानों ने यह फसल उस समय चुनी जिस समय पानी की कमी होती थी पानी नहीं होता था । राजस्थान में पानी की कमी होने के कारण किसान इसकी खेती करते थे । हम लोगों ने लाही और सरसों की फसल की खेती की । लेकिन इसके लिये कोई सुविधा प्रदेश सरकार ने नहीं दी । ऊसर भूमि की ई० ई० सी० योजना है जिसके बारे में आपको मालूम भी नहीं होगा ।

चम्बल की ऊसर भूमि को सुधारने के लिये यह योजना चलाई गई । अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से पैसा चला जा रहा है । ऊसर सुधार नहीं हो रहा है । मिट्टी का काम फर्जी दिखाया जा रहा है । विश्व बैंक का धन अनावश्यक रूप से खर्च किया जा रहा है । उसके आंकड़ों को दिखवा लें तो शून्य मिलेगा । मंत्री जी ने यह भी नहीं बताया कि कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये, उन्नतिशील बनाने के लिये, उन्नतिशील यंत्र बनाये गये हैं । 1990-91, 92-93 तथा 94 के अन्तर्गत इसकी कमी हुई है । जो कृषि उपकरण दिये भी जाते हैं वह बड़े किसानों को दिये जाते हैं । कृषि यंत्रों का उत्पादन कम हो रहा है । आपको जब कारागार मंत्रालय से फुरसत मिले तो इस पर ध्यान देंगे । इस प्रदेश में जो स्थिति पिछड़ती जा रही है इसको देखें । आप आधुनिक कृषि सिद्धान्तों के अनुसार और विज्ञानवेत्ताओं के अनुसार कृषि की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हमारे प्रदेश की कृषि पैदावार अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कम है । पंजाब की अपेक्षा कम है । सबसे पिछड़ा उत्तर प्रदेश है । राजस्थान से गेहूं की पैदावार उत्तर प्रदेश में कम है । गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिये, जिसको खाने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक होती है उसकी पैदावार कम हो रही है । यदि ऐसे ही पैदावार कम होगी तो कैसे गल्ला और प्रदेशों में भेजेंगे ? कोई समय फिर ऐसा आयेगा कि स्वयं हमारे प्रदेश के लिये लाले पड़ जायेंगे । कृषि के विषय में जो बजट रखा गया है इसकी धनराशि 35 करोड़ 36 लाख 67 हजार रुपये है । हमारे देश की आबादी 90 करोड़ है और 68 करोड़ किसान हैं इस प्रदेश के बजट का हिसाब लगा लें तो यह दो रुपये से कम बैठेगा ।

(व्यवधान)

आपके हल्ला मचाने से कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा । इस बजट पर इनको ज्यादा धनराशि खर्च करनी चाहिए थी वह इन्होंने खर्च नहीं की है । इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कृषि ही ऐसा विषय है जिसके ऊपर प्रदेश की सबसे अधिक पैदावार टिकी है । इनकी एक खलिहान योजना है उसके लिये 5 हजार रुपया दिया गया किसान की 10 हजार कुन्टल अनाज की पैदावार होती है । माननीय मंत्री जी, दैवी आपदाओं के लिये जो आज धनराशि दी जा रही है, वह बहुत कम है । इस विधान सभा के सम्मानित सदन में मैंने कई बार इस संबंध में मांग की है । जब तक किसानों की धनराशि बढ़ाई नहीं जायेगी, तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप तो कटौती की बात कर रहे हैं ।

श्री बदन सिंह–

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सच्चे अर्थों में यदि आप किसानों की सेवा करना चाहते हैं तो कृषि बीमा योजना के लिये आप केन्द्रीय सरकार को बाध्य कर दीजिये । उत्तर प्रदेश में कृषि की योजना उसकी बीमा योजना यहां पर लागू कीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात 5 मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्री बदन सिंह–

मंडी परिषद् की बात कही गयी । हम उससे मंडी परिषद् से सड़क बनवायेंगे । मैं आपको बता रहा हूं किसानों को खुला लूटा जा रहा है । उत्तर प्रदेश की किसी भी मंडी परिषद् में किसानों के जमा किये हुए गल्ले से 75 फीसदी मूल्य आप दिलवा दीजिये । किसान जब मंडी परिषद् में जाता है तो उससे सफाई के नाम पर, पानी के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, इसकी आप जांच करवा लें । मंडी परिषदों में व्याप्त अव्यवस्था को दूर कर दिया जाएगा, तभी किसानों को फायदा होगा । मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं । आपकी भावनाएं अच्छी हैं । अच्छी हो सकती हैं । लेकिन जो योजनाएं आपने दी हैं, उनसे इस उत्तर प्रदेश के किसानों का भला नहीं हो सकता है ।

आपने यहां पर इस बात का जिक्र नहीं किया कि जायद की फसलों के संबंध में आपकी क्या योजना है ? शंकर बीज की प्रमाणिकता आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि यह सही बीज है कि नहीं ? बीजों में अपमिश्रण होता है । फर्जी बीज किसानों को बेचे जा रहे हैं । इस संबंध में एफ० सी० ओ० आपके परगनाधिकारी और दूसरे कृषि जिलाधिकारी इस पर कोई नियंत्रण नहीं रखते । इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रमाणित बीज का नियंत्रण आप अपने हाथ में लेकर किसानों को बीज नहीं पहुंचायेंगे तब तक इस पर नियंत्रण नहीं हो सकता है । इसी तरह से जो एग्रो है वह फलों का रस निकाल कर पी जा रहे हैं और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है । जितने कृषि फार्म हैं वह सभी घाटे में जा रहे हैं । वहां पर रहने वाले सुपरवाइजर मौज मस्ती कर रहे हैं । उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है । उन पर कड़ा नियंत्रण रखने की आप व्यवस्था करें । कृषि की स्थिति सुधारने के लिये यह आवश्यक है । बिचपुरी कृषि महाविद्यालय जो है । वहां पर जब 1989-90 के कनवोकेशन में माननीय मुख्य मंत्री जी गये थे, तो उन्होंने वायदा किया था कि इसे कृषि विश्वविद्यालय बना दिया जायेगा । मैं शासन से कहना चाहता हूं कि बिचपुरी कृषि महाविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाए । जिससे इस प्रदेश की सेवा हो सके । मान्यवर, मुझे कहना तो बहुत था लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा दिये गये सुझावों के ऊपर प्रदेश सरकार काम करेगी जिससे कि प्रदेश के किसानों की आर्थिक दशा अच्छी बन सके ।

श्री हरीश कुमार गंगवार–

आदरणीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं इस बजट का स्वागत करता हूं । मैं केवल 1-2 बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं । आमतौर पर हम कहते हैं कि पुलिस रिश्वत लेने वालों

की फौज है लेकिन आपकी मंडी परिषद् में जो रिश्वतखोरी है वह किसी और विभाग में नहीं है। सरकार नयी आयी है इसलिये सरकार का ध्यान आकृष्ट करना मेरा कर्तव्य है। लोग यह कहते हैं कि इस विभाग में बड़े अफसरों की पोस्टिंग 50 लाख में होती है और एक-एक सचिव की पोस्टिंग 12-12 लाख में होती है। इससे समझ लीजिये कि इस विभाग में क्या-क्या होता होगा।

मैं अधिक नहीं कहते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि लोग यह कहने लगे हैं कि आई० ए० एस० अफसर कलेक्टर बनना पसंद नहीं करते हैं किसी शुगर फैक्ट्री का जी० एम० बनना पसंद करते हैं उसी प्रकार से लोग मंडी परिषद् का सचिव बनना पसंद नहीं करते हैं। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपकी जो सब्जी मण्डी की नीति है उससे गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। जहां कहीं हरी सब्जी पैदा होती है वह मंडी स्थल पर जायेगी, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। मैं अभी पीलीभीत गया था वहां पर कम से कम तीन-चार सौ ऐसे व्यक्ति हैं जो पीलीभीत के पश्चिम और उत्तर में देवहा तथा खकरा नदी के किनारे सब्जी पैदा करते हैं और रिक्शे पर या डलिया में सब्जी शहर के बाहर मंडी स्थल पर ले जाते हैं जहां पर सब्जी की नीलामी होती है। मजबूरी में उनको अपनी सब्जी नीलाम करनी पड़ती है। ऐसे लोग ट्रक से और बैलगाड़ी से हरी सब्जी न लाकर छोटे-छोटे पल्लों व रिक्शों में लाते हैं जिससे उनको बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे लोगों को जहां पर वह पहले सब्जी बेचते थे वहां पर सब्जी बेचने की इजाजत दी जाय। लोग बहुत परेशान हैं, कई औरतें तो रोने लगीं उनका कहना था कि वह अपने बच्चों को क्या खिलायें ? शहर पार करके वह सब्जी ले जाती हैं, बोरों में सब्जी ले जाने से सब्जी पर निशान पड़ जाते हैं जिससे आधी कीमत में बिकती है और बेचते-बेचते शाम के तीन बज जाते हैं जिससे वह अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाती हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे छोटे किसान जो अपनी सब्जी डालिया या रिक्शे पर लाते हैं उनको उसी जगह पर पीलीभीत में बेचने की इजाजत दें जहां वह पहले बेचते थे।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि आप बजट कोई ले आयें लेकिन जब तक उसकी नीतियां ला०९९गू नहीं होंगी, प्रदेश का वातावरण सही नहीं होगा तो आप कितना अच्छा बजट बना लें उससे कामयाबी हासिल होने वाली नहीं है। जब तक साम्प्रदायिकता का जहर होगा, जगह-जगह कर्फ्यू लगेगा, घृणा की निगाह से लोग एक दूसरे को देखेंगे तब तक कैसा भी बजट बना लें उसका लाभ नहीं होने वाला है। जहां यह कहा जाय कि "उर्दू थोपी लड़कों पर तो खून बहेगा सड़कों पर," "मारेंगे मर जायेंगे, मंदिर वहीं बनायेंगे" तो प्रदेश की तरक्की होने वाली नहीं है। (शोर) मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह कहा जायगा कि "तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटाओ बाबर का", यदि ऐसी बातें कही जायेंगी तो वातावरण कैसे अच्छा बन सकता है ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री हरीश कुमार गंगवार–

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया।

श्री हरि शंकर तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया । मान्यवर, माननीय मंत्री जी जब अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे, तो मुझे बड़ी अपेक्षा थी कि वह किसान परिवार के हैं, पूर्वांचल के रहने वाले हैं, किसानों के प्रति उनके मन में हमदर्दी होगी, लेकिन किसानों की दुर्दशा को देखते हुए जो बजट भाषण आपने प्रस्तुत किया है, उसमें पूर्वांचल के किसानों की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के पर्वतीय अंचलों की अपेक्षा बजट का नियोजन कम है ।

मान्यवर, पूर्वांचल जो है, इस देश और प्रदेश को खाद्यान्न की समस्या से मुक्त करा सकता है, लेकिन जो कृषि विभाग की दिग्दर्शिका है, जिसमें शंकर बीज के उत्पादन हेतु 500 हेक्टेयर जमीन निजी उद्यमियों को उपलब्ध कराने की बात कही है, यदि आप कृषि विश्वविद्यालय में जो जमीन है, उसकी ही उचित देख-भाल और साधन उपलब्ध करा दें, तो यह जमीन किसी अन्य उपयोग में लायी जा सकती थी और उन कृषि विश्वविद्यालय स्थित जमीनों से अधिक लाभ मिल सकता था । इससे स्वतः सिद्ध हो जाता है कि क्षेत्रीय विषमता को दूर करने पर कोई विचार नहीं किया गया है, जबकि भूमि की उवरा शक्ति पूर्वांचल में अधिक है । देश की सारी बड़ी नदियां पूर्वांचल से ही होकर गुजरती हैं, लेकिन उनका समुचित लाभ प्रदेश के लोगों को न मिल करके, उनका अभिशाप ही उनको मिलता है ।

अभी माननीय मंत्री जी कृषि मंडी परिषद् के द्वारा 350 किलोमीटर लम्बी सड़कों के निर्माण की बात कह रहे थे, जो 425 विधान सभा क्षेत्रों में प्रति विधान सभा क्षेत्र कितने किलोमीटर आयेगी ? आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं । इस पर माननीय मंत्री जी विचार करें । एक हजार इण्डिया मार्क हैण्ड पाइप प्रति विधान सभा क्षेत्र कितना आयेगा । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान देश के अन्य प्रदेशों, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बंगाल आदि प्रदेश में प्रति हेक्टेयर गेहूं, धान, बाजरा आदि के उत्पादन में कितना अन्तर है, इसके प्रति भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मान्यवर, हमारे प्रदेश की उपज नगण्य है । माननीय मंत्री जी 500 हेक्टेयर जमीन जो निजी उद्यमियों को दे रहे हैं, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि यह जमीन किसी अन्य उपज के काम में लायी जा सकती है ।

मान्यवर, गोरखपुर एवं महराजगंज में हजारों एकड़ सीलिंग की जमीन है, जिसमें आप कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करके पूर्वांचल को और देश को अधिक लाभान्वित करा सकते हैं । हमारे विधान सभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय है, यदि उसकी 250 एकड़ जमीन पर कृषि विश्वविद्यालय खोलें, तो वह जमीन हम उपलब्ध करा सकते हैं । शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा के द्वारा किसानों को अधिक लाभान्वित किया जा सकता है । उसके लिये कृषि महाविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय होना आवश्यक है । जब तक कृषि का सही ज्ञान लोगों को नहीं होगा, तब तक सारा नियोजन व्यर्थ है । इसके लिये जब तक कृषि महाविद्यालय की स्थापना नहीं होगी, तब तक यह प्राविधिक ज्ञान किसानों को नहीं दे पायेंगे । यह चिन्ता की बात है कि अन्य प्रदेशों में प्रति हेक्टेयर उपज अधिक है और हमारे प्रदेश में बहुत कम है । मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में प्रति एकड़ उपज 22-25 कुन्तल है, जब कि उत्तर प्रदेश में 15-18 कुन्तल है । इसका मान्यवर, कारण यह है कि यहां पर सिंचाई

के साधन नहीं हैं, किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिये कीटनाशक दवायें नहीं मिल पाती हैं, हालांकि माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में इनका उल्लेख किया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह किसानों को उपलब्ध नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जब वह अपना उत्तर भाषण दें तो इन बातों पर समुचित प्रकाश अवश्य डालें।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गोरखपुर मण्डल में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करें, वहां पर पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। मान्यवर, जो कृषि महाविद्यालय हैं, उनमें कृषि की तकनीकी एवं स्नातकोत्तर कक्षायें नहीं हैं, इस कारण लोगों को तकनीकी ज्ञान मिलने में कठिनाई होती है। मान्यवर, पूर्वांचल में कोई उद्योग नहीं है और वहां के लोग बेरोजगार हैं, और पूर्ण रूप से वह कृषि पर ही आधारित हैं, इसलिये कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, माननीय बदन सिंह द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस बजट का सम्बन्ध हमारे प्रदेश के गांवों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और उसका मुख्य धन्धा कृषि है। मान्यवर, कृषि में लगे हुये लोगों के सामने एक बड़ी विकट समस्या है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है इस कारण उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। हमारे प्रदेश का किसान बहुत अच्छी फसलें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उसके सामने समस्यायें हैं और वह गरीबी के कारण ऐसा कर नहीं पाता है। हमारे प्रदेश का किसान अच्छे उन्नत बीजों का प्रयोग नहीं कर पाता है, उसके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं और वह खेती में आवश्यक पैसा नहीं लगा सकता है, इस कारण वह अच्छी फसल नहीं पैदा कर पाता है। मान्यवर, इस संबंध में भाषण बहुत दिये जाते हैं और सुझाव भी बहुत दिये जाते हैं, लेकिन उन भाषणों और सुझावों से काम चलने वाला नहीं है। खेती को जब तक उद्योग का दर्जा नहीं दिया जायेगा, किसानों का भला होने वाला नहीं है। खेती दैवी आपत्ति के कारण नष्ट हो जाती है, इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और कोई योजना तैयार करनी चाहिये। किसानों की फसल की जीवन बीमा योजना आप लागू करें इसके लिये आपने कोई प्राविधान नहीं किया। किसानों की फसलों की बीमा की बात को आपको गारन्टी के साथ कहना चाहिए था कि अगर दैवी आपदाओं के कारण उत्तर प्रदेश के किसान भाई की लहलहाती हुई या कटी हुई फसल पर यदि प्राकृतिक प्रकोप होता है तो उसको जो जोखिम होगा वह किसानों की यह सरकार उनको देने की गारन्टी देती है लेकिन आपने एक भी ऐसी बात की जानकारी नहीं दी मान्यवर, किसानों की 40 फीसदी भूमि ऐसी है जो कि असिंचित पड़ी है आपने उसको सिंचित बनाने के लिये क्या कोई दिशा दी है आपने अपने बजट में उसका कोई जिक्र नहीं किया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे खुशी होती जब आप कहते कि असिंचित जमीन को सिंचित बनाने के लिये किसानों की सरकार ने किसानों के लिये यह योजना बनायी है, यह हमारी कार्य योजना है। अगर उस कार्य योजना को डिक्लेयर करते तो मैं आपके इस निर्णय का स्वागत करता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कहा गया है कि हमने कृषि नीति की स्थापना की है तो इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि किसानों को उचित मूल्य दिया है, क्षमा कीजियेगा कृषि मंत्री जी, आप सब लोग मित्र हैं किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं अगर आप असली दाम देने की बात करते तो मैं आपका सम्मान करता। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों की फसल का दाम दिलाने की आपको कोई ठोस योजना नहीं है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ बदन सिंह जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस कृषि सुधार के लिये इस सरकार के पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है किसानों के प्रति केवल घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया है। आप पूंजीपतियों के हिमायती हैं और किसानों के हमदर्द नहीं हैं केवल वोट के लिये आप किसानों की बात करते हैं।

श्री गौरी शंकर, एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृपा करके मेरी ओर कृपादृष्टि की और मेरा नाम पुकारा। लेकिन 3 मिनट की सीमा है। श्रीमन्, आप स्वयं ही कृपा करेंगे समय के लिये क्योंकि 3 मिनट क्या होना है ? मैं शुरू करता हूं इस बात से, कि पहले तो 20 सालों तक तो आप स्वयं अवगत हैं कि इटावा जनपद के चम्बलों की खोरों से मेरा वास्ता था और अब 302 के स्थान पर 99 के चक्कर में आ गया हूं। 99 मेरा विधान सभा क्षेत्र है।

श्री अधिष्ठाता–

अब तो लखनऊ की सुन्दर सड़कों से निकलना हो रहा है।

श्री गौरी शंकर, एडवोकेट–

मान्यवर, आप तो स्वयं उधर से गुजरते हैं और जानते हैं। मान्यवर, मलिहाबाद के दशहरी आम की चर्चा प्रदेश और देश के बाहर भी होती है लेकिन इसकी केवल 5 प्रतिशत मात्रा ही विदेशों में पहुंच पाती है। उस पर कम से कम दो सौ ढाई सौ करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। काश हमें इससे ज्यादा भेजने का अवसर मिले, जिससे लगभग एक हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा उत्तर प्रदेश इसमें अर्जित कर सकता है। लेकिन, सबसे बड़ी तकलीफ की बात इसमें यह है कि वह क्षेत्र 5-6 सालों से दुखी है, बौर तो खूब आती है, पेड़ लदा फदा रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन 2-4 हफ्ते के बाद उसमें केवल छोटी अम्बियां आती हैं और गिर जाती हैं। इस संबंध में ए० पी० सी० महोदय के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी की अपेक्षानुसार, मैंगो ग्रोवर्स की बैठक हुई, लेकिन उसमें भी इसका हल कुछ नहीं निकला। भारत सरकार के कृषि क्षेत्र के एक्सपर्ट्स आये, एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बहुत सी बात कही, आसमान में तीर छोड़ने का काम करते रहे। इस साल दुखद यह है कि लदा-फदा जो मलिहाबाद क्षेत्र था, और भी हमारे साथियों के क्षेत्र में जहां आम है, दशहरी जो है, सीडलैस हो गया है। 10–15 प्रतिशत में ही ज्यादा बौर है, आम आया है, बाकी में सीडलैस हो गया है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त कीजिये ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, यह लाल बत्ती बुझा दीजिये । इससे भ्रमित हो जाता हूं । मुझे आज चिन्ता है कि आपको क्या भेंट करूंगा और साथियों में, प्रदेश की जनता में देश की जनता में उसकी मिठास क्या जायेंगी ? इस पर मन में तकलीफ है ।

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं । एक वहां कठिनाई है । दुबग्गा का क्षेत्र पूरी साब्जियों से लदा फदा है, वहां की मण्डी स्थल को 1991 में किन्हीं परिस्थितियों में सी० आर० पी० एफ० को दिया था उस सी० आर० पी० एफ० ने वहां अड्डा जमाया हुआ है, आज भी वहां अड्डा जमाया हुआ है । इस संबंध में बहुत कोशिश की गयी, शासन स्तर पर मंजूरी हो गयी कि उनसे खाली कराया जाय । लेकिन मान्यवर, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि आज भी सी० आर० पी० एफ० के लोग वहां डेरा डाले हुए हैं ? मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मण्डी स्थल तत्काल सी० आर० पी० एफ० के लोगों से खाली करवाकर वहां के लोगों को सुविधा हेतु सुपुर्द किया जाय । मान्यवर, वहां से 25–30 लाख रुपये का मण्डी शुल्क आता है लेकिन उसमें हमें कुछ मिलता नहीं । जब हम दिल्ली भेजते हैं तो लाखों रुपये देना पड़ता है । अगर इसको तत्काल सुपुर्द न किया गया तो जन आन्दोलन की स्थिति बन सकती है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, जिस क्षेत्र से 25–30 लाख रुपये प्रति वर्ष मण्डी शुल्क के रूप में आता है, इससे बड़ी क्या विडम्बना हो सकती है कि इन 45 वर्षों में 45 ईंट उस मल्हाबाद क्षेत्र को नहीं मिली । ऐसी स्थिति में मेरे मन में बहुत तल्खी है और उसे व्यक्त कर रहा हूं यह कह कर कि –

"न पूछो क्या गुजरती है दिले खुद्दार पर अक्सर,
जब किसी नामेहर को मेरहवां कहना ही पड़ता है
हमारे सामने जिसने बहारे अंजुमन लूटी
उसी को अब फरोगे अंजुमन कहना ही पड़ता है
यह दुनिया है यहां हर काम होता है करीने से
यहां पत्थर को भी लाले गिरां कहना ही पड़ता है
वफैजे मसलेहत कभी ऐसा भी होता है जमाने में
कि हमजन को अमीरे कारवां कहना ही पड़ता है ।"

मान्यवर, इसीलिये बड़ी मजबूरी के साथ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, उसके बावजूद इसमें अनुदान की जो मांगें हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। इस विश्वास के साथ कि यहां जो आवाज आपके माध्यम से विभाग के लोगों तक पहुंची है, माननीय मुख्य मंत्री जी तक पहुंची है, जो हकतल्फी हुई है, वह आगे नहीं होगी। माननीय बदन सिंह जी एक मिनट सुन लें।

मान्यवर, मानस पुत्र हैं माननीय मुलायम सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी के और उनके संकल्पों के अनुसार, विचारों के अनुसार, यहां पर शासन के द्वारा जो यह मांगें रखी गयी हैं, उसमें उनके विचारों की अभिव्यक्ति झलकती है, दिखायी पड़ रही है। आप बीस साल से आ रहे हैं आपका सानिध्य मिल रहा है। माननीय बदन सिंह जी आपका व्यक्तित्व तो अलग था। आप तो चौधरी साहब के विचारों से प्रभावित थे, यह आप कहां चले गये ? मैं समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि "हम आह भी भरते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।"

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हरेन्द्र सिंह जी आप तीन मिनट में अपना भाषण करें। गागर में सागर भर दें।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, तीन मिनट का समय तो कम है। मान्यवर, आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि जैसे महत्वपूर्ण बजट पर जो हमारे खून में, शरीर में और सांस में बसा हुआ है पर बोलने का अवसर दिया। अभी हमारे माननीय सदस्य, इटावा जो भी बोले.....

श्री अधिष्ठाता–

अब वह लखनऊ के हो गये हैं। मलिहाबाद क्षेत्र के।

* श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, बदलना तो इनकी नीयत है। तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि कृषि हमारे प्रदेश का मुख्य पेशा है। मैं तीन बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम लेकर भाषण प्रारम्भ किया मैं इसकी बधाई देते हुए यह अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश में मृदा परीक्षण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कृपया इसका परीक्षण सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग कर रहा है जिससे उसकी उत्पादकता निरन्तर घटती चली जा रही है तो इस ओर भी ध्यान दिया जाये। मान्यवर, जो दो-तीन घोषणायें योजनाओं के संबंध में की गयी वह स्वागत योग्य हैं। पिछली सरकार में जो व्यवस्था थी उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बन्द कर दिया था, उसको चलाया जाये और जो फसल बीमाराशि है वह बहुत कम है उसे पांच हजार से बढ़ाकर अधिक किया जाये।

मान्यवर, जो 350 किलोमीटर सड़क बनाने का प्राविधान है, मण्डी परिषद् द्वारा वह कम है इसको बढ़ाकर एक हजार किलोमीटर किया जाये। जो हम मण्डी शुल्क देते हैं उसका भी इस्तेमाल किसानों के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये नहीं हो रहा है । जो 107 करोड़ रुपया किसानों का पी० एल० ए० में पड़ा हुआ है, वह किसानों का पैसा है, किसानों के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है । ग्रामीण सम्पर्क मार्ग बनाने के लिये उस पैसे का उपयोग किया जाये जिससे तपती दोपहरी में जो किसान अपने पशु लेकर एवं मशीन लेकर चलता है उससे उसे राहत मिले । जो पी० एल० ए० का 107 करोड़ रुपया है उसमें से 62 करोड़ मण्डी विकास निधि में, 30 करोड़ रुपया मण्डी परिषद् निधि और 16 करोड़ रुपया मण्डी समिति निधि में है इसका कोई औचित्य नहीं है । इसे किसानों के उत्थान के लिये खर्च किया जाये । मान्यवर, जो निर्धारित लक्ष्य है 350 किलोमीटर का उसे बढ़ाकर एक हजार किया जाये और पी० एल० ए० में 107 करोड़ रुपया पड़ा है उसमें से 15 करोड़ रुपया तत्काल अवमुक्त किया जाये ताकि जो कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उसे तत्काल पूरा कराया जाये । मान्यवर, जो मण्डी समिति के प्रस्ताव सड़कों के विचाराधीन है जैसे मेरे क्षेत्र में कुछ सड़कें अधूरी पड़ी हैं, वहां पर मोटे-मोटे पत्थर लगे हुए हैं, आवागमन के साधन नहीं हैं, उसमें से कुछ की स्वीकृति हो गयी है परन्तु टेण्डर होने के बाद भी अनुबन्ध नहीं हो पाया है ।

मण्डी समिति मुजफ्फरनगर में थाना भवन व श्यामली के प्रस्ताव परिषद् में डी० एम० की स्वीकृति के लिये पड़े हुए हैं उनकी संस्तुति करायी जाये । एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो मण्डी सचिव प्रस्ताव करके मण्डी निदेशक को भेजते हैं उसे मण्डी निदेशक नहीं मानते हैं । क्योंकि इसका चेयरमैन आई० ए० एस० होता है और वह अपना नादिरशाही हुकुम चलाता है तो इसमें आई० ए० एस० को न रखकर जनप्रतिनिधि को रखा जाये । मान्यवर, बुलन्दशहर के अगौता एवं श्याना के प्रस्ताव आये हैं एवं अलीगढ़ के खैर के प्रस्ताव आये है जब आप अपने उत्तर भाषण करेंगे तो मैं यह चाहूंगा कि इसकी आप घोषणा करेंगे । मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी साफ-साफ घोषणा करें कि जो काम अधूरे हैं, उनको तत्काल पूरा कराया जायेगा साथ ही यदि आवश्यक हो तो पी० एल० ए० से धनराशि अवमुक्त की जाय । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आज हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है और ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण नहीं हो रहा है इसलिये तत्काल इस पर रोक लगाई जाय और ग्रामीण विकास को वरीयता देकर निर्माण कराया जाय । माननीय मंत्री जी ने एक हजार हैण्ड पम्प की बात कही, मैं कहना चाहता हूं कि एक हजार हैण्डपम्प "ऊंट के मुंह में जीरे" के समान होने वाली बात है, इसको बढ़ाकर 5 हजार कर दिया जाय । मण्डी शुल्क का पैसा जो इधर-उधर के कामों में खर्च हो रहा है, उसके संबंध में माननीय मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करें और निर्देश दें कि मण्डी शुल्क का पैसा ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर ही व्यय किया जायेगा । मान्यवर, मण्डी परिषद् द्वारा कुछ अच्छे कार्य भी कराये गये हैं, जिसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन छोटे सम्पर्क मार्गों का निर्माण जांच के नाम पर रोक दिया गया है, उसको प्रारम्भ कराया जाय और जो पैसा पी० एल० ए० में पड़ा है, उसको अवमुक्त किया जाय, जिससे और अच्छे काम हो सकें ।

माननीय मंत्री जी यह आपकी परीक्षा का समय है यदि आप वास्तव में चरण सिंह वादी हैं तो किसान हित में आपको यह घोषणायें करनी होंगी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में 400 हैण्ड पम्प लगाने के आदेश डायरेक्टर को दिये थे, लेकिन वह डायरेक्टर उसकी सूची जारी नहीं कर रहे हैं, उसको जारी करवाया जाय । माननीय बदन सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि चौधरी चरण सिंह फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के विरोधी थे । मैं बताना चाहता हूं कि चौधरी साहब का कहना यह था कि

अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादकता घटेगी, इसलिये किसान को गोबर की खाद और हरी खाद का इस्तेमाल भी करना चाहिए । मान्यवर, आज तरक्की का जमाना है और जो अच्छे बीज हैं, उनकी खोज का कोई कार्य आज प्रदेश में नहीं हो रहा है । मेरा कहना है कि अच्छे बीजों के संवर्धन के लिये उनकी पहचान करायी जाय और मंडी परिषद् का इस्तेमाल सचिव और दूसरे अधिकारीगण गलत तरीके से कर रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाय ।

मान्यवर, मेरा अन्तिम सुझाव है कि गन्ने से बनने वाला उत्पादन, गुड़ और खांडसारी, जिसे छोटा किसान बनाता है, पर उत्पादन शुल्क लगता है, परन्तु जब यही गन्ना मिल मालिक के चीनी बनाने के काम आता है तो चीनी पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता है जिससे मंडी की आय घट रही है और मंडी की आय घटने से ग्रामीण क्षेत्र का विकास घटेगा, इसलिये गुड़ व खांडसारी पर मंडी शुल्क समाप्त किया जाय या चीनी पर भी मंडी शुल्क लगाया जाय, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री रंगनाथ–

मान्यवर, मैं माननीय बदन सिंह के कटौती प्रस्ताव से अपने को सम्बद्ध करते हुए कुछ बातें शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । मान्यवर, मण्डी तक सामान लाने के लिये शासन ने कुछ व्यवस्थायें की हैं जैसे 350 कि० मी० सड़क और एक हजार हैण्ड पम्प लगाने की बात कही है, लेकिन वहीं पर किसानों के जिंस का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की और न ही कोई अनुदान देने की व्यवस्था की है । जहां तक सड़क निर्माण का प्रश्न है, इससे अच्छा होता कि किसानों की फसलों की सिंचाई के लिये ट्यूबवेल की व्यवस्था की जाती अथवा कृषि विभाग द्वारा नहरों की व्यवस्था की जाती, खाद में सब्सिडी देकर उनके उत्पादन को बढ़ाने की व्यवस्था की जाती ।

मान्यवर, जहां तक किसानों के साथ खलिहानों में होने वाली दुर्घटना का प्रश्न है, उसके लिये 5 हजार अनुदान देने की बात कही गयी है, यह बहुत ही कम है । जहां दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी प्रतिष्ठानो में कहीं दुर्घटना होती है, उसकी क्षतिपूर्ति में उसके अनुसार अनुदान दिया जाता है, यहां 5 हजार अनुदान देने की बात कहकर किसानों के आंसू पोछने का काम किया गया है । शारीरिक दुर्घटना पर अपंगता होने की दशा में 1.5 हजार देने की बात कही गयी है, लेकिन मृत्यु होने की दशा में 1 लाख रुपया दिया जाय, यह नहीं कहा गया है, इसलिये इसमें भी विभेद होना चाहिए, जैसा कि दूसरे विभाग में एक्सीडेंट होने पर दिया जाता है

[समय 5 बजकर 20 मिनट]

जहां तक हैण्ड पाइप लगाने की बात है, एक हजार हैण्ड पाइप से कुछ भी नहीं होता है । जहां मण्डी में हजारों किसान आते हैं, उनके साथ और कई लोग आते हैं, इसलिये एक मण्डी समिति में एक हैण्डपाइप पर्याप्त नहीं होगा, हर मण्डी समिति मे कम से कम 10 हैण्ड पाइप लगाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां तक भूमिसेना द्वारा ऊसर जमीन भूमिहीनों को एलाट करने की व्यवस्था की गयी है तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, ऐसे किसान भी होंगे जिनकी सारी जमीन ऊसर है और अगर उनकी ऊसर भूमि भी बांट दिया गया तो वे भूमिहीन हो जायेंगे, सरकार को इसको भी देखना चाहिए। दूसरी तरफ इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये अन्य जो उत्पादन की चीजें हैं, जो दूसरे प्रदेशों में उत्पादित हो रही है, केला, सुरमा आदि।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें, अभी चार बजट और हैं।

श्री रंग नाथ–

तो इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिये, प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश के किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए। वाराणसी जनपद में एक बीघे में 50 हजार केले उत्पादित किये जा रहे हैं। अभी तक महाराष्ट्र में इसकी खेती होती थी लेकिन बनारस में अब हजारों किसान केले की खेती कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश नहीं की गयी।

श्री अधिष्ठाता–

श्री मिश्र जी अब आप समाप्त करें, समय नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, इसी प्रकार सुरमा की खेती जो मद्रास में होती थी इसको भी हमारे बनारस जनपद में उत्पादित किया जा रहा है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को इनकैश क्राप्स के उत्पादन की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ मान्यवर, बासमती चावल निर्यात किये जाते हैं, उस पर इन्सेंटिव दिया जाता है। इसलिये हमारी जो जीन्स एक्सपोर्ट होती हैं उन पर अनुदान दिया जाना चाहिए। मान्यवर, गोपीगंज मण्डी समिति को 14 लाख रुपया दिया गया था लेकिन वह रुपया जमा है, खर्च करने के लिये रुपया नहीं दिया गया। मान्यवर, बीज परीक्षण के लिये प्रयोगशाला खोली गयी। पहले तो यह प्रयोगशाला लखनऊ में थी अब यह प्रयोगशाला दो और जगह कानपुर और बरेली में खोली गयी है लेकिन पूर्वांचल में एक भी बीज परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। मान्यवर, कानपुर में बीज परीक्षण प्रयोगशाला खोलने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पास में ही लखनऊ में यह प्रयोगशाला पहले से ही मौजूद है। मान्यवर, सरकार पूर्वांचल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार को चाहिए था कि कम से कम एक बीज परीक्षण प्रयोगशाला पूर्वांचल में अवश्य खोलती। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा था लेकिन माननीय कारागार मंत्री जी जिन्हें कृषि से कुछ लेना देना नहीं है, उनका काम तो अपराधियों को जेल में बन्द करना है, उनको संरक्षण देना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

कृषि में रुचि रखने वाले माननीय सदस्यों को मौका दिया जाना चाहिए।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, आपने मुझे कृषि के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया जिसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। देश की आजादी के बाद से कृषि में क्रान्तिकारी परिवर्तन आये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अखिलेश जी दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये। क्योंकि अभी बजट प्रस्तुत होगा, कटौती का प्रस्ताव रखा जायेगा और समय बहुत कम है।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। देश की आजादी के बाद से विभिन्न सरकारों ने कृषि जगत में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं। किसान ने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी ईमानदारी के द्वारा प्रदेश में अनाज का अधिक उत्पादन करता है और किसानों की मेहनत से ही अन्न उत्पन्न होता है। आज हम इस स्थिति में हैं कि अन्य प्रदेशों में भी अनाज मुहैया कराने मे समर्थ हैं। मान्यवर, कृषि पेशे की स्थिति संतोषजनक नहीं है, उसमें सुधार नहीं हुआ है। किसान, खेतिहर मजदूर है उनका ही यह पेशा है। मान्यवर, विचार करें तो निश्चित रूप से इस पेशे से जुड़े लोग देश के दूसरे नागरिक के दर्जे के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति को सुधारने का काम नहीं होगा तो हमारी सोच और समझदारी निरर्थक हो जायेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी ने जो अभी बजट प्रस्तुत किया है उससे कृषि जगत से जुड़े लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये अपेक्षित कार्यवाही करें। महराजगंज और सिद्धार्थनगर जो धान की पट्टी के रूप में जाना जाता है, उस क्षेत्र में निर्यात प्रजाति की पैदावार बढ़ाई जाय। इससे निश्चित तौर से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। हमारे गोरखपुर जनपद के कैम्पियरगंज में और महराजगंज जनपद के धानी, फरेंदा, बृजमनगंज में हरे छाल की केला पट्टी को विकसित किया जाय और वहां के किसानों को प्रोत्साहित किया जाय जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मान्यवर, मण्डी शुल्क के धन का दुरुपयोग जोरों पर हो रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मण्डी शुल्क की समस्त धनराशि का उपयोग उत्पादक मदों में होना चाहिए, कृषि क्षेत्र में उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए धन का सार्थक उपयोग किया जायगा तो परिणाम भी सामने आयेगा। अगर उसका उपयोग वहां पर नहीं किया गया तो उसका लाभ किसानों को प्राप्त नहीं होगा। मैं यह अपेक्षा करूंगा कि मण्डी शुल्क के धन का अधिक से अधिक उपयोग उत्पादक मदो में होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि जो यह कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस पर बोलने की अनुमति प्रदान की। मैं कुछ बोलने के लिये खड़ा हुआ हुं क्यों कि आपकी अनुमति हुई है। मान्यवर, आर्थिक विकास के बारे में कहना चाहता हूं क्यों कि यह सरकार का कहना है कि बजट का सत्तर फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च कर रहे हैं। प्रदेश के किसानों पर सर्वाधिक धनराशि खर्च कर रही है। चार माह व्यतीत हो गया है परन्तु अभी तक कृषि नीति की घोषणा नहीं की है, इस संबंध में विलम्ब किया जा रहा है, अनुभव कर रहे हैं, बजट पेश कर रहे हैं लेकिन अभी तक इस सरकार ने किसानों के लिये नीति

क्या होगी ? उत्पादन के संबंध में कौन-कौन योजनायें होंगी, भण्डारण नीति क्या होगी ? इस संबंध में कुछ नहीं किया जा रहा है । मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि मैं माननीय मंत्री जी के जनपद से गुजर रहा था, प्रदेश में आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ है ।

पूरे चालीस प्रतिशत आलू उत्तर प्रदेश पैदा करता है उससे अधिक ही आलू हुआ है । आलू किसान अपने खेतों से निकाल कर कोल्ड स्टोरेज में ले जाते हैं, मैं वहां पर यह देखा कि कई-कई बैलगाड़ियां, ट्रैक्टर और ट्रालियां खड़ी हुई हैं और उससे रास्ता जाम हो गया है, सरकार भण्डारण की कोई नीति नहीं तैयार कर रही है, कोल्ड स्टोरेज में जगह होने के बावजूद भी किसानों से कहा जाता है कि कोल्ड स्टोरेज भरे पड़े हैं, ऐसा कहकर गरीब किसानों का आलू सस्ते दामों में खरीद कर भर रहे हैं । किसानों से सस्ता आलू खरीद कर उसे कोल्ड स्टोरेज में भरेंगे और इसके बाद उसे महंगे दामों में बेचेंगे । कई-कई बैलगाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रालियां यों ही खड़ी रहती है । उत्तर प्रदेश में तमाम कोल्ड स्टोरेज हैं । आज स्थिति यह है कि प्रदेश में 96 कोल्ड स्टोरेज बन्द पड़े हैं, इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है । तो शायद यह स्थिति होती कि किसान अपने आलू को इनमें रख लेता । यह सरकार किसानों का उत्पादन बढ़ाना चाहती है परन्तु आज उत्पादन की बढ़ोत्तरी में स्टैगनेशन आ गया है । अगर उत्पादकता को बढ़ाना है तो जो जमीन उपलब्ध है, उसमें हम नयी टेक्नोलाजी का इस्तेमाल करें, तभी यह बढ़ सकता है । आज प्रोडक्शन व प्रोडक्टेबिटी दोनों में गिरावट आ रही है । लैव टु लैण्ड टैक्नोलाजी के ट्रान्सफर करने की बात है, जो कृषि यूनीवर्सिटीज हैं, वैज्ञानिक केन्द्र हैं, ज्ञान के केन्द्र हैं, जो शोध प्रयोगशालायें हैं, वहां पर कोई काम नहीं हो पा रहा है । ये कृषि विश्वविद्यालय मात्र साल में एक मेला लगा कर अपनी इतिश्री समझ लेती हैं । 1991-92 में 22 लाख मीट्रिक टन की गिरावट आयी और 92-93 में भी गिरावट आयी है । अब यह देखना है कि फर्टिलाइजर का कंजम्पसन क्या होगा ? जब तक प्रति हेक्टेयर हम इसको नहीं बढ़ायेंगे, तब तक उत्पादन बढ़ नहीं सकता है । दो-तीन काम की बातें मैंने बतायी हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री रणधीर सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे कृषि के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं दो-तीन बातें कहना चाहूंगा । पहला, यह कि जब काश्तकार अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अपने माल की बिक्री के लिये जायेगा तो उसे बहुत लाभ होगा । इसका पूर्ण अवसर किसान को दिया जाना चाहिए। परन्तु माननीय मंत्री जी ने इस पर बल नहीं दिया है । दूसरा, यह कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाय, जिससे कृषक को अधिक लाभ दिलाया जा सकता है । तीसरा, रासायनिक खादों पर कृषकों को सब्सिडी दी जानी चाहिए, ताकि किसान उससे लाभान्वित हो सके । जहां-जहां पर मण्डी समितियां नहीं हैं, वहां पर मण्डी समितियों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि किसान अपने माल को मण्डी समिति तक ला सकें । मैंने जिन बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, सरकार उन्हीं के अनुरूप कार्य करेगी । धन्यवाद ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद कि कई साथियों के विशेष आग्रह पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस प्रदेश के 73 प्रतिशत लोग डाइरेक्ट व इनडाइरेक्ट रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं जब 73 प्रतिशत इन्सानों की जिन्दगी बेहतर होगी, तभी खेती में उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिये जमीन, सिंचाई, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयां, नई तकनीकी, बीज व श्रम इन छः चीजों की आवश्यकता होती है। अब उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा है ? 1950-51 में जमीन की जो हालत थी केवल 162 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ही आच्छादित था, जो 1977-78 में बढ़कर 174 लाख हुआ। और 1989-90 में 40 साल बाद बढ़ कर वह 172 लाख हैक्टेयर हुई जोकि मात्र 10 लाख हैक्टेयर जमीन जो कृषि योग्य नहीं थी उसे कृषि योग्य बनाया गया। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि यह पहली सरकार है जिसने 12 जनपदों में भूमि सेना गठित कर 12 हजार हैक्टेयर जमीन को कृषि योग्य बनाने का प्राविधान किया है। ऊसर सुधार निगम के माध्यम से 30 हजार हैक्टेयर जमीन को एक साल के अन्दर सुधार कर कृषि योग्य बनाने का काम किया है जिस पर उत्पादन होगा।

दूसरा सिंचाई का मामला है 1950-51 में 48 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित थी जो 1977-78 में 85 लाख हैक्टेयर हुई और 1989-90 में वह 103 लाख हैक्टेयर सिंचित हुई जोकि आजादी के 40 साल बाद मात्र 55 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई हुई। इस बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने घोषणा की है कि 3 साल के अन्दर कोई ऐसी जमीन नहीं होगी जो खेती योग्य हो और असिंचित रह जाय। यानी सभी खेतों की सिंचाई होगी। इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और जहां एक फसल होती थी वहां दो फसलें होंगी। इसी तरह से ऊसर सुधार का भी प्राविधान किया गया है इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी और सरकार को बधाई देना चाहता हूं। जो कृषि उत्पादन है पिछले सालों में 1993-94 में वह 369.90 लाख मी० टन था और इस बार उसका लक्ष्य 412 लाख मी० टन का है। इसी तरह तिलहन और दलहन के उत्पादन में भी वृद्धि होगी यह एक सराहनीय काम है। मैं दो तीन सुझाव देकर एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

सरकार ने किसानों की माली हालत को सुधारने की घोषणा की है। मैं कहना चाहता हूं कि तराई क्षेत्र में एक्सपोर्ट क्वालिटी के चावल का उत्पादन बढ़ाना होगा क्योंकि वहां एक्सपोर्ट क्वालिटी का चावल होता है। इसको बड़े पैमाने पर पैदा करना होगा इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी जो हमारे प्रदेश में आयेगी।

इसी तरह से फलोत्पादन में भी मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में काफी गुंजाइश है इसका उत्पादन बढ़ाकर मुद्रा अर्जित की जा सकती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं एक आखिरी सुझाव देकर समाप्त करता हूं। इस प्रदेश में ज्यादातर मजदूर जो खेती के काम में लगे हैं वह दूसरे के खेतों को सजाने का काम करते हैं उनकी जब किसान को जरूरत होती है बुलाते हैं और अपने यहां काम पर लगाते हैं। साल के 12 महीने में वह मात्र 3 महीने काम करते हैं। इस मात्र 3 महीने के रोजगार से वह 9 महीने का काम चलाते हैं। तो सबसे दयनीय स्थिति कृषि मजदूरों की है इस दिशा में सरकार को कोई योजना बनानी होगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह–

माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव रखे हैं और उसमें जो घोषणायें की हैं मैं केवल एक घोषणा के बारे में बताना चाहता हूं। वह घोषणा है कृषि मजदूरों के संबंध में। इसमें कहा गया है कि ऊसर बंजर जमीन को सुधारने के लिये साधन दिये जायेंगे और उनको उस काम के लिये मजदूरी दी जायेगी और बाद में उसे उनके नाम आवंटित कर दिया जायेगा। ऐसी ही घोषणा करीब 30 साल पहले भी हुई थी और तराई के क्षेत्र में जहां कोई जाने के लिये तैयार नहीं था, जहां पर जंगली जानवर थे, वहां पर कुछ पूरब से और कुछ पंजाब से अनुसूचित जाति के राय सिख आये और उन्होंने तराई की उसर भूमि पंजाब बना दिया है। अब इस सरकार द्वारा वहां जो छोटे मजदूर थे जिनके पास 4-5 एकड़ जमीन थी लेकिन 30 सालों से उन्हें जमीन आवंटित नहीं किया था लेकिन वह अपने साधनों के आधार पर वहां ठीक से रह रहे थे उन्हें अब निकाला जा रहा है। आज वहां स्थिति यह है कि किसानों की भूमि पर लगी फसलों को नष्ट किया जा रहा है। इसलिए जो घोषणा की जा रही है कि छोटे किसानों को जमीन दी जायेगी लेकिन उसके विपरीत उन्हें वहां से निकाला जा रहा है इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दिया जाये और जो अधिकारी छोटे किसानों को तंग रहे हैं उनको दण्डित किया जाये ताकि नई घोषणायें क्रियान्वित की जाय।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री बदन सिंह जी आपको कुछ कहना है ? (व्यवधान) माननीय सदस्य व्यवधान न पैदा करें अभी और बजट पास होने हैं इसलिए अब समय अगले बजट पर आप लोगों को दे देंगे। आप लोग बैठ जायें।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आज जो यह कृषि बजट रखा गया है इसके अन्दर बहुत सी कमियों की ओर सत्ता और विपक्ष के लोगों के जितनी बातें कहीं हैं वह सब कृषि में सुधार के लिये सुझाव दिये गये हैं और इसी क्रम में मैं भी कुछ और सुझाव देते हुए कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक कार्यों के लिए जो किसानों की जमीन अधिग्रहीत की जाती है उसका उचित पैसा किसानों को नहीं मिलता है और किसानों से कालोनाइजर्स एक एटानी पावर लिखा लेते हैं जिसके आधार पर वह मनमानी तरीके से जमीन को बेचते हैं और पैसा कमाते हैं लेकिन किसान को बहुत कम पैसा देते हैं। इसलिए प्रार्थना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और किसानों की जमीन अधिग्रहीत की जाये तो उन्हें उचित मूल्य सीधे किसानों को

दिलाने की व्यवस्था की जाये और किसानों को नोटीफिकेशन की धारा 4,6 और 17 के बीच में उसको न डाला जाये । इस प्रकार किसान को अपनी भूमि का सीधे-सीधे मूल्य मिलने पर वह अपने कार्य कर सकता है ।

मान्यवर, मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि कृषि के अन्तर्गत जो फल हैं उनका सही प्रकार से सदुपयोग नहीं हो रहा है इसलिए मैं चाहता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिसके अन्तर्गत टमाटर से चटनी, आलू से चिप्स और फलों से अचार बनाकर किसान अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं । मान्यवर, आगे आने वाले समय में लेवी गेहूं की वसूली की जायेगी । गत वर्ष का अनुभव है कि गेहूं खरीद केन्द्रों पर बोरे उपलब्ध नहीं थे इसलिए किसानों का लेवी में अनाज नहीं खरीदा गया था । इसलिए सरकार से मैं पहले निवेदन करना चाहता हूं कि खरीद केन्द्रों पर किसानों का गेहूं अवश्य खरीदा जाये और बीच के दलालों का गेहूं न खरीदा जाये और साथ ही खरीद केन्द्रों पर बोरों की सुविधा उपलब्ध करायी जाये ।

मान्यवर, अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह देश कृषि के बिना नहीं चल सकता है । हमारा देश और प्रदेश कृषि पर आधारित है और जैसा प्राचीन समय में कहा गया है– "उत्तम खेती मध्यम वान, अधम चाकरी भीख निदान" । वाली कहावत कही जाती है । उसको सार्थक सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश की कृषि को ही उसकी आर्थिक स्थिति का आधार बनाया जाए और उसके लिए जो सुझाव हैं उन पर अमल किया जाए । आलू की जो बात है उसको सुरक्षित रखने के लिए, अच्छे बीज का अभाव भी है, कोल्ड स्टोरेज जो बन्द कर दिये गये हैं, उनको ठीक से खुलवाकर पुनः चलवाया जाए । इसलिए उनका आलू सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें कोल्ड स्टोरेज का जो चार्ज देना पड़ता है, किसान अपना जितना आलू पैदा करता है उसका सही मूल्य दिलाने के लिए शीतगृहों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए । कृषि के बिना कोई व्यापार, कोई भी उद्योग चल नहीं सकता है, इसलिए किसान की जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी हमारे प्रदेश के विभिन्न प्रकार के उद्योग धन्धे पनपेंगे और प्रदेश की आर्थिक दशा मजबूत होगी ।

इन सुझावों के साथ मैं अपने द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए, सत्तापक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने, भले ही सत्ता में बैठे होने के कारण अनुदान का समर्थन किया हो, मुख्य रूप से कृषि नीति की आलोचना की है, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं । गौरीशंकर जी ने शेरो शायरी पढ़कर चुटकियां ले लेकर हमारी बातों का समर्थन किया है । हमारे जितने विपक्ष के राजनैतिक दल हैं, उनके माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव का जो समर्थन किया है, उसके लिए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं बहुत ही आभारी हूं इस आदरणीय सदन का कि आज कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर बहुत ही विद्वतापूर्ण चर्चा हुई और सुझाव आए । इस आदरणीय सदन में, जिसमें लगभग 14-15 माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये हैं, मैं समझता हूं कि उनके सुझाव हमारे लिए वरदान के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रूप मे काम करेंगे, और जो माननीय सदस्य इस महत्वपूर्ण विषय पर, महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर समयाभाव के कारण चर्चा में शामिल नहीं हो पाए हैं, मान्यवर, मैं आदरणीय सदन को आश्वस्त करता हूं कि वह अपने सुझाव लिखकर दे देंगे, अपनी भावनाएं दे देंगे, तो हम उसका भी सम्मान करेंगे। आज इस आदरणीय सदन में हमारे पुराने साथी, माननीय बदन सिंह जी, जो आज दूसरी ओर बैठे हैं, उन्होंने अपनी दो चिन्ताएं व्यक्त की हैं।

एक तो यह की है कि कृषि मंत्रालय का विभाग अभी खाली है, तो आज अगर माननीय विधायक जी इधर होते तो मुख्य मंत्री जी उन्हीं को कृषि मंत्री बनाते। (व्यवधान) लेकिन अब यह बात मैं मुख्य मंत्री जी और बदन सिंह जी पर छोड़ता हूं। मुझे आज अफसोस इस बात का हुआ है कि उन्होंने जिस विद्यालय से और जिस देश के महान नेता के चरणों में बैठकर राजनीति की शुरूआत की है जो हमारे और आपके बीच में नहीं हैं–इस देश के किसानों के मसीहा कहलाने वाले चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं है, भाषण ही नहीं दिया है, बल्कि समय-समय पर चाहे इस प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में हो या इस सदन में नेता विरोधी दल के रूप में हो चाहे नेता विरोधी दल के रूप में रहे हों चाहे भारत सरकार में वित्त मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में रहे हों किसानों के लिये काम किया है। हमें खुशी है कि हमारे नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने आदरणीय चौधरी साहब की नीतियों से और उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिये, किसानों की माली हालत को ठीक करने के लिये तमाम नीतियां और कार्यक्रम लागू किये हैं। हमें अफसोस है कि माननीय बदन सिंह जी ने शुरूआत भी माननीय चौधरी साहब के चरणों में की है। उन्होंने किसानों के बारे में बहुत कुछ कहा है लेकिन प्रदेश में किसानों की संख्या कितनी है, वह यह भूल गये हैं। लगता है कि यह असर उधर का है। इन्होंने 90 करोड़ कहा है। किसानों के प्रति जो हमारे कार्यक्रम हैं, जो नीतियां हैं, लगता है उन्हें इन्होंने पढ़ने का काम नहीं किया। इन्होंने एक चिन्ता यह भी की है उत्पादन के बारे में। इन्होंने कहा है कि उत्पादन के बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

श्रीमन् हमने पहले ही निवेदन किया है कि उत्पादन बढ़ाने के लिये, उर्वरक, उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रमाणित बीज, उत्पादन बढ़ाने के लिये कीट नाशक दवाइयां, और उत्पादन बढ़ाने के लिये तमाम ऐसे यंत्र जो वैज्ञानिक हैं, उनका उपयोग किया है और प्रदेश के किसानों को यह सब मुहैया कराने का काम किया है। लगता है कि माननीय बदन सिंह जी ने इधर देखा ही नहीं पढ़ा ही नहीं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि 93-94 में 370 लाख मीट्रिक टन अनाज पैदा होने की संभावना है। 94-95 में 412 लाख मीट्रिक टन होगा जबकि 92-93 में श्रीमन् 361 लाख मीट्रिक टन था। यह हमारी पैदावार बढ़ने का कारण है कि हमने समय पर प्रमाणित बीज वितरित कराये। 93-94 में बीज का वितरण 9 लाख 60 हजार किया गया। 94-95 में 10 लाख 75 हजार किया जायेगा। 92-93 में यह 6 लाख 30 हजार था उसके मुकाबले यह एक लाख क्विंटल अधिक है। देश में साढ़े बारह लाख क्विंटल प्रमाणित गेहूं का बीज बांटा गया है। आज इस आदरणीय सदन में बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि 6 लाख 30 हजार मीट्रिक टन बांटा गया है जो 40 प्रतिशत केवल इस प्रदेश में रखा गया है। किसी प्रदेश में अनाज के उत्पादन के लिये गहरी खेती करने के लिये खेत को विस्तृत नहीं कर सकते हैं उर्वरक डालकर वैज्ञानिक ढंग से खेती करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।

खाद उर्वरक के संबंध में यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 93-94 में 23 लाख 77 हजार मीट्रिक टन दिया गया । 94-95 में 29 लाख मीट्रिक टन बांटने की योजना है। 92-93 में यह 21 लाख 80 हजार मीट्रिक टन था । कभी-कभी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि हमारे किसान मेहनत करके खेती करके, अच्छे बीज का उपयोग करके अपनी फसल उगाता है और उसकी फसल में रोग लग जाता है तो मान्यवर, ऐसे रोगों से फसल को बचाने के लिये उपाय किये गये हैं । 93-94 में 8.25 हजार मीट्रिक टन था और 94-95 के लिये 11.5 हजार मीट्रिक टन की व्यवस्था की है । श्रीमन् आपको भी अनुभव होगा 92 में आलू में झुलसा रोग लग गया था इसके लिये फफूंद नाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया गया । जो कि 93-94 में 211 मीट्रिक टन है और 92-93 में 162.5 मीट्रिक टन था । श्रीमन् हमने यह तमाम उपाय किए हैं और यह उपाय करने से जो रिजल्ट सामने आया है वह आप जानते हैं । आलू के संबंध में पाल जी ने कबूल किया है, इस सदन में बताया है कि आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में रिकार्ड उत्पादन हुआ है ।

मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और बताना चाहता हूं कि हमारे किसानों का शीतगृहों के माध्यम से शोषण न हो, किसानों के शोषण को रोकने के लिए 31 मार्च, 1994 को यहां से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एस० डी० एम० को कड़े निर्देश दिए गये हैं किसानों के आलू भंडारण के संबंध में, ताकि किसानों का शोषण न हो, दोहन न हो । अगर किसी ने ऐसा कहा कि हमारा भंडार भर गया है और यह बात जांच के बाद असत्य पाई गई तो उसका लाईसेंस रद्द कर दिया जायेगा । और उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी । इस तरह के निर्देश दिए गये हैं । कहा गया है कृषि यंत्र के बारे में, तो 51 हजार यंत्र वितरित किए गए हैं और जहां तक यह कहा गया है कि सिंचाई की समस्या है तो हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि यह सरकार किसानों की पक्षधर है और यह बात तो उसी दिन साबित हो गई थी जब इस सरकार के बनते ही गांव में 16 घंटे बिजली दी जाय, यह कहा था । उस समय किसानों के प्रति इस सरकार की नीयत जाहिर हो गई थी ।

(मेजे थपथपाई गईं)

नहर का पानी शुरू से अन्त तक किसान के खेतों में जाय । आजादी के बाद जो नहर बनी हैं जिन नहरों में पानी नहीं गया है हमारी प्रशासनिक क्षमता के कारण, नीतियों के कारण, किसानों को पानी मिलने लगा है जिसका नतीजा यह है कि इस वर्ष हमेशा से ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य है । श्रीमन्, मैं आदरणीय मलिक जी का बहुत आभारी हूं । इन्होंने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को हमने बहुत गंभीरता से सुना है, लिखा है । इन्होंने चिन्ता व्यक्त की है । 350 किलोमीटर सड़क के बारे में । तो 350 किलोमीटर सड़क बनाने का काम लोक निर्माण विभाग का है जिसके मंत्री माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं यह लोक निर्माण के मंत्री हैं । इन्होंने पिछले साल इतनी ज्यादा सड़क बना दीं, इस बार भी इतनी ज्यादा सड़क बना रहे हैं । आर० ई० एस० विभाग है लोक निर्माण विभाग है, गन्ना विभाग है जिला परिषद् है तमाम एजेन्सी के माध्यम से सड़क बनाई जा रही हैं । मंडी परिषद् के द्वारा यह कार्य और ज्यादा हुआ है । पिछले दिनों की अपेक्षा इस बार और ज्यादा होगा । सड़कों की गुणवत्ता अच्छी होगी । क्वालिटी अच्छी होगी । मलिक जी ने पहले ही लिखकर दे दिया है मैं इनका आदर करता हूं इनके यहां सड़कें बन जायेंगी तो यह जानेंगे कि इनका आदर हो रहा है ।

सड़कों के सीमित संसाधनों को देखते हुए सड़कें बनायी जायेंगी । हम जिलों में परीक्षण करायेंगे और जो प्रस्ताव आयेंगे उन प्रस्तावों पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे । अपने सीमित संसाधनों के आधार पर सड़कें बनाने का काम करेंगे । और आपको भी बतायेंगे । हैण्डपम्प की दिशा में एक हजार हैण्डपम्प पिछले दिनों थे हमने पांच हजार लेने के बारे में विचार किया है । तो जितने पहले नहीं लगे थे उससे ज्यादा बनाने के लिए हमारी सरकार ने सोचा है । श्रीमन् मुख्यमंत्री जी ने इसी आदरणीय सदन में अपने बजट भाषण में कहा है । फसल बीमा योजना और तमाम ऐसी दैवी आपदाओं से बचाने के लिए किसानों को सहायता देने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है । हम उसमें चिन्तित हैं । इसमें व्यवस्था की जायेगी । यही नहीं किसानों की और भी जो समस्याएं हैं और जो श्री गौरी शंकर जी ने, श्री हरेन्द्र सिंह जी ने, श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री रंगनाथ, श्री जगदम्बिका पाल ने और कई सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं मैं उनका आभारी हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी आपको चिन्ता है उससे कहीं अधिक चिन्ता सरकार को है ।

हम चाहते हैं कि गौरी शंकर जी हमारे मित्र हैं उनकी चिन्ता पहले बीहड़ की थी अब चिन्ता हो गई है मलिहाबाद की है। मलिहाबाद के दशहरी आम हम सभी लोगों को अच्छे लगते हैं । इस दिशा में उनकी जो भावना है उसका हम आदर करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

बीहड़ से यह दशहरी की बगियों तक आ गए ।

श्री अवधेश प्रसाद–

गौरीशंकर जी की समस्या के संबंध में हम अधिकारियों से बात करेंगे और इनको भी बुला लेंगे ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर चूंकि शासन ने फाइल में सहमति व्यक्त की है । इसलिए इस पर आप विचार कर लें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

अधिकारियों के साथ आपको भी बुला लेंगे और मिल बैठ कर इसका निस्तारण कर लेंगे । मैं समझता हूं कि जितनी बातें कही गई हैं । माननीय बदन सिंह जी से मेरा निवेदन है कि वह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें । उनके मन में किसानों के लिए चिन्ता है । आज रात उनको नींद नहीं आयेगी, जब वह चौधरी चरण सिंह का फोटो देखेंगे अगर उनके कमरे में लगी होगी और प्रायश्चित करेंगे । अब मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विभाग में जो आपने कटौती का प्रस्ताव किया है, उसको वापस ले लें । और इस महत्वपूर्ण बजट पर जिस गरिमामय ढंग से बहस हुई है, इसका स्वागत करे । और हमारी बजट की मांगों को स्वीकृत करने और पास करने की कृपा करें ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो पैदावार बढ़ रही है, या बढ़ने वाली है, उसका विवरण दिया है । किसानों की यह सरकार हितैषी है यह मैं मानता हूं । मैं कृषि बजट के संबंध

में कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गेहूं बाजार में आ रहा है। खाद्य विभाग और कृषि विभाग से मिलती जुलती बातें है। आप उत्तर देने में सक्षम हैं। गेहूं की खरीद के वक्त इस प्रदेश में भी पंजाब, में भी हरियाणा में भी गेहूं के समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य दिया जाता है बोनस के रूप में। मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या प्रदेश सरकार गेहूं के समर्थन मूल्य से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति कुंतल बोनस के रूप में देने जा रही है। यदि नहीं दे रही है तो क्यों नहीं दे रही है ? लागत मूल्य बढ़ रहा है। किसान की हालत खराब हो रही है।

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन् जहां तक मूल्य निर्धारण का सवाल है, चाहे गेहूं हो या अन्य अनाज का प्रश्न हो उसका मूल्य निर्धारण भारत सरकार के हाथ में है। बोनस के बारे में जो उन्होंने कहा है तो हम उनकी भावना का स्वागत करते हुये और अपने संसाधनों को देखते हुये इस पर विचार करेंगे।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि जो हमारा पी० एल० ए० में मंडी निधि का 107 करोड़ रुपया है उस संबंध में मंडी अधिनियम का अनुपालन करते हुये और जो सरकार की ग्रामीण विकास की नीति है उसका परिपालन करते हुये इस पैसे से संपर्क मार्गो व पेयजल उपलब्ध कराने पर खर्च करने के लिये निकालने का काम करेंगे। इसके अलावा जो अधूरे कार्य पड़े हैं जिनके लिये 15 करोड़ रुपये की जरूरत है, उन अधूरे कामों को इस पैसे से पूरा कराने की घोषणा करेंगे ताकि जो अधूरे काम पड़े हैं वह पूरे हो सकें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, किसानों के विकास और उत्थान के लिये जो भी रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर करने का काम किया जायेगा। उन्होंने मुख्य चिन्ता अधूरे कामों को पूरा करने के बारे में प्रकट की है। मैंने पहले ही निवेदन किया है कि इस संबंध में जो प्रस्ताव आये हैं अपने सीमित संसाधनों को देखते हुये उन प्रस्तावों का स्वागत करेंगे। आपका जो प्रस्ताव है उसको विशेष रूप से देखने का काम करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बदन सिंह जी, क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं ?

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, फसलों में जो कीटनाशक रोग लगते हैं उनको खत्म करने के लिये जो पौध रक्षा इकाइयां हैं उनको डाइथीन और एम०-एम० 45 मंहगी कीमत पर मिलती हैं। इसके लिये क्या कोई अनुदान देने या कीमतें घटाने का काम करेंगे ? दूसरी बात यह है कि जो भारतीय कृषि वैज्ञानिक और शोध कर्ता हैं वह कृषि के संबंध में अनुसंधान कर सकें इसलिए उनको प्रोत्साहन देने की सरकार की क्या नीति है ? क्या इन वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया जायगा ताकि वह विभिन्न प्रकार की प्रजातियां गेहूं तथा दूसरे अनाजों की पैदा कर सकें, क्या इसके लिये कोई प्रोत्साहन देने की योजना सरकार बना रही है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय बदन सिंह ने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने और सम्मान देने के बारे में जानना चाहा है कि सरकार की नीति क्या है ? जब मैं अपनी बात रख रहा था तो उन्होंने सुनने का काम नहीं किया, उस समय उनका दिल और दिमाग दूसरी जगह था । मैंने पहले कह दिया है कि ढाई सौ से तीन सौ रुपये तक छात्रवृत्ति उन किसान छात्रों को जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों और 24 महाविद्यालयों में जो किसान छात्र पढ़ रहे हैं उनको दी जायेगी । यह इस बात का द्योतक है उनके सम्मान और उनको आगे बढ़ाने के लिये छात्रवृत्ति योजना लागू की गयी है ।

श्री बदन सिंह–

मैंने शोधकर्ताओं के बारे में पूछा है ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं ?

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, इतना निराशाजनक बजट है इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस न लेकर उस पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,26,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,11,19,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग तथा अनुदान संख्या–92 सांस्कृतिक कार्य विभाग

कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

श्रीमन् मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,66,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन् सूचना विभाग, जिसका बजट मुझे इस आदरणीय सदन में रखने का मौका मिला है, यह ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है कि इस विभाग के द्वारा जहां एक तरफ सरकार की उपलब्धियों से संबंधित सूचनीय जनता तक और जनता की समस्याओं और कठिनाइयों को सरकार तक पहुंचाने का यह विभाग काम करता है। एक तरफ से जनता और सरकार के बीच में यह विभाग कड़ी का काम करता है। इस विभाग ने हमारे प्रदेश के पत्रकार बन्धुओं के लिए, हमारी सरकार ने यह मानते हुए कि पत्रकारों के सम्मान के लिए, इस देश में और इस प्रदेश में लोकतंत्र का सम्मान है, आदर है, इसी को ध्यान में रखते हुये तमाम उनके लिए सुविधायें सुनिश्चित की गयी हैं, जिसमें उनके लिए अभी तक वह जब समाचार संकलन करने के लिए जाते थे, तो उन्हें टिकट कटाना पड़ता था, लेकिन अब यह व्यवस्था कर दी गयी है कि उनको केवल मान्यता कार्ड दिखा देना पर्याप्त है और उनको किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं लेना पड़ेगा और इसके साथ-साथ अब तक जो उनकी सीमा थी, उसकी जो सीमा थी, उसको बढ़ाकर 2 हजार किलोमीटर कर दिया गया है और उनको छूट दी गयी है, उनके लिये बीमा की योजना चालू करने का प्रस्ताव है और तहसील स्तर पर और ग्रामीण अंचल में जो पत्रकार काम करते हैं, उनके लिये अभी तक सुविधायें नहीं थीं, अब उनको भी मान्यता देने और सुविधायें देने का काम किया गया है। मान्यवर, उर्दू को सम्मान देने के लिये और उसको प्रोत्साहित करने के लिये एक टेलीप्रिन्टर मुख्यालय पर लगाने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त जो विज्ञापन है, उसका 5 प्रतिशत उर्दू पत्रों में दिये जाने का प्राविधान किया गया है। तो इन बातों से सद्भाव कायम होगा।

मान्यवर, सूचना विभाग द्वारा तमाम पत्रिकायें निकलती हैं, जिनमें शासन की उपलब्धियों के बारे में उल्लेख रहता है। श्रीमन् कल्याणकारी राज्य में जनता के कल्याण के लिये तमाम योजनायें होती हैं, उनकी जानकारी आम जनता को नहीं हो पाती है, इस कारण इन पत्रिकाओं के माध्यम से सारी जानकारी आम जनता को दी जाती है। मान्यवर डा० भीमराव अम्बेदकर के लेख दूसरी भाषाओं में हैं,

उनका हिन्दी अनुवाद कराया जा रहा है और यह कार्य काफी हद तक पूरा हो गया है । इससे उनके दर्शन का लाभ हमें मिल सकेगा । इसके अतिरिक्त रफी अहमद किदवई जो हमारे देश में एकता कायम करने के लिये प्रयत्नशील थे, उनके कृत्यों के बारे में सूचना विभाग में काम शुरू हो गया है, जिससे लोगों में आपसी एकता कायम हो, आपस में प्रेम उत्पन्न हो । इन शब्दों के साथ मैं आपके बहुमूल्य सुझावों को आमंत्रित करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप इसी समय मद सं०–15 (4) को भी प्रस्तुत कर दें । कटौती एक साथ दोनों पर आ जायेगी ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–92 सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,36,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, प्रदेश सद्भाव का वातावरण कायम करने में सांस्कृतिक कार्य विभाग का बहुत बड़ा हाथ है । यह विभाग सद्भाव बढ़ाने का काम करता है, जिससे प्रदेश में साम्प्रदायिक ताकतों को सिर उठाने का मौका नहीं मिलता है। यह विभाग प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपने कार्यक्रम लगाता है जो इस दिशा में सहायक है ।

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

इस दिशा में भी सांस्कृतिक कार्य विभाग ने बहुत काम किया है । हमारे बहुत महापुरुष है जो प्रेरणा श्रोत हैं, हमारे बीच में नहीं हैं । आज हम इनकी प्रतिमाओं को देखकर उनके बताये हुए मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं, संकल्पबद्ध होते हैं, उनकी मूर्तिया भी लगाई जाती हैं और जो यह हमारी संस्कृति है इसको अक्षुण्ण रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए और इस प्रदेश में भाई चारे का माहौल पैदा करने के लिए यह विभाग ने काफी हद तक काम किया है । मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूंगा कि इस विषय में वे अपने सुझाव देंगे और उनके सुझाव हमारे लिए वरदान का काम करेंगे ।

* श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–92 सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का बजट यहां पर माननीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। मान्यवर, इस बजट का उपहास केवल इसमें जो धनराशि रखी गयी है उससे ही मालूम हो जाता है । मान्यवर, इन्होंने जो धनराशि इस महत्वपूर्ण विभाग के लिए रखी गयी है दस करोड़ छाछठ लाख चौरासी हजार रुपये रखी गयी है और मान्यवर, इसके साथ ही जो सांस्कृतिक कार्य विभाग की धनराशि रखी गयी है मैं उसको भी बताये देता हूं वह है केवल पांच करोड़ छत्तीस लाख पांच हजार रुपये । मान्यवर, सूचना और जनसम्पर्क विभाग के बारे में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, वास्तव में यह सरकारी कार्यों की समीक्षा के लिए नीति का दिग्दर्शन और जनता के बीच में उनको पहुंचाने का काम करता है । लेकिन मैं मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग के द्वारा जो काम होना चाहिए वह कार्य वास्तव में नहीं हो रहा है ।

यह सूचना और जनसम्पर्क विभाग तो अपना कार्य करना चाहता है और वह उसके लिए दक्षता भी रखता है लेकिन मान्यवर, इस विभाग को स्वायत्ता प्राप्त नहीं है । यह विभाग यदि स्वायत्ता प्राप्त हो तो वास्तव में यह अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही अच्छी तरह से और इमानदारी के साथ कर सकता है लेकिन मान्यवर, आजकल राजनैतिक प्रभाव इसके ऊपर इतना होता चला जा रहा है कि यह सत्ता पार्टी की एक एजेन्सी बन गया है । इसको स्वतंत्र एजेन्सी बनाने के लिए इसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए स्वतंत्र रूप से इसको काम करने के लिए जोर देना चाहिए । अभी मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि मुख्यमंत्री जी अपनी पार्टी के सम्मेलनों में यदि कलकत्ता जा रहे हैं या अपने गांव सैफई दंगल में जा रहे हैं तो पूरा सूचना व जनसम्पर्क विभाग, टी० वी० और समाचार पत्र आदि वहीं पहुंच रहे हैं और वह वहां जाकर उनकी तारीफ और प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे ।

तो मैं कहना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विभाग जिसको सरकार की नीति की बात पता ही है लेकिन मान्यवर, जहां पर सही-सही कार्य इनका जानकारी करना है जनता को सही बात की सूचना देना है वहीं पर यह विभागों का काम बड़ा संवेदनशील भी है । उससे बचकर भी उनको रहना चाहिए और किसी भी राजनैतिक प्रभाव में आकर उनको काम नहीं करना चाहिये । मैं यह आशा करूंगा कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की स्वायत्ता को कायम रखने के लिये, सत्ता पार्टी को जिस तरीके से जो सुविधा उनको प्रचार के लिये दी जाती है, उसी प्रकार से सर्वदलीय कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिये भी अधिकार होना चाहिये । यह जो मझोले और छोटे पत्रकार हैं उनको सामान्य रूप से जो सुविधा रहनी चाहिये, मान्यता दे दी है, लेकिन वे सुविधायें नहीं प्रदान की गयी हैं । उनको सुविधा प्रदान करने के लिये माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि उनको स्वतंत्र रूप से अपनी पत्रकारिता के कर्तव्यों के निर्वहन के लिये सम्पूर्ण सुख और सुविधायें दे दी जानी चाहिये । यह जो विज्ञापन दिये जाते हैं वह विज्ञापन पर भी कुछ एकाधिकार समाचार पत्रों के हो गये हैं । उनके भुगतान के विषय में भी बड़ी धांधलेबाजी और अनियमिततायें बरती जाती हैं ।

सभी समाचार पत्रों को यह विज्ञापन देने चाहिये और भुगतान में भविष्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये और न किसी को कोई नजदीकीपन का फायदा देना चाहिये । स्वतंत्र रूप से विज्ञापन करने के लिये सभी समाचार पत्रों, छोटे मझोले बड़े उनको सुविधा प्रदान करनी चाहिये । कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं जब सूचना विभाग की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है । उस वक्त देश की एकता के लिये प्रदेश की बहबूदी के लिये संपूर्ण जनता तो संगठित रखने के लिये कार्य करना इस

विभाग का दायित्व बन जाता है और ऐसे कार्यों से जो कि जनता के बीच में किसी प्रकार का कोई मन मुटाव पैदा कर या किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता फैलाकर, जनता में दुर्भावना फैलाने का काम होता है उससे बचाने के लिये इन विभागों से कार्य करने की हम उम्मीद करते हैं।

यह विभाग स्वायत्त होना चाहिये और स्वायत्ता रखने के लिये सभी प्रकार की छूट होनी चाहिये। किसी भी प्रकार से पत्रकारिता से ऊपर दबाव नहीं होना चाहिये, जिससे ठीक प्रकार से कर्तव्यों का निर्वहन हो सके। मैं पत्रकारिता से जुड़े लोगों से सफल जीवन की कामना करता हूं। पेंशन की बात आयी है, सुनिश्चित रूप से पेंशन की व्यवस्था कर देनी चाहिये। विभिन्न आवासीय सुविधायें प्रदान करने के उनसे वायदा किया गया। आगरा में शास्त्री नगर में 40 प्रतिशत सुविधा देने के लिये वायदा किया गया लेकिन वहां के पत्रकारों को वह सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी। सभी पत्रकारों को आवासीय सुविधा मिलनी चाहिये। पत्रकारिता की स्वायत्ता उनको मिलनी चाहिये। किसी भी सत्ता पार्टी से उसके दबाव का प्रभाव नहीं होना चाहिये। सम्पूर्ण राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिये उनको स्वायत्ता मिलनी चाहिये।

मान्यवर, इसी प्रकार से सांस्कृतिक कार्य विभाग का बजट भी यहां पर रखा गया है। सांस्कृतिक कार्य विभाग का काम हमारी कला, संस्कृति और धरोहर को सुरक्षित रखना है। और वह धरोहर सुरक्षित रखने और उस प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को आज के जनजीवन से उसको संबंधित करना चाहिए और इस विभाग का कार्य यह होना चाहिए कि जितनी भी छिपी हुई चीजें हैं हमारी सांस्कृतिक पुरातात्विक या अन्य हमारी सभ्यता से सम्बद्ध रखने वाली, रहस्यमयी छिपी हुई बातें हैं वह उजागर हो सकें और उस धरोहर को हम उजागर करके अपनी सभ्यता और संस्कृति को आज के जीवन से सम्बद्ध कर सकें और उससे फायदा उठा सकें।

मान्यवर, प्रदेश के संस्कृतिक विभाग का बजट बहुत कम है और मैं समझता हूं कि वह इस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा है। मैंने यह देखा है कि इस विभाग के द्वारा जो प्राचीन कलाएं हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे कुम्हारी की कला है, बढ़ई की कला है, लौह कला है जैसे ताला उद्योग है, ध्यान दिया जाना चाहिए और इन्हें आज के मानवीय जीवन से सम्बद्ध करना चाहिए, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी। सांस्कृतिक विभाग द्वारा लोक गीत जो कि प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में गाये जाने वाले महत्वपूर्ण भाग को अदा करते हैं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिससे विभिन्न प्रकार की समता, जो कि यह समतावादी पार्टी का नारा है, का ठीक प्रकार से संरक्षण हो सके। जैसे कि होलिका के समय गीत गाये जाते हैं उसमें एक आदमी नहीं गाता है बल्कि वह सामूहिक रूप से गाये जाते हैं और कोई तबला बजाता है तो कोई दूसरी चीज बजाता है और साथ में महिलायें भी नाचतीं हैं तो इससे पुरुषों और महिलाओं में एक समता का प्रदर्शन होता है और दीवाली के अवसर पर गोवर्धन की पूजा होती है वह भी समता बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गोवर्धन पूजा में गोबर रखा जाता है। पहले पूरा ग्राम एक गोवर्धन रखता था, फिर गोत्र का रखा जाने लगा, फिर परिवार का और अब यदि परिवार में चार भाई है तो उन चारों का अलग-अलग रखा जाता है।

मैं प्राचीन कला और सांस्कृति को उस प्राचीन रूप से मनाने के लिए जोर देना चाहता हूं। होली और दीवाली के जो त्योहार हैं जो चार-पांच महीनों के अन्तराल में पड़ते हैं, जो समता का पाठ पढ़ाते हैं

वह कायम करना चाहिए और इस प्रकार हम यह देखते हैं कि जो लोक गीत के साथ-साथ जो लोक कलायें हैं वह इस विभाग के द्वारा सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं। मैंने इस बजट में देखा है और अखबारों में भी पढ़ा है, आगरा में एक दफ्तर है और उसको यहां तक भी ज्ञान नहीं है कि एक जिंगारे का टीला है वहां पर कदम्ब के वृक्षों, इस जगह को नीडर भी कहते हैं, में कदम्ब के फूल लगे हुए हैं और बरसात के महीनों में जब कदम्ब के फूल पुष्पित होते हैं तो उसकी सुगंध कोसों दूर तक फैलती हैं। इसी प्रकार जो प्राचीन ग्राम स्थान जो प्रकृति की गोद में बसे हुए हैं और ग्रामों की प्राचीन सभ्यता का सबक देते हैं उनको इस विभाग के द्वारा सुरक्षा दी जानी चाहिए। इसी प्रकार से हमारे यहां पर एक आकट नाम की जगह है, वह अति प्राचीन है वहां पर तालाब भी बना हुआ है, जिसकी चारों मुडेरे पक्की हैं, वहां एक कंकड़ मिलता है, प्रत्येक कंकड़ में एक छेद होता है और उसको यदि किसी बच्चे की ठुड्ढी चटक जाती है, उसके इलाज के काम वह आता है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो सांस्कृतिक कार्य का विभाग है, यह पुरातात्विक मूर्तियों का संरक्षण करें, यह भी इसका काम है लेकिन बड़े पैमाने पर मूर्तियों की चोरी हो रही है, चाहे वह मन्दिर की मूर्ति हो, चाहे गांव के देवी देवताओं की मूर्ति हो, सभी की चोरी हो रही है और चोर विदेशों में इन मूतियों को बेचकर अनाप शनाप कीमत कमा रहे हैं और इस विभाग के द्वारा कोई भी संरक्षण का कार्य नहीं किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस विभाग से या इनके विभाग द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि जनपद वाइज जो मूर्तियां हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है और यदि कर लिया गया है तो मंत्री जी जब मेरे कटौती प्रस्ताव का उत्तर दें तो उनकी संख्या भी बता दें कि किस-किस जनपद में मूर्तियों की क्या-क्या संख्या है, कुल मिलाकर अभी तक मूर्तियों की चोरी हो रही है।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी में इमलावाला गांव है, उस गांव में शान्ति और अहिंसा का सन्देश देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध की कई फीट की मूर्ति है, जो कुछ नीचे गढ़ी है और कुछ ऊपर है, लेकिन इस विभाग के द्वारा उसको संरक्षित करने के लिये, उसके रजिस्ट्रेशन के लिये आज तक कोई काम नहीं किया गया है। वहां का किसान उसके महत्व को न जानने के कारण उसके पत्थर पर हंसिया और खुरपी को तेज करने का काम करके उस मूर्ति को खराब कर रहा है। इस विभाग के अधिकारी जो यहां पर बैठे हैं, वह मेरी बातों को नोट करें कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति का रजिस्ट्रेशन करने व संरक्षित करने का काम करें।

दीर्घा में बैठे अधिकारियों को संज्ञान में लिये जाने पर आपत्ति

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि जो अधिकारी बैठे हैं, यह आपत्तिजनक है और परम्परा के विपरीत है। यहां पर हम सब लोग लाबी में बैठे लोगों/अधिकारियों का संज्ञान नहीं लेते, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अधिकारियों को नोट कराने की बात नहीं कही जा सकती ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग तथा अनुदान संख्या–92 सांस्कृतिक कार्य विभाग (क्रमागत)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले ही अपनी बात को संशोधित कर लिया था । इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी पांडुलिपियां हैं जो पुरातात्विक महत्व की हैं और उनका संरक्षण करना चाहिये । अयोध्या में राम मन्दिर के संबंध में जो प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुये हैं, उसके विषय में सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह आदेश दिया है कि ऐसे सम्पूर्ण पांडुलिपि तथा संबंधित साहित्य जो वहां मिला है, को संरक्षित करना चाहिये जिससे इनकी ऐतिहासिकता प्रमाणिक हो सके । मान्यवर, मुझे निवेदन तो और भी करना था, लेकिन मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा । सूचना प्रसारण विभाग के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि अश्लील पोस्टर, चित्र और विज्ञापन जो लगाये जाते हैं, उनसे युवापीढ़ी पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिये इस प्रकार के अश्लील पोस्टर, चित्रों आदि पर नियंत्रण रखना चाहिये और नियंत्रण करके इस प्रकार के चित्र लगाने चाहिये, जिससे युवा पीढ़ी पर अच्छा असर पड़े । जैसे हनुमान का चित्र है, भीम का चित्र है, उनकी बलिष्ठ भुजाओं का चित्र है, जिसका दिग्दर्शन करके युवाओं के मन में यह भावना पैदा हो कि हम भी इस तरह से बलिष्ठ हों इस प्रकार के भाव उसके अन्दर होने चाहिए ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के बाद जब दूसरे माननीय सदस्य बोल लेंगे तब मैं बोलूंगा ।

दीर्घा में बैठे अधिकारियों का संज्ञान लिये जाने पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । मेरा सभी सदस्यों से, माननीय बदन सिंह जी पुराने सदस्य हैं, लेकिन नये सदस्यों से भी अनुरोध होगा कि सदन में केवल सदन का ही संज्ञान लिया जाये । दीर्घा में चाहे जो व्यक्ति बैठे हों, चर्चा में उनका सम्बोधन नहीं किया जायेगा । भविष्य में जब भी भाग लें तो इस बात का ध्यान रखें ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग तथा अनुदान संख्या 92, सांस्कृतिक कार्य विभाग (क्रमागत)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सूचना विभाग एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव माननीय बदन सिंह जी ने प्रस्तुत किया है, उसके सन्दर्भ में मैं भी कुछ अपनी बात रखना चाहता हूं । अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ विचार यहां पर रखे । मेरा यह कहना है कि प्रदेश के अन्दर चाहे छोटे, बड़े या ग्रामीण अंचलों में समाचार पत्रों से जुड़े हुये पत्रकार बन्धु हो, केन्द्र सरकार ने जो

बछावत रिपोर्ट दी है और जिसे प्रदेश सरकार ने भी स्वीकार किया है, लेकिन हमारे अधिकांश समाचार पत्रों में उनकी संस्तुतियों के हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है, उनका लाभ नहीं मिल रहा है। मान्यवर, जो ग्रामीण अंचलों में जुड़े हुये पत्रकार हैं या छोटे समाचार पत्रों से जुड़े हुये पत्रकार है उनका बहुत बड़ा एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, उनकी नौकरी असुरक्षित रहती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर जितने भी समाचार पत्र हैं उनमें टू स्प्रिट से बछावत वेतन आयोग की संस्तुति को लागू किया जाये। लोकतंत्र में समाचार पत्रों की प्रमुख भूमिका होती है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी उसके पहले आप ही लोगों की सरकार थी। इलाहाबाद से प्रकाशित नार्दन इण्डिया पत्रिका और अमृत प्रभात को बन्द कर दिया गया था लेकिन दोनों समाचार पत्रों का प्रकाशन 12 जून, 1992 को पुनः प्रारम्भ किया गया मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 7 जनवरी, 1994 से ये दोनों समाचार पत्र बन्द हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया है। मैंने भी कई बार प्रयास किया कि सदन के माध्यम से इस विषय को उठाऊं लेकिन अवसर नहीं मिला। आज जब सूचना विभाग का बजट पेश किया जा रहा है तो इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर लोकतंत्र के अन्दर आपका विश्वास है तो इलाहाबाद के अन्दर जो दोनों समाचार पत्र बन्द हैं उनको खोलने के लिये सरकार तत्काल कार्यवाही करे। इतना ही नहीं लखनऊ से प्रकाशित होने वाला नवभारत टाइम्स भी काफी समय से बन्द है लेकिन सरकार ने इसके लिये कुछ नहीं किया।

मैं आपके सामने दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा स्टूडियो है। पता नहीं माननीय मंत्री जी को जानकारी है या नहीं। आज हम अपने यहां बहुत बड़ा पैसा चाहे दूरदर्शन में रिकार्डिंग के माध्यम से खर्च करते हैं या दृश्य-श्रव्य के केन्द्र हैं उन पर खर्च करते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मैं सांस्कृतिक कार्य विभाग के बारे में भी कहना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश के अन्दर भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता से जुड़े अनेक केन्द्र हैं। इसी क्रम में हमारे इलाहाबाद में नार्थ जोन कल्चरल सेन्टर है। लेकिन कभी-कभी उसका दुरुपयोग होता है। जब राजनैतिक नेता लोग कार्यक्रम कराते हैं तो वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम न होकर वह एक राजनैतिक मंच होता है। आज जो इस तरह के केन्द्र हैं वह वास्तव में भारतीय संस्कृति को विकसित करने के लिये होने चाहिए जिससे हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा रहे। इसी के साथ माननीय बदन सिंह जी द्वारा पेश किये गये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अजय कुमार पोद्दार–

मान्यवर, आपने जो मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय श्री बदन सिंह जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन् आपके माध्यम से मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आज तक पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारों के बारे में कुछ नहीं किया गया है। बहुत से लोग पीत (निम्न स्तर की)

पत्रकारिता करते हैं। इस संबंध में उनके विरुद्ध कार्यवाही नियम संगत होनी चाहिए और उनके लिये आचार संहिता बनाना चाहिये और जो अच्छी पत्रकारिता करते है उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिये। दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जो जिले की सूचनायें आती हैं जिलाधिकारी के माध्यम से आती हैं, पुलिस के माध्यम से आती हैं। कभी भी किसी प्रकार की अगर उत्पीड़न की एवं अन्य घटना घटी, उसे सीधे विभाग पर आनी चाहिए। पत्रकारों को सीधे-सीधे मिले, किन्तु और माध्यम से आने का विचार न हो, जिससे सूचना का महत्व कम हो जाता है। यह सुझाव देना चाहता हूं। जो पत्रकार इस प्रकार की गड़बड़ी करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, प्रशासन की चापलूसी करते हैं, उनके दबाव में आकर लिख देते है क्योंकि मात्र उनका उद्देश्य सरकारी विज्ञापन प्राप्त करना होता है। इस प्रकार के कई निर्णय हुये हैं, किसी रूप में अमलीजामा नहीं पहनाते हैं, कमर कस लेनी चाहिए। अपनी ओर से सांस्कृतिक मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सूचना विभाग के प्रस्ताव के माध्यम से यह भी अनुरोध करूंगा कि गोवर्धन क्षेत्र की संस्कृति के लिये, सांस्कृतिक रूप में, सुरक्षा की दृष्टि से रंगमंच की स्थापना गोवर्धन में होनी चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बृज की संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति में लुप्त होती जा रही है। इसलिए रंगमंच और भी महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गया है।

[*] इन्जीनियर राम लोटन सिंह पटेल–

मान्यवर, आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने पर अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के साहित्य को जो हिन्दी में अनुवाद कराया है, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। मान्यवर, बाबा साहेब के बहुत से साहित्य हैं, जिधर सरकार का ध्यान नहीं गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि जैसे महाराष्ट्र सरकार ने बाबा साहेब के ऊपर इंग्लिश में तेरह वैल्यूम में साहित्य वहां पर रखा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां से तेरह वैल्यूम वाला साहित्य जो अंग्रेजी में है, का हिन्दी में अनुवाद कराकर बटवाये और इस प्रदेश के पुस्तकालयों में निःशुल्क दिया जाय और यह साहित्य पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जाय, जिससे इस प्रदेश की जनता बाबा साहेब के विचारों से अवगत हो सके।

मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की काफी जनता आज भी अशिक्षित है उनको बाबा साहेब के विचारों से अवगत कराने के लिये लोगों को यह साहित्य उपलब्ध हो। मैं आपके माध्यम से बाबा साहेब के विचारों के लिये, कहा और मानवता, इंसान की इंसानियत की बहाली के संबंध में, कुछ कायर भी हैं उनकी कायरता दूर करने लिये लोगों को प्रोत्साहित किया जाये, बाबा साहेब के विचारों को अनपढ़ लोगों तक पहुंचाने के लिये यह साहित्य उपलब्ध हो। साम्प्रदायिकता फैलाने वाले लोग भी है, उनकी मंशा धूल धूसरित हो जायेगी। इस प्रदेश में इस तरह के साहित्य का वितरण होना चाहिये ताकि बाबा साहेब के विचारों से सभी अवगत हो सकें। आपने मुझे सुनने और बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

---

[*] वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

* श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, माननीय श्री बदन सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए जो आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, पत्रकारों के बारे में, कई सरकारें आती हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कई घोषणायें करती हैं परन्तु उसमें से कितने प्रतिशत का पालन होता है, इसकी समीक्षा नहीं की जाती है। दो-दो बार चर्चायें यहां पर हुई। ग्रामीण पत्रकारों को तहसील व मुख्यालय स्तर पर सुविधायें देने की बात कही गई परन्तु आज तक सूचना विभाग की कोई भी बैठक नहीं हुई है ताकि प्रदेश के पत्रकारों को मान्यता दी जा सके। प्रदेश स्तर पर समिति का गठन किया गया है।

जब हम सिनेमा देखते हैं, जबकि अपने प्रदेश में मनोरंजन कर 110 प्रतिशत देना पड़ता है परन्तु एक भी रील प्रदेश के विकास व अन्य महत्वपूर्ण चीजों से संबंधित सूचना विभाग द्वारा नहीं दिखाई जाती है। इसलिए सूचना विभाग द्वारा विकास से संबंधित एक-दो न्यूज रील्स दिखाई जानी चाहिये। जिले में जो सूचना विभाग हैं, उनके प्रोजेक्टर खराब पड़े हुये हैं। जिला स्तर पर इसमें भारी व्यय होता है परन्तु गांव में फिल्में नहीं दिखाई जाती हैं। अगर कभी शुरू भी करना हो तो परिवार नियोजन की एक-दो रीलें भेज दी जाती हैं। सूचना विभाग द्वारा विशेष अवसर पर या बड़े-बड़े मेलों में सार्वजनिक आयोजनों, जहां पर कम लगाओ ज्यादा पाओ जैसी दशा होती है, वहां पर इन प्रोजेक्टरों को दिखाया जाना चाहिये। देवरिया में सूचना विभाग को एक जीप दी गई थी। यद्यपि जिला स्तर पर जिलाधिकारी का बरदहस्त होता है। कभी-कभी जिलाधिकारी यह आदेश कर देते हैं कि एस० डी० एम० से दान कर लें।

मेरा निवेदन है कि जो मान्यता प्राप्त हैं, जिलाधिकारी कम से कम माह में एक बार उनके साथ पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर सरकार की नीतियों को बतायें। देवरिया जनपद को जो जीप दी गयी थी, उसे बस्ती में भेज दिया गया है। यदि आपके विभाग में नई जीप खरीदने की कोई योजना हो तो उसके तहत एक जीप देवरिया को भी देने का कष्ट करें। देवरिया जनपद एक बड़ा जिला है। बहुत पहले तहसील मुख्यालय पर सूचना विभाग के कार्यालय खोले गये थे परन्तु अब उन्हें बन्द कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि उन्हें पुनः चालू किया जाय और उनकी सार्थकता की सकारात्मकता की समीक्षा की जा सके। 14 सूत्रीय कार्यक्रम सूचना विभाग द्वारा जो तैयार कराया जा रहा है, उसमें पत्रिका की बात भी कही गई है, जिसका शीर्षक "इन हूम जर्नल" रखा गया है, मेरी मांग है कि इसका हिन्दी में शीर्षक रखा जाय। पत्रकारों पर जो हमले होते हैं, उत्पीड़न होता है और जो भेद-भाव बरता जाता है, उसकी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय श्री बदन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, सांस्कृतिक कार्य विभाग और सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के ऊपर जो विचार माननीय सदस्यों ने रखे हैं, मैं उनके विचारों का आदर करते हुये यह कहना चाहता हूं कि जो अश्लील पोस्टर्स

जो युवा भावनाओं को विकृत करती हैं, इसे रोकने के लिये बड़े-बड़े विद्वानों, संगीतकारों और वरिष्ठ पत्रकारों की एक समिति बना दी जाय जो कि इनके ऊपर नियंत्रण रखने का काम करे और यह युवा पीढ़ी जो विकृति की दिशा में जा रही है उसे रोके और उसे अच्छे काम करने के लिये प्रेरणा प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित करे।

इसी प्रकार सांस्कृतिक कला के द्वारा जो कुम्हारी और दूसरी कलाओं को दिखाने के लिये हमारी सरकार ने घोषणा की है वह केवल घोषणा ही न रहे। इन कलाओं को जीवित रखने के लिये, उसको आगे बढ़ाने के लिये जैसे कास्ट कला, कुम्हार कला, लोहार कला की वर्कशाप होनी चाहिये जिससे दूसरे लोग प्रेरणा ले सकें। गांवों में आज भी इस प्रकार के कारीगर मौजूद हैं हमारे यहां गहरकलां में एक बढ़ई है जो बताशे में झंडा गाड़ देता था ऊपर से और नीचे से लोहा गाड़ देता था लेकिन बताशा नहीं टूटता था। तो इस प्रकार के जो कलाकार गांवों में रहने वाले हैं उनका जिलाधिकारी सम्मान करें तभी कला की प्रगति होगी तभी कला का आदर किया जायेगा। इसके लिये विभिन्न साहित्यकारों सांस्कृतिक कलाकारों और वास्तु कलाकारों को एक मंच में लाकर उनकी संस्कृति विकसित करने की कार्यवाही करनी चाहिये।

हमारे प्रदेश की पुरातत्व सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने की कार्यवाही होनी चाहिये। हमारी कला जीवित रही तो जो आधुनिक जीवन में विकृति आ रही है वह रुक जायेगी। हमारी संस्कृति रही है जिसके कारण हम वृक्षों की पूजा करते हैं और उनमें देवत्व पाते हैं जैसे पीपल का वृक्ष है जिसकी हम पूजा करते हैं इस प्रकार के वृक्षों को जीवित रखने से प्रदूषण नहीं होता है। इन शब्दों के साथ में चाहूंगा कि जो हमारे पत्रकार हैं उनको सम्मानित किया जाना चाहिये और प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की जाय ताकि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

* कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ माननीय बदन सिंह जी जो हमारे साथी भी हैं उनके ऊपर कटौती की जिम्मेदारी सौंपी गयी, अच्छा काम उनको नहीं सौंपा जाता है। मैंने सूचना विभाग के बारे में उनकी बातें सुनी खासतौर से पत्रकारों के संरक्षण के बारे में उन्होंने चिन्ता व्यक्त की। उधर के कुछ माननीय सदस्यों ने भी पत्रकारों के बारे में चिन्ता व्यक्त की इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन श्रीमन्, ऐसा लगता है 6 दिसम्बर को फैजाबाद जो मेरे जनपद में है की घटना की याद दिलाना हूं अयोध्या में उस दिन देश विदेश के पत्रकारों और उनके प्रतिनिधियों के साथ जो हुआ जिसमें अनेक पत्रकार आये थे उनके कैमरों को तोड़ा गया और अश्लील, नग्न रूप से उनके साथ हरकतें की गयीं। यही नहीं पत्रकार बहनों को जिस प्रकार से अपमानित किया गया वह हिन्दुस्तान क्या दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती है। उस दिन को जब याद करते हैं दुर्भाग्य से वह घटना हमारे जनपद में ही हुई जिस जनपद में मुझे स्नेह दिया है और जिसने मुझे पैदा किया है तथा यहां लाने का काम किया है वहीं 6 दिसम्बर, 1992 को ऐसी दर्दनाक घटना हुई जो हमारे लिये और लोकतंत्र के लिए कलंक है। श्रीमन्, किसी देश और प्रदेश में लोकतंत्र कितना सफल है यह उस देश के पत्रकार और मीडिया के साधन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कितने निष्पक्ष हैं उससे पता चलता है। मैं आज इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पत्रकारों के सम्मान के लिए तमाम घोषणाएं ही नहीं किया है बल्कि हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण काम भी किया है फिर वह विज्ञापन का काम हो या उनकी सुरक्षा तथा उनके सम्मान का काम हो वह सब किया है।

मान्यवर, विज्ञापन और उर्दू के संबंध में जो बजट था उसमें बताना चाहता हूं कि अभी तक उर्दू में उतना नहीं दिया जाता था जितना हमारी सरकार ने विज्ञापन के बजट पर दस प्रतिशत प्रदेश के उर्दू अखबारों को देने का काम किया है। मान्यवर, उन्होंने चिन्ता व्यक्त किया है कि मुख्य मंत्री का फोटू अच्छा आता है, तो जो अच्छा काम करेगा उसका ही अच्छा फोटो आयेगा। इनके नेता ने तो कोई अच्छा काम किया नहीं है तो अच्छा फोटो कैसे आयेगा ? मान्यवर, यदि माननीय सदस्य, श्री बदन सिंह जी, और इनके नेता अच्छा काम करने लगे तो इनका भी अखबार वाले अच्छा फोटो अखबारों में छापेंगे। लेकिन जब अच्छा काम नहीं करेंगे तो प्रदेश के समाचार पत्रों में और अखबार वालों में निराशा होगी और बदन सिंह जैसे माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है और उम्मीद करते हैं कि उनका बढ़िया फोटो छपे तो यह कैसे होगा ?

मान्यवर, मैं सोचता था कि माननीय सदस्य कुछ अच्छे सुझाव देंगे लेकिन वह नहीं दिये। मान्यवर, बछावत रिपोर्ट के संबंध में और जो उनकी संस्तुतियां हैं उनके बारे में यहां चर्चा की गयी। साथ ही इलाहाबाद के नार्दन इंडिया पत्रिका और फैजाबाद में नवभारत टाइम्स बन्द होने के बारे में जो कहा गया तो जहां तक मेरी जानकारी है इन दोनों समाचार पत्रों के मालिकों ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही मुकदमा समाप्त हो जायेगा बछावत रिपोर्ट ही नहीं बल्कि मेरे पास जो सूचना विभाग से रिपोर्ट और संस्तुतियां आई हैं उनका आदर करते हुए इस प्रदेश में पत्रकारों का सम्मान किया जायेगा और उनके प्रतिनिधियों एवं उनके कर्मचारियों का पूरा-पूरा सम्मान किया जायेगा।

मान्यवर, सांस्कृतिक विभाग के संबंध में श्री बदन सिंह जी ने जो चिन्ता व्यक्त किया है रजिस्ट्रेशन के संबंध में तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भावना आपकी है वह भावना आपकी बरकरार रहे और जो अच्छे सुझाव होंगे उन्हें हम स्वीकार करने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, माननीय सदस्य श्री राम लोटन सिंह, इंजीनियर ने बाबा भीमराव अम्बेदकर के साहित्य के बारे में सूचना विभाग से जो अपेक्षा की है कि उसका संकलन किया जाय और उसका प्रकाशन किया जाय। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 13 अंकों में से 8 अंक हमें प्राप्त हुए थे, जो इंगलिश भाषा में थे। उसका हिन्दी भाषा में रूपान्तर करा लिया गया है और एक अंक का प्रकाशन भी कर दिया गया है। शेष बचे अंकों के प्रकाशन का काम भी शीघ्र पूरा किया जायेगा, ताकि बाबा साहब के विचारों और आदेशों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा सके, तथा इस प्रदेश को ऐसा प्रदेश बनाया जाय, जहां शान्ति और व्यवस्था हो और परस्पर भाईचारा लोगों में हो। इसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि डा० राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब अम्बेदकर जी के विचारों को जनता साकार कर सके। अब मेरी बात का असर इन पर जरूर पड़ा होगा, अतः मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें, यह आपकी बहुत बड़ी महानता होगी।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मंत्री जी ने कहा है कि सूचना विभाग के द्वारा कुछ पर्वतीय जनपदों में निःशुल्क-एक निहाई मूल्य पर श्याम-श्वेत टेलीविजन सेट प्रदान किये जायेंगे, यह व्यवस्था जो पर्वतीय क्षेत्र के लिए है, उसे क्या वह पूरे प्रदेश के लिये लागू करने की कृपा करेंगे ताकि प्रदेश के गांव-गांव के किसान लोग उसका लाभ उठा सकें।

श्री अवधेश प्रसाद–

ठीक है। श्रीमन्, मैंने यह निवेदन किया, जो सुझाव आए हैं और जो सुझाव नहीं भी आये हैं समयाभाव के कारण, उनके संबंध में मैं आदरणीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह उन्हें लिखकर दे दें, अच्छे सुझाव जो भी आयेंगे, उनका हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर के पत्रकारों को आवास के लिए भूमि देने का जो उन्होंने आश्वासन दिया था, उनके संबंध में उनका प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ शासन में विचाराधीन है, उस संस्तुति को क्या वह राजस्व विभाग में भेजकर उस पर शीघ्र सार्थक कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मैं आपकी भावना का आदर करते हुए कल ही उसे लिखवा कर जो उचित होगा, उसमें बिना अनावश्यक विलम्ब के कार्यवाही करा देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

बदन सिंह जी आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हैं ?

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मेरी मजबूरी है, मेरे सुझावों पर मंत्री जी की तरफ से कोई सार्थक उत्तर नहीं आया है, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,66,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–02 सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–02 सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,36,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बजट साहित्य समय से उपलब्ध कराये जाने की मांग

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि जैसे पहले भी निर्देश दिया गया था कि बजट सत्र में 4 दिन पहले साहित्य सुलभ कराया जाय। मान्यवर, कल स्वास्थ्य विभाग का महत्वपूर्ण बजट आ रहा है लेकिन अभी तक उसका साहित्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। आगे आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार बजट रखे जायेंगे। अभी दो दिन की छुट्टी हो रही है। बार-बार आदेशों के बाद भी यह साहित्य उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यह चिन्तनीय और निन्दनीय है। सरकार को कड़ी से कड़ी चेतावनी दी जानी चाहिए कि चार दिन का आदेश दिया गया है परन्तु कम से कम एक दिन पूर्व तो अवश्य उपलब्ध करा दिया करें। इस तरह से हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं तो उस विषय में यहां पर कैसे अपने विचार रख पायेंगे ? इससे सदन का समय भी बढ़ेगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है उसके बारे में पूर्व में भी इस पीठ द्वारा सरकार को निर्देश दिया जाता रहा है। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करायें कि जो भी विभाग का बजट आना हो उसका साहित्य 4 दिन नहीं तो कम से कम दो दिन पूर्व माननीय सदस्यों को अवश्य उपलब्ध करा दिया करें ताकि माननीय सदस्य साहित्य को पढ़ सकें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसको दिखवा लें।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या–27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) तथा अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

[1] कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,66,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

[1] वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,28,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,74,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, आज कारागार, होमगार्ड, राजनैतिक पेंशन का बजट रखते हुये मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है।

श्रीमन् विधान सभा के चुनाव के समय हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में इस बात की घोषणा थी कि हमारी सरकार जब होगी तो होमगार्ड के जवानों के नियमितीकरण के लिए काम करेंगे। उनको सम्मान देने का काम करेंगे। आज मुझे इस सदन में बताते हुए हर्ष और गर्व हो रहा है हमारी सरकार जैसे ही बनी 27 दिसम्बर, 1993 को, तो "होमगार्ड का सप्ताह" जिस सप्ताह में प्रदेश के होमगार्ड के जवान अपनी समस्याओं के बारे में चिन्तन करते हैं, परेड होती है उस दिन माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने घोषणा की थी। घोषणा में कहा गया प्रदेश के होमगार्ड के जवान जो हैं उनके भत्तों की बढ़ोत्तरी के लिए, पहले जो उन्हें 25 रुपये भत्ता मिलता था हमारी सरकार ने उसे बढ़ाकर 35 रु० कर दिया। जब होमगार्ड के जवान पहले बाहर जाते थे तो उन्हें साढ़े 30 रु० मिलता था हमारी सरकार ने इनको 45 रु० कर दिया है। होमगार्ड के जवानों का सरकारी वर्दी नहीं मिलती थी। होमगार्ड का जवान गांव के गरीब का बेटा होता है, बेरोजगार होता है सरकारी वर्दी खरीदने में उसे कितनी कठिनाई हो सकती है यह आप समझ सकते हैं आपको ग्रामीण अंचल का अनुभव है कितनी परेशानी होती होगी।

इस सरकार ने इस समस्या के निदान के लिए उनको सम्मान देने के लिए तय किया है कि होमगार्ड के जवानों को सरकारी तौर पर वर्दी मिलेगी। इसके लिए एक करोड़ रुपया पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है। जिसकी वर्दी बनकर तैयार हो गई है इसी महीने में होमगार्ड के जवानों को वितरित करना शुरू कर दिया जायेगा। होमगार्ड के जवान जब सरकारी ड्यूटी में लगाये जाते थे और वीरगति को प्राप्त हो जाते थे तो उनके परिवार को कुछ नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने होमगार्ड के जवानों के लिए, जो वीरगति को प्राप्त होते हैं एक-एक लाख रुपया देने का निर्णय लिया है। केवल निर्णय ही नहीं किया है

मुझे बताते हुए खुशी हो रही है पिछले दिनों में विधान सभा चुनाव हुए हैं तो जिस चुनाव में होमगार्ड के जवानो ने बड़े साहस के साथ वीरता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है आठ होमगार्ड के जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनके परिवार को, उनके आश्रितो को 27 दिसम्बर, 1993 को माननीय मंत्री जी ने अपने कर-कमलों से एक-एक लाख रुपये का चेक उनके आश्रितों को दिया है।

यह इस बात का द्योतक है जो होमगार्ड के जवान उपेक्षित थे उनको सम्मान दिया गया है। होमगार्ड विभाग की स्थापना 1962 में हुई थी। लेकिन आज तक होमगार्ड का अपना मुख्यालय नहीं था वह अपने को अस्थिर मानते थे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 27 दिसम्बर, 1993 को घोषणा की कि होमगार्ड के विभाग के लिये मुख्यालय बनाने का काम करेंगे। 27 दिसम्बर, 1993 को घोषणा की गयी और मुझे खुशी है कि 27 फरवरी, 1994 को बिल्डिंग बननी शुरू हो गयी है। दस महीने के अन्दर बिल्डिंग बन जायेगी . होमगार्ड के जवान बड़े से बड़े आई० पी० एस० अधिकारी डी० जी०, आई०जी०, डी० आई० जी० अपने को, मैं समझता हूं अपने को पहले उपेक्षित समझते थे।

[समय 7 बजकर 20 मिनट]

अब वह अपने को उपेक्षित नहीं समझते हैं, बल्कि अपने को सम्मानित समझते हैं। होमगार्ड विभाग अब श्रीमन्, पुलिस के सहयोगी दल के रूप में काम कर रहा है। और प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा है। कानून व्यवस्था काम करने में सहयोग कर रहा है। इस प्रदेश में सद्भाव और भाई चारा कायम करने के लिये सहयोग दे रहा है। उसके लिये कल्याण निधि स्थापित करने के लिये 1985 से फाइल इधर से उधर घूम रही थी। मैंने उस फाइल को मंगाया उसमें डेढ़ इंच मोटी पर्त जम गयी थी। उस फाइल से कल्याण निधि की स्थापना की गयी है। बीमा योजना नहीं लागू थी होमगार्ड के 25 हजार जवानों के लिये बीमा योजना लागू की गयी है। ऐसी घोषणायें जिसकी किसी भी सरकार से अपेक्षा की जाती है वह पांच-पांच सालों से नहीं हुई थी उनको हमारी सरकार ने आते-आते कर दिया। यह बात भी आश्चर्य जनक होगी कि पिछली सरकार की देनदारी भी बाकी थी। 1992 की देनदारी बाकी थी। लगभग 11 करोड़ रुपये उस देनदारी को जमा करने का काम हमारी सरकार ने किया है।

इस प्रदेश में एक लाख 23 हजार 400 होमगार्ड के जवान हैं। उनका भत्ता किसी के चार महीने का बाकी था किसी का 6 महीने का बाकी था उस बकाया भत्ता के संबंध में हमारी सरकार ने कार्यवाही की है और अनावश्यक विलम्ब न हो इस पर भी कार्यवाही की गयी है। आज हम गर्व के साथ इस सदन में कह सकते हैं कि होमगार्ड के जवानों के लिये, जो उपेक्षित थे, दलित थे, कमजोर थे, निराश थे उनमें आशा का संचार हुआ है। होमगार्ड के जवानों को नियमित करने के बारे में हमने प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है और उस कमेटी से अपेक्षा है कि 6 महीने के अन्दर होमगार्ड के जवानों के नियमितीकरण की जो हमारी नीति है, जो हमारी मंशा है, जो हमारी नीयत है, उसको पूरा करने के लिये 6 महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दें। रिपोर्ट देने के बाद सीमित संसाधनों के बावजूद उनको नियमित करने का काम किया जायेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान इस देश की आजादी का सम्मान है। ऐसा इस सरकार ने अनुभव किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे बीच बहुत कम दिनों ही रहेंगे। उनकी अगले 10 या 5 साल तक जिन्दगी है। उनके लिये चिकित्सा अनुदान के लिये चार हजार रुपये की व्यवस्था है। चिकित्सा अनुदान पाने के लिये उन्हें मुख्य

चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र लेना पड़ता था । यह स्वतंत्रता सेनानी बुजुर्ग होते हैं वह जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जाते थे तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपेक्षा करता था कान के डाक्टर की रिपोर्ट नहीं है, आंख के डाक्टर की रिपोर्ट नहीं है । टांग के डाक्टर की रिपोर्ट नहीं । यह वृद्ध है, उसने देश की आजादी के खातिर अपने लिये कुछ नहीं किया । बल्कि ऐसे भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने कभी अनुदान नहीं लिया पेंशन नहीं ली । जैसे श्री चौधरी साहब । इनका देश की आजादी में बड़ा योगदान था । इसलिये मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि उनको चिकित्सा अनुदान पाने के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सर्टीफिकेट की आवश्यकता नहीं है । बल्कि उनका दिया हुआ प्रमाण-पत्र, वही विश्वास है । उसके आधार पर हमने चिकित्सा अनुदान देने का काम किया है । भविष्य मे देने का काम किया है ।

श्रीमन्, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान की और भी हमारी तमाम योजनाएं हैं । तमाम ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है । ऐसे व्यक्ति हमारे बीच नहीं हैं । उनकी प्रतिभाओं से हम प्रेरणा ले सकते हैं हमारी आने वाली सन्तानें, हमारे नवयुवक प्रेरणा ले सकते हैं । उनकी प्रतिमाओं को बनाने का काम किया जाता है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान दिया जाता है । मान्यवर, इसी तरह से प्रदेश के कारागार विभाग के अन्तर्गत 56 कारागार हैं जिसमे दो तरह के बंदी होते हैं । एक बंदी सिद्धदोष और दूसरे विचाराधीन बंदी हैं । एक वह बंदी है जिनके मामले न्यायालय में चल रहे हैं और दूसरे वह बंदी हैं जिन पर न्यायालय का फैसला हो चुका है ।

सिद्धदोष बंदियों की संख्या कम है और विचाराधीन बंदियों की संख्या अधिक है । हमारी जेलें सुधार गृह के रूप में कार्य कर रही है क्योंकि हम मानते हैं कि जेल में जो व्यक्ति आता है वह अपराधी है या नहीं है यह हमारा काम नहीं है यह न्यायालय का काम है । लेकिन जो व्यक्ति जेल में आया है वह जब निकल कर समाज में जाय तो वह स्वाभिमान के साथ अच्छे वातावरण में रह सके । जेलो में सुविधायें देने के लिये हमारी सरकार ने कई योजनायें चलायी हैं जैसे शिक्षा की योजना है, उद्योग की योजना है एक पढ़े दूसरा पढ़ाये योजना है । एकता और भाईचारे का उनमें विकास हो सके ऐसी योजनायें जेलों में चलायी जा रही हैं ताकि वह अच्छे नागरिक के रूप में जीवन यापन कर सकें । मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार के समय में पलायन की घटनायें न के बराबर हुई हैं । पिछले साल के केवल 2 पलायन की घटनायें हुई हैं । इस तरह से हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया है । हमारी जेलों की देखरेख, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है इसीलये पलायन की घटनायें नहीं हो सकी हैं । इसी तरह से जेलों में वाच टावर, वाकी टाकी आदि की व्यवस्थाये की गयी हैं जिससे एक साल में सिर्फ 2 पलायन की घटनायें हुई हैं ।

इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जेलों में जो कृषि फार्म हैं उनमें अनाज और सब्जियां पैदा होती हैं । तमाम नुमाइशों में उनका प्रदर्शन किया जाता है । महामहिम राज्यपाल जी के यहां जो नुमाइश होती हैं उसमें भी हमारे जेल फार्मों की सब्जियां आती हैं और प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं । मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जेलों के सुधार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संबंध में सुझाव और होमगार्ड के जवानों तथा विभाग के उत्थान के संबंध में अपने बहुमूल्य सुझाव दें । उनके सुझाव हमारे लिये वरदान का काम करेंगे । मैं इस अवसर पर अपने विभाग के अधिकारियों, प्रमुख सचिव, आई० जी०, डी० जी० और अन्य सभी अधिकारियों को बधाई देना अपना फर्ज समझता हूं कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ से

इन तीन महीनों के अन्दर, जिस विभाग को लोग उपेक्षित तथा दलित समझते थे उसकी उन्नति की है। जब हम जाते हैं तो होमगार्ड के जवान जिन्दाबाद के नारे लगाते हैं । हमारे अधिकारियों ने अच्छा काम किया है मैं उनको बधाई देता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह काम सरकार ने किये हैं या आपके अधिकारियों ने।

श्री अवधेश प्रसाद–

कोई भी सरकार हो, शासन की नीतियों को सफल करने के लिये, नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने की उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। हमारे अधिकारियों ने जो अच्छे काम किये हैं उनको हमने पुरस्कृत किया है और जिन्होंने गलत काम किये हैं उनको दण्डित भी किया है। एक डी० आई० जी० को भी दण्डित किया, 23-23 कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की और ऐसे-ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोन्नति के अवसर दिया, जिनकी पत्रावलियां पहले से लम्बित पड़ी थी। इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय सदस्यों का आभारी हूंगा कि वह हमे अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे, जो हमें वरदान का काम करेगा।

* श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, वैसे तो पहले जो इसमें कटौती का प्रस्ताव गृह विभाग (कारागार) है, उसके संबंध में मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह एक ऐसा विभाग है, प्रायः सभी सदस्य इस विभाग से परिचित होंगे, क्योंकि कारागार विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसे वास्तव में देखा जाय, तो लोकतंत्र का जन्म कारागार से हुआ है। महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक जेल न जाते, तो इस तरह से हमारा देश जिस प्रकार से पनपा है, न पनपता। जेल के अन्दर एक तो अपराधी और दूसरे सामाजिक संघर्ष करते हुए उन्हें भी जेल जाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इसमें जितने भी हमारे माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, किसी न किसी रूप में कारागार से परिचित होंगे या हो सकता है कि जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपातकाल में जेल नहीं गये थे, मुलायम सिंह यादव ने पूरे प्रदेश को कारागार में बदल दिया था, इसलिये सारे सदस्य कारागार की सारी बातों से परिचित होंगे।

मान्यवर, जहां तक जेल का सवाल है, इसका उद्देश्य यह है कि अपराधी अपने अपराध की मनोवृत्ति को त्यागें और समाज से जुड़ें। अगर इसकी पूर्ति नहीं होती है, तो मैं समझता हूं कि वह कारागार निष्प्राण हैं। जिस मंशा से कारागारों का निर्माण किया गया, उनकी पूर्ति नहीं होती है। आपने अपने बजट में हमें आंकड़े जरूर समझाये हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें नहीं रखी हैं कि जिससे अपराधी यह महसूस करता कि हमने यह अपराध किया था और वह उसके लिये प्रायश्चित व्यक्त करता। जब अपराधी वहां जाता है, तो उस अपराधी को कम से कम कोई ऐसी शिक्षा, कोई ऐसे धार्मिक संस्कार उसके ऊपर डाले जायं, जिससे जब वह निकले तो अपराधी के रूप में न निकलें। मान्यवर, इस सरकार के सदस्यों को साम्प्रदायिकता का फोबिया हो गया है, इनके सिर पर हमेशा साम्प्रदायिकता सवार रहती है, 6 दिसम्बर सवार रहता है। मुझे लगता है कि सरकारी सदस्य जब अपने-अपने घरों को जाते होंगे तो वहां पर साम्प्रदायिकता साम्प्रदायिकता चिल्लाते होंगे और घर वाले परेशान होते होंगे कि यह कौन सी बीमारी लेकर आये हैं।

मान्यवर, सबसे पहले मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जो जेल मैनुअल है, वह 1894 की है और आज तक उसी आधार पर जेलों में काम हो रहा है। उसमें सुधार करने के लिये कुछ कमेटियों का समय-समय पर गठन किया गया और उन्होंने उसमें परिवर्तन के कुछ सुझाव भी दिये, लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुए, जिसके आधार पर जेलों के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, क्योंकि सरकारें आयीं और चली गयीं और उन्हीं के साथ-साथ वह सुझाव भी समाप्त हो गये। जेल मैनुअल में परिवर्तन के लिये दो कमेटियां बनायी गयी हैं–एक तो मुल्ला की अध्यक्षता में और दूसरी कपूर की अध्यक्षता में। उन्होंने अपनी-अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, कोई उन पर अमल नहीं किया गया है। मान्यवर, अभी कहा गया कि सूत्र में कहा जाये, तो मैं अपनी बात के सूत्र में रख रहा हूं।

मुल्ला कमेटी ने 4-5 सुझाव दिये थे, अगर सरकार उनका पालन करे तो काफी सुधार हो सकता है। पहला तो उस कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि जेलों का वर्गीकरण कर देना चाहिए। जो संगीन अपराधी बंद होते हैं, उनका गलत प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर किसी कारणवश जाने या अनजाने में संगीन अपराध कर बैठता है और वह जेलों में संगीन अपराधियों के साथ रहता है तो जब वह जेल से निकलता है तो वह संगीन अपराधी हो जाता है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी मुल्ला कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करें और उसे कार्यान्वित करें तो प्रशासनिक सुधार हो सकते हैं। बच्चों के लिये जेल अलग बनायी जाये, जो विचाराधीन कैदी हैं उनके लिये अलग जेल बनायी जाये, जो संगीन मामलों के अपराधी हैं उनको अलग रखा जाये, तो निश्चय ही जेलों में सुधार होगा। इस प्रकार से अगर एक दो बातों का परिपालन कर दिया जाता है तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। मान्यवर, 1980 में जब श्री शत्रुरुद्र प्रकाश जी मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि राजनैतिक पेंशन बहुत कम मिलती है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। मैं इस सरकार को बधाई दूंगा कि उसने कम से कम पेंशन आठ सौ रुपया कर दिया है। इससे उनका काम नहीं चलता है, फिर भी जो कुछ किया है, वह धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा सुझाव है कि इन 800 को एक हजार कर दिया जाये तो बहुत अच्छा होगा और इससे उनका

जीवन यापन आसानी से हो सकेगा । जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको इसमें भागीदार बनाया जाये । अभी कोई जेलों को झांकने तक नहीं जाता है, जेल के फाटक को लांघने में हिचकिचाता है । अगर ऐसे लोगों को पार्टी पालिटिक्स से ऊपर उठकर वास्तव में जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं अगर उनको जेल विजिटर्स बनाया जाय और वह जेल की स्थिति का अवलोकन करें तो मुझे लगता है कि इस सरकार के सामने कुछ अपने बहुत ही सकारात्मक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं । इसलिए हमारा निवेदन है कि जेल विजिटर्स जो बनाये जायं उसके अन्दर सामाजिक कार्यकर्ताओं को रखे तो अच्छा होगा । मान्यवर, लखनऊ के अन्दर एक आदर्श कारागार है जिसमें थोड़े दिन पूर्व माननीय जोशी जी और माननीय अडवानी जी को भी जाना पड़ा तो आदर्श कारागार में लेटने के लिए कोई बिस्तर नहीं था, घर से बिस्तर मंगाकर देना पड़ा, बिजली की व्यवस्था नहीं थी दो घण्टे लगे बिजली की फिटिंग करने में, सफाई की गयी, बिस्तर मंगाया गया । तो मेरा निवेदन है कि अगर मंत्री महोदय आये दिन लखनऊ के अन्दर की कारागारों को या जो निकट के जिलों के कारागार हैं उनको समय-समय पर देखते रहें तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है ।

मान्यवर, 20–25 साल से जो-जो कैदी बन्द हैं और जिनकी उम्र 75 वर्ष हो गयी है । पहले एक प्रोबेशन कमेटी बनी थी उसके आधार पर यह बैठकर इनको छोड़ते थे । मैं कहना चाहता हूं कि इतने वर्ष हो गये उस प्रोबेशन कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई । अगर उस कमेटी को समय-समय पर बैठकर ऐसे कैदी जिनकी आयु इतनी ज्यादा हो गयी है कि छोड़े जा सकते हैं जिनकी मनोवृत्ति में अपराध नाम की कोई चीज नहीं रह गयी हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि समय-समय पर उस मीटिंग को बुलाते रहे तो अच्छा होगा । आप विचार कीजिये कि जेल के कैदियों के अन्दर वैसे तो कहना नहीं चाहिए मुख्य मंत्री जी ने उस दिन एक बात कही थी कि 1942 के अन्दर कितने लोग थे, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता सन् 42 के अन्दर बहुत से ऐसे साथी हैं जो जेल में रहे होंगे जो मान्यवर, के पीछे बैठे हुए जो लोग होंगे जिनकी 42 में पैदाइश ही नहीं हुई होगी ।

मान्यवर, 7.10 रु० प्रतिदिन कैदियों को भोजन के लिए मिलता है । आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि 7.10 रु० में कोई कैदी क्या भोजन खा सकता है ? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी इस ओर विचार करें और इस राशि को इतना अवश्य बढ़ायें कि कम से कम उनका भोजन अच्छी तरह से हो सके ।

बन्धुओं, जेल के अन्दर दो ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है एक है खेती और दूसरा है उद्योग । हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत सी ऐसी जेलें हैं जिनके अन्दर उद्योग चल रहे हैं अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार मिटा दिया जाय और कच्चे माल की सप्लाई किया जाय तो उद्योगों के माध्यम से जेलों की इतनी इनकम हो सकती है कि सरकार उसको बचाकर अन्य कार्य में भी लगा सकती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां कृषि और उद्योग के अन्दर जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है उसको समाप्त कर उसकी इनकम बढ़ाकर तमाम अच्छे कार्य किये जा सकते हैं । लेकिन देखा यह जा रहा है कि 87 से 88 में लाभ कम हुआ है और 88 से 89 में और 89 से 90 में लाभ कम हुआ है तो इसके कारण कई हो सकते हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है या तो इसमें उद्योग पर ध्यान नहीं दिया जाता है या सप्लाई नहीं किया है, कोई न कोई कारण है मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर जरूर ध्यान दें उद्योग और कृषि से जेलों की आय बढ़ायी जा सकती है । मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की

35 रु० रोज मिलेगा होमगार्ड को । मान्यवर, घोषणायें कुछ भी कर दें लेकिन प्रश्न उसके अमल का है । 26 जनवरी, 1994 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुलिस परेड के समय घोषणा की कि हर पुलिस सिपाही को 50 रु० भत्ता दिया जायेगा लेकिन जी० ओ० नहीं गया आज कहा जा रहा है कि जी० ओ० सम्भव नहीं है । कहीं पर कोई घोषणा की जा सकती है लेकिन उसका अमल हो वह जरूरी है । होमगार्ड को रु० 25 मिल रहा है लेकिन आज पता चला कि इतवार की ड्युटी नहीं लगती तो काट लिया जाता है इस तरह से चार तो यही छुट्टी काट ली गयीं ।

एक पुलिस सिपाही की तरह होमगार्ड भी फील्ड के अन्दर काम करता है, पुलिस से ज्यादा काम करता है लेकिन इतवार की छुट्टियां काट लेने के बाद इतने कम वेतन के अन्दर वे कैसे अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है । बाहर जाता है तो भत्ता मात्र 10 रु० दिया जाता है वह कैसे उसमें बाहर जाने लायक है । होमगार्ड के सिपाही के बारे में बड़ी गम्भीरता से विचार की आवश्यकता है जो उसको दैनिक भत्ता और 10 रु० बाहर जाने का भत्ता मिलता है उस पर गम्भीरता से विचार कर निर्णय लें । कटौती प्रस्ताव सामने रखते हुए माननीय मंत्री से चाहूंगा कि इन सुझावों पर विचार कर कटौती के प्रस्ताव को आप इस सदन में सबके विचारार्थ प्रस्तुत करें ।

श्री लाल जी यादव उर्फ जोगी–

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मान्यवर, जेल शब्द कारागार शब्द स्वयं अपने आप में यातना और आतंक का परिचायक है । आजादी के बाद जेलों में निश्चित रूप से सुधार हुआ है जेलों में कैदियों को काम सिखाया जाता है कृषि योग्य भूमि जो जमीन है उसमें खेती का काम होता है इस तरह से उनके अन्दर से एक अपराधी की भावना को निकालकर उनको भी समाज में इस लायक बनाने का काम किया जाता है कि वे समाज में फिर से आकर पुनर्वासित हों और अपना जीवन मजबूती के साथ समाज में जी सकें । जेलों में जो सुधार हुआ है वह निश्चित ही स्वागत योग्य व सराहनीय है ।

मान्यवर, साम्प्रदायिकता की जो बातें की जाती हैं यह साम्प्रदायिक शब्द सदन से लेकर यह जेलों तक जब पहुंच जाता है, वहां हमने देखा कि जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, मैं भी एक हिन्दू हूं, वहां मन्दिरों की बहुतायत है या तो इन मन्दिरों को इस साम्प्रादियकता की भाषा से हटा लिया जाय नहीं तो वहां भी मस्जिदों का निर्माण कराया जाय गुरुद्वारों का निर्माण कराया जाय और धर्मों के पूजा स्थलों का निर्माण कारांया जाय ।

मान्यवर, होमगार्डों के संबंध में कहना चाहूंगा कि जो होमगार्ड एक डण्डा एक पुरानी वर्दी में दिखायी पड़ते हैं उन्हें शस्त्रों से सुसज्जित किया जाय और उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाय और उन्हें पुलिस वालों की तरह स्थायी रूप से नियुक्ति में शामिल किया जाय ताकि उनका भी दबदबा समाज में बने, ताकि होमगार्ड के प्रति जो हीनभावना है वह निकल जाय । उनको सरकारी मुलाजिम समझा जाय । सरकार ने इनके संबंध में जो कुछ कार्य किया है वह स्वागत योग्य है ।

मान्यवर, देश के महानतम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को जिनको उस समय यह नहीं पता था कि उनके योगदान के बदले में उनको सरकार से रुपया मिलेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री लाल जी यादव उर्फ जोगी–

देश की आजादी की लड़ाई में बहुत से लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। मान्यवर, उनके चिकित्सा के विषय में कुछ घोषणायें हुई हैं, उनकी बेटियों की शादी के विषय में कुछ धनराशि देने की घोषणा हुई है। अनुदान की राशि जो 4 हजार रु० है वह निश्चित रूप से कम है इसको बढ़ाया जाय। जिन्होंने प्राणों का उत्सर्ग किया देश की आज़ादी के लिए। मान्यवर, उनके मान-सम्मान, जीवन स्तर और आर्थिक सुविधा की जो बात है निश्चित रूप से उन पर विचार होना चाहिए। तथा राष्ट्र को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। इसी के साथ जो कटौती का प्रस्ताव आया है कि उसे घटाकर एक रुपया कर दिया जाये इसका कहीं औचित्य नहीं दिखना है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पेंशन के मामलों में जितनी भी सुविधा हो सकें, सरकार से निवेदन करता हूं वह सुविधायें उपलब्ध करायी जायें यह स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के प्रति एहसान नहीं होगा बल्कि यह राष्ट्रहित में भी होगा। और राष्ट्र उनका कृतज्ञ होगा इन्हीं शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आज यह कहावत सी बन गयी है कि अगर कहीं जमीन के ऊपर नरक देखना है तो वह जेलों में जाकर देखें। आज जेलों की जो स्थिति हो गयी है उसके बारे में जो कुछ कहा जाये वही थोड़ा है। जेलों की जो दुदर्शा चल रही है उसका वर्णन वहां के कैदी से पूछें तो पता चलेगा। वहां मच्छरों और खटमलों का प्रकोप रहता है और उससे अनायास ही तमाम प्रकार की खतरनाक बीमारियां होती हैं। बार-बार धनाभाव की बात कहकर टाल दिया जाता है, उनके इलाज की व्यवस्था नहीं होती है। उस पैसे से मच्छरों और खटमलों को खत्म करने की व्यवस्था की जाय जिससे वहां पर बीमारियां पैदा न हों। इसके साथ-साथ वहां देखने में यह आता है कि बड़े और छोटे अपराधियों को, खतरनाक कैदियों को एक ही बैरक में रखा जाता है और जो बड़े खतरनाक अपराधी होते हैं वह छोटे अपराधियों पर अत्याचार करते हैं और यहां तक सुनने में आया है कि कुछ लोग अवैध रूप से यौनाचार करते हैं उन्हें और बड़ा अपराधी बनने पर मजबूर कर देते हैं। जबकि जेलों का जो उद्देश्य था कि जो भी व्यक्ति अपराधी हो उसे मानसिक रूप से तैयार करें उन्हें समझायें कि वह सोचने पर मजबूर हो जाये कि वह समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनकर रहे। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि यदि वह चोरी करता है तो अगली बार सोचता है कि खून के मामले में पहुंचे और अगर खून के मामले में पकड़ा जाता है तो सोचता है कि बड़े षड़यन्त्र में पकड़ा जाये तो यह दशा जेलों की हो रही है। सरकार की तरफ से जो तमाम बंजट दिया जाता है उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। वहां पर बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है, लोगों को भोजन नहीं मिलता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते हैं और सारा का सारा पैसा अधिकारियों की जेबों में जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, इसके साथ ही मैं होमगार्डस के बारे में कहना चाहता हूं कि आगरे में होमगार्डस प्रशिक्षण केन्द्र है। कुछ दिन पूर्व उसकी छत गिर गयी थी और उसमें दो जवान दबकर मर गये थे और यह कहा गया था कि अनुदान दिया जायेगा और उनके आश्रितों को नौकरी दी जायेगी मगर अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मान्यवर, वहां की जिला कमाण्डेन्ट बड़ी भ्रष्ट है और यहां पर बैठे हुए एक सचिव उनके रिश्तेदार हैं। कोई भी उनका बाल-बांका नहीं कर पाता है। जवानों को जनरल प्राविडेन्ट का पैसा होता है तब तक नहीं दिया जाता है जब तक कि वह पैसा नहीं देते हैं। वहां की कमाण्डेन्ट को तत्काल हटाया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी अभी आगरा गये थे सर्किट हाउस में रुके थे तब जब लोगों ने उनकी शिकायत की तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि लखनऊ पहुंचते ही उसका ट्रान्सफर कर दूंगा मगर अभी तक नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बारे में कहना चाहता हूं कि विधान सभा में पच्चासी वर्षीय भारती जी के मामले की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था मगर अभी तक इस संबंध में जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। तो उनके प्रति सरकार ने यही रवैया बनाया है। सरकार यह जो कह देती है, उसको अमल में नहीं लाती है, इससे प्रशासन तन्त्र जो हैं, वह अपने मनमाने ढंग से काम कर रहा है। अन्त में मैं माननीय सदस्य द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उस पर बल देते हुए उसका समर्थन करता हूं।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मंत्री जी द्वारा जो बजट यहां लाया गया है, मैं उसका समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी जिन्दगी के लगभग 6 साल जेल में गुजार चुका हूं, इस नाते से मेरा इस संबंध में व्यक्तिगत अनुभव है। आज जेलों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। सरकार चाहे जिसकी रही हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो और चाहे वर्तमान में हमारी चल रही है, मैं माननीय कारागार मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जेलों में भ्रष्टाचार जाति के आधार पर है। जो बड़ा आदमी जेल में जाता है, वह 1(X)–2(X) रुपया महीना देकर बैरकों में ऐश करता है और जब गरीब आदमी जेल में जाता है तो उसको लात मारकर सिपाहियों द्वारा काम करवाया जाता है, यह लोग उससे अमानवीय व्यवहार करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कारागारों के पास बहुत जमीनें हैं, यदि उस पर खेती की जाय तो बाहर से जो अनाज खरीदना पड़ता है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

दूसरा सुझाव यह है कि हमको जेल को जेल न मानकर सुधार गृह के रूप में लेना चाहिए और उद्योग के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। चाहे छोटे कालीन हों, दरी हों या बर्तन बनाने का काम हो अथवा रस्सी बटने का काम करने वाले हों, जेलों के अन्दर इस तरह का काफी काम हो सकता है, इससे काफी आय भी अर्जित की जा सकती है। जेल केवल पढ़ाई-लिखाई के लिए भी हैं, मैंने तो जेल में रहकर मनुस्मृति तथा कई अन्य किताबों का अध्ययन किया है, मेरी सारी जेल की जिन्दगी पढ़ने में ही बीती है। जेल में विभिन्न तरह के लोग होते हैं। अधीक्षक जो वहां होता है, उसके पास धर्मराज व

यमराज दोनों तरह के अधिकार होते हैं, उसको अपने विवेक के आधार पर व्यवहार करना चाहिए, खासकर आज जेलों में ऐसा नहीं होता है, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही साथ आजादी के पहले 1918 से 1990 के आसपास जेल के जो सिपाही हुआ करते थे, उनकी तनख्वाह पुलिस (सिविल) के सिपाहियों से ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन बाद में बाहर के सिपाहियों की तनख्वाहें तो बढ़ गयीं और इन लोगों की तनख्वाहें घटा दी गयीं हैं। बाहर के सिपाहियों को तो लूटने की भी छूट है, लेकिन जेल के सिपाहियों को ऐसा नहीं है, इसलिए भी जेलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है क्योंकि जेल में तो गरीब कैदी होता है, इसलिए इन लोगों की तनख्वाह पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उद्योग का दर्जा जेलों को दिया जाय, यह मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं।

मान्यवर, मेरा एक सुझाव होमगार्डों के विषय में है, जिस समाज से मैं आया हूं, उसी से होमगार्ड आते हैं। पहले होमगार्ड विभाग में कोई भी ताकतवर आदमी, पैसे वाला आदमी नहीं जाता था, केवल छोटे-नाटे कद वाले व्यक्ति ही इसमें जाया करते थे, यही व्यक्ति इस विभाग को जिन्दा रखे थे। लेकिन आज बेरोजगारी बढ़ी है, पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बढ़ी है, आज एक होमगार्ड की वही मेरिट है, जो एक सिपाही की है। मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं इसका मंत्री था, मेरी इस विषय में कैबिनेट मंत्री से, मुख्य मंत्री से और सचिव से काफी बहस हुई थी। उसके बाद ही इसमें बाहर के लोग भी आने लगे। मान्यवर, मैं पुनः कारागार मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी छानबीन होनी चाहिए कि जाति के आधार पर, बिरादरी के आधार पर, गरीबी के आधार पर जिस होमगार्ड को निकाला गया है, उसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। महीने में सैकड़ों होमगार्ड हमारे पास आते हैं, हट्टे-कट्टे हैं, अच्छी स्थिति है लेकिन उन्हें निकाल दिया गया है, कभी कम्पनी कमाण्डेन्ट निकाल देता है तो कभी जिला कमाण्डेन्ट को पैसा नहीं देते हैं तो वह निकाल देता है। इसको सरकार को देखना चाहिए। पेंशन की बात आती है तो मैं छात्रवृत्ति की बात करना चाहता हूं लेकिन इस बजट से उसका कोई मतलब नहीं है। 1952 में जो छात्रवृत्ति मिलती थी आज के हिसाब से उनको 1200 रुपये मिलना चाहिए। इसी तरीके से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को महंगाई के साथ एक हजार रुपया दिये जाने की मैं वकालत करता हूं। और माननीय कारागार मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनकी पेंशन बढ़ायी जाये। अब बहुत कम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी रह गये हैं और जो भी रह गये हैं, हमको उन्हें जीने लायक पैसा देना चाहिए। इस जनप्रिय सरकार के माननीय कारागार मंत्री द्वारा पेश किये गये कारागार, होमगार्ड तथा राजनीतिक पेंशन के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जेल के बारे में जो राम करन आर्य जी ने कहा कि जेल में जो बन्द हैं उनके हाथों को निठल्ला न रखकर छोटे-छोटे उद्योग वहां विकसित किये जायें मैं इसका समर्थन करता हूं। होमगार्ड के संबंध में जो घोषणायें माननीय मुख्य मंत्री जी ने समय-समय पर की हैं और आज माननीय होमगार्ड और कारागार मंत्री ने की है मैं बधाई दूंगा सरकार को, अगर उनको वर्दी दी जायेगी तो निश्चित रूप से गरीब तबके के लोग उत्साहित होंगे और उनका जीवन यापन हो पायेगा। होमगार्ड्स के लोगों की नियमित ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाये ताकि उनकी दक्षता और कार्य कुशलता बढ़े। ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे होमगार्ड के लोग चुस्त-दुरुस्त रहें। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बारे में

जो बात चल रही थी । माननीय मंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा था कि वह ऐसे व्यक्ति थे जो कभी पेंशन नहीं पाये, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने जो हमारे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनका स्मारक बनाये जाने के लिए, मूर्ति लगाये जाने के लिए अनुदान दिये जाने की बात कही है तो यह चौधरी चरण सिंह के पथ पर चलने वाली सरकार है । मेरे जनपद के चार प्रस्ताव लगे हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी निर्देश दिया था और माननीय मंत्री जी ने भी निर्देश दिया था 30 तारीख को प्रस्ताव प्राप्त हुआ और 30 तारीख को ही प्रस्ताव फाइनेंस भेज दिया गया, अभी वहां हो नहीं पाया है, प्रस्ताव वहां लम्बित है । श्रीमन्, इस चीज को सरकार स्वीकार कर ले और इसकी घोषणा कर दे । मैं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन बढ़ाने का अनुरोध करूंगा कि उनकी पेंशन की धनराशि बढ़ायी जाये । कुछ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी ऐसे हैं जो आर्य समाज के मामले में जेल गये हैं और उन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है । ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों को भी लाभ देने की कृपा करें ।

* श्री मन्नू लाल कुरील--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन के कटौती प्रस्ताव पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । भगवती प्रसाद शुक्ल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं । कारागार और होमगार्ड के बारे में कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं कि होमगार्ड्स का वेतन बढ़ा दिया गया । अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि कारागार के लोगों का वेतन नहीं बढ़ाया गया । 1989-90 में आपकी सरकार थी, आप कारागार मंत्री थे लेकिन वह नहीं कर पाये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया । बन्दी रक्षक और हेड कांस्टेबिल का वेतन 330 रुपया मिलता था उसको हमने बढ़ाकर 950 कर दिया और एक को 28-30 हजार रुपये का एरियर मिला । होमगार्ड्स का भत्ता बढ़ा रहे हैं । कल जब आपकी सरकार थी तो आप 20 रुपये देते थे और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी उसके तत्काल बाद हम लोगों ने उसे बढ़ाकर 25 रुपया कर दिया गया । यह हमने सीमित संसाधनों के बाद बढ़ाया था । होमगार्ड का वेतन बढ़ा दिया, लेकिन एक कमी है । होमगार्ड के लोग थानों में जाकर बैरकों में लेटते हैं, उसका कोई अलग से कार्यालय नहीं है और एक कांस्टेबिल का वह आटा पिसाने न जाये तो होमगार्ड्स के लोगों को पुलिस कांस्टेबिल मारते हैं । आटा पिसाते हैं और सफाई का काम भी करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करिये ।

श्री मन्नू लाल कुरील--

मान्यवर, होमगार्डों की जो ड्यूटी लगायी जाती है, उसकी ड्यूटी लगाने में पक्षपात किया जाता है । एक महीने में दस-दस दिन ही ड्यूटी लगायी जाती है हरदोई में समाचार-पत्रों में पढ़ा है कुछ होमगार्ड एक साल से बैठे हैं उनकी ड्यूटी नहीं लगायी जाती है उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है जो छोटे तबके के होमगार्ड हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जो बड़े तबके के होमगार्ड हैं उनकी ड्यूटी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दी जाती है । मान्यवर, ड्यूटी में समानता नहीं बरती जा रही है । ड्यूटी समान रूप से मिलनी चाहिए । जो होमगार्ड में कम्पनी कमाण्डर हैं वह पचास रुपये में काम करता है और वही होमगार्डों का सुपरवीजन करते हैं, पचास रुपये उनके लिए बहुत ही कम है उनको भी बढ़ाया जाय । जो होमगार्ड खाली बैठे हैं उनको ड्यूटी पर बुलाया जाय ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि कारागार के कर्मचारियों को पुष्टाहार दिया जाय, उनकी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाय । होमगार्डों की ड्यूटी समय से लगायी जाय और होमगार्डों की ड्यूटी में जो अनियमिततायें हो रही हैं उन्हें दूर किया जाय, कम्पनी कमाण्डरों को स्थायी किया जाय और इनकी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाय तथा होमगार्डों के कार्यालय थाना स्तर पर स्थापित किये जायं । जेल कर्मचारियों की आवास सुविधा में सुधार किया जाय । जेल के उप कारागारपाल के वेतन में जो विसंगति है उसको दूर किया जाय तथा कृषि एवं उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाय । इसी के साथ मान्यवर--

"आंखों से नींद गयी कौन सुला सकता है,
होठों से मुस्कान गयी कौन हंसा सकता है ।
आग लगती है तो पानी बुझा सकता है
और जब पानी में ही आग लगी हो तो कौन बुझा सकता है ।।"

"कागज की नाव चलाने वाले,
पतवार चलाना क्या जाने,
यह जाति विद्वेष फैलाने वाले हैं,
सरकार चलाना क्या जाने ।।"

श्री भगवती प्रसाद शुक्ला–

मान्यवर, अन्त में मैं दो-तीन बातें कह रहा हूं जो यह कटौती के प्रस्ताव पर बोला जा रहा है । एक तो होमगार्ड के विषय में यह कहना है कि प्रदेश के अन्दर कमाण्डर, प्लाटून कमाण्डर हैं । क्या महिलाओं के ऊपर भी ऐसे ही पद हैं, क्या महिलायें अलग से कम्पनी कमाण्डर हैं ? क्या इन लोगों को नियमित करेंगे ? जिस हिसाब से जैसे हमारे माननीय सदस्य ने कहा है, सत्ता पक्ष के सदस्य ने कहा है, उन्होंने चूंकि बात कह दी है जो मैं कहना चाहता था । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि विनियमितीकरण जो करेंगे वह एक साथ करेंगे या एक रूप में करेंगे या जिनको काम नहीं मिलता है और 6–6 महीने बैठे रहते हैं, क्या उनकों भी इसमें विनियमितीकरण करेंगे ? मान्यवर, होमगार्ड के बारे में कहना चाहता हूं कि होमगार्ड की जो तनख्वाह है, उनके लिए क्या नीति निर्धारित कर रखी है । कारागार के बारे में बजट में सबसे कम पैसा का प्राविधान किया गया है, जेल में न जाने ऐसे कितने कैदी बीमार होते हैं, उनकी सेवा के लिए चिकित्सा सुविधा की कमी है । मैं कारागार मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जेल की चिकित्सा के ऊपर अपने बजट में इतनी धनराशि का प्राविधान करें कि

जिससे कि वहां के कैदियों को आवश्यक सुख-सुविधा तो मिल सके । अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जेल के कर्मचारियों के संबंध में कि उनको भी सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जायं ।

माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जेल के कर्मचारियों की जो वेतन विसंगतियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए । पुलिस विभाग के कर्मचारियों और जेल के कर्मचारियों की तनख्वाहों में भिन्नता है, उनके वेतन में समानता लाने के लिए क्या कोई नीति निर्धारित कर रखी है । इस समस्या को हल करने का प्रयास किया जाय । इसके अलावा जेल कर्मचारियों के लिए आवास समस्या भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, जेल शहर से बहुत दूर पड़ती है, वहां के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत दूर तक आना पड़ता है, इसको भी ध्यान में रखा जाय और इस समस्या का भी समाधान निकालना चाहिए जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा है, वहां के कर्मचारियों को भी सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिए । उनकी चिकित्सा सुविधा पर भी आप विचार करें और इस मद में आप पैसा बढ़ायें । इन्हीं शब्दों के साथ जिन माननीय सदस्यों ने इसमें सुधार की बात कही है, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, श्री शुक्ला जी ने कटौती के प्रस्ताव को रखते समय कुछ अपने सुझाव दिये । तमाम माननीय सदस्यों ने, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिये । मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूं । मैं आशा करता हूं कि उनके जो रचनात्मक सुझाव हैं वे हमारे प्रगति के मार्ग में साधक बनेंगे । श्री शुक्ला जी ने व नेता भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जेलों के रख-रखाव व सुविधाओं के बारे में चिन्ता व्यक्त की है । चिन्ता व्यक्त करते समय उन्होंने पिछले दिनों उनके नेताओं को जो परेशानियां हुई, उनकी ओर भी चिन्ता व्यक्त की है । मैं उन सभी नेताओं का आदर करता हूं और सम्मान करता हूं । पिछले दिनों उनके जो नेता गिरफ्तार हुए थे, उनको सरकार की तरफ से अच्छी सुविधा दी गयी थी । जब यह कहा गया कि उन्हें लखनऊ जेल में परेशानी है तो उसके बाद उन्हें दूसरे जेलों में भेज दिया गया, जहां पर सारी सुविधायें व आराम की चीजें मुहैया कराने के निर्देश दे दिये गये थे । मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने पायेगी ।

मान्यवर, महिलाओं के बारे में चिन्ता व्यक्त की गयी है । महिलायें होमगार्ड के अन्दर कमाण्डर व प्लाटून कमाण्डर होंगी कि नहीं होंगी । जो महिला प्लाटून है, वहां पर तो महिलायें होंगी ही । महिलाओं के बारे में हमारी एक मान्यता है "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" । आज मुझे इस आदरणीय सदन को बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि विभिन्न जिला जेलों में जो हमारी महिलायें 10 वर्ष से सजायें काट रही थीं, समता दिवस के अवसर पर ऐसी महिलाओं को छोड़ने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है । इसकी घोषणा भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है । यही नहीं प्रदेश के ऐसे जेलों में जहां पर वृद्ध लोग, विकलांग और 70 साल की आयु वाले लोग, जिनके खिलाफ अपराध सिद्ध थे, को भी रिहा करने का निर्णय ले लिया गया है । 19 दिसम्बर, को असफाकउल्ला दिवस पर, फैजाबाद की जेल में, जहां पर वह देश की आजादी के लिए शहीद हो गये थे, उनके सम्मान में विभिन्न जेलों में बन्दी लोगों की सजा में एक हफ्ता कम करने का निर्णय भी लिया गया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

26 जनवरी को छूट दी, इस तरह से समय-समय पर जेलों में जो बंदी हैं उनको निकालने के लिये घोषणा की गयी । तो हमने केवल घोषणायें ही नहीं की हैं बल्कि काम किया है । आगरा में होमगार्ड के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित किया गया । श्रीमन् आगरा की जो घटना है वह दर्दनाक घटना है वह घटना हमारी सरकार बनने के पहले की है । लेकिन घटना, घटना हुआ करती है जो भी उसमें मरे उसके प्रति हमारी सहानुभूति है । लेकिन जो सूचना दी गयी सम्भवतः माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि मृतकों के आश्रितों को 25, 25 हजार रुपया दिया जा चुका है अब कोई मामला पेंडिंग नहीं है ।

जहां तक होमगार्ड्स के भर्ती की बात कही गयी, उनके नियमितीकरण की बात कही गयी है वह मामला विचाराधीन है उसे किस आधार पर किया जायेगा उसके लिये उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गयी है वह इस इरादे से, इस नियत से बनाई गयी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सत्ता में आने से पहले जो घोषणा की थी होमगार्ड्स के जवानों को नियमित करने के बारे में उसी नीयत के तहत कमेटी गठित की है उस समिति की संस्तुतियों को संसाधनों को देखते हुये जैसा हमने कहा है वैसा किया जायेगा ।

माननीय मलिक साहब ने चौधरी साहब के सम्मान के बारे में कहा । उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा, मैं उनका आभारी हूं उन्होंने जैसे ही मुझे पत्र दिया उस पर विभाग के अधिकारियों ने त्वरित कार्यवाही कर दी और 20 ता० को वह वित्त विभाग में गया है । चौधरी चरण सिंह जी जैसे असाधारण व्यक्ति के लिये जैसा कि उनका व्यक्तित्व रहा है और इस आदरणीय सदन में वह सबसे ज्यादा बैठे हैं और उन्होंने प्रदेश की जनता और किसानों की सबसे ज्यादा सेवा की है । उसी के नाते जब हमारी 89 में सरकार थी उनके सम्मान के अनुरूप ही विधान सभा के सामने चौधरी साहब की आदम कद प्रतिमा हमारी सरकार ने माननीय मुलायम सिंह जी ने लगाई । हमने चौधरी साहब के मार्गदर्शन में राजनीति सीखी है । इस अवसर पर मुझे याद आ रहा है चौधरी साहब ने ग्वालियर में एक सभा में कहा था जिसमें हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी और वर्मा जी भी थे उन्होंने कहा था यह मेरे आखिरी शब्द हैं जो किसानों की दुर्दशा है, जो बेरोजगारी है, जो महिलाओं की स्थिति है उसका वर्णन करते हुये उनके आखों में आंसू आ गये । उन्होंने कहा मैं जल्दी इस दुनियां से जाने वाला हूं लेकिन मेरे ये जो बेटे बैठे हैं माननीय मुलायम सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा जी की ओर इशारा करते हुये कहा था गांवों में जो हमारी बेटियां, हमारी बहने शौच के लिये जाती हैं तो उसको सिर झुकाना पड़ता है । मुझे खुशी है उन्होंने कहा था कि मेरे जो स्वप्न है उनको यह साकार करेंगे । जिसे हमने साकार किया है ।

आपने प्रतिमा की बात की, प्रतिमायें प्रेरणा के लिये होती हैं हम इसे दिखवा लेंगे उसमें हो सकता है जमीन का चक्कर पड़े । हम चाहेंगे कि चौधरी साहब के नाम पर, उनके सम्मान के लिये जो भी पैसा लगेगा उसको हम देने के लिये बचनवद्ध हैं ।

यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात कही गयी, उनके चिकित्सा अनुदान और पेंशन के बारे में बात कही गयी । स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की आजादी के लिये जो भी कुर्बानी की है उसे चांदी के टुकड़ों में, उनके कार्यों को, उनके कर्तव्यों को चांदी के टुकड़ों में नहीं नापा जा सकता है ।

[समय–8 बजकर 20 मिनट]

हम अपने इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 800 रुपये मासिक पेंशन देते हैं और 4 हजार रुपये वार्षिक स्वास्थ्य अनुदान देते हैं । इसे पाने में और इसके अलावा उन्हें और जो कठिनाइयां थीं उनके निराकरण की हमने कोशिश किया है ।

इन शब्दों के साथ मैं श्री भगवती प्रसाद शुक्ल का आभारी हूं और मैं उनका और भी आभारी हूंगा यदि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को, जो उन्होंने रश्मी तौर पर रखा है, जबकि दिल से नहीं रखना चाहते थे, वापस ले लेंगे और सर्वसम्मति से इसे पास होने देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सीतापुर में शहीद स्मारक और इसके अलावा अनेक नगरों में शहीद स्मारक जो अधूरे पड़े हैं उनके संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि जो अधूरे स्मारक पड़े हैं यदि पैसे की कमी है तो एक समय-वद्ध तरीके से इन सभी शहीद स्मारकों को पूरा कराने के संबंध में बता दें ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, पैसे की कमी तो है लेकिन इच्छा शक्ति की कमी नहीं है । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस भावना के साथ शहीद स्मारकों के निर्माण का श्री गणेश हुआ है वह सीमित संसाधनों के होते हुए भी हम देखकर उन्हें पूरा कराने का प्रयास करेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं मंत्री जी ने कहा है कि भविष्य में जेलों में राजनीतिक बंदियों को कोई कठिनाई नहीं होगी, तो क्या इन तमाम जेलों में जहां राजनीतिक बंदी बंद होते हैं, उनको अलग से रखने की व्यवस्था नहीं है, इसलिये उन्हें या तो अस्पतालों में या खाली बैरकों में रखा जाता है, इसलिये क्या जिले की जो जेलें हैं वहां विचाराधीन राजनीतिक बंदियों को अलग रखने की, बी श्रेणी की बैरकों में रखने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, यों तो जेल के जीवन के बारे में सभी को अनुभव है लेकिन जेलों के सुधार में हमारी सरकार ने काफी काम किया है, आधुनिकीकरण किया है । राजनीतिक बंदियों के संबंध में यों तो सामान्य रूप से व्यवस्था होती है लेकिन आंदोलन के कारण राजनीतिक बंदियों को रखने की अलग से व्यवस्था होती है । कभी-कभी इतने आंदोलन हो जाते हैं कि जेलों की क्षमता कम हो जाती है जैसे एक-एक पार्टी के आंदोलन में 10-20 हजार आंदोलनकारी आ जाते हैं तो अस्थायी जेलों को बनाना पड़ता है । लेकिन इस दिशा में विचार किया जायेगा कि राजनीतिक बंदियों को अलग बैरकों में रखने की व्यवस्था की जा सके ।

मान्यवर, महिलाओं और बच्चों के लिये नई बैरकें बनाने का सवाल आया था कि जो ऐसे बंदी विचाराधीन हैं उनको अलग रखने की व्यवस्था हो ।

उनके लिए व्यवस्थाएं हैं हमारे पास...

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सरकार कल्याणकारी काम करेगी, तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ।

श्री अवधेश प्रसाद–

और जहां तक राजनीतिक बन्दियों का सवाल है, जब सरकार...

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हमें तो जेल जाना ही पड़ेगा, हमें सत्याग्रह आन्दोलन करना पड़ेगा, तो जेल में जाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि सत्ता बुलेट या बैलेट से मिलती है। बुलेट का अब सवाल नहीं और बैलेट में सफल होने के लिए लोकतंत्र में सत्याग्रह करना आवश्यक है और जेल जाना भी।

श्री अवधेश प्रसाद–

तो यह आन्दोलन किया जाता है सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जनता की समस्याओं की तरफ, तो मैं इस आदरणीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, यह हमारे यह पड़ोसी हैं पाल जी हमारे जनपद के और हमारे साथी हैं, और इनके यहां की तमाम लड़कियों की रिश्तेदारी हमारे यहां है...

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता–

आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं, शुक्ला जी ?

(व्यवधान)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

नहीं मैं इसे वापस न लेकर इस पर और बल देता हूं।

श्री अवधेश प्रसाद–

हो सकता है कि हमारे यहां की लड़कियों की भी वहां रिश्तेदारी हो...(व्यवधान) मैं सभी का आदर करता हूं, जिन्होंने अपने सुझाव यहां दिये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,66,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,28,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,74,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 7 अप्रैल, 1994 की बैठक में सदन के दिनांक 8 अप्रैल, 1994 से 27 अप्रैल, 1994 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की है :–

1–सदन के दिनांक 8 अप्रैल, 1994 से 27 अप्रैल, 1994 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

अप्रैल, 1994

---

8 शुक्रवार

1–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(1) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 आधा घण्टा

(2) उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994 आधा घण्टा

2–वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान–

9 शनिवार	
10 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
11 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान
12 मंगलवार	(1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार एवं उसका पारण एक घण्टा (2) वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान
13 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान
14 गुरूवार	(डा० भीमराव अम्बेदकर जन्म दिवस का अवकाश)
15 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी ।
16 शनिवार	
17 रविवार	
18 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान
19 मंगलवार	
20 बुधवार	बैठक नहीं होगी । (राम नवमी का अवकाश)
21 गुरूवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
22 शुक्रवार	
23 शनिवार	
24 रविवार	बैठक नहीं होगी । (महावीर जयन्ती का अवकाश)
25 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों विचार एवं मतदान ।
26 मंगलवार	
27 बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान (2) 4.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994 का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2–वर्तमान सत्र में आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दिनों में शून्य प्रहर की सूचनाओं के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक का समय रखा जाय और तदुपरान्त आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा प्रारम्भ की जाय ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।''

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गई है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 7 अप्रैल, 1994 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुईं । पहली सूचना डा० रामबाबू हरित की आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शास्त्रीपुरम् योजनान्तर्गत पत्रकारों के लिये कालोनी बनाये जाने के संबंध में है जिसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है । दूसरी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जनपद हरदोई के भवनहीन जूनियर हाईस्कूलों के भवनों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है जिसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है । तीसरी सूचना श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय की श्री अरूण कुमार कुशवाहा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिला परिषद्, इलाहाबाद की सेवा अवधि की समुचित गणना के संबंध में है, इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । चौथी सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की गाजियाबाद में गौशाला फाटक पर अण्डरब्रिज का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है जिस ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । पांचवीं सूचना श्री राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में शस्त्र लाइसेंस हेतु औपचारिकताएं पूर्ण कर चुके पात्र व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । छठी सूचना श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) की जनपद आगरा की किरावली तहसील अन्तर्गत ग्राम रोझोली में स्व० श्रीमती चम्पावती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की समाधि के निर्माण कार्य को रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । सातवीं सूचना श्री ऊदल की जनपद वाराणसी में समुचित विद्युत आपूर्ति न होने पाने से किसानों एवं नागरिकों को हो रही कठिनाइयों के संबंध में है, इस ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आठवीं सूचना श्री समीर भाटी की प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में डीजल आपूर्ति में लाइसेंस धारकों द्वारा की जा रही धांधली एवं घोर अनियमितताओं से किसानों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में है, इस ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । नवीं सूचना श्री राम सरन वर्मा की दसवीं सूचना श्री बदन सिंह की ..

ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तितोरिया की है बारहवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) की है, तेरहवीं सूचना श्री रमेश कांत लवानिया की है चौदहवीं सूचना श्री रंगनाथ की है पन्द्रहवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की है सोलहवीं सूचना श्री अमरनाथ यादव की है सत्रहवीं सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की है अठारहवीं सूचना श्री इंजी० रामलोटन सिंह पटेल की है उन्नीसवीं सूचना श्री अमित अग्रवाल की है यह सूचनायें अस्वीकृत हुईं ।

जनपद मुरादाबाद के गजरौला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कतिपय फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैसों तथा गन्दे पानी से प्रदूषण उत्पन्न होने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

जनपद मुरादाबाद के औद्योगिक..

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री बाबूराम यादव÷

(क्षेत्र गजरौला में मे० आर्गेनिक एंड केमिकल लि० डिस्टिलरी, वेम आर्गेनिक एंड केमिकल रसायनिक, मे० वेम आर्गेनिक एंड केमिकल पिकालीन/पिरीडीन, मे० रामगंगा फर्टिलाइजर लि० फर्टिलाइजर, मे० श्री एसिड एंड केमिकल लि० फर्टिलाइजर्स, मे० श्री एसिड एंड केमिकल लि० पेपर तथा मे० इन्सिको लि० आदि सात प्रदूषणकारी उदयोग स्थापित हैं.। ये उद्योग भारत सरकार के एक्शन प्लान के अन्तर्गत चिन्हित 17 श्रेणी के उद्योग में आते हैं ।

मे० वाम आर्गेनिक एंड केमिकल लि० गजरौला मुरादाबाद में मोलासेस का प्रयोग कर अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है तथा अल्कोहल का प्रयोग कर एसीटिक एनहाइडाइड एसिटिक एसिड टेल्डिहाइड तथा फिनाइल एसिटेट मोनोमर्स आदि रसायनो के उत्पादन किया जाता है। उद्योग के औद्यागिक प्रक्रिया से प्रदूषणकारी उत्प्रवाह जनित होता है । उद्योग की स्थापना के साथ की बोर्ड द्वारा उद्योग के उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हेतु किया गया था । जिसके अनुपालन में उद्योग द्वारा वर्ष 1985 में लेगून पर आधारित उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु संयंत्र स्थापित किया गया था । जिसके उपयुक्त पाये जाने पर उत्प्रवाह निस्तारण हेतु जल अधिनियम, 1974 के प्राविधानो के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा उद्योग को सहमति (जल) दि० 10–1–87 एवं वर्ष 1988 को दिनांक 28-4-88 को प्रदान की गयी थी, परन्तु स्थापित व्यवस्था में कुछ कमियों के कारण उद्योग में बायोगैस पर आधारित शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की, जिसे मई 89 में संचालित किया गया था लेकिन वह पूर्ण उत्प्रवाह का शुद्धिकृत नही कर रहा था जिसने एनएरोबिक लैगून का भी प्रयोग किया जाता रहा है । उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की क्षमता विस्तार एवं सुधार के प्रयास किये जा रहे थे इसी क्रम में उद्योग में एक और मिथेन अपपलो रियेक्टर तथा एक सेकेन्ड्री कनैरीफायर की स्थापना की जा रही है ।

जल प्रदूषण नियंत्रण की स्थापना की दिशा में उद्योग द्वारा किये जा रहे प्रयास को ध्यान में रखते हुये वर्ष 89 की सशर्त सहमति प्रदान की गयी थी जिसमें उद्योग को यह निर्देश दिये गये थे कि वह अपने उत्प्रवाह शुद्धिकरण क्षमता में सुधार लाये ।

बोर्ड द्वारा के निर्देशों के अनुपालन में उद्योग द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्था की क्षमता में विस्तार लाया गया एवं उद्योग द्वारा अतिरिक्त एक मिथेन अपुवुलोरियेटर तथा सेकेण्ड्री क्लेरीफायर की स्थापना क्रमशः माह अगस्त 89 तथा नवम्बर, 89 में चालू कर दिया था । बोर्ड द्वारा वर्ष 1989 हेतु सशर्त जल सहमति

उद्योग को इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि उद्योग अपने यहां स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र को प्रभावी से संचालित करें।

बोर्ड द्वारा दि० 25-12-89 को शुद्धिकरण संयंत्र के उपरान्त नमूना एकत्र कर विश्लेषित कराया गया जिसमें बी०ओ०डी० की मात्रा 100 मि० ग्राम प्रति ली० पायी गयी, इसके उपरान्त 12-9-90 को एकत्रित नमूना में बी०ओ०डी० की मात्रा 98 मि० ग्रा० प्रति ली० पायी गयी। बोर्ड द्वारा उद्योग को वर्ष 1990 की जल सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि उद्योग स्थापित प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र को प्रभावी रूप से लगातार संचालित करें। बोर्ड द्वारा पुनः 12-2-91 को नमूना एकत्र किया गया जिसमें बी०ओ०डी० की मात्रा 98 मि० ग्रा०/ली० पायी गयी तथा बोर्ड द्वारा उद्योग को नवीनतम् सशर्त सहमति (जल) दि० 26-3-91 को दि० 31-8-91 तक की अवधि के लिये प्रदान की गयी थी। उद्योग वर्ष 91 की शेष अवधि की सहमति हेतु पुनः आवेदन किया जिस पर विचारोपरान्त उद्योग की सहमति दि० 5-12-91 में अस्वीकृत की गयी। उद्योग द्वारा तीन और मीथेन अपवलो रियेक्टर का निर्माण कराया जिसकी स्थापना कर संचालन दिसम्बर 1991, अप्रैल 1992 तथा मई, 1992 में किया गया। उद्योग द्वारा द्वितीय चरण के शुद्धिकरण हेतु भी क्षमता विस्तार का कार्य किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा दि० 7-1-92, 12-2-92 एवं 27-2-92 को शुद्धिकरण के उपरान्त लिये गये नमूनों का विश्लेषण कराया गया जिसमें बी०ओ०डी०-800 मि०ग्रा०/ली० 140 मि०ग्रा०/ली० तथा 140 मि०ग्रा०/ली० पायी गयी। उद्योग द्वारा वर्ष 1992 की सहमति के लिये आवेदन किया गया था, उद्योग द्वारा उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप न निस्तारित करने के कारण उद्योग की वर्ष 1992 की सहमति 4-4-92 के द्वारा अस्वीकृत की गयी है। द्वितीय चरण के शुद्धिकरण संयंत्र की क्षमता विस्तार हेतु उद्योग द्वारा एक एरियेशन लेगून 12 सरपेश फ्लोटिंग एरियेटर प्रत्येक 20 एच०पी० युक्त की स्थापना जून, 92 में की गयी।

बोर्ड द्वारा विभिन्न दिनांकों को उद्योग के अन्तिम उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु से नमूने एकत्रित कर विश्लेषित कराये गये। प्राप्त परिणाम संलग्न तालिका में दर्शाये गये हैं :-

मे० वेम आर्गेनिक्स केमिकल्स लि० के अतिरिक्त गजरौला में श्री एसिड एंड केमिकल्स (पेपर यूनिट) का भी उत्प्रवाह बगद नदी में प्रमुख रूप से निस्तारित किया जाता है। बगद नदी में उक्त उद्योग के अतिरिक्त नदी के किनारे बसे गांव, कस्बों का भी मल जल होता है। बगद नदी जो कि आगे चलकर मुरादाबाद में गवां कस्बे से महोवा नदी कहलाती है। महोवा नदी अन्ततः कछलाघार पर मिलती है।

बोर्ड द्वारा विभिन्न दिनांकों को गंगा नदी का कछला घाट पर महोवा नदी का उधमपुर ब्रिज के पास तथा बगद नदी का दिल्ली मुरादाबाद रोड ब्रिज के समीप से जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषित कराये गये। विश्लेषित परिणाम संलग्नक-2 में दर्शाये गये हैं।

प्राप्त परिणामों से परिलक्षित होता है कि बगद नदी जल प्रदूषित है। महोबा नदी का जल पीने तथा नहाने हेतु उपयुक्त पाया गया है परन्तु दिनांक 10-1-92, 25-1-92 एवं 27-2-92 को छोड़कर अन्य दिनांकों को लिये गये जल नमूने के विश्लेषण आख्या के अनुसार गंगा नदी का जल नहाने हेतु उपयुक्त पाया गया है परन्तु दिनांक 10-1-92, 25-1-92 एवं 27-2-92 को लिये गये जल नमूनों के विश्लेषण से परिलक्षित होता है कि नदी का जल मानव उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-7-90 के द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसके द्वारा दि० 15-11-90 व 16-11-90 को गजरौला स्थित उद्योगों को सर्वेक्षण कर संस्तुतियां की गयी जिसके अनुपालन में उद्योग में वाम आर्गेनिक्स केमिकल्स को डिस्टेलरी इकाई द्वारा अभी तक बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक बी०ओ०डी० 30 मिग्रा०/ली० एवं सी० ओ० डी० 250 मि० ग्रा०/ली० को प्राप्त नहीं किया जा रहा है । गजरौला समिति के संस्तुतियों के पूर्ण अनुपालन हेतु बोर्ड के पत्र दि० 4-4-92 एवं 25-8-92 द्वारा उद्योग को निर्देश जारी किये गये थे ।

एम० सी० मेहता बनाम भारत सरकार व अन्य में जारी मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि० 6-8-93 के अनुक्रम में उद्योग 168 श्रेणी में नं० एक में आता है । जिसके अनुसार उद्योग को 30-11-93 तक बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करना है । पुनः दि० 28-1-94 को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उद्योग को 12 सप्ताह का समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में उचित सुधार करने हेतु दिया गया है, जिससे उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो सके । अन्तिम निर्णय मा० सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है ।

मै० श्री एसिड एण्ड केमिकल्स लि० पेपर इकाई द्वारा वेस्ट पेपर एवं पल्प का प्रयोग कर 30 टन पेपर का उत्पादन किया जाता है । उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से 300 कि० ली० प्रतिदिन उत्प्रवाह जनित होता है जिसके शुद्धिकरण हेतु शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है । दि० 8-4-93 के एकत्र उत्प्रवाह के नमूनें की विश्लेषण आख्या में बी० ओ० डी० 30 मि० ग्रा०/ली०, सी० ओ० डी० 210 मि० ग्रा०/ली० तथा संस्पेडेड सालिड 40 मि० ग्रा०/ली० पाई गई जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है ।

मै० वैम आर्गेनिक लि० की पोक्लोलीन/पीरीडीन इकाई द्वारा उत्प्रवाह निस्तारित नहीं किया जाता है परन्तु जनित उत्प्रवाह जिसकी मात्रा 8 से 10 कि० ली० प्रतिदिन है जो ब्वायलर में वास्तविककरण करने के उपरान्त बचे हुए पदार्थ को कोयले के साथ जला दिया जाता है ।

मैं० वैम आगेनिक्स एण्ड केमिकल्स लि० की केमिकल इकाई द्वारा उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह की शुद्धिकृत करने के लिये सेटलिंग पिट्स, फलोकुलेशन टैंक की व्यवस्था की गई है । दि० 10-11-93 को एकत्र नमूने की विश्लेषण आख्या में बी० ओ० डी० 25 मि० ग्रा०/ली०, सी० ओ० डी० 168 मि० ग्राम/ली तथा संस्पेडेड सालिड 80 मि० ग्रा०/ली० पाई गई जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है ।

मैं इन्सिल्को लि० के औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है । दि० 11-2-94 को एकत्रित उत्प्रवाह नमनें की विश्लेषण आख्या में बी० ओ० डी० 9 मि० ग्रा०/ली०, सी० ओ० डी० 72 मि० ग्रा०/ली० तथा संस्पेंडेड सालिड 78 मि० ग्रा०/ली० पायी गयी जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है ।

मैं० रामगंगा फर्टिलाइजर्स लि० तथा मे० श्री एसिड एण्ड केमिकल्स लि० द्वारा उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत कर पुनः प्रयोग कर लिया जाता है । औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित नहीं किया जाता है ।

मै० वैम आग्रेनिक्स एण्ड केमिकल्स लि० आसवानी इकाई में वाष्प बनाने के लिये 25 टन तथा 5 टन क्षमता के ब्वायलर स्थापित है जिसमें ईंधन के रूप में कोयला तथा मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है । वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु मल्टीसाइक्लीन तथा बैग फिल्टर के साथ 35 मी० ऊंची चिमनी लगाई गयी है । दि० 10-2-94 को की गई वायु अनुश्रवण के अनुसार उत्सर्जन बोर्ड मानकों के अनुरूप है। (संलग्नक–1 क)†

† संलग्नक छापे नहीं गये ।

मै० वैम आग्रेनिक्स एण्ड केमिकल्स लि० की केमिकल यूनिट में वायु नियंत्रण हेतु मल्टीसाइक्लोन तथा बैग फिल्टर की व्यवस्था की गयी है । दि० 10-2-94 की गई वायु अनुश्रवण आख्या बोर्ड द्वारा निर्धारित के अनुरूप है ।

मै० वैम आग्रेनिक लि० की पिकानीन/पिरीडीन इकाई में वायु प्रदूषण का मुख्य श्रोत फर्नेश एवं रियेक्टर वेन्टसे है जिसके नियंत्रण हेतु डबल स्टेज स्क्रबर के साथ 19 मी० ऊंची चिमनी की व्यवस्था की गई है एवं उत्सर्जन बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है । मै० इन्सिक्को लि० में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर की व्यवस्था के साथ चिमनियां 30.3 मी०, 26.7 मी० तथा 45.2 मी० स्थापित है । उत्सर्जन बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है ।

वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका में रामगंगा फर्टिलाइजर्स लि० तथा श्री एसिड एण्ड केमिकल की है । दोनों उद्योगों में सल्फर का प्रयोग कर सल्फ्यूरिक एसिड तथा रिमाल सुपर फास्फेट का उत्पादन किया जाता है । मै० रामगंगा फर्टिलाइजर्स के सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन प्रक्रिया में जनित गैसों के लिए 30 मी० ऊंची चिमनी के साथ साइक्लोन, एलकली स्क्रब्रर, मिस्ट एलीमिनेटर की व्यवस्था की गई है । एस०एस०पी० प्लान्ट में उत्पादन प्रक्रिया में जनित फलोरीन युक्त गैसो के नियंत्रण हेतु सिकस स्टेज काउन्टर करन्ट स्क्रबिंग तथा एल्कली स्क्रबर की व्यवस्था है । दि० 11-2-94 को की गई अनुश्रवण आख्या में उत्सर्जन बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है ।

श्री एसिड एण्ड केमिकल्स लि० वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है तथा आन लाइन सल्फर डाईआक्साइड मानीटरिंग सिस्टम के साथ इन्टरलाकिंग तथा रिकार्डिंग का प्रविधान किया गया है जिससे उत्सर्जित प्रदार्थों की मात्रा अधिक होने पर उत्पादन स्वतः बन्द हो जाये । दि० 8-4-93 को की गई अनुश्रवण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप है ।

बगद नदी जो गजरौला के पास निकलती है, एवं बरसाती नदी है इसमें बरसात के अतिरिक्त अन्य समय में गजरौला स्थित जल प्रदूषकारी उद्योगों का निस्तारित उत्प्रवाह एवं बगद के किनारे स्थित कस्बों, गांवों का निस्तारित मलजल भी होता है । बगद नदी हसनपुर के निकट से होते हुये गांवों कस्बे में महोबा नदी के नाम से जानी जाती है, तथा जनपद बदायूं की सहसबान, गुन्नौर आदि तहसीलों से गुजरती हुयी अन्ततः लगभग 200 कि०मी० दूरी तय करके कछलाघाट के समीप जनपद बदायूं में गंगा नदी में मिल जाती है, महोबा नदी में टिकटा एवं छुइयां आदि बरसाती नदियां भी विसर्जित होती है ।

बोर्ड द्वारा बगद नदी में कछलाघाट गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण के संबंध में समय-समय पर सर्वेक्षण कराया जाता रहा है, बोर्ड विभिन्न दिनांकों को बगद नदी, महोबा नदी के विभिन्न स्थलों से एकत्रित जल नमूनों की विश्लेषण आख्याओं का विवरण संलग्न 2 तालिका में दर्शाया गया है । परिणामों का विश्लेषण करने से परिलक्षित होता है यद्यपि बगद नदी का जल अत्यधिक प्रदूषित है एवं मानव उपयोग, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि के लिये अनुपयुक्त है, नदी के जल की गुणता में निरन्तर सुधार हो रहा है ।

नदी के आस-पास के हैण्ड पम्पों के जल नमूनें की विश्लेषण आख्या से परिलक्षित होता है कि नदी के जल प्रदूषण से भूमिगत जल प्रदूषित नहीं हुआ है (संलग्नक-3)†

चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहरा(मुरादाबाद) के अनुसार बगद नदी के पानी से प्रभावित कोई भी व्यक्ति इलाज के वास्ते इस चिकित्सालय में नहीं आया है, और न ही कोई बीमारी नहीं फैलने की सूचना ही प्राप्त हुई है । पशु चिकित्साधिकारी गंगेश्वरी (मुरादाबाद) के अनुसार बगद नदी के पानी से प्रभावित होकर कोई भी पशु बीमार होकर नहीं आया है तथा रिकार्ड के अनुसार कोई भी पशु बगद नदी का पानी पीकर नहीं मरा है, एवं किसी पशु की हानि नहीं हुई है । (संलग्नक 4 एवं 5)†

श्री महबूब अली–

मान्यवर, लगभग तीन तरफ से बजट को सराहा जा रहा है इस तरह से वर्तमान सरकार उद्योग पर प्राथमिकता दे रही है यह एक सराहनीय कदम है । लेकिन आज यह जो वक्तव्य सरकार ने प्रदूषण पर दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न पूछें कोई स्पष्टीकरण सरकार से पूछना हो तो पूछें ।

श्री महबूब अली–

प्रश्न की बात ही कर रहा हूं । वर्तमान सरकार ने प्रदूषण के बारे में वक्तव्य दिया है वह सत्य से परे है ।

श्री अधिष्ठाता-

आप क्या पूछना चाहते हैं वह स्पष्टीकरण सरकार से पूछें ?

श्री महबूब अली–

जो मेरा प्रश्न है उसका जबाव इन्होंने नहीं दिया है । मैंने प्रदूषण से संबंधित प्रश्न पूछा था ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रदूषण से संबंधित माननीय मंत्री जी बता दें फैक्ट्रियों से जो जहरीली गैस निकलती है उससे जो प्रदूषण होता है उस बारे में बता दें ?

श्री बाबू राम यादव–

एक फैक्ट्री ने उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश लिया है बाकी सारी फैक्ट्रियों में शुद्धिकरण यंत्र लगा है । इसमें परीक्षण हुआ है । जो मानक आए इससे प्रदूषण नियंत्रित हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

बाकी आप मंत्री जी को बता दीजिएगा ।

---

† संलग्नक छापे नहीं गये ।

युग निर्माण योजना कन्या उ०मा० विद्यालय मोहम्मदी जिला खीरी की अध्यापिकाओं/कर्मचारियों को पांच माह का वेतन न दिये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शारदानंद अंचल)–

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त विद्यालय .....

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, पढ़ा हुआ माना जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाय । (सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री शारदा नन्द अंचल–

। दिनांक 1-4-91 से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 की परिधि में है । माह अक्टूबर, 1993 से माह फरवरी, 1994 तक का अनुरक्षण अनुदान दिनांक 15-3-94 एवं 31-3-94 को स्वीकृत कर वेतन वितरण खाते में जमा किया जा चुका है किन्तु भारतीय स्टेट बैंक, मोहम्मदी, खीरी द्वारा तकनीकी आपत्ति लगा देने के कारण धनराशि का स्थानान्तरण शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के खाते में नहीं हो पाया फलस्वरूप वेतन का भुगतान संभव नहीं हो सका है ।

संबंधित अधिकारी द्वारा बैंक के प्रबन्धक से सम्पर्क स्थापित कर प्रश्नगत धनराशि स्थानान्तरित कराए जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है । ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

शिक्षा मंत्री देखने की कृपा करें । मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं । 31-3-94 को वेतन वितरण खाते में जमा हो गया यह कहा गया है, लेकिन वेतन तो इससे पहले भी जाता रहा है प्रबन्धक अध्यापिकाओं को वेतन न देने की नीयत से कमी निकालते हैं । स्टेट बैंक में आपत्ति गयी है । जिला विद्यालय निरीक्षक या आई० जी० एस० को मंत्री जी निर्देश दें कि वह स्वयं उसमें रुचि लेकर उस आपत्ति को निरस्त कराकर अध्यापिकाओं को वेतन वितरण करा देंगे ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

इसको दिखवा लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

उच्च न्यायालय से जो निर्देश हुए हैं जिन अध्यापिकाओं को वेतन नहीं मिला है उसको दिखवा लें एवं उसी विद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्या/शिक्षिका के वेतन भुगतान के संबंध में, माननीय उच्च न्यायालय ने, वेतन भुगतान के स्पष्ट निर्देश दिये हैं लेकिन अभी तक वेतन भुगतान नहीं हो सका है इस वेतन भुगतान को भी शीघ्र सुनिश्चित करायें ।

नोटः–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बांदा की बबेरू तहसील में मुन्सिफ कोर्ट खोले जाने की मांग विषयक नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

बांदा जनपद की बबेरू तहसील.....

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना लिया जाये

(सदन की सहमति वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[मुख्यालय पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव तहसील बार एसोसिएशन एवं अधिवक्तागण तहसील बबेरू दिनांक 21-8-78 को प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव पर दिनांक 4--11-78 को निबन्धक, उच्च न्यायालय से तहसील बबेरू में कार्य का भार, न्यायालय कक्ष, आवासिक भवन, मालखाना, हवालात की सुविधा एवं अभियुक्तों को जिला जेल लाने व ले जाने की व्यवस्था आदि के आधार पर मा० उच्च न्यायालय की संस्तुति भेजने का अनुरोध किया गया था। निबन्धक, उच्च न्यायालय ने अपने पत्र संख्या–7130/40बी, दिनांक 25 जुलाई, 1991 के द्वारा मा० उच्च न्यायालय का यह अभिमत व्यक्त किया है कि जनपद बांदा की तहसील मऊ, बबेरू नरैनी तथा अतर्रा में आवासिक/अनावसिक भवनों के अभाव तथा स्टाक के लिए आवासिक सुविधा उपलब्ध न होने के कारण मुंसिफ न्यायालय की स्थापना वर्तमान में किया जाना सम्भव नहीं है। मा० उच्च न्यायालय की उपरोक्त संस्तुति को दृष्टिगत रखने हुए प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है।]

श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, इसमें जवाब दिया गया है कि इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है उसको कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। मंत्री जी यह बतायें कि यह क्यों स्थगित किया गया है ?

श्री अधिष्ठाता–

स्थगित करने का कारण क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय उच्च न्यायालय का अभिमत है कि आवासिक/अनावसिक भवनों के अभाव में वहां मुंसिफ न्यायालय की स्थापना सम्भव नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वैसे तो माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में दर्शा दिया है कि उच्च न्यायालय ने मना कर दिया है। लेकिन उच्च न्यायालय के वित्त की व्यवस्था शासन करता है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां स्थान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1978 से कदाचित यह मामला शासन के पास पहले प्रस्ताव में आया था। इसलिए इस पर कृपा करके क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय को वित्तीय व्यवस्था करा दी जाय ताकि वह जनता की मांग को पूरा करने के लिए मुंसिफ कोर्ट की वहां पर स्थापना की जा सके।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, मुंसिफ कोर्ट स्थापित करने के संबंध में संशोधनों की उपलब्धता जो है, उसको देखते हुए ही स्थापित किया जाता है । प्रश्नगत मामले में आवासिक/अनावसिक भवन न होने के कारण उच्च न्यायालय ने संस्तुति नहीं की है इसलिए वहां पर स्थगित कर दिया गया है जो आप कह रहे हैं । यह संशोधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

1993-94 सत्र की बी० टी० सी० प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित न किये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शारदा नन्द अंचल)–

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि सत्र 1993-94 की.....

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

श्री शारदा नन्द अंचल–

[1993-94 की बी० टी० सी० प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के परीक्षाफल के घोषित न करने के संबंध में स्थिति यह है कि सत्र 1993-94 की बी० टी० सी० प्रवेश की लिखित परीक्षा दिनांक 3 अक्टूबर, 1993 को करायी जा चुकी है और परीक्षा की कापियों की जांच करने के पश्चात् परीक्षाफल मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा जा चुका है । अभी तक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं हो सका है क्योंकि शासन की वर्तमान नीति के अनुसार बी० टी० सी० प्रशिक्षण में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश स्तर पर हो रहे चयन को शासनादेश दिनांक 15-12-93 के द्वारा तत्कालिक प्रभाव से अग्रतर आदेशों तक स्थगित कर दिया गया था । मामले में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह विनिश्चित किया गया है कि बी० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वर्तमान में प्राविधानित 15% आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया जाय तथा इसे सत्र 1993-94 के प्रवेश पर लागू किया जाय । इसके अतिरिक्त यह भी विनिश्चित किया गया है कि सामान्य अभ्यर्थियों के साथ योग्यता के आधार पर चयनित अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित स्थानों के सापेक्ष्य न गिना जाय । शासन के इस विनिश्चित के फलस्वरूप चयन को स्थगित किये जाने से संबंधित शासनादेश दिनांक 15-12-93 को निरस्त किया जा रहा है और शैक्षिक सत्र 1993-94 के बी० टी० सी० प्रवेश प्रशिक्षण से संबंधित चयन की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित किये जाने के लिए निर्देश दिये जा रहे हैं ।]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

शासन ने अपनी नीति स्पष्ट की है यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि आरक्षण के संबंध में हमारी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है । हम उसका समर्थन करते हैं । लेकिन 1993-94 का सत्र शून्य सत्र

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

न हो जाय । परीक्षाफल आउट नहीं किये गये हैं । आपने व्यवस्था दी कि आरक्षण कोटे को पूरा करने की नीयत से मानक में परिर्वतन करके परीक्षाफल घोषित करेंगे । वह मानक भी आपने तय कर दिये । मात्र साक्षात्कार नहीं हुए हैं । आपने समय सीमा निर्धारित की है । क्या सरकार की नीयत इस 1993-94 के सत्र को शून्य सत्र घोषित करने की तो नहीं है । आपने कोटा बढ़ा दिया उसमें हमें खुशी है । जो मानक निर्धारित किये गये हैं उनको पूरा करके शीघ्र साक्षात्कार लेने की व्यवस्था की जाय । जिससे 1993-94 का सत्र शून्य सत्र न होने पाये । इस पर सरकार आश्वासन दे ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

1993-94 के बी० टी० सी० प्रवेश प्रशिक्षण से संबंधित चयन की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित किये जाने के लिए निर्देश दिये जा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस पर मेरी शंका है और कई अधिकारियों ने भी वरिष्ठ लोगों ने भी पर शंका की है । 1993-94 के सत्र को शून्य सत्र क्या आप कर देंगे ? तत्काल की कोई सीमा नहीं होती है । मैं समझता हूं कि मेरी तरह ही कई और सदस्यों की भी इस पर चिन्ता होगी । आप यह आश्वासन दें कि यह सत्र शून्य सत्र नहीं रहेगा । इसकी तत्काल व्यवस्था करेंगे ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

इसको शीघ्रातिशीघ्र कर देंगे । मान्यवर, शीघ्रातिशीघ्र करने जा रहे हैं ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि का धन उनके खातों में नियमित रूप से जमा न किये जाने विषयक नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि से संबंधित नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा को माननीय शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है ।

अब हम उठते हैं कल प्रातः 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

7 अप्रैल, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 80 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

राप्ती एवं बूढ़ी नदी के कटान से विलीन हुए मकानों पर दी गयी सहायता की सूची

वर्ष	नाम ग्राम	नदी में विलीन हुए मकान के गृह स्वामी का नाम	दी गयी सहायता की धनराशि
1992	संगलदीप	1–राम किशोर पुत्र झींगुर	1,000.00
		2–टिरू पुत्र मोहर	1,000.00
		3–झीनक पुत्र मोहर	1,000.00
		4–जियाऊ पुत्र बदल	1,000.00
		5–भिक्खू पुत्र अछैवर	1,000.00
		6–पतिराज पुत्र महादेव	1,000.00
		7–पेशकार पुत्र राम किशोर	1,000.00
1993	रीवा नावकार	1–समुझ पुत्र कल्पनाथ	1,000.00
		2–सीतामार पुत्र भगवती	1,000.00
		3–इद्रीश पुत्र अल्लादीन	1,000.00
		4–नजेरू पुत्र ओरी	1,000.00
		5–भगौती पुत्र गया	1,000.00
		6–वीरेन्द्र पुत्र चैतू	1,000.00
		7–राम कुमार पुत्र सूरज	1,000.00
		8–विनोद पुत्र रामबहादुर	1,000.00
		9–राम मिलन पुत्र हरिहर	1,000.00
		10–भारत पुत्र रामधन	1,000.00
		11–अली हुसेन पुत्र इलाके	1,000.00
		12–वसी मा० पुत्र इलाके	1,000.00
		13–मो० रजा पुत्र इलाके	1,000.00
		14–राजाराम पुत्र भगौती	1,000.00
		15–प्रेम नारायण पुत्र भीखा	1,000.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		16–रमेसर पुत्र भूलन	1,000.00
		17–राजेन्द्र पुत्र मिठाई	1,000.00
		18–भोले पुत्र जगरनाथ	1,000.00
		19–घनश्याम पुत्र सुभग	1,000.00
		20–कोमल पुत्र श्रीराम	1,000.00
		21–कृष्णनाथ पुत्र देवनरायन	1,000.00
		22–भगेलू पुत्र ओरी	1,000.00
		23–मुस्ताक पुत्र हुकुमदार	1,000.00
		24–भूनेश्वर पुत्र विशेसर	1,000.00
		25–ओम प्रकाश पुत्र करिया	1,000.00
		26–गनेश पुत्र राम सेवक	1,000.00
		27–लजेरू पुत्र ओरी	1,000.00
		28–बोधई पुत्र करिया	1,000.00
		29–रामेश्वर पुत्र गजई	1,000.00
2	अमरिया	1–पण्डोही पुत्र कोदई	1,000.00
		2–मु० वामी पत्नी कोदई	1,000.00
		3–सुखनन्दन पुत्र सरजू	1,000.00
3	संगलदीप	1–सन्तू पुत्र प्रसाद	1,000.00
		2–गनपत पुत्र रामनाथ	1,000.00
		3–कैलास पुत्र गनपत	1,000.00
		4–राम शंकर पुत्र राम औतार	1,000.00
		5–भोला पुत्र राम आसरे	1,000.00
		6–राम कुमार पुत्र राम आसरे	1,000.00
		7–राम चन्दर पुत्र दुलारे	1,000.00
		8–सुदामा पुत्र झींगुर	1,000.00
		9–राम सरन पुत्र झींगुर	1,000.00
		10–राम सुरेश पुत्र झींगुर	1,000.00
		11–जगदीश पुत्र राम समुझ	1,000.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		12–राधेश्याम पुत्र राम समुझ	1,000.00
		13–रमेश पुत्र राम समुझ	1,000.00
		14–उहेश पुत्र राम समुझ	1,000.00
		15–पारस पुत्र महादेव	1,000.00
		16–नरपत पुत्र महादेव	1,000.00
		17–रद्दू पुत्र विन्दा	1,000.00
		18–राधे पुत्र कपिल देव	1,000.00
4	छितरापार	1–आल्हा पुत्र गोविन्द	250.00
		2–मद्दू पुत्र राम मंगल	250.00
		3–राम बली पुत्र मंगल	250.00
		4–राम उजागिर पुत्र उदयराज	250.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 109 के उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

सूची (अ)

तहसील खलीलाबाद जनपद बस्ती में माह दिसम्बर, 1993 में सीजनल संग्रह अमीनों के पद पर कार्यरत अमीनों की सूची

क्र०सं०	नाम अमीन	तहसील में प्रथम नियुक्ति की तिथि
1	सर्वश्री राकेश सिंह	1-4-94
2	किशुन	1-8-89
3	अब्दुल हकीम	13-12-91
4	बद्री नारायन	17-1-91
5	बिन्दु जी मिश्र	1-11-92
6	धर्मेश कुमार	1-8-89
7	उमाकान्त	16-1-93
8	वेद प्रकाश	8-9-93
9	सिद्धनाथ	6-5-83
10	राधेश्याम	1-8-89
11	अनिल कुमार सिंह	1-2-92
12	शिव नारायन सिंह	21-1-91
13	कैलाश नाथ पाण्डे	1-6-85
14	राम सुरेश	6-5-83
15	बाल गोविन्द	25-1-93
16	राम प्रवेश	1-8-89
17	दिलीप कुमार	16-1-93
18	राधेश्याम	13-1-77
19	सन्त कुमार	1-11-92
20	शैलेश तिवारी	17-1-91

उत्तर प्रदेश विधान सभा

21	ब्रह्मदेव मौर्य	2-7-90
22	महेन्द्र नाथ	1-11-92
23	राम करन	19-4-85
24	जय राम	13-1-77
25	महेन्द्र कुमार	12-4-93
26	भगवानदीन	17-1-91
27	राजेन्द्र प्रसाद	12-4-93
28	चन्द्रशेखर	22-6-85
29	चन्द्रभान	11-9-75
30	भगीरथी	1-8-89
31	अशोक कुमार	3-6-83
32	हरीश कुमार	1-11-92
33	सुरेन्द्र कुमार	5-5-73
34	गौरी शंकर	1-8-89
35	ओम प्रकाश	12-4-93
36	शिव कुमार	12-4-93
37	जगन्नाथ पाठक	1-5-68
38	नन्द लाल	17-1-91
39	बाल मुकुन्द	1-8-89
40	अवधेश कुमार	12-4-93
41	शिव पूजन 6	12-12-91
42	राम नयन	1-8-89
43	धर्मदास	9-5-89
44	महेश चन्द्र	12-4-93
45	विजय कुमार	1-8-92
46	राम शंकर	12-4-93
47	शिव राम	1-8-89
48	अनिल कुमार	14-4-92
49	मान सिंह	12-4-93

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची (ब)

तहसील खलीलाबाद जनपद बस्ती में माह दिसम्बर, 1993 में कार्यरत सीजनल संग्रह अमीनों में से माह जनवरी, 1994 से कार्यरत सीजनल संग्रह अमीनों की सूची

क्र०सं०	नाम सीजनल संग्रह अमीन
1	सर्वश्री राकेश सिंह
2	किशुन
3	बद्री नारायन पाण्डे
4	सिद्ध नाथ
5	राधेश्याम
6	अनिल कुमार सिंह
7	शिव नरायन सिंह
8	कैलाश नाथ पाण्डे
9	राम सुरेश गुप्त
10	बाल गोविन्द तिवारी
11	राम प्रवेश
12	दिलीप कुमार सिंह
13	राधेश्याम यादव
14	सन्त कुमार श्रीवास्तव
15	शैलेश तिवारी
16	ब्रह्मदेव मौर्य
17	महेन्द्र नाथ मिश्र
18	जयराम यादव
19	महेन्द्र कुमार गुप्त
20	चन्द्र शेखर सिंह
21	चन्द्र भान गुप्ता
22	भागीरथी पासवान
23	अशोक कुमार गुप्त
24	सुरेन्द्र कुमार यादव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

25	गौरी शंकर
26	ओम प्रकाश पाण्डे
27	शिव कुमार वर्मा
28	जगन्नाथ पाठक
29	नन्द लाल
30	शिव पूजन (एस० सा०)
31	धर्मदास (एस० सी०)
32	शिव राम पाण्डे
33	अनिल कुमार दुबे
34	हरीश कुमार मिश्र
35	महेश चन्द्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी–एल० 109 विधान सभा (169)–1994–817 (डी० टी० पी०) ।